आदिवासी लोग एवं जैव विविधता सम्मेलन

एक शैक्षणिक सम्बद्ध पुस्तक

आदिवासी लोग एवं जैविकीय विविधता पर आधारित एक शैक्षणिक सम्बद्ध पुस्तक

(Hindi Translation of Indigenous Peoples & the Convention on Biological Diversity – An Education Resource Book)

कॉपीराइट (C) तेबतेबा 2010

तेबतेबा फाउन्डेशन, नं0–1, रोमन आयसन रोड 2600, बगूयो सिटी, फिलीपीन्स

दूरभाष : 63 74 4447703, फैक्स : 63 74 4439459, वेबसाईट : www.tebtebba.org

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक की अनुमति लिये बगैर इस पुस्तक या इसके किसी भाग/अंश का किसी रूप में या किसी साधन द्वारा पुनः प्रकाशन नहीं किया जा सकता।

प्रकाशक :

सामाजिक सेबासदन

बांझिकुसुम, महिषापाट

ढेंकानाल – 759013

प्रकाशन सहायता :

एशिआ इन्डिजीनियस पीपुल्स पाक्ट

आन आर्गेनाइजेसन आफ इन्डिजीनियस

पीपुल्स मुभमेंट इन एशिआ

लेखक : जील कैरीनो

हिन्दी अनुवाद : नवीन चन्द्र झा, दन्तेवाड़ा, छतिशगड, भारत

आवरण पृष्ठा : मालकानगिरि, ओडिशा की एक बंडा आदिवासी महिला अपने दहास (कृषि वन्योपज) को एकत्रित करती हुई

देबि प्रिंटर्स, भूबनेश्बर, ओडिशा में मुद्रित

विषय सूची

प्रस्तावना :– पृष्ठभूमि, लक्ष्य एवं पद्धति 5

(i) आदिवासी एवं जैविकीय विविधता सम्मेलन की मौलिक प्रस्तावना

मापांक (माडयूल)–1 आदिम लोक एवं राजनैतिक बहस पृष्ठ–17

मापांक (माडयूल)–2 जैव विविधता सम्मेलन की समझ पृष्ठ–27

मापांक (माडयूल) –3 जैव विविधता सम्मेलन पर आदिवासी की मान्यता पृष्ठ–42

मापांक (माडयूल)–4 आदिवासी आन्दोलन एवं जैवविविधता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम पृष्ठ–53

(ii) विषय वस्तु एवं मूल भाव :–

मापांक (माडयूल) – 5 जैव विविधता सम्मेलन एवं पारम्परिक ज्ञान पृष्ठ – 60

मापांक (माडयूल) –6 आनुवांशिक संसाधनों एवं संबंधित पारम्परिक ज्ञान का दोहन एवं लाभ भागीदारी पृष्ठ–68

मापांक (माडयूल) – 7 आदिवासी महिलाएँ एवं जैव विविधता सम्मेलन पृष्ठ–80

मापांक (माडयूल) – 8 आदिवासी एवं जैव तकनीक पृष्ठ–89

मापांक (माडयूल) – 9 आदिवासी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन पृष्ठ–101

मापांक (माडयूल) –10 संरक्षित क्षेत्र एवं आदिवासी पृष्ठ–114

(iii) जैव विविधता सम्मेलन – कियान्वयन

मापांक (माडयूल) –11 जैव विविधता सम्मेलन का राष्ट्रीय कियान्वयन पृष्ठ – 132

मापांक(माडयूल) – 12 जैव विविधता सम्मेलन की परिस्थितिक तंत्र के प्रति दृष्टिकोण पृष्ठ–143

मापांक (माडयूल)–13 जैव विविधता एवं सम्बद्ध पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण पृष्ठ–153

मापांक(माडयूल) – 14 संचार, शिक्षक एवं जन चेतना पृष्ठ – 165

(iv) सीखने हेतु उपकरण एवं पद्धति

- प्रज्ञापक (पोस्टर) प्रस्तुतिकरण 173
- दिमागी चित्रण 176
- लिखित मापांक 177

(v) वर्ण विन्यास एवं संसाधन

- वर्ण विन्यास 181
- संसाधन सामग्रियों की सूची 184

प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि

जनवरी 2005 में आदिवासी लोगों के क्षमता निर्माण एवं जैव विविधता सम्मेलन से जुड़ी बहस पर आयोजित तिबतेबा परियोजना की शुरूआत के साथ हमने इस सम्मेलन से जुड़ी अनेक मौलिक शैक्षणिक सामाग्रियों को संग्रहित करते हुए अनेक नई अवधारणाओं को भी विकसित किया। इन अध्ययन सामग्रियों का उपयोग वर्ष 2005 से 2008 के बीच राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशालाओं में किया गया।

पूरी प्रक्रिया के दौरान कई अध्ययन सामाग्रियों में सुधार के साथ–साथ अद्यतन जानकारियाँ भी जोड़ी गई। मार्च 2006 में तेबतेबा ने जैव विविधता पर अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम (IIFB) के सहयोग से क्यूरीटीबा, बाजील में आदिवासी प्रशिक्षकों के लिए एक शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें सहभागियों ने तेबतेबा द्वारा पूर्व के क्षमता निर्माण कार्यशालाओं में प्रयुक्त तीन अध्ययन सामग्रियों का विश्लेषण किया। ये सामग्रियां मुख्यतः आधारित थी – (1) जैव विविधता समझौता (2) जैव विविधता सम्मेलन एवं आदिवासी लोगों के हित और (3) जैव विविधता पर अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम (IIFB)

वर्ष 2006 के क्यूरीटीबा कार्यशाला में आदिवासी प्रशिक्षकों द्वारा की गई समीक्षा से इस सामग्री के सुधार में काफी मदद मिली, जिसके निरन्तर उपयोग करने, अद्यतन करने एवं सुधार लाने से सम्मेलन पर आदिवासी लोगों के क्षमता निर्माण के लिए आरंभिक मापांक के रूप में विकसित हुआ। वास्तव में यह मापांक सम्मेलन की विषय वस्तु से आदिवासी सहभागियों को परिचित कराने में काफी कारगर साबित हुआ जिससे निर्णय निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की भागीदारी सक्रिय होने लगी।

मार्च 2006 के क्यूरीटीबा के आदिवासी प्रशिक्षक कार्यशाला ने आदिवासी लोग एवं जैव विविधता सम्मेलन के लिए प्रसांगिक मापांको की रूपरेखा तैयार करने का काम किया। इस प्रस्तावित रूपरेखा में – विभिन्न शब्दावलियाँ (मसलन जैव विविधता, संस्कृति, पारम्परिक ज्ञान), जैव विविधता सम्मेलन का इतिहास, आदिवासी लोगों के हित, जैव विविधता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम तथा सम्मेलन से जुड़े स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय क्रियान्वयन की स्थिति के मापांक शामिल थे। जबकि अन्य प्रस्तावित मापांको में लक्ष्य, उदेश्य, विषय वस्तु एवं सहभागियों के संभावित परिणामों को शामिल किया गया।

ये प्रस्तावनाएं अध्ययन सामग्रियों में और भी सुधार लाने के आधार रहे है और इसी के कारण तेबतेबा विभिन्न मापांको को जैव विविधता सम्मेलन और आदिवासी लोगों के लिए अध्ययन संबद्ध पुस्तक में शामिल कर सका। निश्चित रूप से यह पुस्तक प्रशिक्षकों के क्षमता निर्माण, शिक्षा एवं जन चेतना खासकर आदिवासी

लोगों के हित एवं जैव विविधता सम्मेलन से जुड़े विभिन्न पक्षों के संदर्भ में सहज सुलभ उपकरण के रूप में कार्य कर सकेगा।

इन शुरूआती संकलनों के साथ तेबतेबा द्वारा जून 1–3, 2008 तक बॉन जर्मनी में अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम तथा संचार, शिक्षा एवं जन चेतना पर कार्यशील समूह की मदद से प्रशिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भाग लेने वालों ने अध्ययन से जुड़े विभिन्न मापांको को एक नया रूप देते हुए स्थानीय एवं क्षेत्रीय पहलुओं पर आधारित आदिवासी प्रशिक्षकों के शैक्षणिक अनुभवों एवं पद्धतियों का आपसी आदान–प्रदान भी किया। इन सभी प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं ने प्रस्तुत पुस्तक एवं जैव विविघता सम्मेलन के संकलन एवं प्रस्तुतीकरण का आधार तैयार किया। निश्चित रूप से यह पुस्तक प्रशिक्षकों के लिए सतत् क्षमता निर्माण एवं जैव विविघता सम्मेलन से जुड़ी बहस को एक नया आयाम दे सकेगा।

प्रस्तुत संदर्भ पुस्तक मुख्यतः तीन भागों में विभक्त है :–

- ❖ प्रथम खण्ड में आदिवासी लोगों के हितों एवं जैव विविघता सम्मेलन के संदर्भ में आधारभूत परिचय दिया गया है जिसमें निम्नलिखित चार मापांको का सहारा लिया गया है – (1) आदिवासी लोग एवं राजनीतिक बहस (2) जैव विविघता सम्मेलन की रूपरेखा (3) जैव विविघता सम्मेलन से जुड़े आदिवासी लोगो के हित और (4) आदिवासी लोगों के आन्दोलन एवं जैव विविधता पर गठित अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम।
- ❖ द्वितीय खण्ड में इस सम्मेलन के मूल उद्धेश्यों एवं तथ्यों को शामिल किया गया है। विभिन्न तथ्यों के लिए अलग–अलग मापांको को आधार बनाया गया है – (5) जैव विविघता सम्मेलन एवं पारम्परिक जानकारी (6) आनुवांशिक ससाधन एवं संलग्न पारम्परिक ज्ञान का दोहन एवं लाभ भागीदारी (7) जैव विविघता सम्मेलन एवं आदिवासी महिलाएँ (8) आदिवासी लोग एवं जैव तकनीक (9) आदिवासी लोग, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन तथा (10) संरक्षित क्षेत्र एवं आदिवासी लोग।
- ❖ तीसरा खण्ड जैव विविघता सम्मेलन के क्रियान्वयन से जुड़ा है जिसके विविध मापांक है – (11) जैव विविघता सम्मेलन का राष्ट्रीय क्रियान्वयन (12) पारिस्थितिकीय के प्रति जैव विविघता सम्मेलन का दृष्टिकोण (13) जैव विविधता एवं पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण तथा (14) संचार शिक्षा एवं जन चेतना।

विभिन्न तरीकों एवं पद्धतियों के द्वारा भी अध्ययन को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। मसलन वर्ण विन्यास की सूची, अनुपूरक सहायता हेतु कम्प्यूटर डिस्क आदि जिनसे शैक्षणिक कार्यशालाओं के आयोजन एवं प्रस्तुतीकरण में काफी मदद मिल सकेगी।

प्रस्तुत संदर्भ पाठ्य सामाग्रियों का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है बशर्ते जरूरत कैसी है, उद्धेश्य/लक्ष्य क्या है, लक्षित सहभागियों की सोच या प्रवृत्ति कैसी है – को ध्यान में रखा जाय। उपर्युक्त विभिन्न खण्डो एवं मापांको को अलग–अलग या फिर एक साथ समग्र रूप में आदिवासी लोग एवं जैव विविघता सम्मेलन पर आयोजित बहुदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रयोग किया जा सकता है या विभिन्न मापांको को अलग–अलग एक स्वतंत्र आधार मानते हुए खास समूहों या लक्षित श्रोताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। अर्थात किसी खास समूह के संदर्भ में कौन सा मापांक उपयोगी हो सकता है – यह उस समूह के हितों जरूरतों पर निर्भर करता है और इसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए।

इन सभी मार्गदर्शी तरीकों एवं पद्धतियों का प्रयोग अध्ययनकर्ता अपनी जरूरतों और अपने विवेक के आधार पर अपने स्थानीय या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कर सकता है। इसमें स्थानीय उदाहरणों एवं परिस्थितियों को भी शामिल किया जा सकता है। पूरे अध्ययन के दौरान लचीलापन रूख अपनाने की भी जरूरत को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

कुल मिलाकर आदिवासी लोग एवं जैव विविघता सम्मेलन से जुड़े बहुत सारे लोगों एवं संगठनों ने इस पाठ्य सामग्री में शामिल तथ्यों, सूचनाओं एवं अनुपूरक सामाग्रियों को तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनमें प्रमुख है :– पॉल आल्डहम, जोजी कैरीनो, जेनी लेसिमबंग, जॉन स्कॉट, एल्पीडियो पेरिया, मोन्टेनासो शोध एवं विकास संगठन, डॉरिस लेजिमबंग, पैकोस ट्रस्ट दातु सवाय, कृषक सलाहकारी परिषद, रेमुण्डो रोविलॉस, रेमण्ड डी कैवेज, मालिया नार्बेगा, पॉल माइकल नेरा तथा आई0आई0एफ0बी0 एवं इसका कार्यकारी संगठन सीईपीए (CEPA)।

तेबेतबा स्वेडबायो का भी आभार प्रकट करता है जिसने इस पाठ्य सामग्री को तैयार करने में शुरू से अन्त तक सराहनीय योगदान दिया। स्वेडबायो एक लम्बे समय से इस परियोजना कार्यक्रम में तेबतेबा का सहभागी रहा है।

लक्ष्य, विषय वस्तु एवं प्रशिक्षण पद्धति

– इन शैक्षणिक मापांको का उद्धेश्य आदिवासी लोग तथा जैव विविधता सम्मेलन (जैव विविघता सम्मेलन) से जुड़े कार्यकर्ताओं, मार्गदर्शकों एवं प्रशिक्षकों की क्षमताओं को विकसित करना है। हो सकता है कि इन्हें जैव विविघता सम्मेलन के बारे में

गहरी जानकारी नहीं हो किन्तु वे इस संदर्भ में आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए कुछ करने का जुनून रखते हो।

समग्र उद्धेश्य :–

प्रशिक्षण समापन के बाद प्रशिक्षणार्थी निम्नलिखित मामलों में सक्षम होगें –

- जैव विविघता सम्मेलन एवं इसकी विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों तथा जैव विविघता सम्मेलन के कियान्वयन एवं संबंधित प्रकियाओं में आदिवासी लोगों की भागीदारी के महत्व को समझना।
- जैव विविघता सम्मेलन के प्रति आदिवासी लोगों का अधिकारों से जुड़ी कठिनाईयों एवं अवसरों का मूल्यांकन करना।
- जैव विविघता सम्मेलन के कियान्वयन में आदिवासी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्य नीति एवं कार्य योजनाओं को विकसित करना।
- जैव विविघता सम्मेलन एवं इससे जुड़े आदिवासी लोगों के हितों के संदर्भ में शिक्षा एवं चेतना पैदा करना।

प्रति अध्याय सामान्य उद्धेश्य

अध्याय – 1

आदिवासी लोग एवं जैव विविघता सम्मेलन का मौलिक परिचय।

1. अन्तर्राष्ट्रीय नीति प्रकियाओं में आदिवासी लोगों की भागीदारी को प्रासंगिक बनाना।
2. जैव विविघता सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए आदिवासी लोगों के लिए बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के औचित्य को दिखाना।
3. जैव विविघता सम्मेलन से जुड़ने के लिए आदिवासी लोगों में सामर्थ्य विकसित करना।

अध्याय 2

मौलिक विषय वस्तु एवं भाव

1. जैव विविघता सम्मेलन में किए गए विमर्श एवं समझौताओं से जुड़े अन्तः तथ्यों को गहराई से समझना।
2. जैव विविघता सम्मेलन के साथ आदिवासी लोगों के प्रभावी जुड़ाव के लिए उनकी क्षमताओं एवं विचारों में मजबूती लाना।
3. जैव विविघता सम्मेलन में लिए गए निर्णयों एवं समझौते का आदिवासी परिप्रेक्ष्य में स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन।
4. जैव विविघता सम्मेलन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्धो की परिभाषा एवं उनके बेहतर क्रियान्वयन में एक दूसरे के अनुभवों को बांटना और सीखना।

अध्याय – 3

जैव विविघता सम्मेलन का क्रियान्वयन

1. सभी संबंधित स्तरों पर जैव विविघता सम्मेलन के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न तरीको एवं उदाहरणों को समझना।
2. राष्ट्रीय रूपरेखा एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जैव विविघता सम्मेलन के क्रियान्वयन की रूपरेखा को समझना।
3. स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जैव विविघता सम्मेलन के क्रियान्वयन हेतु कार्य नीतियों एवं कार्य योजनाओं के विकास के लिए सहभागियों को तैयार करना।
4. आदिवासी लोग एवं जैव विविघता सम्मेलन पर आधारित शिक्षा संचालन के लिए सहभागियों की क्षमताओं में मजबूती लाना।

अध्याय – 4

सीखने के तरीके एवं पद्धतियाँ

जब भी प्रशिक्षण कार्यशाला चलाने के लिए सम्बन्धित विषय वस्तु को समझते हुऐ बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न सीख उपकरणों एवं पद्धतियों को जानना।

प्रत्येक मापांको एवं पद्धतियों के खास उद्धेश्य

मापांक (जरूरत के अनुसार समय)	विशेष उद्धेश्य	प्रयुक्त होने वाली पद्धति
अध्याय – 1 – आदिवासी लोगों के हित एवं जैव विविघता सम्मेलन का मौलिक परिचय		
मापांक – 1 आदिवासी लोग एवं राजनैतिक बहस (3 घंटे)	1. आदिवासी लोगों के सामाजिक आन्दोलन के उद्धेश्य एवं भूमिका की सराहना। 2. राजनैतिक प्रक्रियाओं में आदिवासी लोगो की भागीदारी के महत्व को समझना। 3. विभिन्न राजनैतिक पक्षों मे प्रभावकारी राजनैतिक बहस के महत्व को समझना। 4. बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतो के इतिहास एवं एवं आदिवासी लोगो के प्रति इनके औचित्यों का मूल्यांकन करना।	• मस्तिष्क मापन • तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार–विमर्श • लघु समूह विचार विमर्श • खुला मंच
मापांक – 2 जैव विविधता सम्मेलन को समझना (3 घंटे 30 मिनट)	1. जैव विविघता सम्मेलन के लक्ष्यों और आदिवासी के लिए इसके औचित्य को समझनां 2. जैव विविघता सम्मेलन के इतिहास, विभिन्न संस्थाओं और विविध इकाईयों के प्रकार्यो को सीखना। 3. जैव विविघता सम्मेलन से जुड़े विषयिक एवं अन्तः सम्बन्धित मुद्धों से परिचित होना। 4. जैव विविघता सम्मेलन के लक्ष्यों एवं उद्धेश्यों के बारे में जानना। 5. सम्मेलन के प्रति राष्ट्रीय सरकारों की वचन बद्धता के क्रियान्वयन तंत्र तथा आदिवासी लोग अपने मुद्धों को हल करने में इनका उपयोग किस प्रकार कर सकते है, को समझना 6. जैव विविधता संरक्षण एवं सतत् उपयोग से जुड़े सामुदायिक प्रयास किस प्रकार जैव विविघता सम्मेलन से जड़े है और जैव विविघता सम्मेलन के लक्ष्यों के पूरक है, को समझना।	• चित्र–प्रस्तुतीकरण • तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श • कार्यशाला

मापांक – 3 जैव विविधता सम्मेलन एवं आदिवासी लोगों के हित (4 घंटे)	1. सहभागियों के समुदाय में जैव विविधता की स्थिति, इससे जुड़े खतरे एवं जैव विविधता से संबंधित आदिवासी ज्ञान को प्रस्तुत करना। 2. खासकर आदिवासी लोगों से जुडे जैव विविधता सम्मेलन प्रावधानों को जानना। 3. आदिवासी लोगों के प्रति जैव विविघता सम्मेलन से जुड़े प्रमुख मुद्धों एवं खतरों से सावधान होना। 4. आदिवासी लोगों के अधिकार पर आधारित संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए जैव विविघता सम्मेलन के प्रति आदिवासी लोगों की स्थिति को मजबूत करने के उपायों को प्रस्तुत करना।	• चित्र–प्रस्तुतीकरण • तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श • पाठय विश्लेषण • कार्यशाला
मापांक – 4 आदिवासी लोगों के आन्दोलन तथा जैव विविधता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम (IIFB) (2 घंटे)	1. जैव विविधता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम के इतिहास एवं जैव विविघता सम्मेलन कार्यो में आदिवासी लोगों की भागीदारी की जानकारी जुटाना। 2. IIFB की अनिवार्यता एवं भूमिकाओं तथा इसकी कार्य प्रणाली को समझना। 3. IIFB के दिशा निर्देशों, भविष्य तथा आदिवासी लोगों की भागीदारी कैसे होगी – के प्रति जागरूक होना।	• तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श • दृश्य विज्ञापन • कार्यशाला
अध्याय – 2 – मौलिक विषय वस्तु एवं भाव		
मापांक – 5 जैव विविधता सम्मेलन एवं पारम्परिक ज्ञान (3 घंटे 30 मिनट)	1. आदिवासी सहभागियों की पारम्परिक ज्ञान व्यवस्था एवं मान्यताओं को कार्यशाला के अंग के रूप में शामिल एवं प्रशंसा करना। 2. पारम्परिक ज्ञान से जुड़े जैव विविघता सम्मेलन प्रावधानों को जानना और समझना। 3. धारा–8(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों से जुड़े जैव विविघता सम्मेलन कार्यक्रम के प्रमुख तथ्यों तथा पारम्परिक ज्ञान को लेकर जैव विविघता सम्मेलन की वचनबद्धता को लागू	• तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श • मस्तिष्क मापन • खुला मंच

	करने के लिए किए गए उपायों को जानना। 4. जैव विविघता सम्मेलन के प्रति आदिवासी लोगों की भागीदारी एवं प्रस्तुतीकरण से पारम्परिक ज्ञान को आगे बढ़ाने में योगदान की व्याख्या करना।	
मापांक – 6 – अनुवांशिक संसाधनों एवं संबंधित पारम्परिक ज्ञान का दोहन एवं लाभ भागीदारी (2 घंटे)	1. आनुवांशिक संसाधनों के दोहन एवं लाभ भागीदारी की अवधारणा को समझना। 2. आनुवांशिक संसाधनों एवं पारम्परिक ज्ञान के दोहन एवं लाभ भागीदारी से जुड़े जैव विविघता सम्मेलन प्रावधानों, जैव विविघता सम्मेलन क्रियाकलापों एवं सम्बन्धित कार्य तंत्र को समझना। 3. आनुवांशिक संसाधनों एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के दोहन एवं लाभ भागीदारी के संदर्भ में आदिवासी लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना। 4. आनुवांशिक संसाधनों के दोहन एवं लाभ भागीदारी में मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांतो से सहमत होना।	• सूची • तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श • घटना अध्ययन • खुल सत्र
मापांक – 7 – आदिवासी महिलाएँ एवं जैव विविघता सम्मेलन (3 घंटे)	1. महिला एवं लिंग समानता से जुड़े जैविस प्रावधानों एवं कार्यक्रमों को समझना 2. जैव विविधता एवं पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण में आदिवासी महिलाओं की खास भूमिका को प्रोत्साहित करना। 3. जैव विविघता सम्मेलन के विविध कार्यो एवं क्रियान्वयन में समान लिंग सम्बन्धों को सुनिश्चित बनाने वाले खास प्रक्रियाओं की पहचान करना	• कथा वाचन • तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श • घटना अध्ययन • कार्यशाला आधारित सामूहिक विचार विमर्श
मापांक – 8 आदिवासी लोग एवं जैव तकनीक (2 घंटे)	1. जीन अभियंत्रण, आनुवांशिकीय परिवर्तित जीव तथा आदिवासी लोगों पर इनके प्रभाव को समझना। 2. जैव फायदों एवं जैव हेराफेरी तथा	• चलचित्र प्रदर्शन • तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श • घटना अध्ययन • खुला मंच

	आदिवासी लोगों पर इनके प्रभावों को समझना। 3. कार्टेगना प्रोटोकाल एवं आदिवासी लोगों पर इसके प्रभाव को समझना। 4. आदिवासी लोगों के परिक्षेत्रों में जैव भविष्य की समस्या दूर करने के लिए आदिवासी लोगों की जरूरतों का विस्तार पूर्वक व्याख्या करना। 5. परिष्कृत जीन एवं जैव तकनीकी के संदर्भ में आदिवासी लोगों के प्रयास एवं कार्यो पर प्रकाश डालना।	• गहन विचार विमर्श
मापांक – 9 आदिवासी लोग, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन (3 घंटे)	1. आदिवासी लोगों के पारम्परिक ज्ञान, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन के बीच अन्तः सम्बन्धों को समझना। 2. जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वर्तमान नीतियों एवं कार्यक्रमो को समझने में आदिवासी लोगों को समर्थ बनाना। 3. REDD + वन एवं जैव विविधता को समझना। 4. जैव विविधता एवं आदिवासी लोगों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों पर प्रासंगिक नीतियों व कार्यो के निर्माण में आदिवासी लोगों की प्रभावकारी सहभागिता को प्रोत्साहित करना।	• चलचित्र प्रदर्शन • अनुभव भागीदारी • तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार–विमर्श • खुला मंच
मापांक – 10 संरक्षित क्षेत्र एवं आदिवासी लोग (3 घंटे 30 मिनट)	1. राष्ट्रीय पार्को एवं संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऐतिहासिक उद्भव को समझना। 2. संरक्षित क्षेत्रों के विभिन्न वर्गीकरणों एवं संचालन प्रणालियों को समझना। 3. आदिवासी लोगों के अधिकारों एवं जीवन पर संरक्षित क्षेत्रों के प्रभाव पर प्रकाश डालना। 4. जैव विविधता के सतत् उपयोग एवं संरक्षण से जुड़े आदिवासी लोगों के विचार को सामने लाना।	पूरी सूची को पूरा करने के लिए निम्न साधनों का उपयोग किया जा सकता है। (कृपया पृष्ठ – 91 देखें) • सूरीनाम में संरक्षण से जुड़े आदिवासी लोगो के अधिकारों का सुनिश्चयः एक पुनरावलोकन • संरक्षण के लिए आदिवासी लोगों के अधिकारों का

	5. संरक्षित क्षेत्रों के प्रति जैव विविधता सम्मेलन किस प्रकार कार्य करता है और इसके संरक्षण एवं विस्तार के लिए इसकी कार्य योजनाएं क्या है, की व्याख्या करना। 6. संरक्षण एवं मानवाधिकारों के बारे में किए जा रहे वर्तमान प्रयासों से सहभागियों को अद्यतन करना।	सुनिश्चयः • कामरून में प्रगति की समीक्षा एवं बढ़ाने का प्रयास • संरक्षण के लिए आदिवासी लोगों के अधिकारों का सुनिश्चयः • जंगा–संघा संरक्षित क्षेत्र संकुल में अपनाई गई नीतियों एवं क्रियान्वयन की समीक्षा • संरक्षण एवं आदिवासी लोगः डार्बन के समय से हो रहे प्रगति का मूल्यांकन
अध्याय – 3 जैव विविधता सम्मेलन का क्रियान्वयन		
मापांक – 11 : जैव विविधता सम्मेलन का राष्ट्रीय क्रियान्वयन (3 घंटे)	1. जैव विविधता सम्मेलन क्रियान्वयन के बारे में वितरण गृह तंत्र से सूचना प्राप्त करने के तरीकों को सीखना। 2. जैव विविधता सम्मेलन को लेकर सरकारों की अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को जानना खासकर उनके राष्ट्रीय जैव विविधता नीति एवं क्रियाकलापों से जुड़े प्रतिवेदनों के आधार पर। 3. सरकार द्वारा जैव विविधता सम्मेलन बाध्यताओं के क्रियान्वयन का जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए आकलन करना। 4. वैसे व्यावहारिक प्रयासों एवं योजनाओं पर विचार–विमर्श को बढ़ावा देना जिससे सहभागी जैव विविधता सम्मेलन को अपने राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर लागू कर सकें।	• सूचना संग्रहण • तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श • दस्तावेज समीक्षा • घटना अध्ययन • सोच परिवर्तन
मापांक–12 पारिस्थितिक तंत्र के प्रति जैव विविधता सम्मेलन का दृष्टिकोण (3 घंटे)	1. पारिस्थितिक तंत्र के दृष्टिकोण को अपनाने में आदिवासी लोगों के लोकाचार प्रबन्धन और सतत् उपयोग के योगदान को बढ़ावा देना। 2. पारिस्थितिक तंत्र के प्रति जैव विविधता सम्मेलन के दृष्टिकोण, इसके सिद्धांत और परिचालन दिशा–निर्देशों को समझना। 3. पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े जैव विविधता	• चलचित्र विज्ञापन • कथा वाचन/घटना अध्ययन प्रस्तुतीकरण • तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श • तुलना एवं परीक्षण • लघु सामूहिक विचार विमर्श

	सम्मेलन दृष्टिकोण को लागू करने में समुदाय, सरकार एवं अन्य कर्ताओं की आपसी भूमिका किस प्रकार एक दूसरे का पूरक हो सकती है, पर विचार करना।	
मापांक – 13 : जैव विविधता एवं संबंधित पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा (3 घंटे)	1. आदिवासी लोगों द्वारा अपने पारम्परिक ज्ञान को बचाने हेतु किए जा रहे प्रयासों से जुड़े घटना अध्ययन को बॉटना। 2. पारम्परिक ज्ञान (TK) की मान्यता एवं सुरक्षा से जुड़े वैश्विक कानूनी पहलूओं को समझना। यूनेस्को, अंड्रीप, विपो, (Tk, UNESCO, UNDERTP, WIPO) 3. पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा में स्थानीय प्रथाओं, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के मध्य सम्बन्धों को समझना। 4. असहयोगी परिस्थितियों के कारण आदिवासी लोगो के द्वारा पारम्परिक ज्ञान को होने वाले नुकसान से बचाव के व्यावहारिक तरीकों पर विचार करना।	निम्नलिखित संदर्भ सामाग्रियों का प्रयोग किया जा सकता है :– • "UNPFII के छठे सत्र में आदिवासी पारम्परिक ज्ञान से सम्बन्धित सचिवालय रिपोर्ट • ''आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की प्रथाएँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के मध्य सम्बन्धों पर किए गए अध्ययन'' • ''पारम्परिक ज्ञान के व्यवसायीकरण एवं सुरक्षा व्यवस्था पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार का रिपोर्ट'' • डयूनांग एट बतास • आवर हार्वेस्ट इन पेरिल • खाद्य सुरक्षा के लिए पारम्परिक ज्ञान को बढ़ावा • ''जैव विविधता सम्मेलन एवं आदिवासी लोगों के हित'' मुख्य बातें।
मापांक–14 संचार, शिक्षा एवं जनचेतना (CEPA) (3 घंटे)	1. जैव विविधता सम्मेलन के संचार, शिक्षा एवं जन चेतना से जुड़े व्यापक रूपरेखा को समझना। 2. सेपा (CEPA) को लेकर IIFB द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समझना 3. जैव विविधता के अन्तर्राष्ट्रीय दशक से जुड़े अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष पर प्रकाश डालना। 4. कुछ व्यावहारिक शिक्षा पद्धतियों, सुझावों एवं	निम्नलिखित संदर्भ सामग्रियों का प्रयोग किया जा सकता है :– • जैव विविधता सम्मेलन से जुड़े पक्षकारों के कान्फ्रेंस की आठवी बैठक के दौरान लिए गए निर्णय • जैव विविधता सम्मेलन कार्यक्रम पर आधारित सेपा (CEPA) से जुड़े IIFB

	क्रियाकलापों का आदान प्रदान करना	कार्यक्रम : मुख्य बातें • धारा – 13 (जन शिक्षा एवं चेतना) पर जैव विविघता सम्मेलन एवं COP द्वारा लिए गए निर्णयो तथा IIFB कार्यशील समूह द्वारा सेपा से जुड़े अध्ययनों का संकलन • जैव विविधता के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए क्रियान्वयन योजना • जैव विविधता के अर्न्राष्ट्रीय वर्ष का स्वागत।

पद्धति : –

प्रशिक्षण पद्धति का मूल उद्धेश्य विचार विमर्शो एवं क्रियाकलापों में सहभागियों की भूमिका को बेहतर से और बेहतर बनाना है। प्रशिक्षण सत्र मे विद्धानों एवं प्रशिक्षकों का व्याख्यान एवं विचार विमर्श प्रस्तुत किया जाएगा। किन्तु साथ ही उचित पड़ने और संभव होने पर कार्यशालाओं, खुला मंच, चित्र प्रदर्शनी, मस्तिष्क मापन एवं अन्य उपयोगी तरीको के द्वारा सहभागियों के आपसी विचारों का आदान–प्रदान एवं विस्तार से व्याख्या भी पूरे प्रशिक्षण सत्र के दौरान किया जाएगा। इन क्रियाकलापों से सहभागियों को अपने अनुभवों, परिस्थितियों एवं अपने–अपने समुदायों से जुड़े तथ्यों को समझने एवं परखने में मदद मिलेगी।

मापांक 1 आदिवासी एवं राजनैतिक बहस

उददेश्य

1. आदिवासी लोगों की भूमिका एवं लक्ष्य को एक सामूहिक आन्दोलन के रूप में प्रोत्साहित करना।
2. राजनैतिक प्रक्रियाओं में आदिवासी लोगों की भागीदारी के महत्व को समझना।
3. राजनीति के विविध खण्डो में प्रभावकारी राजनीतिक बहस के महत्व को समझना।
4. बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते के इतिहास एवं आदिवासी लोगो के लिए इनके औचित्य की समीक्षा करना।

संसाधन

- आदिवासी एवं राजनैतिक बहस : मुख्य बातें।
- सतत् विकास
- आदिवासी तथा सतत् विकास पर विश्व बैठक।
- हम, आदिवासी : आदिवासीं के लिए घोषणा पत्रों का संकलन

समय

3

घंटे

क्रियाकलाप :–

आदिवासी लोग अनगिनत तरीको से अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों एवं प्रक्रियाओं में शामिल है। यह सही है कि हम अपने अपने समुदायों के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते किन्तु विश्व स्तर पर हो रहे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़ तो सकते है। उदाहरण के लिए, जैव विविधता सम्मेलन (जैव विविघता सम्मेलन) हमारी सरकार द्वारा स्वीकृत एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है जिसने आदिवासी लोगों के रूप में हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को सीधे प्रभावित किया है। इसलिए यह जरूरी है कि आदिवासी लोग और समुदाय हमारे भविष्य और हम पर पड़ने वाले विविध प्रभावों के संदर्भ में एक सक्रिय भागीदार बने।

अध्याय – 1

मस्तिष्क मापन – स्थानीय से वैश्विक स्तर तक

(एक घंटा)

आदिवासी लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय/वैश्विक प्रकियाओं से जोड़ने वाले प्राथमिक मुद्धे :–

1.उदभव क्षेत्र, देश या समुदाय के आधार पर भागीदारों को विभिन्न समूहो में बांटना।

2.मस्तिष्क चित्रण क्या है ? (पृष्ठ 140 देखें) कैसे किया जाता है और बोर्ड पर इसका एक नमूना चित्रण का संक्षिप्त परिचय प्रशिक्षक द्वारा देना।

3.30 मिनट में प्रत्येक समूह अपनी–अपनी प्राथमिकता वाले मुद्धो को मध्य में रख कर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं प्रकियाओं से इसे जोड़ते हुए एक मस्तिष्क चित्रण करेगा।

4.प्रत्येक समूह अपने अपने चित्रण को प्रतिवेदक के जरिये पूरे समूह के सामने प्रस्तुत करेगा।

5.अन्त में प्रशिक्षक विचार विमर्श के द्वारा दिखायेगा कि आदिवासी लोगों के स्थानीय मुद्धे जैविस की तरह अन्तर्राष्ट्रीय प्रकियाओं से कैसे संबंधित है।

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श : (1 घंटा)

ओरेन लायन्स (प्रधान, ओनेनडेगा राष्ट्र एवं हॉडेनोसौनी राज्य संघ) द्वारा UNWGIP (यू एन वर्किंग ग्रुप ऑन इन्डिजीनियस पॉपुलेशन्स) में दिया गया वक्तव्य :

हम अपनी मातृभूमि के साथ न्याय के लिए आए है। यहाँ हम आदिवासी राष्ट्र एवं आदिवासी लोगों के साथ हो रहे शोषण, अत्याचार, ऊँच–नीच भेदभाव, प्रजातिवाद, लिंगवाद के खिलाफ समान न्याय की आशा में विश्व स्तर पर सहयोग के साथ हल ढुंढने के लिए आए है।

यहाँ हम सरकारों एवं निगमों द्वारा प्राकृतिक विश्व की बर्बादी के खिलाफ प्रतिनिधि के रूप में अपील करने के लिए आए है। हमने उन वृक्षो की बात की जो अपनी रक्षा में भाग नहीं सकते। हमने सलमान, हररिंग, ट्यूना और हैडॉक पर भी बात की, जो अपने उद्भव स्थल पर ही मार दिए गए। मछलियों, जंगली जीवों एवं पक्षियों के संक्रमण, बिमारी एवं विलुप्तता के बारे में हमें चारों दिशाओं से खतरे की घंटी सुनाई पड़ रही है। और आज हम उन्हीं सब के लिए बोलने आए है। वर्तमान में वे सब और भी संकटग्रस्त हो गए है। जो भी हो, उनकी स्थिति बद् से बद्तर हो गई है। वर्तमान समय में मानव को अनिवार्यतः मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि हमें जीवित रहना है बल्कि इसीलिए भी कि हमारा जीवन स्तर एक उच्च मानक का हो और हम सब एक दूसरे पर इसे बनाए रखने के लिए निर्भर रह सके।

जैव विविधता एक नैदानिक तकनीकी शब्दावली है जिससे हमारे उलझे जीवन पक्षों को दूर कर हमें बचाया जा सकता है। हम आदिवासी लोग कहते है कि हम इस जीवन से जुड़े है इसलिए आपके संसाधन ही हमारे संबंध है। यह सब निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिये से देखते है। इस मामले में जीवित रहने के लिए आदिम लोगों के पास देने के लिए कुछ जरूर है ..... हमारे लक्ष्य एक जैसे है, हमारा उत्तरदायित्व एक है और मैं कहता हूँ कि आप, संयुक्त राष्ट्र – विश्व के लोगों के लिए एक महान आशा हो – शांति के लिए हमारे साथ काम करिये, हमारे खिलाफ नहीं। हम आपको खुलकर बताते है कि जब तक आप अपनी मातृभूमि के खिलाफ काम करते रहेंगे तब तक शांति संभव नहीं होगी।

1. एक अन्तर्राष्ट्रीय कर्ता के रूप में आदिवासी लोगों के उद्देश्य क्या है ?

आदिवासी लोग ज्यादा से ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाक्लापों से जुड़ते जा रहे है और इसीलिए आज वे अर्न्राष्ट्रीय कर्ता के रूप में एक प्रमुख भूमिका भी निभा रहे है। अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाक्लापों में आदिवासी लोगों की सक्रियता के उद्देश्य है :–

- आदिवासी लोग, मानवाधिकार और न्याय की मांग पर समर्थन जुटाना।
- अपने जीवन जंजालो में उलझे होने के बावजूद हमें सभी लोगों एवं देशों के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य करना।

इन उददेश्यों को हासिल करने में आदिवासी लोगों का एक बड़ा योगदान है। अतः हम एकजुट होकर अपने भविष्य से जुड़े इस बहस में महती भूमिका निभाएँ।

2. लोकप्रिय भागीदारी

संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास शोध संस्थान (UNRISD) ने लोकप्रिय भागीदारी की परिभाषा दी है :

अपने सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन संसाधनों एवं नियामक संस्थाओं पर संगठित प्रयास से नियंत्रण बढ़ाना जो अब तक इस नियंत्रण से दूर थे।

आगे शोधकर्ता स्टेफेल एवं वॉल्फ ने ''विकास में लोकप्रिय भागीदारी'' की परिभाषा इस प्रकार दी है :–

वस्तुतः विकास पारम्परिक समूहों, पारम्परिक सम्बन्धों एवं पारम्परिक संस्थाओं के साथ क्रमिक निगमीकरण की प्रक्रिया है लेकिन एक नए, आधुनिक और विस्तृत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक साजिश के रूप में यह निगमीकृत हो रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान पूर्व की आजीविका व्यवस्था, मूल्य एवं तरीके टूटते गए है। कुछ सामाजिक समूह खत्म हो जाएँगे और उनकी जगह नया समूह आ भी जाएगा। सबको इस नए और विस्तृत सामाजिक व्यवस्था में अपने लिए एक जगह बनाने के लिए संघर्ष से जूझना होगा।

मिलाजुला प्रयास को ''निगमीकरण के खिलाफ संघर्ष'' के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ समस्या यह नहीं है कि ''कुछ'' बाहर हो गए है या ''कुछ'' शामिल हो गए है बल्कि समस्या है कि निर्धन समूहों को भारी कीमत पर ''शामिल'' कर लिया गया है। उन्हें इससे जुड़े निर्णयों एवं नियामक संस्थाओं पर नियंत्रण से बाहर कर दिया गया।

3. सामाजिक प्रशिक्षु एवं कर्ता के रूप में आदिवासी लोग :

आदिवासी लोग स्वयं को एक सामाजिक प्रशिक्षु एवं कर्ता के रूप में चेतन रूप से देखे – इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर हम सामना कर रहे तात्कालिक सामाजिक एवं परिस्थितिकीय संकटो का हल ढूंढते नजर आ रहे है। वास्तव में यह वर्तमान वैश्विक परिस्थितिकीय संकटो से सीखकर बाहर निकलने की प्रक्रिया है जो हम अपने गाँवो, समुदायों, नगरो एवं विभिन्न संस्थाओं के संदर्भ में कुछ करके सम्पादित करते है।

4. आदिवासी लोग एवं प्रभावी राजनैतिक बहस :

राजनैतिक बहस का अभिप्राय हमारे सामाजिक एवं परिस्थितिकीय भविष्यों के संदर्भ में निर्णय लेने की प्रक्रिया में आदिवासी लोगों की आवाज को मजबूती से उठाना है। इस बहस के अंतर्गत आदिवासी लोगों के लिए राजनैतिक संतुलन में उचित परिवर्तन लाने की कोशिश शामिल है। इस कोशिश में शिक्षा, जन चेतना में वृद्धि, बैठक, संचार, सम्बन्धित शोध एवं गुटबाजी को रखा जा सकता है।

5. राजनैतिक घेरा क्या है ?

- शासन, भौगोलिक क्षेत्र, भाषा एवं राजनैतिक संस्कृति के विविध स्तरों पर निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया ही राजनैतिक घेरा कहलाता है।
- राजनैतिक घेरा का एक बड़ा भाग भौगोलिक बाध्यताओं–स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय–से बना है।
- कुछ लक्ष्य परिवर्तनशील है जैसे – समूह 8 की बैठक।
- कुछ बहुस्तरीय है। यूरोपियन यूनियन को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में लेने पर इसका कम से कम एक पैर ब्रूसेल्स में तो दूसरा उस देश में जहाँ अभी इसका मुख्यालय है – होगा।
- कुछ संस्थागत है। मसलन विश्व बैंक।

राजनैतिक बहस, स्थानीय, राष्ट्रीय और अर्न्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विभिन्न स्तरों में किया जा सकता है। प्रत्येक राजनैतिक घेरा/क्षेत्र की अपनी एक अलग राजनैतिक विशेषता होती है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

यहाँ इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक घेरा का मूल्यांकन उसकी शक्ति, कमजोरी, चुनौति एवं अवसर को ध्यान में रखकर किया जाय जिससे आदिवासी लोगों को जुड़ने में सहुलियत हो।

चूंकि प्रत्येक राजनैतिक घेरा की अपनी एक खास विशेषता होती है इसलिए प्रभावी राजनैतिक बहस के लिए उसकी पूरी विस्तृत जानकारी के साथ राजनैतिक कर्ताओं एवं प्रक्रियाओं से घनिष्ठता भी जरूरी है। एक राजनैतिक घेरा की जरूरत एवं प्रयास दूसरे घेरा के लिए उपयोगी नहीं भी हो सकता है।

निम्न तालिका के द्वारा विभिन्न राजनैतिक क्षेत्रों जिनसे हम स्थानीय, राष्ट्रीय एवं राजनीतिक स्तर पर जुड़ सकते है को दिखाया जा सकता है। यह इनमें से प्रत्येक स्तर के साथ कर्ता, मानक स्तरीय तंत्र एवं स्थान के जुड़ाव को दिखाता है :–

कर्ता	मानक स्तर	राजनीतिक क्षेत्र
अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सरकार औधोगिक समूह आदिवासी लोग स्वयंसेवी संगठन एवं अन्य	संधि/सम्मेलन/घोषणा पत्र नीतिगत रूपरेखा मानदण्ड एवं सूचक मार्गदर्शन कार्य करने की रूपरेखा	मानवाधिकार/शांति सतत् विकास पर्यावरण आर्थिक, व्यापार, वित्त
क्षेत्रीय क्षेत्रीय तंत्र	क्षेत्रीय सहयोग एवं समन्वय	क्षेत्रीय संस्थाएँ एवं पद्धतियाँ
राष्ट्रीय राष्ट्रीय समन्वय अभियान	वैधानिक एवं नियामक रूप रेखा	कार्यपालिका/प्रशासनिक, विधायिका न्याय पालिका
उप राष्ट्रीय/स्थानीय	आयोजन एवं शिक्षा, जन संचार, मिडिया	सम्पर्क तंत्र, गुट बाजी शोध

आदिवासी लोगों के विभिन्न संगठन जिनके साथ हम में से अनेक जुड़े हुए है, इन विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों के स्तरों पर काम कर रहे है। आदिवासी लोगों के राजनैतिक बहस में इनमें से कई प्रमुखता से सक्रिय है :–

- आदिवासी लोगों का वैश्विक प्रसम्मिलन (उदा. IIFB)
- आदिवासी लोगों की क्षेत्रीय प्रसम्मिलन (उदा. एशियाई आदिवासी लोगों का संगठन)
- महिलाओं का प्रसम्मिलन (उदा. आदिवासी महिला जैव विविधता नेटवर्क)
- आदिवासी स्वयंसेवी संगठन (उदा. तेबतेबा)
- आदिवासी लोगों का अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नेटवर्क (उदा. एशियाई आदिवासी लोगों का नेटवर्क)
- आदिवासी लोगों का राष्ट्रीय संघ (उदा0 अमान, इन्डोनेशिया)
- आदिवासी लोग/राष्ट्र
- आदिवासी लोगों का स्थानीय संगठन एवं समुदाय आधारित संगठन।

6. राजनीतिक घेरा के रूप में बहुस्तरीय पर्यावरण संधियाँ (MEAs) एवं समझौते

MEAs की विषय वस्तु एवं इतिहास

संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के जरिये बहुस्तरीय पर्यावरण संधियाँ सम्पन्न की गई है, वैसे सभी की सभी संधियाँ संयुक्त राष्ट्र की छत्र छाया में नहीं हुई है। हालांकि 19वीं सदी के अन्त से ही पर्यावरण से जुड़ी संधियाँ शुरू हो गई थी किन्तु एक बड़े पैमाने पर इसकी शुरूआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव

पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन 1972 से होती है। प्रायः इसे स्टॉकहॉम सम्मेलन से जोड़ा जाता है। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप), पर्यावरण कोष, कार्य रूपरेखा एवं स्टॉकहोम घोषणा पत्र का उदय हुआ। सम्मेलन में शामिल सभी 113 देशों द्वारा इसे स्वीकार किया गया। पर्यावरण मुद्धो के महत्व पर यह घोषणा पत्र प्रथम सर्वव्यापक दस्तावेज था। इसमें शामिल 26 सिद्धांत ही आगे चलकर MEAs में अपना स्थान बना पाएं।

स्टॉकहोम घोषणा पत्र का सबसे विख्यात सिद्धांत–सिद्धांत 21–है, जिसमें वर्णित है कि :

राष्ट्रो को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्रों एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक यह सम्प्रभु अधिकार हैं कि वे अपने संसाधनों का दोहन अपने पर्यावरणीय नीतियों एवं इस उत्तरदायित्व के साथ करेंगें जिससे उनके अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के राष्ट्रो के पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।

संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए इन 20 वर्षो में बहुत सारे MEAs स्वीकृत हुए है जिनमें प्रमुख है :–

- अपशिष्टों एवं अन्य कारणों से समुद्री प्रदूषण रोकथाम सम्मेलन (लंदन डम्पिंग सम्मेलन–1972 में स्वीकृत)
- संकटाग्रस्त जीव के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (साइटस)
- जलीय जहाज प्रदुषण रोकथाम पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1973
- वन्य जीव के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन (बॉन सम्मेलनः 1979 में स्वीकृत)
- समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS - 1982)
- ओजोन परत की सुरक्षा पर सम्मेलन (1985)
- ओजोन परत को नष्ट करने वाले वस्तुओं पर मान्ट्रियल प्रोटोकाल (1987)
- हानिकारक अपशिष्टों एवं उनके निस्तारण के गैर सीमा प्रसार पर नियंत्रण के लिए सम्मेलन (बसेल सम्मेलन – 1989)

1992 का रियो सम्मेलन

पर्यावरण और विकास पर आधारित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में रियो में आयोजित हुआ जिसमें सतत् विकास की अवधारणा को इस प्रकार परिभाषित किया गया : ''विकास का मतलब वर्तमान की वैसी जरूरतों से है जिन्हें भावी पीढ़ियों की उपेक्षा के बिना पूरी की जा सकें।'' वैश्विक स्तर पर इसे भारी समर्थन हासिल हुआ और यही अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का आधार बिन्दु भी बना। रियो सम्मेलन में भाग लेने वालों की संख्या हजारों में थी जिसमें 176 राष्ट्रो में से 103 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। रियो सम्मेलन काफी चर्चित रहा। इसके प्रमुख निष्कर्ष थे :–

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन की स्वीकृति (UNFCC)
- जैव विविधता पर सम्मेलन की स्वीकृति (जैव विविघता सम्मेलन)
- मरूस्थलीयकरण संघर्ष सम्मेलन का निर्णय
- एक कार्यवाही रूपरेखा – एजेन्डा 21 (21वीं सदी को ध्यान में रखकर)
- सतत् विकास आयोग की स्थापना (CSD)
- रियो सम्मेलन में 27 सिद्धांतो को स्वीकार किया गया जिसके कारण आगे चलकर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियों एवं प्रावधानों का विकास हुआ।

रियो घोषणा पत्र का 22वाँ सिद्धांत बताता है :–

आदिवासी लोगों, उनके समुदायों एवं अन्य स्थानीय समुदायों के पारम्परिक तरीकों एवं ज्ञान का पर्यावरण प्रबन्धन एवं विकास में एक महती भूमिका है। राष्ट्र उनकी पहचान सुनिश्चित करें और उन्हें आगे बढ़ाए जिससे सतत् विकास में उनकी भूमिका और भी प्रभावकारी हो सके।

रियो के समय से अनेक अन्य MEAs स्वीकृत हुए है जिनमें निम्न शामिल है :–

- भारी सूखे से जूझ रहे देशों खासकर अफ्रीका को ध्यान में रखते हुए मरूस्थलीकरण संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (मरूस्थलीकरण सम्मेलन 1994)
- लंदन अपशिष्ट जमाव सम्मेलन प्रोटोकाल (1996)
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन प्रोटोकाल (क्योटो प्रोटोकाल–1997)
- कुछ खास विनाशकारी रसायनों एवं कीटनाशकों के अर्न्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्व सूचना एवं सहमति पर आधारित रोटर डम सम्मेलन (1998)
- विनाशकारी अपशिष्टों के पराक्षेत्रीय विस्तारण से हुए नुकसान के मुआवजा एवं दायित्व पर आधारित बसेल सम्मेल प्रोटोकाल (1999)
- जैव विविधता एवं जैव सुरक्षा पर आधारित सम्मेलन (कार्टेगना प्रोटोकॉल 2000)
- विद्यमान जैव प्रदुषक सम्मेलन (सटॉकहॉम सम्मेलन 2001)

सतत् विकास पर विश्व बैठक 2002 :

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर 2000 में एक प्रस्ताव 55/199 पारित किया जिसमें रियो पृथ्वी सम्मेलन की 10 वर्षीय समीक्षा 2002 में करने का निर्णय लिया गया। इस समीक्षा के दो पहलू थे – प्रथम कि रियो बैठक से अब तक हुई प्रगति तथा दूसरा कि सतत् विकास की दिशा में आगे और प्रगति के लिए उचित कदम।

सतत् विकास पर आधारित विश्व सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग, द0 अफ्रीका में हुआ। यह अब तक की सबसे बड़ी अन्तःसरकारी घटना थी, इसमें गरीबी उन्मूलन के साथ सतत् विकास को लागू करने पर जोर दिया गया। परिणामस्वरूप इसमें एक महत्वपूर्ण राजनैतिक घोषणा पत्र, पैरा–5, स्वीकृत हुआ जिसमें सतत् विकास के तीन आधारभूत स्तम्भ माने गए–आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। इसमें शामिल सभी देशों ने जोहान्सबर्ग प्रस्ताव को स्वीकार किया जिसमें सम्बन्धित क्षेत्रों से जुड़ी प्राथमिकताएँ एवं लक्ष्य को लागू करने की बात कही गई थी।

बहुस्तरीय पर्यावरण समझौतों के साकार होने में आदिवासी लोगों ने अपनी उपस्थिति दृढ़ता से दर्ज करायी है। रियो से न्यूयार्क–किम्बरले तक आदिवासी लोगों ने स्वयं से जुड़ी स्थितियों एवं दृष्टिकोण के साथ सामने आकर पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, संस्कृति, शिक्षा, मानवाधिकार और स्वास्थ्य जैसे मुद्धों को शामिल करवाया।

अनेक सीमाओं के बावजूद आदिवासी लोगों ने विश्व स्तर पर अपनी सक्रिय भागीदारी का सुनिश्चित किया है ताकि उनकी भी आवाज सुनी जा सके। एक पुस्तक ''हम आदिवासी लोग'' विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, मसलन CBD, WSSD, UNFF, UNFCCC एवं अन्य द्वारा विभिन्न वर्षो में आदिवासी लोगों के लिए आयोजित सम्मेलनों का संग्रह है।

MEAs का ही एक उदाहरण जैव विविधता सम्मेलन (जैव विविघता सम्मेलन) है, जिसमें आदिवासी लोगों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक घेरा के रूप में सक्रियता से भाग लिया है। जैव विविघता सम्मेलन एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि है जिसका खास प्रभाव पूरे विश्व में आदिवासी लोगों के जीवन पर पड़ा है। जैविश पर हस्ताक्षर के साथ हमारी सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता दिखाई है और आदिवासी लोगों के पारम्परिक ज्ञान एवं जैव विविधता के प्रति सम्मानित नजरिया रखा है।

जरूरत इस बात की है कि आदिवासी लोग MEAs के कियान्वयन में अधिक से अधिक से अधिक सक्रिय हो जिससे हमारी सरकार की वचनबद्धता एक बेहतर तरीके से पूरी हो सके और जिसे हम आदिवासी लोगों के अधिकार की स्वीकार्यता के लिये राजनीतिक बहस के रूप में प्रयोग कर सके।

अभ्यास – 2

ये बहुस्तरीय पर्यावरण संधियाँ आदिवासी लोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी है ? (30 मिनट)

1. राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के उदाहरण का सहभागी आदान प्रदान करें।
2. दिए गए उदाहरण के बारे में सहभागी निष्कर्ष दें कि वह उनके लिए कैसे उपयोगी था।

7. आदिवासी लोगों के मौलिक अधिकार

हमारी राजनीतिक बहस का केन्द्रीय उद्देश्य आदिवासी लोगों के अधिकार को पूरी स्वीकृति दिलानी है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में पूरी प्रतिष्ठा के साथ इन अधिकारों को जगह दी गई है, (UNDRIP) जो 25 वर्षो से भी ज्यादा समय से आदिवासी लोगों द्वारा किए गए कार्यो का नतीजा है और अन्ततः संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितम्बर 2007 में स्वीकार किया गया।

अंड्रीप (UNDRIP) एक अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यंत्र है जो आदिवासी लोगों के सामूहिक अधिकार का सुनिश्चय न्यूनतम मानकों के साथ तय करता है। यह आदिवासी लोगों के द्वारा लम्बे समय से उपयोग किए जा रहे सामूहिक अधिकारों की स्वीकृति है। यह कोई नवीन अधिकार नहीं है बल्कि एक जन्मजात अधिकार है जिसे हर हाल में सभी राज्यों को सम्मान देना होगा।

अंड्रीप में शामिल आदिवासी लोगों के आधारभूत अधिकारों में निम्नलिखित प्रमुख है :–

- स्व संकल्प का अधिकार
- सामूहिकता के रूप में आदिवासी लोगों की स्वीकार्यता
- परिक्षेत्र, भूमि एवं संसाधनों के अहस्तांतकरणीय अधिकार
- आदिवासी भूमि पर विकास कार्य शुरू करने में पूर्व सहमति लेना।
- आदिवासी भूमि पर किसी प्रकार के विकास पर नियंत्रण
- आदिवासी लोगों की सांस्कृतिक विरासत एवं बौद्धिक सम्पदा के प्रति सम्मान।
- आदिवासी लोगों को अपनी संस्थाओ की स्वीकार्यता।
- सामाजिक एवं सांस्कृति परम्पराओं के अनुसार प्रथाओं के उपयोग का अधिकार

आदिवासी लोगों के स्व संकल्प अधिकार, सामूहिक अधिकार, उनकी परिसीमा पर नियंत्रण, अपने संसाधनों का दोहन, हमारी राजनीतिक एवं वैधानिक संस्थाओं की स्वीकार्यता, पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण तथा स्वतंत्र एवं पूर्व सूचित सहमति पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।

अंड्रीप (UNDRIP) की धारा 29 में पर्यावरण संरक्षण के मुददों के बारे में कहा गया है कि अपनी भूमि और परिसीमा में पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण का अधिकार सबको है। यह बताता है कि :
आदिवासी लोगों को अपने पर्यावरण एवं भूमि–परिसीमा में उत्पादन क्षमता के संरक्षण का अधिकार है। राष्ट्र बिना किसी भेदभाव के इस तरह के संरक्षण एवं बचाव के लिए आवश्यक सहायक कार्यक्रम बनाएगा और लागू करेगा।

राष्ट्र इसका भी सुनिश्चय करेगा कि बिना पूर्व सूचना व सहमति के आदिवासी लोगों की परिसीमा में हानिकारक सामाग्रियों का भंडारण या जमाव रोकने हेतु प्रभावी तंत्र का निर्माण हो।

राष्ट्र इस बात का भी पूरा ध्यान रखेगा कि ऐसी किसी सामग्रियो के कारण यदि लोग प्रभावित हुए है तो उसकी पूरी निगरानी उचित व्यवस्था के साथ हो कि लोगों का स्वास्थ्य पूर्णतः पूर्व की भांति कायम हो सकें।

8. निष्कर्ष

दिए गए विभिन्न मुददो एवं चुनौतियों जिनका सामना आदिवासी लोगों को करना पड़ रहा है के आधार पर इस बात की जरूरत है कि आदिवासी लोगों के अधिकार एवं विकास के लिए आगे भी क्षमता एवं प्रभाव में वृद्धि की जाए। स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर आदिवासी लोगों के सपने एवं लक्ष्य को कार्यरत तंत्रों, प्रक्रियाओं एवं संलग्न जगहों में सक्रिय भागीदारों के साथ जोड़कर ही उनके अधिकार एवं विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

अभ्यास – 3

खुला मंच (30 मिनट)

प्रश्नों एवं मुददों की व्याख्या :

1. अध्याय से जुड़े प्रश्न सहभागी द्वारा पूछना और उस पर टिप्पणी एवं सुझाव देना।
2. विशेषज्ञ प्रश्नों एवं टिप्पणी पर निष्कर्ष देगा।
3. प्रशिक्षक अध्याय को संक्षेप में बताकर विचार विमर्श समाप्त करेगा।

मापांक 2 जैविकीय विविधता पर आधारित सम्मेलन को समझना

उददेश्य

1. जैव विविधता सम्मेलन के उददेश्यों और आदिवासी लोगों के लिए इसके औचित्य को समझना।
2. जैव विविधता सम्मेलन के इतिहास की जानकारी, इसकी विभिन्न संस्थाओं एवं अंगो की कार्य प्रणाली।
3. जैव विविधता सम्मेलन के विषयिक एवं अन्तः सम्बन्धित मुद्धों से परिचय।
4. जैव विविधता सम्मेलन के लक्ष्यों एवं उद्धेश्यों को जानना।
5. राष्ट्रीय सरकारों द्वारा जैव विविधता सम्मेलन के प्रति वचनबद्धता के कियान्वयन तंत्र को समझना और आदिवासी लोग इसके माध्यम से अपनी बातों को किस प्रकार उठाएं, इसे ानना।
6. जैव विविधता के सतत् उपयोग एवं संरक्षण में समुदायों की भागीदारी तथा जैव विविधता सम्मेलन के उद्धेश्यों के साथ सके अन्तः सम्बन्धों को समझना।

संसाधन

- '' जैव विविधता समझौता – जैव विविधता पर आधारित सम्मेलन का खुला मार्गदर्शन'' : प्रमुख बातें।
- ''जैव विविधता सम्मेलन में आदिवासी लोगों की भागीदारी एवं पूर्व सूचना सहमति''
- ''विकासशील देशों में क्षमता निर्माण जिससे जैव सुरक्षा पर आधारित कार्टेगना प्रोटो काल का कियान्वयन सुनिश्चित हो''

समय

3.5 घंटे

अध्याय – 1

पोस्टर/विज्ञापन प्रस्तुतीकरण (30 मिनट)

जैव विविधता सम्मेलन के उद्धेश्यों को समझना :–

सत्र शुरू होने से पहले एक आरंभिक तैयारी के अंतर्गत सहभागी द्वारा एक इश्तहार/विज्ञापन/पोस्टर दिखाया जाएगा जिसमें उनके समुदायों से जुड़े प्रमुख मुद्धे सहित निम्न के संदर्भ में की गई कार्यवाई की जानकारी होगी :–

- जैव विविधता का संरक्षण
- जैव विविधता का सतत् उपयोग
- जैव विविधता का दोहन एवं लाभ भागीदारी

1. सहभागी एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से अपने पोस्टर को दिखाते हुए उसके संदर्भ में संक्षिप्त व्याख्यान देंगे।
2. जब सहभागियों द्वारा अपने–अपने विचार दिए जाएंगे उस समय प्रशिक्षक उनकी मुख्य बातों को लिखकर बोर्ड पर दिखाएगा। (समान–समान विचारों का एक–एक खण्ड)
3. सहभागियों द्वारा दिए गए विचारों को संक्षेप में विशेषज्ञ बताएगा और जैव विविधता सम्मेलन से उन विचारों के संबंधों को स्पष्ट करेगा।

तथ्य प्रस्ततीकरण और विचार विमर्श (2 घंटे)

1. जैव विविधता पर सम्मेलन, इसके इतिहास और उद्धेश्य क्या है ?

रियो द जनेरियों के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में विश्व के नेताओं ने एक समग्र नीति योजना को स्वीकार किया जिसमें भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और व्यावहारिक विश्व को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्तमान जरूरतो को पूरा करने के लिए सतत् विकास को अपनाने की बात थी। रियों में स्वीकृत प्रमुख संधियों में एक जैव विविघता सम्मेलन भी था। इस संधि में विश्व की अनेक सरकारों ने आर्थिक विकास के मार्ग में विश्व की जैव विविधता को बरकरार रखने के प्रति अपनी वचनबद्धता दिखाई।

29 दिसंबर 1993 को जैव विविघता सम्मेलन लागू हुआ। भागीदारों का नौवॉ सम्मेलन (Cop9) मई 2008, बॉन जर्मनी में हुआ, जिसमें 190 देशों ने इस सम्मेलन का समर्थन किया। अमेरिका ने इसे समर्थन नहीं दिया।

सम्मेलन के तीन आधारभूत उद्देष्य है :–

- जैव विविधता का संरक्षण
- इसके तत्वों का सतत् उपयोग
- आनुवांशिक संसाधनों के अनुप्रयोग में स्वच्छ एवं समान भागीदारी

2. मुख्य शब्दावलियों की परिभाषा

जैव विविधता या जैव विविधता इस पृथ्वी ग्रह पर स्थित सभी जीव रूपों (पौधे, मनुष्य, जानवर) की विविधता–जीन से लेकर पारिस्थितिक तंत्र तक– सब कुछ है। हमारी आध्यात्मिक सुन्दरता का मूर्त रूप जैव विविधता है। वैश्विक जैव विविधता से जुड़े पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत सारी विसंगतियाँ है। सांस्कृतिक विविधता इस ग्रह के निवासियों की जीवन शैली की विविधता है जो पूरी तरह से जैव विविधता के संरक्षण से अटूट रूप से बंधा है। वैज्ञानिक लोग जैव विविधता के संरक्षण में मानवीय सांस्कृतिक विविधता की भूमिका को खुले दिल से स्वीकार कर फैला रहे है। किसी एक खास संस्कृति का विनाश पूरे मानव समुदाय के लिए संभव विकल्पों एवं अवसरों का सामूहिक नुकसान है जिससे सामूहिक चुनौतियों का सामना करने के नए अवसर समाप्त हो जाते है।

पारम्परिक ज्ञान : पूरे विश्व में आदिवासी लोग एवं स्थानीय समुदायों के पास अपने अपने क्षेत्र एवं परिसीमा में फैले पौधों, जानवरों एवं अन्य जीवों के बारे में विस्तृत एवं बहुत खास जानकारियाँ है। पारिस्थितिकी का नुकसान पारम्परिक जीवन शैली, भाषाई विविधता एवं पारम्परिक ज्ञान के नुकसान को जन्म देता है।

3. सम्मेलन की संस्थाएँ

जैव विविघता सम्मेलन एवं इसकी संस्थाओं का एक दृश्य विज्ञापन प्रदर्शन

सम्मेलन की संस्थाएँ – भागीदारों का सम्मेलन (Cop), वैज्ञानिक तकनीक एवं तकनीकी सलाह का सहायक अंग (SBSTTA), सचिवालय, वित्तीय तंत्र, वितरण गृह तंत्र–हैं।

जैव विविघता सम्मेलन में निर्णय लेने वाली इकाई CoP, है। यह उन विभिन्न भागीदारों या राष्ट्रीय सरकारों एवं अन्तः सरकारी अंगो (जैसे–यूरोपियन यूनियन) का समग्र रूप है जिन्होने सम्मेलन में हस्ताक्षर किये है। इसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष पर होती है। इसमें बाहरी पर्यवेक्षक भी शामिल हो सकते है। इस पर्यवेक्षक के रूप में गैर भागीदार सरकार (जैसे अमेरिका), अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और शामिल होने की इच्छा रखने वाले दूसरे समूह जैसे–आदिवासी लोगो का संगठन, स्वयं सेवी संगठन, नागरिक संगठन–हो सकते है।

1992 से लेकर 2010 तक CoP की 10 बार बैठक हो चुकी है।

- Cop (1994) - नसाउ , बहमास
- Cop2 (1995) - जकार्ता, इन्डोनेशिया
- Cop3 (1996) - ब्यूनस आयर्स, अर्जेन्टीना
- Cop4 (1998) - ब्रातीस्लावा, स्लोवाकिया
- Cop5 (2000) - नैरोबी, केन्या
- Cop6 (2002) - डेन हग, नीदरलैंड
- Cop7 (2004) - कुआलालमपुर, मलेशिया
- Cop8 (2006) - क्यूरीटीबा, ब्राजील
- Cop9 (2008) - बॉन, जर्मनी
- Cop10 (2010) - नेगोया, जापान

SBSTTA के द्वारा CoP को सलाह, सुझाव एवं प्रस्ताव तैयार कर दिया जाता है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। सरकार द्वारा नामांकित विशेषज्ञों की सूची से इसके सदस्य लिए जाते है। आदिवासी लोग एवं अन्य सरकारी इकाई इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले सकते है।

सचिवालय 76 कर्मचारियों का संगठन है जिसके प्रधान कार्यकारी सचिव डॉ0 अहमद जोगलफ है। यह मांट्रियल में स्थित है। जैव विविघता सम्मेलन की बैठक और अन्य सेवाओं की सहायता उपलब्ध कराना

कर्मचारियों का दायित्व है। श्री जॉन स्काट कार्यक्रम अधिकारी है और जैव विविघता सम्मेलन में आदिवासी लोगों की भागीदारी का प्रथम जिम्मा इन्हीं का है। (अन्य विस्तृत जानकारी www.cbd.int पर देखी जा सकती है।)

वित्तीय तंत्र द्वारा जैव विविघता सम्मेलन के सुचारू कियान्वयन हेतु विकासशील देशों को वित्तीय मदद उपलब्ध करायी जाती है। वैश्विक पर्यावरण प्रसुविधा (GEF) जैव विविघता सम्मेलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय स्रोत का प्रमुख वाहक एवं वैश्विक पर्यावरण समस्याओं को परिभाषित करने वाला प्रमुख अन्तः सरकारी वित्तीय तंत्र है।

वैश्विक पर्यावरण प्रसुविधा (GEF) वित्तीय तंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) संयुक्त राष्ट्र मरूस्थलीकरण सम्मेलन (UNCCD) और विद्यमान जैव प्रदूषक पर स्टॉक होम सम्मेलन के लिए कार्य करता है। इसके साथ–साथ यह जैव सुरक्षा के कार्टेगना प्रोटोकाल, ओजोन परत क्षय से जुड़े तत्वों पर आधारित वियेना सम्मेलन के मॉट्रियल प्रोटोकॉल और अन्तराष्ट्रीय जल सुरक्षा से जुड़ी अनेक संधियों पर सहयोग देता है।

GEF द्वारा विश्व पर्यावरण से जुड़े छः क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सरकारों को अनुदान एवं वित्तीय छूट की सुविधा मुहैया करायी जाती है :–

- जैव विविधता
- जलवायु परिवर्तन
- अन्तर्राष्ट्रीय जल
- ओजोन परत क्षय
- भूमि क्षरण
- विद्यमान जैव प्रदुषक

GEF अनुदान के पांच रूप है जो वैश्विक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय योजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराता है :–

- सम्पूर्ण परियोजना ($1 मिलियन से ऊपर)
- मध्यम परियोजना ($1 मिलियन तक)
- कार्य क्षमता में सक्षम
- राष्ट्रीय स्व मूल्यांकन क्षमता
- अल्पकालिक प्रत्युत्तर उपाय
- योजना निर्माण अनुदान ($1 मिलियन तक)
- लघु अनुदान ($1 50,000 तक)

जैव विविधता के दृष्टिगत क्षेत्रों के लिए GEF सम्पूर्ण परियोजना का वित्त उपलब्ध कराता है, खासकर संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना एवं विस्तार के संदर्भ में 1996 से 1998 के बीच संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अंतर्गत क्षमता निर्माण एवं क्रियाकलापों में वृद्धि हेतु GEF के जैव विविधता बजट का एक बड़ा हिस्सा मुहैया कराया गया था। 1996 से अब तक GEF ने कुल $ 26.7 मिलियन का 133 अनुदान राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति एवं क्रियान्वयन योजना ($NBSAP_s$) के अन्तर्गत उपलब्ध कराया है। GEF का एक प्रमुख उद्धेश्य जैव विविधता सम्मेलन (CBD) 2002 के CoP_6 में पारित ''जैव विविधता लक्ष्य 2010'' को पूरा करना है जिससे सभी भागीदारों द्वारा वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन एवं सर्वजन हिताय की अवधारणा के साथ जैव विविधता में नुकसान की वर्तमान दर में खास कमी लाने का लक्ष्य रखा गया।

वितरण गृह तंत्र (CHM) सम्मेलन की बेवसाइट (www.cbd.int) से जुड़ी एक इन्टरनेट श्रृंखला है जो विभिन्न सरकारों व संगठनों के द्वारा बनाई गई है जिसके द्वारा जैव विविधता सम्मेलन से जुड़ी सूचनाओं का आदान–प्रदान होता है। जैव विविधता सम्मेलन के बेवसाईट में आदिवासी लोगों के खास हितों को ध्यान में रखते हुए एक अलग पारम्परिक ज्ञान पोर्टल (http://www.cbd.int/tk/) भी बनाया गया है।

पारम्परिक ज्ञान सूचना पोर्टल का विकास आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों द्वारा जैव विविधता के सतत् उपयोग एवं संरक्षण के प्रति स्वीकार्यता एवं चेतना में वृद्धि के लिए पारम्परिक ज्ञान, नवाचार और तरीकों की जानकारी देने हेतु किया गया था। इसका उद्धेश्य उचित समय पर एवं उपयोगी सूचनाएँ धारा –8(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए खासकर पारम्परिक ज्ञान के रूप में उपलब्ध कराना है। पारम्परिक ज्ञान सूचना पोर्टल धारा 8(j) से कई साधनों में अलग है। धारा 8(j) होम पेज जैव विविधता सम्मेलन के केवल 8(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में सूचना देता है। जबकि पारम्परिक ज्ञान सूचना पोर्टल पारम्परिक ज्ञान पर शोध एवं बेहतर संचार का एक बड़ा इलेक्ट्रानिक नेटवर्क है।

यह पोर्टल पारम्परिक ज्ञान का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता बल्कि पारम्परिक ज्ञान एवं इससे जुड़ी सूचनाएँ प्रस्तुत करता है। इसके अन्तर्गत यह शोध केन्द्र, घटनाओं की समयवार सूची, चित्र संग्रह, आदिवासी एवं स्थानीय सामुदायिक संगठनों का इश्तहार, इलेक्ट्रानिक बैठक सुविधा सहित इलेक्ट्रानिक डाक की बिक्री जैसी सुविधाएँ देता है। इसका खास उद्धेश्य चेतना जागृत करना, आपसी संवाद तेज करना, आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय की पहचान बढ़ाना और संवाद–सूचना के आदान–प्रदान को बढ़ाने के साथ संयुक्त/सामूहिक कार्य की सुविधा उपलब्ध कराना है।

चुंकि आदिवासी लोगों को सूचना हासिल करने एवं आदान प्रदान में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इसलिए आदिवासी लोग खुद के लिए अपने प्रयास से बेवसाइट बना रहे है। उन्हीं में से एक आदिवासी पोर्टल है – (http://www.indigenousportal.com) पोर्टल योजना का प्रशासनिक नियंत्रण आदिवासी पोर्टल बोर्ड करता है जिसका मुख्य उद्धेश्य आदिवासी लोगो के लिए और उन्हीं के द्वारा संचालित पोर्टल बनाना है ताकि उन्हें विश्वसनीय सूचना हासिल हो सके। इस बोर्ड का जबरदस्त सपना है कि वैश्विक आदिवासी समुदाय के बीच व्याप्त दूरी को एक सम्पर्क सेतु के निर्माण से खत्म किया जायें। जैसा कि

आदिवासी पोर्टल बेवसाइट पर कहा भी गया है कि ''एक पोर्टल, बेव इन्टरफेज से कहीं बढ़कर है। यह एक खुला दृष्टव्य स्थान है जहाँ हमारे लोगों एवं अन्य सूचना प्रदाताओं से हासिल आदिवासी विषय सामग्री उपलब्ध है। हमारा पोर्टल हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी आवाज, अपनी परम्परा, अपना मूल्य, अपना इतिहास, अपनी भाषा सब कुछ अपने भविष्य के सपनों के साथ अपनों के बीच बाँटे। (wsis में आदिवासी मंडली का वक्तव्य)

4. सहायक अंग

जैव विविघता सम्मेलन के कार्यो में सहायता के लिए कुछ सहायक अंग भी है। ये हैं – अंशकालिक पूर्णमुक्त कार्यशील समूह, विशेषज्ञों का पैनल और अंशकालिक तकनीकी विशेषज्ञ समूह।

अंशकालिक पूर्णमुक्त कार्यशील समूह सरकार द्वारा नामांकित विशेषज्ञों एवं अन्यों से बना है। ये सभी अंशकालिक हैं क्योंकि इन्हें तभी बनाया जाता है जब इनकी जरूरत होती है और ये स्थायी नहीं है। ये केवल कार्य पूरा करने तक ही अस्तित्व में रहते है। ये पूर्णमुक्त इसलिए है कि ये सभी पक्षकारों एवं पर्यवेक्षकों के लिए खुले है। चार कार्यशील समूह गठित किए गए है – दोहन एवं लाभ भागीदारी से जुड़ी धारा 8(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों पर, संरक्षित क्षेत्र एवं जैव विविघता सम्मेलन के क्रियान्वयन की समीक्षा पर कार्यशील समूह। 8(j) पर कार्यरत समूह में एक आदिवासी व्यक्ति सह–अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

विशेषज्ञों की सूची :– सरकार द्वारा नामांकित सूची में से CoP द्वारा समय–समय पर विशेषज्ञों की कार्यक्रमावली(रोस्टर) तैयार की जाती है।

अंशकालिक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का निर्माण CoP या SBSTTA द्वारा विकास की गति को किसी खास क्षेत्र में आगे करने के लिए किया गया था। इन सब का गठन–जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, वन्य जैव विविधता, समुद्री एवं तटीय संरक्षित क्षेत्र, मरूभूमि एवं संबंधित पारिस्थितिकीय तंत्र तथा शिक्षा एवं जन चेतना पर आधारित संयुक्त सूची–के लिए होता है। सदस्यों का चुनाव एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमावली में से होता है और ये आकार में छोटे होते है।

5. जैव विविघता सम्मेलन से जुड़े सहायक संधि :–

प्रोटोकाल वैधानिक एवं बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते है जो जैव विविघता सम्मेलन के किसी खास क्षेत्र से जुड़ा होता है। प्रोटोकाल, सम्मेलन के भागीदार एवं गैर भागीदार दोनों के लिए, खुला होता है। यह स्वतंत्र होता है और वैधानिक बाध्यकारी प्रक्रियाओं से युक्त होता है।

जैव विविघता सम्मेलन से निकलने वाला एक प्रोटोकॉल –जैव विविधिता पर कार्टेगना प्रोटोकाल – है जो उन आदिवासी लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो परिष्कृत जीन वाले फसलों के आने से भयाक्रान्त है।

दूसरा प्रोटोकॉल – दोहन एवं लााभ भागीदारी से जुड़ा है जो अभी विचाराधीन है।

6. कार्टेगना प्रोटोकाल क्या है ?

29 जनवरी 2000 को जैव विविघता सम्मेलन से जुड़े पक्षकारों की बैठक में एक अनुपूरक समझौता स्वीकार किया गया जिसे जैव विविधता पर आधारित कार्टेगना प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह प्रोटोकाल आधुनिक जैव तकनीक पद्धति से परिष्कृत जैवों के कारण जैव विविधता को होने वाले गंभीर नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया। यह एक पूर्व सूचित समझौता पद्धति की व्यवस्था है जिसमें इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी देश अपनी परिसीमा में परिष्कृतजीन वाले जैवों के किसी भी प्रकार के आगमन से जुड़े निर्णय लेने के पहले सूचना प्रदान करेगा। प्रोटोकॉल में एक सजग दृष्टिकोण को अपनाया गया है और यह पर्यावरण एवं विकास पर आधारित रियो घोषणा–पत्र के धारा–15 में वर्णित सतर्कता से जुड़ी बातों की पुनः पुष्टि करता है। इस प्रोटोकॉल द्वारा एक जैव सुरक्षा वितरण गृह भी स्थापित किया गया है जो परिष्कृत जीन वाले जैवों से संबंधित सूचनाओं के आदान–प्रदान की सुविधा के साथ प्रोटोकाल के बेहतर क्रियान्वयन में देशों की मदद करता है।

जैव विविधता पर कार्टेगना प्रोटोकॉल एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक बाध्यकारी संधि है जो आधुनिक जैव तकनीकी से उपजे परिष्कृत जैव के सुरक्षित प्रयोग, उपयोग एवं हस्तांतरण का नियमन करता है वर्ना जैव विविधता के सतत् उपयोग एवं संरक्षण के साथ–साथ मानव जीवन भी खतरे में पड़ सकता है।

जैव सुरक्षा प्रोटोकाल काफी महत्वपूर्ण है, खासकर विकासशील देशों के लिए क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून है, जो परिष्कृत जीन वाले जैवों (GMO_s) का नियमन करता है। यह एक सच्चाई है कि ऐसे जैव आनुवांशिक रूप से भिन्न होते है और विशेष रूप से खतरनाक एवं विनाशकारी होते है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नियमन जरूरी है। सभी देशों को ऐसे जैवों एवं इससे बने उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर नियमित करने का सम्प्रभु अधिकार है। यह प्रोटोकाल न्यूनतम मानक के साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यकारी रूपरेखा तैयार करता है।

7. जैव सुरक्षा पर कार्टेगना प्रोटोकाल का इतिहास

जैव विविघता सम्मेलन (CoP) के द्वारा जैव सुरक्षा पर प्रोटोकाल तैयार करने के लिए एक अंशकालिक पूर्णमुक्त कार्यशील समूह का गठन किया गया। यह प्रोटोकाल आधुनिक जैव तकनीक के द्वारा तैयार परिष्कृत जीन वाले जैवों के एक सीमा से दूसरी सीमा के बीच आवागमन तथा जैव विविधता के सतत् उपयोग एवं संरक्षण पर इसके दुष्प्रभावों को उजागर करता है। कार्यकारी समूह ने प्रोटोकाल का प्रारूप CoP को इसकी प्रथम असाधारण बैठक में विचार के लिए पेश किया, जो 22 फरवरी 1999 को कर्टेगना, कोलम्बिया में आयोजित हुई।

CoP अपने इस कार्य को इस बैठक में पूरा कराने में सक्षम नही था, इसलिए अगली बैठक 24–29 जनवरी 2000 को मॉंट्रियल में हुई। 29 जनवरी 2000 को CoP ने जैव विविघता सम्मेलन के जैव सुरक्षा कार्टेगना प्रोटोकाल को स्वीकार किया और इसके पूर्ण अस्तित्व में आने तक अंतरिम व्यवस्था को पारित किया। अक्टूबर 2009 तक इस प्रोटोकाल के 157 पक्षकार हो चुके है।

8. जैव विविघता सम्मेलन के विषयवार कार्यक्रम

पक्षकारों/भागीदारों के सम्मेलन ने कार्य के सात विषयवार कार्यक्रमों की स्थापना की है जो इस पृथ्वी ग्रह के सभी बड़े बायोम से जुड़े है। प्रत्येक कार्यक्रम भविष्य के कार्यो का दृश्य और आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा विचार के गंभीर मुद्धे, सक्षम निष्कर्ष की पुष्टि तथा समय तालिका एवं इन सबकी प्राप्ति के उपाय पर सलाह भी दी जाती है। कार्य योजना का कियान्वयन पक्षकारों, सचिवालय, जुड़े अन्तः सरकारी एवं अन्य संगठनों के सहयोग पर निर्भर करता है। समय–समय पर CoP और SBSTTA के द्वारा कियान्वयन स्थिति की समीक्षा की जाती है।

प्रत्येक विषयवार की वास्तविक वस्तु स्थिति जैव विविघता सम्मेलन बेवसाइट पर उपलब्ध है और वहाँ इसे देखा भी जा सकता है। ये सात निम्नलिखित है :–

1. अन्तःजलीय जैव विविधता

अन्तःजलीय व्यवस्था के अंतर्गत दलदल, कीचड़, कच्छ से लेकर नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल, झरना सब कुछ शामिल है। विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तःजलीय जैव विविधता भोजन, आय एवं जीवन यापन का एक प्रमुख स्रोत है।

अन्तःजलीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मानव ने बहुत ज्यादा उलट फेर किया है और आज यह संकटग्रस्त परिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। CoP ने सभी पक्षकारों से आग्रह किया है कि वे अपनी राष्ट्रीय योजनाओं में अन्तःजलीय जैव विविधता को उच्च प्राथमिकता देते हुए इसके बचाव, सुधार एवं संरक्षण से जुड़े एकीकृत कार्य नीति को लागू करें।

2. समुद्री एवं तटीय जैव विविधता

जैविस ने समुद्री एवं तटीय जैव विविधता के सतत् उपयोग एवं संरक्षण से जुड़ा एक कार्यक्रम – ''समुद्री एवं तटीय जैव विविधता पर जकार्ता घोषणा पत्र'' शुरू किया है। यह मुख्यतः एकीकृत समुद्री एवं तटीय क्षेत्र प्रबंधन, उपलब्ध संसाधनों का सतत् उपयोग, समुद्री एवं तटीय संरक्षित क्षेत्र, समुद्री जैव उत्पाद एवं सह प्रजातियों पर बल देता है।

आदिवासी मत्स्य एवं जैव विविधता संबद्ध ज्ञान सेन्टर के अनुसार आदिवासी लोग खासकर भोजन के लिए आज भी पारम्परिक जलीय जैव विविधता पर निर्भर है। पारम्परिक जैव विविधता का दोहन पारम्परिक संस्कृति एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस पारम्परिक जलीय विश्वास को बचाने एवं संरक्षित करने के उपायों के कियान्वयन की जरूरत है।

3. वन्य जैव विविधता

सभी स्थलीय व्यवस्थाओं में वन्य जीव विविधता सर्वाधिक मूल्यवान है। उष्ण, शीतोष्ण एवं शीत कटिबन्ध के वन विविध प्रकार के पौधे, जन्तुओं एवं सूक्ष्म जैवों के निवास स्थल के साथ विश्व के विविध स्थलीय

प्रजातियों से भरे पड़े है। साथ ही जंगल करोड़ो लोगो की आय तथा जीवन का साधन भी है। इसमें आदिवासी लोग भी शामिल है। वन्य जैव विविधता आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिका निभाता है।

वनों के सतत् प्रबन्धन के द्वारा आदिवासी एवं समुदाय आधारित वन प्रबन्धन में इनकी पूर्ण एवं प्रभावकारी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वन्य जैव विविधता के सतत् उपयोग एवं संरक्षण से जुड़े प्राथमिकता आधारित कार्ययोजना पर सलाह मशविरा के लिए जैव विविघता सम्मेलन के द्वारा वन्य जैव विविधता पर आधारित एक अंशकालिक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों से कहा गया है कि वैश्विक जैव विविधता लक्ष्य 2010 को ध्यान में रखते हुए वन्य जैव विविधता से जुड़े कार्य योजनाओं को लागू करें।

4. कृषिगत जैव विविधता :–

इसके अंतर्गत भोजन एवं कृषि में प्रयुक्त होने वाले सभी पौधों, जन्तुओं के साथ–साथ सूक्ष्म जैव व कवक के आनुवांशिक संसाधनों को शामिल किया जाता है। कृषिगत जैव विविधता केवल आय और भोजन ही उपलब्ध नहीं कराता बल्कि वस्त्र, निवास स्थान, दवा, नई प्रजाति के विकास के लिए कच्चे उत्पाद के साथ–साथ भूमि उर्वरता तथा भूमि एवं जल के संरक्षण में भी योगदान देता है।

कृषिगत विविधता पर आधारित जैव विविघता सम्मेलन विकास कार्यक्रम विश्व की कृषिगत विविधता की दशा एवं दिशा को उजागर करता है। साथ ही इसके प्रबन्धन के लिए जरूरी स्थानीय जानकारियों को सामने लाता है। यह कृषि क्षेत्र के लिए मूल्यवान आनुवांशिक संसाधनों के सतत् उपयोग एवं संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। इसके द्वारा नई–नई तकनीकों के विकास, जैसे आनुवांशिक प्रयोग निषेध तकनीक–पर भी जोर दिया जाता है और इन तकनीको से कृषिगत जैव विविधता में होने वाली कठिनाईयों का अध्ययन किया जाता है।

जैव विविघता सम्मेलन आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों के कृषिगत कार्यो में गतिशीलता लाने की बात करता हैं जिससे कृषि क्षेत्र में जैव विविधता के सतत् उपयोग एवं संरक्षण में उनके ज्ञान, अनुभव एवं तौर–तरीकों से और विकास हो सकें।

5. सुखी एवं अर्द्ध–आर्द्र भूमि जैव विविधता

सुखी एवं अर्द्ध–आर्द्र भूमि पर विश्व की लगभग 35% जनसंख्या या 2 बिलियन लोग निवास करते है। इन भूमियों का जैव महत्व बहुत ज्यादा है और विश्व के अधिकांश खाद्यान्नों एवं उनके भंडार का घर है। अफ्रीका का लगभग 70% भाग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए सीधे रूप से इन पर निर्भर है।

सुखी एवं अर्द्ध–आर्द्र भूमि से जुड़ा अंशकालिक तकनीकी विशेषज्ञ समूह की बैठक दो बार होती हे और यह SBSTTA के कार्यो हेतु संबंधित जानकारियाँ भी उसे देता है। CoP और SBSTTA की अगली बैठक में सुखी एवं अर्द्ध–आर्द्र भूमि से संबंधित कार्यो की रूपरेखा का गंभीर विश्लेषण किया जाएगा।

6. पर्वतीय जैव विविधता

कृषि के विस्तार एवं लकड़ी कटाई के गैर सतत् उपयोग मसलन अनवरत कटाई, पर्यटन, जल विधुत, खनिज, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदुषण आदि के कारण पर्वतीय वन पारिस्थितिक तंत्र पर खतरा मंडराने लगा है।

जैव विविघता सम्मेलन द्वारा पर्वतीय जैव विविधता से जुड़ी कार्य–योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे पर्वतीय पारिस्थितिकीय तंत्र की रक्षा करते हुए इस नुकसान को (2010 तक) कम करें जिससे निर्धनता उन्मूलन एवं इस पर आश्रित आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों के हित सुरक्षित हो सकें।

7. द्वीपीय जैव विविधता

द्वीप एक अदभुत पारिस्थितिक तंत्र है और धरातल के प्रति इकाई में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजातियों क लिए निवास स्थान भी। हालाँकि उनकी बहुमूल्य विविधता उन्हीं की प्राकृतिक कोमलता से टूटती है।

विभिन्न छोटे द्वीपों के आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों के पारम्परिक ज्ञान एवं तौर–तरीके तथा सांस्कृतिक विविधताएँ अद्भुत हैं और उन्हें आज विशेष संरक्षण की जरूरत है। द्वीपीय विविधता से जुड़े जैव विविघता सम्मेलन के सभी कार्य योजनाओं को पूरे सम्मान के साथ अनिवार्यतः लागू किया जाना चाहिए, खासकर आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों की सहमति एवं पूर्ण भागीदारी को ध्यान में रखकर।

9. अन्तः संबंधित विचारणीय मुद्धे

COP ने सभी विषय क्षेत्रों से जुड़े अन्तः संबंधित महत्वपूर्ण मुद्धो पर काम करना शुरू कर दिया है। ये गंभीर विचारणीय मुद्धे सम्मेलन के वजूदात्मक प्रावधानों धारा 06 से धारा 20 में वर्णित है और विभिन्न विषयगत कार्यक्रमों के बीच सेतु सम्बन्ध के रूप में समन्वय स्थापित करते है।

ये अन्तः संबंधित विचारणीय मुद्धे निम्नलिखित है :–

- आनुवांषिक संसाधनों का दोहन एवं लाभ भागीदारी
- विकास हेतु जैव विविधता
- जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता
- संचार, शिक्षा एवं जन चेतना
- आर्थिक, व्यापार एवं हित प्रेरक उपाय
- पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण
- पौधों के संरक्षण के लिए वैश्विक कार्यनीति
- वैश्विक वर्गीकरण पहल
- प्रभाव आंकलन
- पहचान, निगरानी, सूचक एवं आंकलन

- आक्रमणकारी वाह्य प्रजाति
- दायित्व एवं सुधार
- संरक्षित क्षेत्र
- जैव विविधता के सतत् उपयोग
- तकनीकी हस्तांतरण एवं सहयोग
- पर्यटन एवं जैव विविधता
- पारम्परिक ज्ञान, नवाचार एवं तौर तरीके

ऐसे कुछ मुददे विषयवार कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहे कार्यो को सीधे सहयोग करते है। मसलन–प्रसूचक कार्यो के द्वारा जैव विविधता के सभी बायोम की दिशा एवं दशा के बारे में सूचना उपलब्ध करायी जाती है। इन सभी मुद्धो पर किए गए कार्यो के कारण अनेक सिद्धांत, मार्गदर्शन एवं दूसरे औजार विकसित हुए है, जिनके द्वारा सम्मेलन के क्रियान्वयन तथा जैव विविधता लक्ष्य 2010 को हासिल किया जा सकता है।

10. जैव विविधता 2011–2020 की कार्यनीति योजना

नीतिगत लक्ष्य

नीति लक्ष्य A : सरकार से लेकर समाज तक जैव विविधता नुकसान के उत्तरदायी कारणों की खोजबीन

नीति लक्ष्य B : जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष दबाव को कम करना और सतत् उपयोग को बढ़ावा देना।

नीति लक्ष्य C : पारिस्थितिकीय तंत्र, प्रजाति एवं आनुवांशिक विविधता को सुरक्षा प्रदान कर जैव विविधता की स्थिति में सुधार लाना

नीति लक्ष्य D : जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय तंत्र की सेवाओं से जुड़े लाभ को सभी तक पहुँचाना और इसमें वृद्धि लाना।

नीति लक्ष्य E : नियोजन भागीदारी, जानकारी प्रबन्धन एवं क्षमता निर्माण के द्वारा क्रियान्वयन में वृद्धि करना।

11. अन्य अर्न्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ संबंध

जैव विविघता सम्मेलन अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं संधियों के साथ भी संबंध बनाए रखता है। यह किया जाता है –

- सचिवालायों के बीच संवादो द्वारा
- सहयोग के ज्ञापन के विकास द्वारा

- संयुक्त ब्यूरो–बैठकों के द्वारा
- संबंधित सम्मेलनों एवं संधियों के बीच सम्पर्क समूह द्वारा

12. जैव विविघता सम्मेलन के सहयोगी सम्मेलन

1992 के पृथ्वी सम्मेलन से – जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं मरूस्थलीकरण पर–तीन रियो सम्मेलन का आयोजन हुआ। इनमें से प्रत्येक के द्वारा एजेंडा–21 के सतत् विकास लक्ष्य के प्रति सहयोग दिया गया है। ये तीनों सम्मेलन एक दूसरे से गंभीरता से जुड़े है, समान पारिस्थितिकीय तंत्र में काम कर रहे है, एक दूसरे से जुड़े मुद्धो को उठा रहे है।

जैव विविधता पर सम्मेलन (बाक्स में)

जैव विविधता का संरक्षण, इसके तत्वों का सतत् उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोगों एवं वाणिज्यीकरण से होने वाले लाभों में सबको बराबर एवं भेदभाव रहित हिस्सा–जैव विविधता सम्मेलन का उद्देश्य हैं। यह संधि सभी परिस्थितिकीय तंत्र, प्रजाति एवं आनुवांशिक संसाधनों पर लागू है।

संयुक्त राष्ट्र मरूस्थलीकरण संघर्ष सम्मेलन

UNCCD का उद्देश्य सूखा या मरूस्थलीयकरण से जूझ रहे देशों, खासकर अफ्रीका, में इसके प्रभाव को कमतर करते हुए इसके खिलाफ संघर्ष करना है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं द्विपक्षीय समझौतो को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ, जो एजेन्डा 21 के अनुरूप है, प्रभावित क्षेत्रों में सतत् विकास की उपलब्धियों को लागू किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन

UNFCCC जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को हल करने के लिए अन्तः सरकारी प्रयासो के लिए एक समग्र रूप रेखा तैयार करता है। इसका उदेश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस केन्द्रीकरण को एक स्तर तक स्थिर रखना है जिससे जलवायु मंडल में खतरनाक स्थिति के हस्तक्षेप को रोका जा सकें और प्राकृतिक समयबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत वांछित जलवायु परिवर्तन को पारिस्थितिकी तंत्र स्वीकार कर सकें। इसका उद्धेश्य खाद्यान्न उत्पादन को एक सतत् स्वरूप में रखते हुए आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना भी है।

रियो सम्मेलन की प्रत्येक बैठक में पक्षकारों ने अनेक धाराओं एवं निर्णयों के द्वारा सभी सम्मेलनों के बीच समन्वय बढ़ाया ताकि कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो और विभिन्न कार्यो के बीच कोई घालमेल न हो सकें। अगस्त 2001 के सम्मेलन में एक संयुक्त सम्पर्क समूह का गठन एक अनौपचारिक फोरम के रूप में कर सूचनाओं के आदान–प्रदान, ऊर्जा युक्त कार्य प्रक्रिया के पर्याप्त अवसर एवं आपसी समन्वय को बढ़ाने का काम किया गया। आपसी समन्वय को अनेक बैठकों एवं दस्तावेजों के जरिए एक व्यवस्थित स्वरूप दिया गया जिसके कारण अनेक समन्वित कार्य प्रक्रियाएँ अभी सुचारू रूप से चल रही है।

राष्ट्रीय क्रियान्वयन

पक्षकार अथवा राष्ट्रीय सरकारें सम्मेलन को लागू करने को किस रूप में देखती है और राष्ट्रीय क्रियान्वयन की निगरानी किस प्रकार हो सकती है ?

जैव संसाधनों के संरक्षण एवं सतत् उपयोग का, राष्ट्रीय निर्णय निर्माण, नीति निर्माणक रूपरेखा तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों के संदर्भ में, एकीकृत रूप से समायोजन ही जैव विविधता सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौति रही है।

संरक्षण एवं सतत् उपयोग के उपाय सम्मेलन की धारा–6 में वर्णित है। इसमें कहा गया है कि शामिल सभी पक्षकार इसकी खास स्थिति एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए –

- राष्ट्रीय कार्य नीति योजना या कार्यक्रम का विकास जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् प्रयोग के लिए करेंगे या वर्तमान में चल रही वैसी सभी कार्य नीति योजना जो इससे विसंगति रखती हो, को सम्मेलन के दिशा निर्देशों के अनुरूप चलाने का प्रयास करेंगे।
- जहाँ तक संभव या उचित हो, सभी कार्य योजनाओं के इस संदर्भ से जोड़कर एकीकृत करने के लिए पर्याप्त उचित कदम उठाएँगे।

a. राष्ट्रीय विविधता कार्यनीति एवं कार्य योजना

राष्ट्रीय जैव विविधता योजना के प्रति सम्मेलन से जुड़े सभी पक्षकारों का एक नैतिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति एवं कार्य योजना (NBSAP) इस ढंग से बनायी जानी चाहिए कि संबंधित देश अपनी खास राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन के उद्देश्यों को पूरा करें और सभी कार्य योजनाएँ इन लक्ष्यों को हासिल करने में कदम से कदम मिलाकर चले।

जैव विविधता सम्मेलन के राष्ट्रीय स्तर पर, क्रियान्वयन की दिशा में CoP ने सभी सम्बन्धित पक्षकारों को अपने–अपने NBSAP के साथ आमंत्रित किया है। अब तक 166 पक्षकारों ने NBSAP तैयार कर लिया हैं। CoP_9 ने शेष 26 पक्षकारों को 2010 तक अपना NBSAP तैयार करने को कहा है।

b. राष्ट्रीय प्रतिवेदन

धारा–26 सभी पक्षकारों को सम्मेलन के प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं लक्ष्य हासिल करने की दिशा में हुई प्रगति का सम्पूर्ण ब्योरा प्रस्तुत करने की बात कहता है। धारा 10(a) राष्ट्रीय निर्णय निर्माण में जैव संसाधनों के संरक्षण एवं सतत् उपयोग पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सम्मेलन होने के समय से सभी पक्षकारों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपना चौथा राष्ट्रीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। वैसे सभी पक्षकारों ने अपना प्रतिवेदन अभी तक नहीं सौंपा है।

c. राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दू (NFP)

जैव विविघता सम्मेलन से जुड़ा प्रत्येक देश सम्मेलन के संदर्भ में एक राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु (NFP) गठित करता हैं। साधारणतः इस केन्द्र बिन्दु को सरकार के उच्च प्राधिकार द्वारा नामित किया जाता है, जैसे पर्यावरण मंत्रालय, तो वही सम्मेलन के साथ सम्पर्क स्थापित करने का काम करता है।

राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दू का प्राथमिक कार्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सचिवालय से सम्पर्क समन्वय बनाना है। इनका उत्तरदायित्व है :–

सम्मेलन से जुड़ी सूचनाएँ हासिल करना और प्रसारित करना

- सम्मेलन की बैठक में पक्षकार की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- सम्मेलन से जुड़ी विविध प्रकियाओं, आंकलन प्रक्रियाओं एवं अंशकालिक तकनीकी विशेषज्ञ समूह में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों की पहचान करना।
- सचिवालय एवं पक्षकारों की बैठक में शामिल पक्षकार द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना।
- सम्मेलन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दूसरे देशों के राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दू के साथ उचित समन्वय स्थापित करना
- सम्मेलन के राष्ट्रीय क्रियान्वयन की उचित निगरानी एवं प्रोत्साहन।

d. राष्ट्रीय वितरण गृह तंत्र

यह (NCHM) एक वेबसाइट है जो किसी खास देश में सम्मेलन से जुड़ी सभी जरूरी सूचनाएँ उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा नई सूचना तकनीक, मसलन वर्ल्ड वाइड वेब (www) का प्रयोग किया जाता है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अधिकांश लोगों तक वांछित सूचनाएँ प्रसारित हो सके।

14. आदिवासी लोगों के लिए जैव विविघता सम्मेलन का औचित्य एवं उपयोगिता

आदिवासी लोग जैव विविधता के सतत् उपयोग के मौलिक प्रयोगकर्ता है, सरकार इस सच्चाई से अवगत है या नहीं भी। मानवाधिकार एक जन्मजात अधिकार है, सरकार इसे माने अथवा नहीं। आदिवासी लोगों के द्वारा जैव विविधता का सतत उपयोग एवं संरक्षण सरकार की स्वीकृति या बगैर स्वीकृति के भी किया जाता रहा है।

सम्मेलन के उददेश्य – जैव विविधता के सतत उपयोग इसके दोहन एवं हित लाभ में भागीदारी–आदिवासी लोगों के द्वारा समय समय पर अपने–अपने समुदायों में स्वीकृत रहे है। अब ये उद्देश्य एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि – जैव विविघता सम्मेलन – के रूप में सामने है जो नैतिक कर्तव्य एवं लक्ष्य के रूप में सभी सरकारों के लिए बाध्यकारी है। इसलिए यह ज्यादा जरूरी है कि सरकार जैव विविघता सम्मेलन के सफल एवं बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करें।

जैव विविघता सम्मेलन वैधानिक रूप से एक बाध्यकारी तंत्र है। जैसा कि सच है, सभी पक्षकार इसके साथ नैतिक रूप से बंधे है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसके निर्देर्शो को लागू करना अनिवार्य है। आदिवासी लोग अपने समुदायों में वाकई क्या कर रहे हैं – जैव विविघता सम्मेलन का यह उद्देश्य बनते ही मतलब साफ हो गया कि आदिवासी लोग पहले से ही जैव विविघता सम्मेलन को लागू कर चुके है। इसलिए सरकारों को भी इसके कियान्वयन के लिए, लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समुदायों के साथ और समुदाय के लिए काम करना चाहिए।

इसी के साथ आदिवासी लोगों के संगठन जैव विविघता सम्मेलन का प्रयोग कर जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग से सम्बन्धित अपने मुद्धो व हितों पर सरकार का ध्यान खींच सकते हैं। इस कार्य में जैव विविघता सम्मेलन उनके अधिकारों एवं हितों के लिए सदैव संघर्षरत है। यह सभी स्तरों पर किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल नीति निर्माण में हो नहीं बल्कि नीचे राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर कार्यो को पूरा करने में भी।

ऐसा करने के लिए आदिवासी लोगों के संगठन को चाहिए कि वे इस बात की पड़ताल करें कि जैव विविघता सम्मेलन का कौन सा कार्यक्रम उनकी खास परिस्थिति एवं पर्यावरण के लिए अधिकतम अनुकूल हे और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करें। उन्हें चाहिए कि वे अपने सरकार की राष्ट्रीय जैव विविधता नीति एवं कियान्वयन योजना को खोजकर उसमें अपने अधिकारों को शामिल करवाएँ तथा इस कार्य के लिए सरकार को जिम्मेदार भी बनाएँ।

अभ्यास – 2

कार्यशाला – आदिवासी लोग किस प्रकार जैव विविघता सम्मेलन का उपयोग कर अपने समुदायों के प्राथमिक मुद्धो को उजागर कर सकते है ? (1 घंटा)

आदिवासी लोगों के लिए जैव विविघता सम्मेलन के उपयोग के तरीकों का विस्तारीकरण

1. देश या समुदाय को आधार पर सहभागियों को बांटा जाये। प्रत्येक समूह को विचार–विमर्श के लिए 30 मिनट दिया जाता है।
2. जैव विविघता सम्मेलन के उद्देश्यों को पुनः याद करने का निर्देश दें। जैव विविघता सम्मेलन (इसके प्रावधान, विषयवार कार्यक्रम, अंतः सम्बन्धित मुद्धे, राष्ट्रीय जैव विविधता नीति एवं कार्य योजना) का उपयोग आदिवासी लोग अपने समुदायों से संबंधित प्राथमिक मुद्धों को उठाने में किस प्रकार प्रयोग कर सकते है :– इस पर विचार करें।
3. प्रत्येक समूह को दिए गए 30 मिनट में अपने सामूहिक कार्यो के परिणाम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।
4. प्रशिक्षक सामूहिक प्रतिवेदन का संक्षेपण कर, सर्व सामान्य विचारों का लेखन कर बैठक समाप्त करता है।

मापांक 3 जैव विविधता सम्मेलन पर आदिवासी लोगों की मान्यता।

उद्धेश्य :–

1. भागीदारों के समुदायों में जैव विविधता की दशा, जैव विविधता से जुड़ा विद्यमान आदिवासी ज्ञान तथा उन पर मंडरा रहे खतरे को प्रस्तुत करना।
2. खासकर आदिवासी लोगों से संबंधित जैव विविधता सम्मेलन – प्रावधानों को जानना।
3. आदिवासी लोगो से जुड़े जैव विविधता सम्मेलन मुद्धो एवं खतरों के प्रति जागरूक होना।
4. आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के आधार पर जैव विविधता सम्मेलन के साथ आदिवासी लोगों की वस्तु स्थिति को मजबूत बनाने के पाय का विवरण देना।

संसाधन :–

- जैव विविधता समझौता – जैविकीय विविधता सम्मेलन पर एक क्षेत्रीय मार्गदर्शन–मुख्य बातें
- जैव विविधता सम्मेलन – आदिवासी लोगो की मान्यताएँ
- आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र

समय

4 घंटे

अभ्यास – 1

पोस्टर प्रस्तुतिकरण – स्थानीय जैव विविधता की स्थिति, अवसर एवं खतरें (30 मिनट)

जैव विविधता की वर्तमान स्थिति और जैव विविधता संरक्षण से जुड़े खतरों एवं चुनौतियों की पहचान

1. सत्र शुरू होने से पहले एक प्रारम्भिक क्रियाक्लाप के रूप में उद्भव स्थान के आधार पर सहभागी एक–एक समूह बनाकर एक पोस्टर बनाएँगे जिसमें उनके स्थानीय जैव विविधता की स्थिति, जैव विविधता के प्रति खतरे एवं उनकी पारम्परिक जानकारी के साथ अन्य सकरात्मक कारक जिनसे उनके समुदाय के जैव विविधता संरक्षण में मदद मिल सकें का विवरण होगा।
2. सत्र शुरू होने पर प्रत्येक समूह अपने पोस्टर को दिवाल पर चस्पा करेगा और एक प्रतिवेदक पोस्टर के बारे में समूह को जानकारी देगा। अन्य सहभागियों द्वारा इस संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकेंगे।
3. सभी समूहों के प्रतिवेदन के पश्चात प्रशिक्षक मुख्य बिन्दूओं का संक्षेपण कर आदिवासी लोग एवं जैव विविधता सम्मेलन का परिचय देगा।

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श (2 घंटे)

1. आदिवासी लोग और जैव विविधता से जुड़ी सामान्य जानकारी

विश्व जनसंख्या के 370 मिलियन आदिवासी लोगों में से 50 मिलियन आदिवासी लोग उष्ण कटिबन्धीय वनों में निवास करते है। आदिवासी लोगों की जनसंख्या विश्व जनसंख्या की मात्र 4 प्रतिशत है किन्तु सांस्कृति विविधता में इनका हिस्सा 95 प्रतिशत है और उच्च जैव विविधता के क्षेत्रों में तो उनकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत तक है। रूस के सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र के 60 प्रतिशत भाग में आदिवासी लोग निवास करते है।

आदिवासी लोगों द्वारा विश्व की 6000 भाषा–बोलियों में से 4 से 5 हजार बोलियाँ बोली जाती हे। समुदायों के द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषा–बोलियों का आधा भाग 10,000 या उससे कम बोलने वालों का है। प्रत्येक विशिष्ट संस्कृति का लोप होना नवाचार के लिए संभव विकल्पों एवं संभव अवसरों, जिससे सामूहिक चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, के लोप के रूप में पूरे मानव समाज का नुकसान है।

पारिस्थितिकीय तंत्र में होने वाला नुकसान पारम्परिक जीवन शैली, भाषाई विविधता और पारम्परिक ज्ञान–विचार में कमी लाता है। क्योंकि आदिवासी लोगों के द्वारा हजारों वर्षो से प्रजातीय विविधता का भरण–पोषण किया जाता रहा है। जिसके कारण ही जैव विविधता आज भी साँस गिन रही है। सतत् उपयोग के सिद्धांत पर ही आदिवासी ज्ञान, आदिवासी विशेषज्ञता एवं आदिवासी विचार निर्भर रहे हैं। प्रजातीय विविधता के विकास एवं इसे आगे बढ़ाने में आदिवासी लोगों के द्वारा इतना ज्यादा नवाचार अपनाया गया है कि 'घरेलू' और 'जंगली' के रूप में विभाजन आज बेमानी सा हो गया है।

2. आदिवासी लोगों के रूप में मुख्य दावें :

इस खण्ड में अंड्रीप (UNDRIP) के खास प्रावधानों का संदर्भ लेकर आदिवासी लोगों के विभिन्न अधिकारों पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

आदिवासी लोगों के मौलिक अधिकार निम्नलिखित है। ये जन्मजात अधिकार है जिनकी पुष्टि आदिवासी लोगों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में भी की गई है। (UNDRIP)

a. हमारे परिक्षेत्रों पर सामूहिक स्वामित्व का अधिकार (धारा–26, 27)

b. स्व–निर्धारण का अधिकार (धारा–3, 32)

c. हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार प्रथाओं के प्रयोग का अधिकार (धारा–5, 11)

d. हमारी अपनी संस्थाओं के रूप में वैधानिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार (धारा–18, 19)

e. अपने आदिवासी ज्ञान के नियंत्रण का अधिकार (धारा–31)

उदाहरण : ज्ञान की एक विविधता

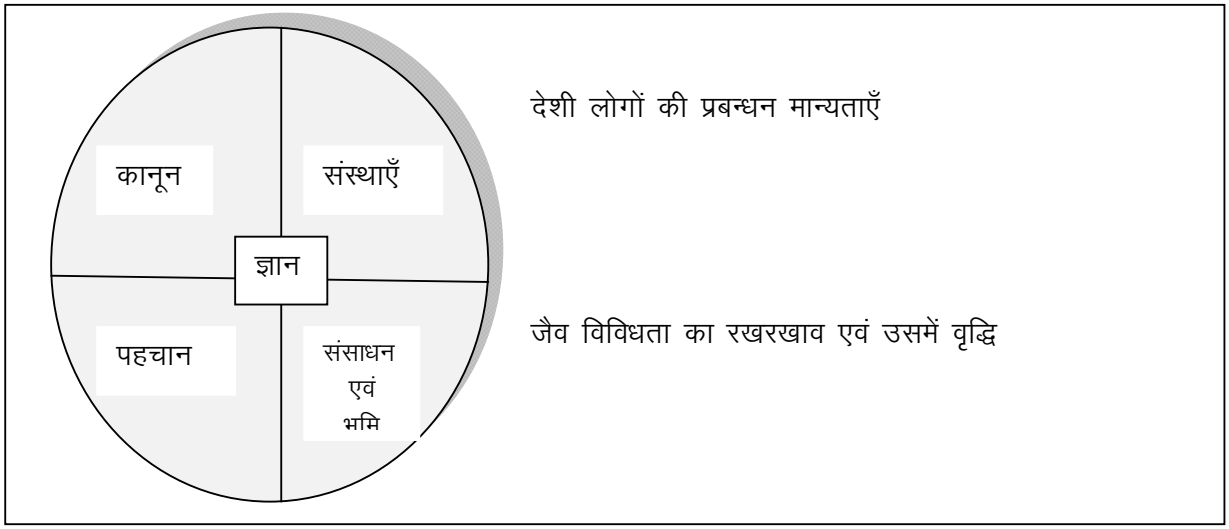

3. जैव विविधता के उपयोग एवं आदिवासी ज्ञान से जुड़े विचारणीय सिद्धांत

- आदिवासी लोग परिसीमित क्षेत्रों में निवास करते है। इसका मतलब यह हुआ कि आदिवासी लोग एवं उनका समुदाय सम्पूर्ण पर्यावरण–मिट्टी, वृक्ष, पौधे, पशु–पक्षी आदि–के उपयोग एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। किसी क्षेत्र के सभी संसाधनों में–नदी, झील, तालाब, द्वीप, समुद्री एवं तटीय क्षेत्र–शामिल है।
- आदिवासी परिक्षेत्र बाह्य जैवों से मुक्त समझा जाता है। ये परिक्षेत्र मनुष्य के रूप में सम्पूर्णता के साथ वंश परम्परा के द्वारा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित होते है। इन आदिवासी परिक्षेत्रों को बेचने या नष्ट करने का अधिकार आदिवासी या गैर आदिवासी किसी भी व्यक्ति को नहीं है।
- अपने परिक्षेत्र के स्वामित्व को लेकर आदिवासी लोगों की अपनी मान्यताएँ हैं। उनके संसाधनों का उपयोग या विक्रय आपसी सहमति पर ही किया जा सकता है। वैयक्तिक स्तर पर अपनी–अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खास–खास क्षेत्रों में काम किया जाता है।
- ये परिक्षेत्र ब्रहााण्ड की सम्पूर्णता के भाग है जिसमें संसाधनों के प्रयोग पर राजनीतिक नियंत्रण, वन्य जीव से जुड़े धार्मिक पक्षों के लिए आध्यात्मिक सम्मान तथा आदिवासी लोगों के इतिहास में वनों को एक मनोरम प्राकृतिक दृश्य के रूप में अनुभूत शामिल है।

4. सम्मेलन की विभिन्न धाराओं में आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय

आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों के संदर्भ में जैव विविघता सम्मेलन के प्रावधान एवं धाराएँ निम्नलिखित है :–

जैव विविधता सम्मेलन की निम्नलिखित प्रसांगिक धाराओं की हस्तप्रति भागीदारों को दी जा सकती है

प्रस्तावना

आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की जैव संसाधनों के साथ निकट एवं पारम्परिक निर्भरता को पारम्परिक जीवन शैली के रूप में स्वीकार करता है। जैव विविधता के संरक्षण एवं इसके विभिन्न अंगों के सतत् उपयोग में पारम्परिक जानकारी, नवाचारों एवं मान्यताओं का उपयोग कर सर्वजन हितलाभ के औचित्य को उपयुक्त मानता है।

जैव विविधता संरक्षण एवं इसके सतत् उपयोग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को भी स्वीकृत किया गया है तथा सभी स्तरों पर जैव विविधता संरक्षण एवं नीति निर्माण में इनकी पूर्ण सहभागिता की जरूरत को भी स्वीकार किया गया है।

धारा – 8(j) : पारम्परिक ज्ञान (स्थानिक संरक्षण)

स्वीकार करने वाला प्रत्येक पक्ष, जहाँ तक उचित एवं संभव हो :–

(j) अपने राष्ट्रीय विधान के अंतर्गत, जैव विविधता संरक्षण एवं इसके सतत् उपयोग के लिए पारम्परिक जीवन शैली के रूप में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के पारम्परिक ज्ञान, नवाचार एवं मान्यताओं का आदर, संरक्षण एवं बनाए रखने में योगदान देगा। ऐसी जानकारी रखने वालों के सहयोग से इसे और प्रसारित करेगा तथा इन सबके उपयोग से होने वाले लाभों में सबकी समान भागीदारी प्रोत्साहित करेगा।

धारा – 10 : सतत् उपयोग

स्वीकार करने वाला प्रत्येक पक्ष, जहॉ तक उचित एवं संभव हो :–

(C) संरक्षण एवं सतत् उपयोग को पूरा करने के लिए पारम्परिक सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए जैव संसाधनों के प्रयोग से जुड़ी प्रथाओं को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देगा।

धारा – 15 : आनुवांशिक संसाधनों का दोहन

प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीय सम्प्रभुता की मान्यता :

राष्ट्रीय सरकार के साथ आनुवांशिक संसाधनों के दोहन, निर्धारण को मान्यता देना और यह राष्ट्रीय विधान के अधीन है। (धारा –15(1)

प्रत्येक पक्ष पर्यावरण की पूर्ण अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए आनुवांशिक संसाधनों के दोहन की अनुमति देगा तथा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा जो सम्मेलन के उद्देश्यों के विरूद्ध हो। (धारा–15(2))

आनुवांशिक संसाधनों का दोहन द्विपक्षीय सहमति पर आधारित होना चाहिए और यह स्वीकार करने वाले पक्ष की पूर्व सूचित सहमति के अधीन होगा अन्यथा उस पक्षकार ने इसे माना ही न हो (धारा –15(4) और 15(5))

धारा – 16 दोहन करने एवं तकनीक का हस्तांतरण

बौद्धिक सम्पदा अधिकार की मान्यता के साथ जैव विविधता के सतत् उपयोग एवं संरक्षण के लिए आवश्यक तकनीक के हस्तांतरण एवं दोहन से संबंधित है।

धारा–17: सूचना का आदान प्रदान

ऐसी सूचनाओं के अंतर्गत तकनीकी, वैज्ञानिक एवं सामाजिक–आर्थिक शोधों के परिणामों, प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्यक्रमों पर आधारित जानकारियों, विशिष्ट ज्ञान, आदिवासी एवं पारम्परिक ज्ञान सहित धारा–16 के पैरा–1 में वर्णित तकनीकों से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है।

धारा – 18 तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग

स्वीकार करने वाला पक्ष जैव विविधता सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए अपने राष्ट्रीय विधानों एवं नीतियों को ध्यान में रखते हुए तकनीकों, आदिवासी एवं पारम्परिक तकनीकी सहित, के प्रयोग एवं विकास के लिए सहयोगात्मक रूख अपनाएगा और इसे प्रोत्साहित भी करेगा।

धारा – 19 : जैव तकनीक का परिचालन एवं लाभ वितरण

जैव तकनीक से जुड़े शोधों में विकासशील देशों की भागीदारी का प्रोत्साहन करता है।

विकासशील देशों को आनुवांशिक सामग्रियाँ उपलब्ध कराकर शोध से होने वाले लाभों व परिणामों की स्वीकार्यता को प्रोत्साहित करता है।

अभ्यास – 2

पाठ्य विश्लेषण (30 मिनट)

1.भाग लेने वालों को 3 समूहों में बाँटना।

2.प्रत्येक समूह जैव विविधता सम्मेलन की धारा – 8;रद्ध ए 10;बद्धए 15 और 18 पढ़ता है।

3.आदिवासी लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक समूह इनमें से प्रत्येक धाराओं की शक्ति, कमजोरी, अवसर एवं भय के बारे में मिलकर आलोचनात्मक विश्लेषण करता है।

5. जैव विविघता सम्मेलन के संदर्भ में आदिवासी लोगों का हित :

सम्मेलन से जुड़े खतरे :

जैव विविघता सम्मेलन से जुड़े खतरों, जो कि आदिवासी लोगों के हित से संबंधित हैं, के प्रति जागरूकता आवश्यक हैं।

जैव विविघता सम्मेलन – राष्ट्रों के बीच एक संधि

जैव विविघता सम्मेलन पारिस्थितिकीय, प्रजातीय एवं आनुवांशिक स्तरों पर जैव विविधता के महत्व को स्वीकार करता हैं। यह सम्मेलन देश की सरकारों के बीच एक संधि है और उत्तरी एवं दक्षिणी देशों के हित–संघर्ष को कम करने या दूर करने का प्रयास करता है। दोनों दक्षिण के भरपूर आनुवांशिक संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं। सम्मेलन के मौलिक हितग्राही के रूप में राष्ट्र दिखाई पड़ता है जो कि प्रायः जैव विविधता के नुकसान को उकसाने वाला होता है।

उत्तरी हित ज्यादा प्रभावशाली है। यदि कड़ाई से नियंत्रित नहीं किया गया तो अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार(IPR) प्रणाली–बेमानी है। दक्षिण के विकाशील देश अपने इन संसाधनों पर सम्प्रभुता चाहते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय हितों के लिए इसके मुक्त दोहन का विरोध करते है। दक्षिण के देशों को राजस्व की जरूरत हैं और उनका अपना आर्थिक फायदा हैं जिसमें आदिवासी अधिकारों को प्रायः उपेक्षित रखा जाता है।

जैव विविघता सम्मेलन उत्तरी एवं दक्षिणी देशों के हित संघर्ष को हल करने का प्रयास करता है। यह संसाधनों के संरक्षण एवं सतत् उपयोग की रूपरेखा के अन्तर्गत संसाधनों के दोहन में संसाधनों पर राष्ट्रीय सम्प्रभुता को स्वीकार करता है। मानवता के लिए आनुवांशिक संसाधन एक सामान्य सम्पदा की तरह दीर्घकालिक नहीं हैं। किन्तु यदि इससे होने वाले लाभ को राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाय तो यह बड़ा व्यवसाय का साधन हो सकता है तो क्या देश को इसे लेकर कोई अशोभनीय संधि करनी चाहिए ? इस प्रकार उत्तर हो या दक्षिण दोनों के आदिवासी लोग अपने–अपने राष्ट्रों द्वारा बहुराष्ट्रीय निगमों एवं अन्य आर्थिक लाभों के लिए इन संसाधनों के दोहन–जाल में फंसते जा रहे हैं।

प्रारूप निर्माण प्रक्रिया

पृथ्वी सम्मेलन की बैठक में जैव विविघता सम्मेलन को तेजी से तैयार किया गया। हालाँकि कुछ प्रारंभिक कमेटी की बैठकें एवं सलाह मशविरा भी किए गए लेकिन आदिवासी लोगों के लिए यह पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तीव्रता के साथ संपन्न हुई।

आदिवासी लोगों के लिए सलाहकारी प्रक्रिया का एक उचित मॉडल 13 वर्षीय प्रक्रिया रही है जिसके आधार पर आदिवासी लोगों के अधिकार का संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र विकसित हुआ जिसे 13 सितम्बर 2007 को अंगीकृत किया गया।

राष्ट्र सम्प्रभुता

आदिवासी लोग राज्य की सीमा के भीतर निवास करते रहे है और इसलिए उस परिसीमा में रहने का उनका अहस्तांतरणीय पैतृक अधिकार राज्य के निर्माण से पहले से हैं। जैव विविघता सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए अंड्रीप (UNDRIP) इस बात को सुनिश्चित करता है कि राज्य की रूपरेखा के अन्तर्गत आदिवासी अधिकारों का सम्मान किया जाय। जैव विविघता सम्मेलन इस समस्या पर तो चुप है किन्तु दुसरी ओर एक तरफा राष्ट्रीय सम्प्रभुता की पुष्टि करता है।

आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय

''आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय पारम्परिक जीवन शैली के मूर्त रूप है'' :– इस मुहावरा की स्वीकृति ने बेवजह आदिवासी अधिकारों को उलझा दिया है क्योंकि इसमें लोगों के अस्तित्व को ही नकार दिया गया है।

''पारम्परिक'' (पारम्परिक जीवन शैली का मूर्त रूप) की सोच बहुत ही उलझनपूर्ण हैं। इससे ऐसी मान्यता लगती है कि धारा 8(j) केवल उन आदिवासी लोगों पर लागू होता है जो अलग–थलग है और कभी न वर्तमान को बदलने वाले सांस्कृतिक चक्र में फंसकर जीव–अवशेष बन गए हैं।

आदिवासी लोग एवं संरक्षित क्षेत्र

आदिवासी लोगों को संरक्षित क्षेत्र के उपयोग से रोका जाता है और यह उन्हें उनकी भूमि एवं संसाधन पर उनके अधिकार से वंचित करता है।

आदिवासी लोगों का हित उस संरक्षण से है जिसका निर्धारण स्वयं सेवी संगठनों, बहुस्तरीय विकास संस्थाओं एवं सरकारों द्वारा क्षेत्र विशेष में उनके स्थायी निवास को ध्यान में रखे बगैर आरक्षित क्षेत्र का निर्धारण कर दिया जाता है जबकि सच्चाई है कि उनमें से अधिकांश आदिवासी हैं।

संसाधनों का दोहन

''उद्‌भव वाले देश में गैर स्थानिक संरक्षण'' का प्रयोग राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ''राष्ट्र हित'' में आदिवासी आनुवांशिक संसाधनों के लिए किया जा सकता है और उन्हें संकटग्रस्त मानकर विकसित भी किया जा सकता है। तब उनके लिए मुआवजा जरूरी नहीं होगा।

संसाधनों पर दक्षिणी देशों के अधिकारों की मान्यता के बदले उत्तरी देशों को संसाधन के दोहन का अधिकार वस्तुतः आदिवासी अधिकारों की उपेक्षा है।

धारा 8(j) एवं आगे चलकर सम्मेलन में वर्णित बौद्धिक सम्पदा अधिकार का संदर्भ सीमित हो जाता है जब यह राष्ट्रीय सम्प्रभुता के संदर्भ में प्रयुक्त होता है।

वित्तीय स्रोत तंत्र

वैश्विक पर्यावरण प्रसुविधा (GEF) केवल संवृद्धि लागत का वित्त उपलब्ध कराता है जिससे विकासशील देशों में परियोजना को आगे बढ़ाने की क्षमता एवं प्रेरणा स्रोत में कमी आती है। राष्ट्रीय सरकारों को आन्तरिक लागत का भुगतान करना पड़ता है। इसका मतलब यह भी हुआ कि GEF केवल आदिवासी लोगों की उन्हीं परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराएगा जिसके लिए यह कहा जाय कि उनके हित राष्ट्र हित में नहीं है। इससे हमारे देश की सरकार के साथ उनके संबंध और भी कठिन हो जायेगें।

GEF सभी समस्याओं से जूझता है – बहुस्तरीय विकास बैंको का विरोध, अद्योगामी परियोजनाओं पर सहमति, सलाह–मशविरा एवं भागीदारी में कमजोर (आदिवासी लोगों के सम्मिलित होने पर नियंत्रण एवं सहमति का उल्लेख नहीं हैं।)

सामान्य हित

यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अनुभागों खासकर मानवाधिकार परिषद (HRC) में, आदिवासी लोगों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र में, आदिवासी मुद्धो पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम (UNPFII) में। वर्णित लाभों को सम्मिलित करने में असफल रहा है।

जैव विविघता सम्मेलन भूमि एवं संसाधनों के नियंत्रण में राज्य की शक्ति को बढ़ाता है, संरक्षित क्षेत्रों के और आगे विकास में राज्यों को प्रोत्साहित करता है, आदिवासी परिसीमा में आनुवांशिक संसाधनों के दोहन में राज्य एवं जैव कारोबार से जुड़ी कम्पनियों के बीच संधि कराने व बढ़ाने में सहयोग करता हे तथा जैव विविधता के सहयोग के लिए वित्तीय तंत्र की सम्भावनाओं को खोलता है, जिससे सीमित संख्या में अद्योगामी परियोजनाएँ शुरू हो सकें।

सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष

सकारात्मक :– मई, 2008 में CoP9 की बैठक में अंड्रीप (UNDRIP) की बातों पर निर्णय के रूप में इसके लक्ष्यों के कियान्वयन एवं खास विषयों व मुद्धों Q से जुड़े कार्यक्रमों को लागू करने में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की पूर्ण व प्रभावकारी भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत पर पर बल दिया गया। आदिवासी लोग इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और अंड्रीप पर दबाव बनाएँ कि उनसे जुड़े नीति निर्माण एवं कार्यक्रम में न्यूनतम मानक व रूपरेखा को जैव विविघता सम्मेलन की बातचीत, प्रक्रिया एवं कियान्वयन में ध्यान रखा जाय।

नकरात्मक

भूमि एवं संसाधनों पर आदिवासी लोगों की सामूहिक, पैतृक, अहस्तांतरणीय एवं सम्प्रभुता के अधिकार को जैव विविघता सम्मेलन महत्व नहीं देता हैं। जैव विविघता सम्मेलन प्रक्रियाओं में आदिवासी लोगों की पूर्ण व प्रभावकारी भागीदारी नहीं होती हैं। देश की पूर्व सूचित सहमति (PIC) को जैव विविघता सम्मेलन स्वीकार नहीं करता लेकिन पारम्परिक ज्ञान के मामलों में आदिवासी लोगों की पूर्व सूचित सहमति (PIC) को स्वीकार करता है। जैव विविघता सम्मेलन आदिवासी लोगों को एक परिभाषित अधिकार युक्त व्यक्ति नहीं मानता बल्कि उन्हें सिर्फ एक स्टेक होल्डर का दर्जा देता है।

राष्ट्रीय कियान्वयन

जब देश आदिवासी लोग एवं आदिवासी लोगों के अधिकार को महत्व नहीं देता है तो इसका मतलब होता हैं कि आदिवासी लोगों से जुड़े संकटों पर आधारित जैव विविघता सम्मेलन कार्यक्रमों एवं योजनाओं को देश द्वारा लागू किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, संरक्षित क्षेत्रों, संसाधनों के दोहन एवं हित भागीदारी में आदिवासी लोगों के अधिकार का सम्मान नहीं किया जाता। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कई संघर्ष मुद्धे है, जिन्हें राष्ट्रीय समन्वय तंत्र और NBSAP कियान्वयन के अंतर्गत देखा जा सकता हैं।

6. जैव विविघता सम्मेलन में आदिवासी लोगों की प्रस्थिति को मजबूत बनाना

राष्ट्रीय सम्प्रभुता एवं संसाधनों पर नियंत्रण

''उनके अपने जैव संसाधनों पर''–लगता है यह मुहावरा देशों/राज्यों के संदर्भ में हैं। यहाँ तर्क दिया जा सकता है कि ''उनका'' अभिप्राय निश्चित रूप से राज्य भूमि से है न कि आदिवासी लोगों के स्वामित्व वाले संसाधन भूमि से। कई राज्य आदिवासी परिक्षेत्रों को ''सार्वजनिक भूमि'' के रूप में परिभाषित करते हैं। इस तरह की परिभाषा आदिवासी परिसीमा एवं संसाधनों के दोहन में नहीं दी जानी चाहिए।

वैसे सम्मेलन में राज्यों के सम्प्रभु अधिकारों को स्वीकार किया गया है, किन्तु यहाँ यह साफ करना जरूरी है कि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोई सरकार आदिवासी भूमि को हस्तांतरित करने का अधिकार रखता है या एक पक्षीय रूप से इन भूमियों के स्वामित्व कानूनों को बदल सकता हैं। जिस प्रकार राज्य सीमा के भीतर सभी लोग रहते हैं उसी प्रकार आदिवासी लोगों को भी अपने संसाधनों पर उनका अपना अधिकार होना चाहिए।

धारा – 22 में वर्णित हैं कि वर्तमान में मौजूद किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संधि के कारण यह सम्मेलन ''हस्ताक्षरित पक्ष के अधिकारों व सम्मानों को प्रभावित नहीं करेगा।'' आदिवासी लोगों के अधिकार–जैसा कि यह अंड्रीप (UNDRIP) में वर्णित है–न्यूनतम मानकों के अधिकार हैं और किसी भी हालत में इसमें कमी नहीं लायी जानी चाहिए।

पारम्परिक जीवन शैली के मूर्त रूप आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय

एक आदिवासी समुदाय एक स्थानीय समुदाय (जैसे–कृषक समुदाय) से भिन्न अस्तित्व रखता है–स्थानीय समुदाय का सीधा सम्बन्ध राज्य से है जबकि आदिवासी समुदाय पहले व निश्चित रूप से आदिवासी लोगों का एक हिस्सा/अंग है। ''समुदाय'' शब्द से ''आदिवासी लोग'' शब्द का सम्बन्ध होना चाहिए, उससे नीचे नहीं। सबसे तार्किक व उचित हल तो '' आदिवासी लोग एवं स्थानीय समुदाय'' के संदर्भ में सम्मेलन की व्याख्या के रूप में होनी चाहिए।

''पारम्परिक'' शब्द का प्रयोग'' अपरिवर्तशील लोगों'' के संदर्भ में तो नहीं ही होना चाहिए। नवाचार युक्त कियाक्लापों में आदिवासी लोगों के योगदान के महत्व से जुड़े पुख्ता दस्तावेज मौजूद हैं।

स्व आकलन का सिद्धांत – अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सम्मेलन 169 में स्वीकृत हुआ। इसके अनुसार ''पारम्परिक'' शब्द की व्याख्या–एक गतिशील मानक के रूप में की जानी चाहिए जिसमें निरन्तरता की प्रकिया को जितना वर्णित है–से कहीं ज्यादा रूप में देखा गया हो। इस संदर्भ में ''प्रथा' शब्द के द्वारा ''पारम्परिक'' शब्द को और बेहतर तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है।

संरक्षित क्षेत्र :

आदिवासी लोग यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत स्थिति में है कि किसी भी नीति या कार्यक्रम का नकारात्मक प्रभाव जैव विविधता पर नहीं पड़ा है। जब राज्यों के द्वारा जैव विविधता पर संकट की बात कही जाती है तो वे दूसरे राज्यों को भी सूचित करने का काम करते है जिससे वहाँ के लोगों को भी ऐसी सूचना मिल जाए। Cop के द्वारा प्रावधान बनाए जाने चाहिए ताकि आदिवासी लोग अपनी परिसीमा में स्थित जैव विविधता की दशा का प्रतिवेदन दे सकें।

इस बात का सुनिश्चय जरूरी है कि आदिवासी लोगों को उनकी परिसीमा के भीतर संरक्षित क्षेत्रों के मालिक या प्रबन्धक के रूप में पूरी की पूरी मान्यता मिले, आदिवासी नियंत्रण के अंतर्गत स्थानिक संरक्षण को जगह मिले जिसमें आदिवासी सहमति हो तथा आदिवासी लोगों एवं संगठनों को वैसे सभी निर्णयों में शामिल किया जाय जों उन्हें प्रभावित करते हो।

आनुवांशिक संसाधनों का दोहन

आदिवासी लोगों की अपनी परिभाषा के आधार पर संरक्षण या सतत् उपयोग की परिभाषा का निर्धारण होना ही चाहिए। बाहरी लोगों के द्वारा ''आदिवासी'' की परिभाषा उन पर थोपी नहीं जानी चाहिए। कुछ ऐसे नियम या सिद्धांत होने चाहिए जिनमें आदिवासी लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन शैली और संसाधनों के प्रति उनकी अपनी सतत उपयोगिता प्रतिबिम्बित होती हो।

सभी सम्मिलित आदिवासी लोगों के साथ सामूहिक रूप से द्वितरफा समझौता के अंतर्गत हितों का विभाजन होना चाहिए। लाभ को ऐसे प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाय जहाँ ज्ञान को एक वस्तु समझ लिया गया हो। दोहन एक अतिगंभीर मुद्धा है। बिना पूर्व अनुमति एवं सहमति के आदिवासी परिसीमा के भीतर दोहन कार्यवाही को रोकने का अधिकार तो सबसे ऊपर हैं। हाँ, जब उनका सम्मान हो तो उपयोग एवं लाभ पर बातचीत हो सकती है।

वित्तीय तंत्र

सम्मेलन के वित्तीय तंत्र द्वारा जो आदिवासी लोगों एवं हमारी परिसीमाओं को जोड़ता हैं, हममें से समस्या से सर्वाधिक पीड़ित को लक्ष्य के रूप में रखा जाना चाहिए। जैव विविधता की सुरक्षा में आदिवासी लोगों की क्षमता का वास्तविक योगदान बनाने के लिए सावधानीपूर्वक विचार एवं तैयारी की आवश्यकता है। इस पर विचार करने से पहले GEF वित्तीय स्रोत, संवृद्धि लागत को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके रहते वित्तीय तंत्र कार्य नहीं कर सकेगा।

धारा – 8(j)

इस धारा की पहली पंक्ति ''इसके राष्ट्रीय विधान के अधीन'' सीमित तथ्य प्रस्तुत करती है। ज्यादा रचनात्मक दृष्टिकोण यह कहना होगा कि राष्ट्रीय विधान निश्चित रूप से इस धारा में वर्णित प्रावधानों के स्वीकार करें।

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा का अधिकार के संदर्भ में धारा – 8(j) ''बौद्धिक'' के सीमित संकेत को एक बड़ा फलक देता हैं। आदिवासी लोगों के लिए नवाचार एवं मान्यता सिर्फ बौद्धिकता तक सीमित नहीं है बल्कि प्रस्तावना में वर्णित रूप में जैव संसाधनों पर निर्भरता से जुड़ा है। वास्तव में सम्मेलन की भाषा एक बड़ा

वैचारिक पटल संसाधनों के दोहन के लिए प्रस्तुत करता है जिसमें सांस्कृतिक, बौद्धिकता, वैज्ञानिक विचार एवं मान्यताओं को मूर्त रूप में शामिल किया गया है।

कियान्वयन तो राष्ट्रीय विधान से ही होगा। राज्यों द्वारा आदिवासी लोगों के अधिकारों का सम्मान दोनों स्तरो अन्तर्राष्ट्रीय (अंड्रीप के द्वारा) और राष्ट्रीय (विविध वैधानिक तंत्रों के द्वारा)–पर किया जाना चाहिए। वैधानिक प्रावधानों को कारगर बनाने वाला तंत्र उनके सम्मान, संरक्षण के साथ ज्ञान, नवाचार एवं मान्यताओं को बनाए रखने में साथ दें।

आदिवासी लोगों के साथ सलाह मशविरा कर सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय विधान की रूप रेखा तैयार की जा सकती है। अद्वितीय अधिकार से जुड़ा एक विचार विमर्श इस संदर्भ में उठ सकेगा। यदि आदिवासी लोग इस दृष्टिकोण का समर्थन करते है तो यह जरूरी है कि अद्वितीय विधान से आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, न कि राष्ट्रीय सरकारों को आदिवासी लोगों के संसाधनों के साथ खिलवाड़ करने का एक आसान मौका मिल जाय।

7. निष्कर्ष

जैव विविघता सम्मेलन के लिए आदिवासी लोगों की सहभागिता एक पूर्ण एवं तर्किक प्रक्रिया के अंतर्गत होनी चाहिए। आदिवासी लोग और सम्मेलन से जुड़े प्रश्नों को हल करने में पक्षकारों को हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्हें एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए जहॉ समझौता तक एक खास एवं रचनात्मक तैयारी के द्वारा पहुॅचा जा सकें। आदिवासी लोगों को सहयोग की तुरन्त जरूरत है जिससे कि वे अधिकारों, विचारों एवं जैव विविधता के लिए द्विपक्षीय सलाह मशविरा की अपनी प्रक्रिया तैयार कर सकें।

अभ्यास – 3

कार्यशाला – आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र (जैव विविघता सम्मेलन के साथ UNDRIP की तुलना) (1 घंटा)

निर्देश :–

1. सहभागियों को छोटे–छोटे समूह में विभाजित करना
2. दिए गए 30 मिनट में, प्रत्येक समूह प्रश्न का उत्तर दें :

   आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का उपयोग जैव विविघता सम्मेलन में आदिवासी लोगों के हितों की व्याख्या करने में किस प्रकार हो सकता है ?
3. उत्तर तैयार कर समूह प्रतिवेदक को सौंपे जो अनुभाग तक उत्तर प्रतिवेदित करता हैं।
4. प्रशिक्षक प्रतिवेदन संक्षेप में बताकर अध्याय समाप्त करता हैं।

मापांक 4 आदिवासी लोगों का आन्दोलन और जैव विविधता पर अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम (IIFB)

उद्धेश्य

1. जैव विविधता पर अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम (IIFB) के इतिहास की जानकारी तथा जैव विविधता सम्मेलन के कार्यो में आदिवासी लोगों की सहभागिता।
2. IIFB की जरूरत एवं भूमिका तथा यह कैसे कार्य करता है, को समझना
3. IIFB के दिशा–निर्देशों एवं भविष्य तथा आदिवासी लोग इसमें कैसे भाग ले सकते हैं। के प्रति जागरूक होना।

संसाधन

- जैव विविधता पर अर्न्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम (IIFB) – मुख्य बातें।
- www. indigenousportal.com से उपलब्ध चित्र
- IIFB के कथनों का नमूना (सेम्पल)

समय

2 घंटे

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श (1½ घंटे)

1. प्रस्तावना

जैव विविघता सम्मेलन से जुड़ी विविध प्रक्रियाओं में आदिवासी लोगों के अधिकारों की वकालत को लेकर आदिवासी लोगों के अधिकारों की वकालत को लेकर आदिवासी लोगों के संगठन एवं आन्दोलन एक लम्बे समय से सक्रिय रहे हैं। प्रारम्भिक तौर पर यह काम उन्होने IIFB के द्वारा किया है जो एक ऐसा तंत्र है कि उसके कारण आदिवासी प्रतिनिधि जैव विविघता सम्मेलन की बैठकों में भाग लेने में सफल हो सके हैं। इस अध्याय के अन्तर्गत हम देखेगें कि किस प्रकार जैव विविघता सम्मेलन में आदिवासी लोगों की भागीदारी वर्षो से होती रही है और IIFB का कार्य किस प्रकार आदिवासी लोगों के मुद्धों को जैव विविघता सम्मेलन समझौता के अंतर्गत लाने में योगदान देता रहा है।

2. IIFB का इतिहास :

नसाउ, बहमास में पक्षकारों की प्रथम जैव विविघता सम्मेलन बैठक तथा जकार्ता, इन्डोनेशिया में CoP_2 में आदिवासी लोगों की भागीदारी बहुत कम थी। आदिवासी लोगों की भागीदारी की शुरूआत पक्षकारों को इस बात पर सहमत बनाने से हुई कि सम्मेलन की बातचीत में आदिवासी लोगों को भी भाग लेने का अधिकार है। 1996 में ब्यूनस आयर्स में CoP_3 के दौरान, पारस्परिक ज्ञान पर धारा – 8(j) को जैव विविघता सम्मेलन के एजेन्डा में शामिल किया गया। इससे आदिवासी संगठनों को आपस में मजबूती से जुडकर जैव विविघता सम्मेलन प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी का मौका मिला। इस प्रकार CoP_3 के पहले ही उन्होने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी संगठनों के लिए एक शुरूआती बैठक का आयोजन किया। अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी बैठक ने ही IIFB का मंच तैयार किया।

इस प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय बैठक के आयोजनकर्ता आदिवासी संगठन ही थे (जैसे–उष्णकटिबंध वन के आदिवासी एवं आदिवासी लोगों का अन्तर्राष्ट्रीय गठबंधन) जिन्होने विभिन्न क्षेत्रों के बीच आपसी बातचीत का रास्ता तैयार किया ठीक वैसे ही जैसे अर्जेन्टीना में आदिवासी लोगों के संगठनों के बीच हुआ था। इस अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में आदिवासी भागीदारों के क्षेत्रीय सन्तुलन को ध्यान में रखा गया।

1997 में, जैव विविघता सम्मेलन ने मैंड्रीड में पारम्परिक ज्ञान पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें सम्मेलन के अन्तर्गत आदिवासी ज्ञान के तत्वों, तरीकों एवं साधनों को परिभाषित करने से जुड़े निर्णय लिए जाने थे। आदिवासी संगठनों ने IIFB में दिए गए प्रस्तावना को पुनः प्रस्तुत किया और तकनीकी टीम के रूप में अपने कार्यो को समान्वित किया। पूरे विश्व से लगभग 300 आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होने पक्षकारों के सामने अपनी एक पूर्ण संगठित स्थिति दिखाते हुए धारा – 8(j) एवं इससे जुड़े अन्य प्रावधानों के संदर्भ में एक पूर्णयुक्त कार्यशील समूह गठित करने का प्रस्ताव दिया जो विचार विमर्श में उनकी भागीदारी की गारन्टी देने वाला सर्वोत्तम तंत्र की तरह काम करें।

CoP_4 से पहले 1998 में IIFB ने इसकी प्रारम्भिक बैठक का पुनः आयोजन किया। कुछ खास ''मित्र देशों'' के सहयोग से आदिवासी संगठनों के संयुक्त प्रयास के परिणामस्वरूप तथा कुछ अन्य पक्षकारों के विरोध के बावजूद धारा 8(j) पर कार्यशील समूह का निर्माण हुआ। जैव विविघता सम्मेलन के मामलों में आदिवासी लोगों के संगठनों की यह एक बड़ी जीत थी।

तब से लेकर अब तक IIFB ने अपने सत्र से पहले Cop के कार्यशील समूह की बैठकों का आयोजन किया है। IIFB के आदिवासी प्रतिनिधियों का एक लघु समूह दोहन एवं लाभ भागीदारी के मदे को देखता हूँ तथा संरक्षण पर आदिवासी लोगों की एक कमेटी संरक्षित क्षेत्रों पर कार्यशील समूह की बैठक की निगरानी करता है।

IIFB के एक अंग के रूप में अर्न्राष्ट्रीय महिला जैव विविधता नेटवर्क भी कार्य करता है। मार्च 2000 में, सेविली में IIFB को चौथी बैठक में इसका निर्माण किया गया था। जब भी IIFB की बैठक होती है यह नेटवर्क उसमें शामिल होता है और आदिवासी महिलाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन के विभिन्न विचार–विमर्श के दौरान लिंग आधारित दृष्टिकोण को मजबूती के साथ पेश करने का प्रयास करता है। वर्तमान में इस नेटवर्क की अध्यक्षा मसाई महिला सुश्री लुसी मुलेंकी है।

Cop की पांचवी बैठक वर्ष 2000 में नैरोबी में पक्षकारों ने अधिकारिक रूप से धारा 8(j) के क्रियान्वयन में IIFB की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए स्वीकार किया। जैव विविधता सम्मेलन से जुड़े क्रियाक्लापों के संदर्भ मे आदिवासी लोगों की महती भागीदारी को बढ़ाने को लेकर यह उनकी दूसरी बड़ी जीत थी।

Cop का निर्णय V/16 बताता है :

8(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों के क्रियान्वयन के संदर्भ में पक्षकारों की बैंठक में IIFB की भूमिका को स्वीकार करता है।

पक्षकारों एवं सरकारों को IIFB एवं आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि संगठनों की भागीदारी में सहयोग करने का अहवान करता है। साथ ही धारा–8(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों के क्रियान्वयन से जुड़े पक्षकारों की बैठक में इनसे सलाह लेने की बात स्वीकार करता है।

3. जैव विविघता सम्मेलन के कार्यो में आदिवासी लोगों की भागीदारी

जैव विविघता सम्मेलन के कार्यो एवं इसी प्रकार की विविध गतिविधियों में आदिवासी लोगों की भागीदारी प्रस्तुत करने वाले चित्रों व सामग्रियों का उपयोग करें।

1994 से लेकर अब तक आदिवासी लोगों ने जैव विविघता सम्मेलन के कार्यो में सक्रिय भूमिका निभाई है। जैव विविघता सम्मेलन के कार्यो से जुड़ी बैठकों में आदिवासी प्रतिनिधियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन की कार्यवाहियों में आदिवासी मुद्धो को शामिल करने के लिए काफी कड़ा संघर्ष किया है।

इन बैठको की क्रमवार सूची निम्नलिखित है :–

वर्ष	आदिवासी लोगों की भागीदारी की घटना
1994–1995	प्रथम दो CoP में आदिवासी भागीदारी सीमित
1996	ब्यूनस आयर्स में CoP_3 से पहले प्रथम IIFB
1997	IIFB की बैठक के पूर्व पारम्परिक ज्ञान एवं जैव विविधता पर कार्यशाला
1998	IIFB की बैठक के पूर्व पक्षकारों का चौथा कान्फ्रेंस
2000	IIFB की बैठक के पूर्व धारा 8(j) पर कार्यशील समूह को प्रथम बैठक
2000	IIFB की बैठक के पूर्व पक्षकारों का पांचवा कान्फ्रेंस
2001	IIFB की बैठक के पूर्व ABS पर कार्यशील समूह की प्रथम बैठक
2002	IIFB की बैठक के पूर्व धारा 8(j) पर कार्यशील समूह की दूसरी बैठक
2002	IIFB की बैठक के पूर्व पक्षकारों का छठा कान्फ्रेंस
2003	IIFB की बैठक के पूर्व दोहन एवं लाभ भागीदारी (ABS) पर कार्यशील समूह की दूसरी बैठक तथा धारा 8(j) पर कार्यशील समूह की तीसरी बैठक
2004	IIFB की बैठक के पूर्व पक्षकारों का सातवाँ कान्फ्रेंस
2005	IIFB की बैठक के पूर्व ABS पर कार्यशील समूह की तीसरी बैठक
2005	IIFB की बैठक के पूर्व संरक्षित क्षेत्रों पर कार्यशील समूह की प्रथम बैठक
2006	IIFB की बैठक के पूर्व धारा 8(j) पर कार्यशील समूह एवं ABS पर कार्यशील समूह की चौथी बैठक और CoP_8
2007	IIFB की बैठक के पूर्व 8(j) पर कार्यशील समूह ABS पर का0सं0 की पांचवी बैठक
2008	IIFB की बैठक के पूर्व ABS पर कार्यशील समूह की छठी बैठक, सं0 क्षेत्र पर कार्यशील समूह की दूसरी बैठक तथा Cop_9
2009	IIFB की बैठक के पूर्व ABS पर कार्यशील समूह की सातवीं बैठक

4. IIFB के प्रकार्य (भूमिका) एवं अनिवार्यता

जैव विविघता सम्मेलन कार्यवाही में, आदिवासी अधिकारों को वकालत के लिए, आदिवासी लोगों की पूर्ण एवं प्रभावकारी भागीदारी को अनिवार्यता सुनिश्चित कराने वाला एक खुला मंच IIFB हैं। कोई भी आदिवासी संगठन या उसका प्रतिनिधि जैव विविघता सम्मेलन की अधिकारिक बैठक में भाग लेने से पहले IIFB की बैठक में भाग ले सकता है।

जैव विविघता सम्मेलन की बैठको तथा अपने आन्तरिक एवं अन्तःसत्रीय संगठनों में भागीदारी बढ़ाने के लिए IIFB वर्षो से कई तरह से प्रयास करता रहा हैं।

निम्नलिखित तरीकों से IIFB कार्य करता है और जैव विविघता सम्मेलन में भाग लेता है :–

- आदिवासी लोगों से जुड़े घटना अध्ययनों पर शोध एवं प्रस्तुतिकरण
- संपर्क समूह, सम्पर्क सम्बन्ध समूह, अंशकालिक तकनीकी विशेषज्ञ समूह आदि की बैठकों में सह–अध्यक्ष के रूप में भागीदारी
- जैव विविघता सम्मेलन कार्यवाहियों में आदिवासी लोगों के हित एवं विकास से जुड़े बुलेटिन जारी करना
- विषयवार टीम एवं कार्यशील समूह–मसलन सूचको पर आधारित कार्यशील समूह, संचार शिक्षा एवं जनचेतना (CEPA) पर समूह तथा संरक्षण पर आधारित आदिवासी लोग समन्वय कमिटि (IPCCC) का गठन
- प्रेस कार्य
- समझौता/बातचीत के समय गुट घेराबंदी नीति
- जैव विविघता सम्मेलन बैठको के समानान्तर घटनाएँ

अपने आन्तरिक एवं अन्तःसत्रीय संगठनों को मजबूत बनाने के लिए IIFB ने संचार एवं समन्वय कमिटि पर आधारित एक क्षेत्रीय संरचना बनाने का प्रयास बिना पूर्ण सफलता के किया हैं। इसने विविध कार्यशील समूह–सूचक, CEPA, IPCCC आदि का गठन अधिक सफलतापूर्वक किया है। अंशकालिक कमिटियों के माध्यम से IIFB अपना कार्य करता है और ये IIFB की बैठकों के दौरान और बाद में भी उसके विभिन्न कार्यो के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद देते है। IIFB के लिए एक सुझाव यह भी है कि वह अपने नेतृत्व में चक्रीय परिवर्तन के लिए एक तंत्र विकसित करें।

5. IIFB से जुड़ी व्यावहारिक जानकारियाँ

जैव विविघता सम्मेलन की बैठकों में आदिवासी भागीदारों की ओर से एक मजबूत गुट के रूप में भाग लेकर IIFB ने आदिवासी कार्यनीति एवं समन्वयक को सहयोग देने में अतिसराहनीय भूमिका निभाया है। इन सभी

बैठकों में IIFB एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य कर आदिवासी लोगों के लिए एक संगठित आवाज बनकर उभरा है। जैव विविघता सम्मेलन बैठकों में भाग लेने वाले सभी आदिवासी भागीदारों के लिए यह खुला मंच तो है पर इसकी अपनी कोई औपचारिक संरचना नहीं है। फोरम की बैठक और विचार विमर्श में हिस्सा लेने के उदेश्य से सह अध्यक्ष बनाया गया है। क्षेत्रीय केन्द्र बिन्दुओं को मिलाकर एक अंशकालिक समन्वय कमिटि का गठन खासकर Cop बैठकों में आदिवासी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

आदिवासी मुददो पर संयुक्त राष्ट्र की स्थायी फोरम द्वारा 7 वैश्विक क्षेत्रों की पहचान की गई है – लैटिन अमेरिकी एवं कैरे बियाई, अफ्रीकी, एशियाई, प्रशांतीय, उत्तरी अमेरिकी, आर्कटिक क्षेत्र एवं रूसी – ये क्षेत्रीय गुट IIFB के अन्तर्गत आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान एवं समन्वय के लिए मिलते रहते है।

हाल के वर्षो में इच्छुक आदिवासी संगठनों के द्वारा खास जैव विविघता सम्मेलन मुद्धों पर नेटवर्किंग और सहयोग को मजबूत करने के ढेर सारे प्रयास किए गए हैं। इसी के परिणामस्वरूप संरक्षण पर आधारित आदिवासी लोगों की कमिटि (IPCC) सूचकों पर आधारित IIFB कार्यशील समूह तथा संचार, शिक्षा व जनचेतना पर आधारित कार्यशील समूह (CEPA) का गठन हुआ है।

जनवरी 2006 में सूचकों पर आधारित IIFB कार्यशील समूह जैव विविघता सम्मेलन कार्ययोजना–जैव विविधता लक्ष्य 2010 तथा स्वर्णिम विकास लक्ष्य के अंतर्गत आदिवासी लोगों के लिए सूचको का विकास करने हेतु स्थापित किया गया। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी संगठनों को मिलाकर बने इस समूह की समन्वय समिति इसकी गतिविधियों की निगरानी करती है। तेबतेबा के द्वारा कार्यशील समूह के लिए सचिवालय सेवा उपलब्ध करायी जाती है। सूचकों पर आधारित IIFB कार्यशील समूह ने क्षेत्रीय एवं विषयवार कार्यशाला को समन्वित किया जिसके फलस्वरूप मार्च 2007 में बनोई, फीलीपीन्स में सूचकों पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सेमिनार का आयोजन हुआ।

अक्टूबर 2007 में इस सेमिनार का प्रतिवेदन का0स0 8j5 को सौंपा गया जिसमें प्रस्तावित सूचको के राष्ट्रीय परीक्षण एवं CoP_{10} तक वैश्विक सूचकों को स्वीकार करने की सिफारिश की गई।

मार्च 2006 में Cop_8 के दौरान CEPA पर आधारित IIFB कार्यशील समूह की स्थापना आदिवासी सूचक कार्यशाला के पश्चात किया गया। इस कार्यशाला में आदिवासी लोगों के लिए प्रारम्भिक मापांक (माडयूल) एवं कार्यवाई के लिए CEPA योजना तैयार की गई। इसके सभी सदस्य अक्टूबर 2007 और जनवरी 2008 में मिले और बॉन जर्मनी मे प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई जो कि Cop_9 के बाद होनी थी और जिसमें नेटवर्क गतिविधियों पर भी विचार विमर्श किया जाना था।

जैव विविघता सम्मेलन में आदिवासी लोगों की भागीदारों के लिए धन मुहैया कराने का काम जैव विविघता सम्मेलन स्वैच्छिक फंड करता है। अंशकालिक समन्वय कमिटि द्वारा भी दूसरे स्रोतो से वित्त उपलब्ध कराया जाता है।

6. IIFB के दिशा–निर्देश एवं भविष्य

इसके अन्तर्गत यह आवश्यक है कि IIFB के भविष्य से जुड़े इन खास जरूरतों को समझा जाय :–

- जैव विविघता सम्मेलन को राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर तक नीचे लाना जिससे ज्यादा से ज्यादा आदिवासी लोग इससे जुड़ सकें। अगले 10 वर्षो के लिए जैव विविघता सम्मेलन की प्राथमिक जरूरत राष्ट्रीय कियान्वयन के रूप में सर्वाधिक प्रासंगिक मानी जा सकती है।
- आदिवासी लोगों के संगठनों द्वारा राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन आवश्यक है। साथ ही शिक्षा एवं जनचेतना गतिविधियाँ को और कारगर संचालन से अधिकाधिक स्थानीय संगठन जैव विविघता सम्मेलन में भागीदारी हेतु सक्षम हो सकते है।
- यह भी आवश्यक है कि सही अनुपात में तकनीशियनों, स्थानीय प्राधिकरणों एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों का एक क्षेत्रीय कार्य टीम बनाया जाय जो IIFB के साथ विभिन्न प्रकार्यो के बीच समन्वय बनाने के लिए उत्तरदायी हो।
- जैव विविघता सम्मेलन से जुड़ी सभी गतिविधियों में मान्यता देकर IIFB की भागीदारी को और बड़ा किया जाय।

अभ्यास – 1

खुला मंच – आदिवासी समुदाय IIFB में किस प्रकार भाग लेते है – (30 मिनट)

आदिवासी समुदाय IIFB में किस प्रकार भाग ले सकते है – इसकी व्याख्या और आपसी समझ :

1.अब तक हम लोगों ने जाना – IIFB क्या है, कैसे यह काम करता है। जिनके पास IIFB में भाग लेने का कोई अनुभव है, हमारे साथ उसे बाँटे।

2.दूसरे लोग उनसे (स्रोत व्यक्ति) प्रश्न पूछ सकते हैं।

3.दूसरे भागीदार इस पर सलाह दे सकते है कि वे अपने आपको इस संदर्भ में किस रूप में देखते है या भविष्य में उनका समुदाय किस प्रकार IIFB के कार्यो में भाग ले सकता है।

4.सामने आए सभी विचारों को प्रशिक्षक संक्षिप्त कर पिछले व्याख्यान से उनके संबंध बताकर विचार–विमर्श का समापन करता हैं।

मापांक 5 जैव विविधता सम्मेलन एवं पारम्परिक ज्ञान

उददेश्य

1. पारम्परिक ज्ञान व्यवस्था एवं मान्यताओं को कार्यशाला का हिस्सा मानते हुए आपसी विचार विमर्श द्वारा प्रोत्साहित करना।
2. पारम्परिक ज्ञान से जुड़े जैव विविधता सम्मेलन प्रावधानों को जानना व समझना।
3. धारा 8(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों पर जैव विविधता सम्मेलन कार्य प्रणाली के प्रमुख तत्वों तथा पारम्परिक ज्ञान से जुड़े जैव विविधता सम्मेलन वचनों के कियान्वयन के लिए क्या किए गए के बारे में जानना।
4. जैव विविधता सम्मेलन में आदिवासी लोगों का प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी से किस प्रकार पारम्परिक ज्ञान पर किए जा रहे कार्यो में योगदान दे सकती है –इसकी व्याख्या करना।

संसाधन

- जैव विविधता सम्मेलन एवं पारम्परिक ज्ञान – मुख्य बातें
- पारम्परिक ज्ञान मूल्य
- पंचमामा समाचार पत्र

समय

3½ घंटे

किया कलाप :

सत्र शुरू होने से पहले की प्रारम्भिक किया कलाप :–

आदिवासी लोगो के पारम्परिक ज्ञान एवं मान्यताओं की प्रशंसा करना :

1.सत्र शुरू होने के पूर्व किसी एक सहभागी द्वारा आदिवासी प्रार्थना प्रस्तुत कर सत्र शुरू किया जाएगा और जिसका अनुवाद व व्याख्या भी प्रस्तुत किया जायेगा।

2.कार्यशाला के दौरान विभिन्न सहभागी अपनी–अपनी संस्कृति से जुड़े भोजन प्रस्तुत करेगा। साथ ही पकाने के तरीका भी बताएगा।

3.सहभागी अपने आदिवासी पोशाक में आकर रात्रि में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगें।

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श (1½ घंटे)

1. पारम्परिक ज्ञान क्या है ?

पारम्परिक ज्ञान का मतलब पूरे विश्व के आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों से जुड़े हुए ज्ञान, नवाचार एवं मान्यताओं से है। सदियों से अर्जित व अनुभवों से विकसित तथा स्थानीय संस्कृति एवं पर्यावरण द्वारा स्वीकृत यह पारम्परिक ज्ञान मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। इसकी प्रकृति सामूहिक होती है और यह कहानियों, गीतों, लोक कथाओं, सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासो, परम्पराओं, प्रथाओं, स्थानीय भाषा एवं कृषिगत मान्यताओं के साथ पादप प्रजाति एवं जन्तुओं के संकर गुणों से जुड़ी जानकारियों के रूप में देखा जा सकता है। पारम्परिक ज्ञान मूलतः एक व्यावहारिक तरीका हैं जो खासकर कृषि, मत्स्य, स्वास्थ्य, बागबानी एवं वन्य क्षेत्रों से जुड़ा है।

2. इसकी भूमिका एवं महत्व :

आज पारम्परिक ज्ञान/जानकरियों का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। इसका महत्व केवल इस पर निर्भर लोगों तक सीमित नहीं है बल्कि आधुनिक उद्योग एवं कृषि के लिए भी है। व्यापक स्तर पर प्रयुक्त कई उत्पादों जैसे–हर्बल दवाईयां एवं श्रृंगार प्रसाधन इसी पारम्परिक ज्ञान की उपज हैं। इसी प्रकार कई दूसरे महत्वपूर्ण उत्पाद भी पारम्परिक ज्ञान पर ही आधारित हैं मसलन कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प सहित कई गैर काष्ठ वन्य उत्पाद।

सतत् विकास के क्षेत्र में पारम्परिक ज्ञान एक खास भूमिका निभा सकता है। अधिकांश आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय उन्हीं क्षेत्रों में स्थित है जहाँ भारी मात्रा में विश्व स्तर पर पौधों के अनावांशिक संसाधन पाए जाते है। उनमें से कईयों ने हजारों साल से सतत उपयोग के द्वारा इस जैव विविधता को सिंचित किया है और उपयोग किया है। जैव विविधता के सतत् उपयोग एवं संरक्षण में आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों की भूमिका प्राकृतिक संसाधन प्रबंधक के रूप से कहीं आगे निकल गया है। उनके हुनर एवं तकनीक से कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पूरे विश्व समुदाय को मिली है जो जैव विविधता से जुड़ी नीतियों के लिए एक उपयोगी मॉडल का काम कर रही है। अपने स्थानिक पर्यावरण के बारे में गहन जानकारियों के साथ आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय सतत उपयोग एवं संरक्षण के कार्यो में सीधे–सीधे जुड़े है।

स्थानीय एवं आदिवासी ज्ञान का अभिप्राय ज्ञान की संचित एवं जटिल इकाई से है जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्तः क्रियाओं के एक लम्बे इतिहास के आधार पर विकसित एवं चली आ रही मान्यताओं तरीको एवं प्रस्तुतीकरण के रूप में लोगों के द्वारा व्यवहृत होती रही है। ये सभी ज्ञानात्मक इकाइयाँ उस समग्र का एक अंग है जिसमें भाषा, स्थान से लगाव, अध्यात्मिकता एवं विश्व दर्शन शामिल है। इस ज्ञान/जानकारी के संदर्भ में भिन्न–भिन्न शब्दावालियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें प्रमुख है :–

- पारम्परिक पारिस्थितिकीय ज्ञान
- आदिवासी ज्ञान
- स्थानीय जानकारी
- ग्रामीण लोग/कृषक की जानकारी
- जैव जाति विज्ञान/पादप जाति विज्ञान/प्राणी जाति विज्ञान
- जाति विज्ञान

- लोक विज्ञान
- आदिवासी विज्ञान

अभ्यास – 1

पारम्परिक ज्ञान एवं मस्तिष्क चित्रण

मूल भावार्थ	एक समूह के रूप में पारम्परिक ज्ञान के भावार्थो की व्याख्या करने का एक महत्वपूर्ण तरीका मस्तिष्क चित्रण है।
उददेश्य	पारम्परिक ज्ञान से जुड़ी सूचनाओं की दृश्यात्मक समझ, विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण के लिए सहभागी दिमागी चित्रों का उपयोग करेंगें। इससे सहभागी पारम्परिक ज्ञान के साथ जुड़ाव महसूस कर यह समझ पाएँगे कि दूसरे समुदायों देशों में इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है और इसके खास तथ्य क्या–क्या हैं।
पूर्व नियोजन	प्रशिक्षकों को मस्तिष्क चित्रण के परिचय एवं प्रदर्शन के प्रति सक्षम होना चाहिए। सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं–भाषागत समस्या या समूह में प्रभावकारी ढंग से कार्य करने की क्षमता के प्रति भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए। जो सहभागियों के योगदान को निषेध कर सकता है। यदि संभव हो तो उन्हें शुरूआत में ही पूरी जानकारी दे देनी चाहिए।
तरीका	सभी सहभागियों का देश या समुदाय या फिर जैसा उचित हो के आधार पर समूहों में बाँट दिया जाय। सभी सहभागी कागज के एक बड़े टुकड़े के बीच में पारम्परिक ज्ञान के भावार्थ की शुरूआत करेंगे। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना या विचार उभरता है, सहभागी केन्द्र से एक पंक्ति खींचकर उस पर विचार या सूचना का अंकन करेगें। जब सभी विचार आ जाएँ तो तुरन्त इसकी जांच हो कि पहले से लिखे गए विचार से ही मिलते जुलते सभी विचार है। यदि हाँ तो उसी पंक्ति को जारी रखा जाये। लेकिन यदि विचार पूर्व के विचार से भिन्न है तो केन्द्रीय पंक्ति की एक शाखा पंक्ति खींचकर उसके बराबर किया जाय। यदि विचार पूरी तरह नया या पूर्णतः भिन्न है तो पृष्ठ में एक नई पंक्ति खींची जाय। इन विचारों के बीच के सम्बन्धों की पड़ताल की जाय। इस पड़ताल सम्बन्ध को अक्षरो/चित्रों के आधार पर या वक्र रेखा के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। यदि इस दिमागी चित्रण का उपयोग बातचीत में या नियोजन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है तो केन्द्र से खींची गई प्रत्येक पंक्ति को संख्यात्मक मान देकर इसके क्रम को स्पष्ट किया जा सकता है।
समापन	प्रत्येक सहभागी समूह पारस्परिक ज्ञान को परिभाषित करने की प्रकिया, तथा अपने दिमागी चित्रण में प्रदर्शित खास क्षेत्रों का विवरण देते हुए अपना कार्य बड़े समूह को सौंपता है। सहभागियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श के लिए थोड़ा समय दिया जा सकता है। अपने इस विश्लेषण–दिमागी चित्रण या पारम्परिक रेखीय प्रदर्शन–के द्वारा अपने पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा से जुड़े सुझाव तथा संबंधित खतरों का परीक्षण करने में समर्थ हो सकेंगें।
संसाधन	आवश्यक सामग्रीः– रंगीन कलम, सादा न सफेद बड़ा कागज अन्य अतिरिक्त पूरक सामाग्रियों हेतु अनुपूरक संसाधन देखें।

3. जैव विविघता सम्मेलन एवं पारम्परिक ज्ञान

आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के पारम्परिक ज्ञान के संदर्भ में जैव विविघता सम्मेलन में कुछ प्रावधान हैं। जिनमें महत्वपूर्ण धाराएँ निम्नलिखित है :–

प्रस्तावना

जैव संसाधनों पर कई आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की गहरी निर्भरता तथा जैव विविधता के संरक्षण एवं इसके तत्वों के सतत उपयोग से संबंधित पारम्परिक ज्ञान, नवाचार एवं मान्यताओं से होने वालों लाभ में समान भागीदारी की आवश्यकता।

धारा – 8, पैरा – (j)

पक्षकार वचनबद्ध है :

- जैव विविधता के सतत उपयोग एवं संरक्षण से जुड़ी पारम्परिक जानकारियों के सम्मान, सुरक्षा एवं बनाए रखने के लिए।
- ऐसे ज्ञान को धारण करने वालों की सहमति एवं सहभागिता के साथ इसके व्यापक प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए/और
- लाभ में समान भागीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए।

धारा – 10 (C)

पारम्परिक सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप जैव संसाधनों के प्रथागत उपयोग की रक्षा एवं प्रोत्साहित करना।

धारा – 18 (4)

तकनीकी के विकास एवं प्रयोग में आदिवासी एवं पारम्परिक ज्ञान के साथ सहयोगात्मक पद्धतियों का विकास

4. पारम्परिक ज्ञान से संबंधित वचनों के अनुपालन के लिए की गई कार्यवाही :–

सम्मेलन द्वारा पारम्परिक ज्ञान से जुड़ी धाराओं और कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए उचित कदम उठाया गया है। 1998 में CoP_4 के अन्तर्गत धारा–8(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों पर एक अंशकलिक कार्यशील समूह की स्थापना की गई जिसे पारम्परिक ज्ञान से जुड़े जैव विविघता सम्मेलन कार्य योजना को व्याख्यायित करने का दायित्व सौंपा गया।

कार्य प्रक्रिया :

- CoP_4 द्वारा 1998 में धारा – 8(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों पर अंशकालिक कार्यशील समूह की स्थापना।
- कार्यशील समूह आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ पूर्णतः खुला द्वार है।
- कार्यशील समूह ने धारा–8(j) से जुड़ी कार्य योजना का विस्तार किया जिसे Cop_5 द्वारा वर्ष 2000 में स्वीकार किया गया।

धारा – 8(j) पर कार्यशील समूह ने छः बैठकें की है :

- पहली बैठक – सेविली स्पेन – 27–31 मार्च 2000
- दूसरी बैठक – मॉंट्रियल, कनाडा – 4–8 फरवरी 2002
- तीसरी बैठक – मॉंट्रियल, कनाडा – 8–12 दिसम्बर 2003
- चौथी बैठक – ग्रेनाडा, स्पेन – 23–27 जनवरी 2006
- पांचवी बैठक – मॉंट्रियल, कनाडा – 15–19 अक्टू. 2007
- छठी बैठक – मॉंट्रियल, कनाडा – 2–6 नवम्बर 2009
- कार्यशील समूह ने पारम्परिक ज्ञान की दशा एवं दिशा पर आधारित एक समग्र प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है।

5. IIFB भागीदारी :

IIFB ने धारा – 8(j) पर गठित कार्यशील समूह के विविध कार्यो एवं गतिविधियों में सकिय रूप से भाग लिया है और इस कार्यशील समूह के संदर्भ में आदिवासी लोगों की प्रभावकारी सहभागिता के लिए कई तरह के तंत्रों को भी विकसित किया है। कार्यशील समूह के सह अध्यक्ष, ब्यूरो मुद्धो के लिए मित्रों का गठन, विवरण प्रस्तुतिकरण, बैठक शुरू होने के समय प्रार्थना तथा जैव विविघता सम्मेलन के विभिन्न सत्रों के दौरान आदिवासी स्वागत की तैयारी एवं आयोजक के रूप में कार्य सेवा करता है।

6. धारा–8(j) की कार्य योजना के प्रमुख तत्व क्या है ?

1. पारम्परिक ज्ञान की दशा एवं दिशा

- जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग से जुड़ी जानकारियों नवाचारों एवं मान्यताओं की दशा एवं दिशा पर आधारित एक समग्र प्रतिवेदन की तैयारी :
- प्रथम फेज : पारम्परिक जैव विविधता से जुड़ी जानकारी के अवधारण की स्थिति
- द्वितीय फेज : पारम्परिक ज्ञान के उपयोग की सुविधा, प्रोत्साहन एवं रक्षा के लिए किए गए प्रयास एवं उपायों की पहचान एवं परीक्षण

- पारम्परिक ज्ञान के अवधारणा के लिए एक कार्य योजना का विकास
- कार्य की स्थिति

प्रथम फेज का आरम्भिक प्रारूप, क्षेत्रीय एवं समग्र प्रतिवेदन CoP_7 को प्रस्तुत किए गए। CoP_7 द्वारा निवेदित किया गया :

- कि प्रथम फेज पर कार्य जारी रखा जाय और संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया जाय।
- द्वितीय फेज के लिए कार्य प्रारम्भ किया जाय :
- प्रतिवेदन को पूरा करने में सहायता के लिए आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक सलाहकारी समूह/संचालन कमिटि का गठन किया जाय।

ये सभी कार्य–भार पूरे कर लिए गए है।

CoP_8 के पश्चात CoP ने :

- आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों से पूर्व सूचित सहमति लेकर ही रजिस्टर बनाने की सिफारिश की।
- पारम्परिक ज्ञान, नवाचार एवं मान्यताओं के एकत्रीकरण एवं लेखीकरण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन के विकास की सम्भावनाओं को तलाशने तथा आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी के साथ पारम्परिक ज्ञान, नवाचार एवं मान्यताओं को धारण करने वालों के अधिकारों से जुड़े बड़े खतरों को विश्लेषित करने का निवेदन किया।
- अति महत्वपूर्ण/मूल्यवान आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के संदर्भ में आगे भी शोध करने और उनसे जुड़े कारणों एवं उपायों पर ध्यान देने का निवेदन किया।
- असुरक्षित एवं स्वैच्छिक रूप से अलग–थलग पड़े समुदायों के अधिकारों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने के लिए उनके पारम्परिक ज्ञान, दोहन एवं लाभ में भागीदारी के विकास को ध्यान में रखते हुए संभव उपायो पर एक प्रतिवेदन बनाने एवं शोध करने का निवेदन किया।
- सलाहकारी समूह की अनिवार्यताः को पुनः स्वीकार करते हुए फेज– II के समग्र प्रतिवेदन को विकसित करने के लिए सलाह उपलब्ध कराने की बात कही।

2. पवित्र स्थलों पर हो रहे विकासात्मक कार्यो के प्रभाव आकलन पर निगरानी मार्गदर्शन

- भूमि एवं जल पर स्थित पवित्र स्थल जो पारम्परिक रूप से आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के द्वारा व्यवहृत एवं अधीन हैं पर विकासात्मक कार्यो या प्रस्तावित विकासात्मक कार्यो से जुड़े सांस्कृतिक पर्यावरणात्मक एवं सामाजिक प्रभावों के आकलन हेतु AKWE-KON स्वैच्छिक मार्गदर्शन।
- CoP_7 द्वारा प्रभाव आकलन व्यवस्था के विकास एवं क्रियान्वयन के संदर्भ में पक्षकारों को निर्देश दिया गया।
- उद्धेश्य : प्रभाव आकलन प्रक्रिया में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की सामाजिक तथा जैव विविधता से जुड़े सांस्कृतिक एवं पर्यावरणात्मक मान्यताओं को लागू करने के संदर्भ में सुझाव उपलब्ध कराना

- नीतिगत पर्यावरणात्मक आकलन से संबंधित नीतियों में मार्गदर्शन का उपयोग एवं लागू करने के लिए सरकारों व संगठनों को आमंत्रित किया गया।

3. पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा तथा लाभ में समान भागीदारी के लिए अभूतपूर्व व्यवस्था।

CoP_7 ने धारा–8(j) पर गठित अंशकालिक कार्यशील समूह से निवेदन किया कि :

- गैर बौद्धिक सम्पदा पर आधारित सुरक्षा के अद्वितीय उपाय को स्वीकार करें।
- प्राथमिकता देते हुए आगे की सुरक्षा के अद्वितीय उपायों को विकसित करें।
- बॉन–मार्गदर्शन की उपयोगिता एवं जरूरत का आकलन करें।
- दोहन एवं लाभ भागीदारी के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में अनुशंसा करें।
- पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा में डाटाबेस एवं रजिस्टरों की भूमिका का परीक्षण करें।
- बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा के नए एवं पुराने स्वरूपों को प्रसारित करें।

4. नीतिगत आचार संहिता

आदिवासी मुददों पर संयुक्त राष्ट्र के स्थायी फोरम द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में CoP_7 ने निवेदन किया कि :

- पर्यावरण एवं सांस्कृतिक विविधता के बीच के सम्बन्धों को और मजबूत बनाने एवं इस दिशा में समंजस्य बढ़ाने के उद्देश्य से AKWE-KON मार्गदर्शन पर आधारित सांस्कृतिक, पर्यावरणात्मक एवं सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाय।
- धारा – 8(j) पर कार्यशील समूह आदिवासी एवं स्थानीय समूह के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विरासत के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक नीतिगत आचार संहिता विकसित करें।
- धारा 8(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों पर गठित कार्यशील समूह ने अपनी छठी बैठक में नीतिगत आचार संहिता की अनुशंसाओं को पूरा किया जिसे CoP_{10} द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

5. सहभागी तंत्र

सम्मेलन के कार्यो में भागीदारी :

- CoP_7 ने भागीदारी सुविधा के लिए वित्तीय स्रोत तंत्र स्थापित किया।
- वितरण गृह तंत्र (CHM) के माध्यम से कार्यपालक सचिव संचार के नेटवर्क एवं साधनों का और विकास करें।

राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी :

- सम्मेलन के अन्तर्गत बैठक की तैयारी के लिए क्षेत्रीय बैठकों के संदर्भ में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों (ILC) को सहायता देने में पक्षकार प्रोत्साहन दें।
- ILC सलाहकारी कमिटि सहित ILC की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना हो।
- ILC से जुड़े हितो/मुददो को ध्यान में रखने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि की जाय।
- ILCs को सूचनाये उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु (NFP) हो।
- विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थाओं के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने के लिए ILCs की क्षमताओं का विस्तार किया जाय।

6. धारा 10 (C) का क्रियान्वयन :

धारा 8(j) एवं जुड़े प्रावधानों पर गठित कार्यशील समूह की छठी बैठक में अनुशंसा की गई कि CoP_{10} में पारम्परिक ज्ञान से सम्बन्धित सम्मेलन के भविष्य कार्य के मुख्य तत्व के रूप में धारा 10(C) के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने का निर्णय पक्षकार लें।

अभ्यास – 2

खुला मंच–जैव विविधता सम्मेलन द्वारा पारम्परिक ज्ञान सम्बन्धी चलाए जा रहे गतिविधियों में आदिवासी लोग एवं स्थानीय समुदाय किस प्रकार योगदान दे सकते है या उसमें शामिल हो सकते हैं ? (1 घंटा)

पारम्परिक ज्ञान संबंधी जैव विविधता सम्मेलन के कार्यो में आदिवासी लोग किस प्रकार भाग ले सकते है और स्थानीय स्तर पर पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा में जैव विविधता सम्मेलन का उपयोग किस प्रकार हो सकता है – पर विचार प्रस्तुतीकरण

1. जिन सहभागियों के पास कुछ अनुभव हो वे बताएँ कि पारम्परिक ज्ञान से जुड़े जैव विविधता सम्मेलन कार्यो में उन्होने किस प्रकार भाग लिया जैसे :– बैठक में शामिल होकर, घटना अध्ययन प्रस्तुत कर आदि।
2. दूसरे इस बात पर चर्चा करें कि जैव विविधता सम्मेलन या इसके कुछ खास प्रावधानों का प्रयोग उनके क्षेत्रों के पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा में किस प्रकार किया गया–जैसे–शोध–मापन/चित्रण, घटना अध्ययन, गुटबाजी आदि।
3. अन्य सहभागी इस बात पर सुझाव दें कि पारम्परिक ज्ञान संबंधी कार्यो में वे अपने आप को या अपने समुदाय को किस रूप में देखते है या भविष्य में पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा में जैव विविधता सम्मेलन का उपयोग किस प्रकार हो सकता है।
4. बीच में, प्रशिक्षक भाग लेने के संभावित तरीकों की सूची बनाएगा। विचार विमर्श के बाद प्रशिक्षक सभी विचारों का संक्षेपण कर जैव विविधता सम्मेलन उदेश्यों और पूर्व के व्याख्यान से इसके संबंध को स्पष्ट कर विचार विमर्श का समापन करेगा।

मापांक 6

आनुवांशिक संसाधनों का दोहन एवं लाभ भागीदारी तथा जुड़े हुए पारम्परिक ज्ञान

उददेश्य

1. आनुवांशिक संसाधनों के दोहन एवं लाभ भागीदारी की अवधारणा को समझना
2. अनुवांशिक संसाधनों एवं इससे जुड़े पारम्परिक ज्ञान पर आधारित जैव विविधता सम्मेलन प्रावधानों तथा इसमें कार्यरत जैव विविधता सम्मेलन प्रकिया एवं तंत्र के बारे में जानना।
3. आनुवांशिक संसाधनों एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के दोहन एवं लाभ भागीदारी में आदिवासी लोगो से जुड़े मुद्धो को समझना।
4. आनुवांशिक संसाधनों एवं लाभ भागीदारी में आदिवासी लोगों को मार्गदर्शन देने वाले मूलभूत सिद्धांतो पर सहमत होना।

संसाधन / पाठय सामग्री

- आनुवांशिक संसाधनों के दोहन और इसके उपयोग से होने वाले लाभों में स्वच्छ एवं समान भागीदारी–मुख्य बातें
- जैवविविधता सम्मेलन (परिशिष्टों के साथ)
- आनुवांशिक संसाधनों के दोहन एवं इसके उपयोग से होने वाले लाभों में स्वच्छ एवं समान भागीदारी पर बॉन दिशा–निर्देश
- ABS निर्णय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए जैव विविधता सम्मेलन को निर्देश सम्बन्धी CoP निर्णय 926 (VII/19D)
- दोहन एवं लाभ भागीदारी पर गठित अंशकालिक पूर्णमुक्त कार्यशील समूह की सातवीं बैठक का प्रतिवेदन
- दोहन एवं लाभ भागीदारी पर गठित अंशकालिक पूर्णयुक्त कार्यशील समूह को आठवीं बैठक का प्रतिवेदन
- अवधारणा, शब्दावली, कार्य परिभाषा एवं सेक्टरीय दृष्टिकोण पर गठित वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ समूह का प्रतिवेदन
- दोहन एवं लाभ भागीदारों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के एकीकरण के संदर्भ में वैधानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ समूह की बैठक का प्रतिवेदन
- आनुवांशिक संसाधनों से जुड़े पारम्परिक ज्ञान पर गठित तकनीकी एवं वैधानिक समूह की बैठक का प्रतिवेदन
- पृथ्वी पर सतत्शील जीवन : प्रकृति एवं मानव कल्याण में जैव विविधता सम्मेलन का योगदान
- पृथ्वी सम्मेलन बुलेटिन

समय

2 घंटे

क्रियाक्लाप :

अभ्यास–1

जैव एवं आनुवांशिक संसाधनों पर पारम्परिक जानकारी (समय 30 मिनट)

समुदाय में पाए जाने वाले जैव एवं आनुवांशिक संसाधनों (फ्लोरा एवं फाउना) की सूची तैयार कर उनकी उपयोगिता की जानकारी

1. यदि कार्यशाला का आयोजन किसी समुदाय में हो रहा है तो सहभागी समुदाय में जाकर विविध जैव प्रकारों, जो उन्हें मिले, कि सूची तथा लोगों के लिए उनकी उपयोगिता को लिखना अन्यथा स्मरण कर अपने–अपने समुदायों के जैव प्रकारों व उनकी उपयोगिता की सूची तैयार करें।
2. सहभागी अपना निष्कर्ष पूरे समूह को प्रस्तुत करें।
3. प्रशिक्षक इन निष्कर्षो के आधार पर जैव एवं आनुवांशिक संसाधनों तथा उनके उपयोग की अवधारणात्मक व्याख्या प्रस्तुत करेगा।

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श (1 घंटा)

1. जैव एवं आनुवांशिक संसाधन और उनकी उपयोगिताएँ क्या है ?

जैव एवं आनुवांशिक संसाधनों के अन्तर्गत पादप प्रजाति, जन्तु सूक्ष्मजीव, कोशिका व जीन आदि आते हैं।

प्रकृति के साथ निकट संबंधों के कारण आदिवासी लोग जानते है कि जीवित रहने के लिए हमारी सभी जरूरते प्रकृति एवं इसके जैव, आनुवांशिकी संसाधन द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। बहुत सारी बिमारियों से बचाव प्रकृति ही करती है, जंगली पौधों से प्राप्त विविध कीटनाशकों से हमारी फसलों की रक्षा होती है। कीट एवं जन्तुओं द्वारा प्रकृति एवं पारिस्थितिकीय तंत्र में सन्तुलन बनाए रखने में योगदान दिया जाता है।

जैव विविधता के विभिन्न घटकों के बीच अन्तःक्रियाओं की एक अद्‌भुत श्रृंखला ही पृथ्वी ग्रह को मानव सहित सभी प्रजातियों के लिए निवास योग्य बनाती है। हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, मानव समाज एवं अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य–यह सब भी प्रकृति द्वारा अनवरत प्रदत्त विविध पारिस्थितिकीय सेवाओं पर निर्भर है, यह सेवा तो अमूल्य है, इसे बदलना असंभव हैं। ये सभी प्राकृतिक सेवा इतनी विविध है कि हम इसे अनन्त भी मान सकते हैं। उदाहरण के लिए कीट नियंत्रण से जुड़ी प्राकृतिक सेवा जिसमें विविध जीव एक दूसरे को खाकर हमें कीटों से सुरक्षा प्रदान करते है – को किसी भी हद तक जाकर भी नहीं बदला जा सकता। यही बातें कीटों व पक्षियों के परागण के संदर्भ में भी देखी जा सकती हैं।

पारिस्थितिकीय तंत्र द्वारा प्रदत्त ''वस्तु एवं सेवाओं'' में शामिल है :

- भोजन, ईधन एवं फाइवर की व्यवस्था
- आश्रय एवं गृह निर्माण सामग्री की व्यवस्था
- वायु एवं जल का शुद्धीकरण
- अपशिष्टों का निस्तारण एवं विषहरण
- पृथ्वी की जलवायु का स्थिरीकरण एवं अनुकूलन
- बाढ़, सूखा, तापमान वृद्धि एवं पवन त्रीवता का अनुकूलन
- भूमि उर्वरता एवं पोषक चक्र का निर्माण एवं नवीकरण
- कई फसलों सहित पादपों का परागण
- कीट एवं बीमारियों का नियंत्रण
- आनुवांशिक संसाधनों का रखरखाव खासकर फसल विविधता एवं बीज भंडारण
- सांस्कृतिक एवं सौन्दर्य लाभ
- परिवर्तन स्वीकार करने की क्षमता

इस प्रकार जैव विविधता की रक्षा हमारे हित में ही है। जैव संसाधन स्तम्भ की तरह है जिन पर हम सभ्यता का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक उत्पादों पर कई प्रकार के उद्योग आश्रित है, मसलन – कृषि, सौंदर्य प्रसाधन, दवाईयाँ, पल्प और कागज, उद्यान, विनिर्माण, अपशिष्ट निस्तारण आदि। जैव विविधता में होने वाला नुकसान हमारी खाद्य आपूर्ति, पुर्ननिर्माण एवं पर्यटन के अवसर लकड़ी, दवा एवं ऊर्जा के स्रोत के प्रति खतरा उत्पन्न करता हैं। इससे आवश्यक पारिस्थितिकीय कार्य प्रणाली में भी हस्तक्षेप होता है।

2. दोहन एवं लाभ भागीदारी से जुड़े जैव विविघता सम्मेलन प्रावधान

आनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों में स्वच्छ एवं समान भागीदारी सुनिश्चित करना जैव विविघता सम्मेलन के तीन प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। सम्मेलन की कई धाराओं में इस लक्ष्य का संकेत देखा जा सकता है जो संसाधनों के दोहन एवं लाभ–भागीदारी से सम्बन्धित है। ये प्रावधान निम्नलिखित है :–

धारा 1 – लाभ का स्वच्छ एवं समान वितरण

- आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का स्वच्छ एवं समान वितरण जिसमें आनुवांशिक संसाधनों का उचित दोहन जरूरी तकनीक का उचित हस्तांतरण उन संसाधनों से जुड़े सारे अधिकार, तकनीक एवं उचित वित्तीय स्रोत।

धारा 15 – आनुवांशिक संसाधनों का दोहन

- प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीय सम्प्रभुता स्वीकृत
- आनुवांशिक संसाधनों के दोहन का निर्धारण प्राधिकार, शेष राष्ट्रीय सरकार के साथ तथा राष्ट्रीय विधानों के अधीन (धारा–15(1))
- प्रत्येक पक्ष अनुवांशिक संसाधनों का दोहन ''पर्यावरण के पूर्ण अनुकूल प्रयोग हेतु'' करने की अनुमति देगा और वैसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाएगा जो सम्मेलन के लक्ष्यों के विरोध में हो। (धारा–15(2))
- आनुवांशिक संसाधनों का दोहन ''द्विपक्षीय सहमति शर्तो'' तथा स्वीकार करने वाले पक्ष की पूर्व सूचित सहमति '' के अधीन होगा या फिर जैसा पक्षकार स्वीकार करें। (धारा–15(4) एवं 15(5))

धारा – 16 दोहन एवं तकनीक का हस्तांतरण

जैव तकनीक के साथ दोहन एवं तकनीक के हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने से सम्बन्धित है जो बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर स्वीकृति के साथ जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग से जुड़ा है।

धारा – 17 – सूचना का आदान–प्रदान

- सूचनाओं के आदान–प्रदान के अंतर्गत तकनीकी, वैज्ञानिक एवं सामाजिक–आर्थिक शोधो से निकले परिणामों का आदान–प्रदान शामिल है। इसी प्रकार प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों, विशेषीकृत जानकारी, आदिवासी एवं पारम्परिक ज्ञान तथा धारा–16(1) में वर्णित तकनीकी के मामले शामिल हैं। इसके अंतर्गत, जहाँ लागू हो, सूचनाओं का प्रत्यावर्तन भी शामिल है।

धारा 18 – तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग

- हस्ताक्षर करने वाला पक्ष, सम्मेलन के अनुपालन में, अपने राष्ट्रीय विधानों एवं नीतियों के अनुरूप आदिवासी एवं पारम्परिक तकनीक के विकास एवं उपयोग के लिए सहयोगात्मक पद्धतियों को विकसित एवं प्रोत्साहित करेगा। इस उदेश्य के लिए हस्ताक्षर करने वाला पक्ष कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञों के आदान–प्रदान के सहयोग को बढ़ावा देगा।

धारा – 19 – जैव तकनीक का अनुप्रयोग एवं इसके लाभों का वितरण

- जैव तकनीकी शोध में विकासशील देशों की भागीदारों को बढ़ावा देता है।
- आनुवांशिक सामग्रियाँ उपलब्ध कराकर विकासशील देशों को शोध के परिणामों एवं लाभ में दोहन की प्राथमिकता को बढ़ावा।
- जो भी हो, विकास क्या हो रहा है – उत्तर जैव तकनीक के फायदों को दक्षिण को दे सकते है, इस शर्त पर कि वे उन्हें पहले अपने जैविकीय संसाधनों का दोहन करने दें।

जैव विविघता सम्मेलन में दोहन एवं लाभ भागीदारी का इतिहास तथा किए गए कार्यो की समय रेखा

चौथी बैठक CoP4 - 1998

CoP ने आनुवांशिक संसाधनों के दोहन तथा लाभ में स्वच्छ एवं समान भागीदारी से जुड़ा ''पूर्व सूचित सहमति'' द्विपक्षीय सहमति शर्तो एवं अन्य मुद्धो से सम्बन्धित अवधारणाओं एवं सिद्धांतो को स्पष्ट करने के लिए दोहन एवं लाभ–भागीदारी पर विशेषज्ञों का एक पैनल स्थापित किया।

पांचवी बैठक CoP5, 2000

दोहन एवं लाभ–भागीदारी सम्बन्धी सम्मेलन के प्रावधानों के कियान्वयन में पक्षकारों की सहायता के लिए ABS (Access & Benefit Sharing) के विशेषज्ञ पैनल को ध्यान में रखते हुए Cop ने मार्गदर्शन एवं दूसरे दृष्टिकोणों के विकास पर एक अंशकालिक पूर्णयुक्त कार्यशील समूह स्थापित किया।

छठी बैठक CoP6, 2002

CoP ने वर्ष 2002 मे अपनी छठी बैठक, हेक, नीदर लैण्ड में कार्यशील समूह द्वारा विकसित, आनुवांशिक संसाधनों के दोहन एवं उपयोग से होने वाले लाभों में स्वच्छ एवं समान भागीदारी पर बॉन दिशा–निर्देश स्वीकार किया। ये दिशा निर्देश स्वैच्छिक है और इनका उददेश्य उपलब्धकर्ता एवं उपयोगकर्ता दोनों को सम्मेलन के दोहन एवं लाभ भागीदारी सम्बन्धी प्रावधानों को कियान्वित करने में मार्गदर्शन देना है। पक्षकारों द्वारा दोहन एवं लाभ भागीदारी से सम्बन्धित प्रशासनिक वैधानिक या नीतिगत उपायों की स्थापना में या जब आनुवांशिक संसाधनों को दोहन एवं लाभ भागीदारी के लिए समझौता करने की प्रकिया चल रही हो। सहायता देने के लिए इन्हें स्वीकार किया गया। उदाहरण के लिए पूर्व सूचित सहमति पाने के लिए आपूर्तिकर्ता देश में स्थापित की जाने वाली प्रकिया के संदर्भ में मार्गदर्शन देकर इनके द्वारा ABS की दिशा में एक बड़ा कदम है, साथ ही दोनों पक्षों की सहमति–शर्तो की संकेतात्मक सूची तथा दोनों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

सतत् विकास पर विश्व बैठक (WSSD) (2002)

सितम्बर 2002, जोहान्सबर्ग, द0 अफ्रीका में सतत विकास पर आयोजित विश्व बैठक में सरकारों से आहवान किया गया कि आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों में स्वच्छ एवं समान भागीदारी के लिए समझौते का एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप कायम किया जाय।

सातवी बैठक COP7, 2004

कुआलालमपुर मलेशिया में 2004 में अपनी सातवीं बैठक में CoP ने WSSD के निर्देशों का अनुसरण करते हुए सम्मेलन के तीन उददेश्यों तथा सम्मेलन की धारा–15 (आनुवांशिक संसाधनों का दोहन) एवं धारा– 8 (j) (पारम्परिक ज्ञान) के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक तरीका/औजार स्वीकार करने के साथ आनुवांशिक संसाधनों के दोहन एवं लाभ भागीदारी के संदर्भ में एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम करने के लिए ABS कार्यशील समूह की अनिवार्यता को स्वीकृत किया। CoP में इस बात पर भी सहमती हुई कि इस व्यवस्था के और विस्तार के लिए कार्यशील समूह की कार्य प्रणाली, स्वरूप, उद्देश्य एवं तत्वों को ध्यान मे रखा जाय।

आठवी बैंठक CoP8, 2006

क्यूरीटीबा, ब्राजील में अपनी आठवीं बैठक में CoP ने कार्यशील समूह की अनिवार्यता को बढ़ाते हुए इसे अपना दायित्व जल्द से जल्द पूरा करने 2010 तक, का निवेदन किया। इस बैठक मे बातचीत प्रकिया के लिए दो सह–अध्यक्षों का प्रारूप दिया गया–कनाडा के श्री टीमोधी होज और कोलम्बिया के श्री फर्नान्डो कैस। CoP8 का अनुसरण करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए Cop9 से पहले बातचीत की इकाई के रूप में ABS कार्यशील समूह ने दो बैठकें की पांचवी बैठक माँट्रियल कनाडा में 8–12 अक्टूबर 2007 तक तथा छठी बैठक जेनेवा, स्वीट्जरलैंड में 21–25 जनवरी 2008 तक आयोजित की गई।

नौवीं बैठक CoP9, 2008

अपनी नौवीं बैठक मई 2008 में CoP में सहमति हुई कि इसकी बैठक अक्टू0 2010 से पहले दोहन एवं लाभ भ. ागीदारी पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विस्तार एवं बातचीत को पूरा करने के लिए बैठकों का एक और (निर्णय IX/12) चलाया जाय। CoP ने यह भी निर्णय लिया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए बातचीत इकाई के रूप में कार्यशील समूह की तीन बैठकों का आयोजन दो वर्षो के भीतर किया जाएगा। यह भी स्वीकार किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के और विस्तार एवं बेहतर सम्पर्क के लिए विषय वस्तु का निर्धारण किया। ABS कार्यशील समूह की सहायता के लिए आधारभूत व वास्तविक मुददो–संकलन, अवधारणा, शर्त, कार्य परिभाषा, पक्षीय दृष्टिकोण और आनुवांशिक संसाधनों से जुड़े पारम्परिक ज्ञान–पर तकनीकी एवं वैधानिक विशेषज्ञों का तीन समूह बनाने का निर्णय लिया गया।

बॉन दिशा – निर्देश/मार्ग दर्शन

आनुवांशिक संसाधनों के दोहन एवं उनके उपयोग से होने वाले लाभों में स्वच्छ एवं समान भागीदारी पर बॉन सम्मेलन क्या कहता है – यह CoP_4 की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है (निर्णय VI/24 देखें) ये मार्गदर्शन आनुवांशिक संसाधनों एवं लाभ–भागीदारी से जुड़े सम्मेलन–प्रावधानों के कियान्वयन में विकासात्मक कार्य प्रणाली के उपयोगी प्रथम कदम माने गए। इन स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों का निर्माण, दोहन एवं लाभ भागीदारी पर वैधानिक प्रशासनिक या नीतिगत उपायों की स्थापना में या दोहन एवं लाभ भागीदारी पर समझौता सम्बंधी बातचीत के समय, पक्षकारों, सरकारों या स्टेकधारकों की सहायता के लिए किया गया था। जैव सम्बद्ध समझौताओं से जुड़े बातचीत एवं उनके कियान्वयन संबंधी नियमावली के रूप में भी ये दिशा–निर्देश कार्य करते हैं। जैव विविघता सम्मेलन अनुसमर्थन के बाद के आनुवांशिक संसाधनों के दोहन तथा वर्तमान संग्रहण में नहीं पाए जाने वाले दूसरे आनुवांशिक वस्तुओं के संदर्भ में भी यह लागू होता है। जैव विविघता सम्मेलन के पूर्व के सभी आनुवांशिक वस्तुओं के संदर्भ में यह लागू होता है। जैव विविघता सम्मेलन के पूर्व के सभी आनुवांशिक संसाधन बगैर ABS शर्तो के भी दोहन योग्य हैं। 2010 में CoP_{10} में आनुवांशिक संसाधनों के दोहन एवं उनके उपयोग से होने वाले लाभों में स्वच्छ एवं समान भागीदारी पर नगोया प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया।

4. ABS के सन्दर्भ में आदिवासी लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले मुददे क्या है ?

A. जैविक चोरी (पायरेसी)

किसी दूसरे का कुछ बगैर उसकी अनुमति के या भुगतान के ले लेना चोरी है। इसी प्रकार जैविक चोरी का मतलब जैव संसाधनों की चोरी हैं। आदिवासी लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है–ये जैविक संसाधन किससे लिए जा रहे है और किस लिए भुगतान किया जा रहा है ?

नीम वृक्ष की जैविक चोरी

पारआदिवासी निगमों द्वारा जैविक चोरी का एक बढ़िया उदाहरण नीम वृक्ष (अजाड़ीरैक्टा इन्डिका) को लेकर है जो भारत के सभी उष्ण क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक कठोर, तेजी से बढ़ने वाला, सदाहरित तथा 20 मीटर की ऊँचाई वाला वृक्ष हैं। नीम से निकले कुछ सत का हाल ही में यू0एस0 कम्पनियों द्वारा पेटेन्ट कराया गया है और इस बौद्धिक चोरी पर कई किसान उत्तेजित हैं। ग्रामीण नीम वृक्ष भारतीय आदिवासी ज्ञान का प्रतीक बन गया है साथ ही इस ज्ञान को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाली कम्पनियों के खिलाफ विरोध का कारण भी।

नीम के बहुत सारे गुणों का योगदान उसके रासायनिक तत्वों के कारण हैं। जड़ से लेकर फुनगी तक ढेर सारे गुण वाले यौगिक मिलते हैं, खासकर इसके बीज–अजाड़ी रैक्टीन–में एक विशेष रसायन पाया जाता है। इसकी यही खासियत इसे विविध क्षेत्रों के लिए उपयोगी बनाती है। मसलन–दवा, गर्भ निरोध, सौंदर्य प्रसाधन, ईधन, कृषि, कीटनाशक आदि। हजारों साल से ये सारे एवं और भी गुण भारतीयों की जानकारी में रहें है और यही वजह है कि इस वृक्ष को ''सभी बीमारियों का सुधारक'' भी कहा गया है।

सदियों से पश्चिमी जगत नीम वृक्ष और इसके गुणों की उपेक्षा करता रहा : भारतीय कृषक एवं चिकित्सक ब्रिटिश, फ्रांसिसी एवं पुर्तगाली उपनिवेशवादियों की बहुलता पर भी इस मुददे के प्रति गम्भीर होने की चिन्ता नहीं पाल सकें। जो भी हो, हाल के वर्षो में रासायनिक उत्पादो विशेषकर कीटनाशकों के खिलाफ पश्चिमी देशों में मची उठापटक ने अचानक नीम के औषधीय गुणों के प्रति जबरदस्त लहर पैदा कर दी है।

1971 में अमेरिकी लकड़ी आयातक राबर्ट लार्सन ने भारत में इस पेड़ की उपयोगिता पर ध्यान दिया और विस्कान. सिन स्थित अपनी कम्पनी मुख्यालय के लिए इसका आयात शुरू किया। दूसरे दशक तक उन्होंने कीटनाशक नीम सत्र – मार्गोसन – ओ पर सुरक्षा एवं प्रदर्शन जांच किया और 1985 में यू0एस0 पर्यावरणात्मक सुरक्षा एजेन्सी से उत्पादन संबंधी स्वीकृति भी पा लिया। तीन साल बाद उन्होने इस पेटेन्ट को बहुराष्ट्रीय रासायनिक निगम–डब्लू. आर.ग्रेस एण्ड को0 – को बेच दिया। 1985 से अब तक नीम आधारित विलयन एवं जैल सहित नीम आधारित टू. थपेस्ट तक के फार्मूले का यू0एस0 एवं जापानी फर्मो के द्वारा दर्जनों से अधिक पेटेन्ट कराया गया हैं। इनमें से कम से कम चार का स्वामित्व डब्लू.आर.ग्रेस, तीन का दूसरी यू.एस. कम्पनी नेटीव प्लान्ट इन्सटच्यूट तथा दो का स्वामित्व जापानी फर्म रियूमो कार्पोरेशन के पास है।

उनके पेटेन्ट का एक साथ होना और म्च। से प्राप्त अनुज्ञप्ति के आधार पर ग्रेस फर्म ने अपने उत्पादों के निर्माण एवं व्यापार के लिए भारत में एक आधार संरचना तैयार किया है। इस फर्म ने इस इस प्रस्ताव के साथ कुछ भारतीय निर्माताओं से सम्पर्क किया कि वे उनसे तकनीक खरीदें अथवा मूल्य आधारित उत्पादों का निर्माण बन्द कर कच्चे माल की आपूर्ति उन्हें करें।

B. उद्‌भव का प्रमाण पत्र/वैधानिक उद्‌गम स्थान का प्रमाण पत्र

जैव विविघता सम्मेलन प्रावधानों एवं राष्ट्रीय विधानों के अनुरूप आनुवांशिक संसाधनों के दोहन का प्रमाण पत्र एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। राष्ट्रीय दोहन विधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रर्वतन व्यवस्था, विश्व व्यापार संगठन के राष्ट्रीय पेटेन्ट कानून पर TRIPS समझौता के साथ तुलनीय है। आपूर्तिकर्ता देश में एक वैधानिक सक्षम इकाई द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से जुड़े मामलों में हो सकता है।

वैधानिक उद्‌गम स्थल के प्रमाण पत्र से जुडा तंत्र

- राष्ट्रीय सरकार अभिकरण एवं जैव विविघता सम्मेलन को मिलाकर बनी व्यवस्था के द्वारा एक स्वतंत्र दस्तावेज जारी किया जाता है।
- परीक्षण के लिए पेटेन्ट आवेदन को स्वीकार करने से पहले यह जांचा जाता है कि सभी औपचारिक जरूरते पूरी कर ली गई है।
- प्रमाणित संसाधन का क्या उपयोग होने वाला है – इसे आसानी से देखा जा सकता है।
- प्रमाण पत्रों का उपयोग दूसरे कार्यो में भी हो सकता है जैसे – शोध सम्बन्धी, वित्तीय स्रोत के आवेदन में, तैयार उत्पाद को बाजार में लाने में।

(C) सम्मिलन का प्रमाण–पत्र

आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों से जुड़ी प्रथागत मान्यताएँ प्राकृतिक संसाधनों–आनुवांशिक संसाधन एवं संबंधित पारम्परिक ज्ञान–के बारे में भी बताती है। ये मान्यताएँ भिन्न–भिन्न आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों–चाहें वे एक देश में हो या दूसरे देश में–भिन्न–भिन्न होती हैं। राष्ट्रीय कानूनों के साथ उनका संपर्क सहयोग भी एक देश एवं भिन्न देश में विविधतापूर्ण होता है।

प्रथागत मान्यताओं को ध्यान में रखने का एक प्रभावी एवं प्रगतिशील तरीका दोहन संधि और या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत इन्हें पर्याप्त सम्मान सुनिश्चित करना है। ऐसा करने से आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की सुरक्षा वैधानिक प्रभाव से हो सकेगी। खैर, जो भी हो, ऐसे बहुत सारे आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय है जो इस तरह के समझौतों में शामिल होना ही नहीं चाहते।

आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने से पूर्व सूचित सहमति एवं द्विपक्षीय सहमति शर्तो के लिए आधार तैयार होगा। द्विपक्षीय सहमति शर्तो की बातचीत में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों के शामिल होने से आनुवांशिक संसाधनों एवं संबंधित पारम्परिक ज्ञान से जुड़े प्रथागत मान्यताओं पर ध्यान देना संभव हो सकेगा। इस प्रकार किए गए समझौतों से आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों और प्रयोगकर्ता के बीच के सम्बन्धों को शासित किया जा सकेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आनुवांशिक संसाधनों एवं पारम्परिक ज्ञान से जुड़े आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के अधिकारों की भी बात करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत इनके अधिकारों की स्वीकृति अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के अपने देश के राष्ट्रीय विधानों में प्रथागत मान्यताओं को सम्मान देने में सहायक होती है।

आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की प्रथागत मान्यताओं पर सम्मिलन तरीकों में किस प्रकार ध्यान दिया जा सकता है ? सम्मिलन को बढ़ावा देने के कुछ खास तरीकों में शामिल है –

a. आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के लिए पूर्व सूचित सहमति देने संबंधी प्रक्रियाओं में सलाह के लिए सक्षम आदिवासी प्राधिकार की स्थापना या मान्यता।

b. आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों से जुड़ी न्यूनतम सूचनाओं–आनुवांशिक संसाधनों पर पारम्परिक जानकारी रखने वालों का ब्योरा या जो उचित हो–पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सम्मिलन प्रमाण–पत्र।

c. आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की प्रथागत मान्यताओं, राष्ट्रीय कानूनों, सम्पूर्ण न्याय–क्षेत्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधानों के सम्मिलन के लिए किए गए प्रारूप अध्ययनों पर आधारित ABS व्यवस्था में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के न्यूनतम एवं मानक समझौता शर्तो की स्वीकृति।

d. जांच केन्द्रों द्वारा पारम्परिक ज्ञान के उपयोग की निगरानी।

e. पूर्व सूचित सहमति एवं द्विपक्षीय सहमति शर्तो से जुड़ी बातचीत में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण।

D. पूर्व सूचित सहमति (PIC)

यह आवेदक द्वारा किसी नमूना या जानकारी लेने के पूर्व सर्वग्राह्य सरल भाषा और सरल प्रक्रिया में जैविक कार्यो से जुड़ी क्रियाक्लापों सम्बन्धी सभी सूचनाओं के प्रस्तुतीकरण के बाद सरकारी मान्यता प्राप्त प्राधिकरणों, स्थानीय समुदायों, आदिवासी लोगों, सुरक्षित क्षेत्र या गैर स्थानिक संग्रहण प्रबंधकों या निजी भूमि स्वमियों से प्राप्त किया गया सहमति–पत्र है।

जब दोहन सम्बन्धी आवेदन सरकारी प्राधिकरण के पास भेजा जाता है तब PIC प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू होती है। अधिकांश ABS नीतियों में आनुवांशिक संसाधन एवं पारम्परिक ज्ञान की आपूर्ति कर्ताओं से PIC की जरूरत होती है। कुछ खास मामलों में PIC समझौतों में सहायता के लिए सरकार ने मॉडल शर्त या दिशा–निर्देश उपलब्ध कराया है।

सरकार सबसे बेहतर तरीकों को लागू करती है जिससे द्विपक्षीय सहमति शर्तो, स्वच्छ एवं समान भागीदारी एवं सूचित सहमति की जरूरत आसानी से पूरी हो जाती है।

आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों से PIC हासिल करने सम्बन्धी अपरिभाषित दिशा–निर्देश है :

a. समुदायों के प्रतिनिधियों की जांच तथा उनकी प्रतिनिधित्व शक्ति व क्षमता का आंकलन।

b. परियोजना से प्रभावित सभी पक्षकारों की पहचान।

c. जैविक परियोजना, वैधानिक आवधारणा एवं होने वाले लाभ के बारे में समुदाय की समझ को ध्यान में रखते हुए प्रस्ततीकरण।

d. समुदाय को परियोजना से होने वाले फायदाओं की पहचान एवं प्रस्तुतीकरण।

e. समान जानकारी धारण करने वाले समुदाय की पहचान।

f. समान जैव संसाधनों वाले स्थानीय एवं राष्ट्रीय सरकारों से PIC हासिल करना।

जैविक कार्य करने वालों को यह निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पारम्परिक समुदाय एवं सरकार दोहन से इन्कार कर सकते है और उनका यह अंतिम निर्णय जैव विविघता सम्मेलन द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय सम्प्रभुता एवं ABS प्रावधानों व नीतियों पर आधारित है।

E. आदिवासी ज्ञान की अभूतपूर्व सुरक्षा

अद्वितीय व्यवस्था के पीछे पेटेन्ट, ट्रेड मार्क और व्यापारिकराज जैसे बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था के उपकरण पारम्परिक ज्ञान की रक्षा एवं मदद करने के साथ उस नए तंत्र में भी सहायक हैं जो इन उपकरणों की सहायता से आदिवासी लोगों के और आगे विकास में मदद करता है।

IPR प्रणाली अकेले पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा एवं प्रथागत मान्यताओं का सम्मान प्रभावी तरीके से नहीं कर सकती क्योंकि ये पश्चिमी वैधानिक व्यवस्था पर आधारित है और स्वाभाविक रूप से इनके द्वारा पश्चिमी औद्योगिक एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों की ही पूर्ति हो सकती है। अद्वितीय (अपने प्रकार का) प्रणाली अनिवार्यतः एक जैसी नहीं होनी चाहिए। इनके निर्माण से जुड़े अन्तर्राष्ट्रीय दिशा–निर्देश भले ही उपलब्ध हों किन्तु विभिन्न आदिवासी समूहों की भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार इस अद्वितीय प्रणाली में आवश्यक फेर–बदल लाना जरूरी होगा। यह निर्णय देशों के उपर छोड़ देना चाहिए कि इस अद्वितीय प्रणाली को घरेलू कानून की तरह लागू करना है अथवा केवल आदिवासी समूह के उपयोग के लिए लागू करना है।

ग्राहम डटफिल्ड तर्क देते है कि अद्वितीय प्रणाली के निर्माण में प्राथमिक कठिनाई यह है कि अधिकार एवं मुद्दों के बीच प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सम्पदा टांग फैलाकर बैठा है। इसी कठिनाई के कारण श्री डटफिल्ड अद्वितीय प्रणाली को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव देते है :–

- राष्ट्रीय स्तर पर अद्वितीय प्रणाली जो भूमि अधिकारों की रक्षा करें।
- और वैसी प्रणाली जो सामुदायिक स्तर पर पारम्परिक ज्ञान एवं आनुवांशिक संसाधनों की रक्षा करें।

भूमि अधिकार सुरक्षा से जुड़ी अद्वितीय प्रणाली जरूरी है क्योंकि भूमि अधिकारों की रक्षा किए बगैर पारम्परिक ज्ञान की रक्षा को आदिवासी लोग स्वीकार नहीं करेगें क्योंकि भूमि अधिकार की रक्षा से ही पारम्परिक ज्ञान की रक्षा संभव है। एक ABS व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र–स्तरीय अद्वितीय सम्पदा अधिकार की स्थापना PIC के सिद्धान्तों एवं द्विपक्षीय सहमति शर्तो के अन्तर्गत ही होना चाहिए।

एक अद्वितीय प्रणाली में पारम्परिक ज्ञान की सामूहिक प्रकृति का सम्मान करना जरूरी होगा पर किसी आदिवासी समूह द्वारा पारम्परिक ज्ञान को सम्पदा के हस्तांतरणीय इकाई मे विभाजित करके देखना बहुत कठिन हो सकता है। वास्तव में ऐसी कोई व्यवस्था तभी विकसित की जा सकती है जब पारम्परिक ज्ञान धारकों एवं उनके समुदायों के बीच घनिष्ठ अन्तरंगता हो।

सामुदायिक स्तर पर एक अद्वितीय व्यवस्था आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों पर आधारित होती है। पारम्परिक ज्ञान एवं सम्बन्धित आनुवांशिक संसाधनों के दोहन–तरीकों से जुड़े नियमों का नियमन PIC कर सकता है। नए समझौता संकलन सम्बन्धी नियम केवल आनुवांशिक संसाधनों के दोहन करने वालों पर ही नहीं बल्कि आपूर्तिकर्ता (आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय) पर भी लागू होने चाहिए। PIC कार्य प्रणाली की स्थापना के समय प्रथागत मान्यताओं का सम्मान सुनिश्चित हो और प्रथागत मान्यताओं के विपरीत जाना रोका जाय।

F. लोक रियासत/लोक प्रकटीकरण

2003 मे तुलालिप आदिवासियों ने कहा'' ..... आम तौर पर आदिवासी लोग ज्ञान की रक्षा के लिए जाने जाते है जिसे पश्चिमी व्यवस्था 'लोक सम्पत्ति' मे निहित मानती है। यह उनकी स्थिति है जिससे प्रथागत मान्यताओं के द्वारा इस ज्ञान का नियमन होता है, होता रहा है और होता रहेगा। इनकी स्थिति 'लोक सम्पत्ति' के रूप में इसलिए नहीं हुई कि पश्चिमी IP व्यवस्था में ज्ञान की रक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए बल्कि इस असफलता के कारण हुई कि सरकार एवं नागरिकों द्वारा इनके उपयोग के नियमन से जुड़े प्रथागत मान्यताओं को सम्मान एवं स्वीकृति नहीं दी गई।''

आदिवासी लोगों के ज्ञान 'सुरक्षा' के लिए प्रस्तावित अधिकांश कार्यनीतियाँ अव्यवहारिक एवं अपूर्ण हैं। पेटेन्ट व्यवस्था के अंतर्गत 'पूर्व कला' के प्रदर्शन की जरूरत ने इस सलाह को जन्म दिया कि सर्वविदित ज्ञान के लिए एक लोक रजिस्टर बनाया जाय। जैसा कि लोक सम्पत्ति के अंतर्गत ज्ञात ज्ञान पहले से ही है, यह रजिस्टर पेटेन्ट परीक्षकों को पूर्वकला की सुविधा देकर आदिवासी लोगों को उनके ज्ञान की रक्षा में मदद कर सकता है। आदिवासी लोग प्रायः इस बात पर विवाद करते है कि लोक सम्पत्ति में उनके ज्ञान शामिल हैं।

सान लोगों की घटना :

हुडिया पौधें के दोहन एवं लाभ भागीदारी पर समझौता

दक्षिणी अफ्रीका के सान के लोग सदियों से एक पौधा 'हुडिया' का उपयोग करते रहे है। शिकार अभियान पर जब भोजन की कमी होती है तो इसे खाने से भूख की संवेदना खत्म हो जाती है। अब उद्योग समूह इस संवेदना–खत्म करने वाले प्रभाव से पैसा बनाना चाहते है : भूख मिटाने की दवा के एक बड़े बाजार की लालसा से खाने की गोली के रूप में इसे लाना चाहते है अथवा डाइटिंग से जुड़े व्यवसाय के द्वारा बड़ा लाभ कमाना चाहते है।

सान का क्या होगा ? क्या वे जैविक चोरी से पीड़ित है ? हुडिया पौधें का मुख्य अवयव बगैर इनकी जानकारी के प्रयोग किया गया और पेटेन्ट भी कराया गया। लेकिन वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर खड़े हो गए। जो समझौता अन्ततः उन्होंने स्वीकार किया उसके अनुसार अब लाभ में इन्हें भी एक हिस्सा मिलेगा। यह निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है। लेकिन यदि सभी प्रावधान लिखित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के साथ जोड़े गये होते तो आज सान और भी बेहतर स्थिति में होता।

स्रोत :– होरिंग, UWE 2004 बायोपाइरेट्स इन कालाहारी ? हाउ इन्डिजीनियस पीपुल .... अफ्रीका – ए स्टडी, बॉन, जर्मनी EED एण्ड WIMSA.

अभ्यास – 2

गूंज सत्र – दोहन एवं लाभ भागीदारी पर आदिवासी लोगों की अवधारणा (30 मिनट)

आनुवांशिक संसाधनों के दोहन एवं लाभ भागीदारी से जुड़े आदिवासी लोगों के सिद्धांत एवं विश्वास का आहवान्।

1. सहभागी 3–5 की संख्या में एक छोटा समूह बनायें। 10 मिनट के विचार विमर्श या गूंज–सत्र में छोटा समूह प्रश्न का उत्तर देगा : आदिवासी लोगों के आनुवांशिक संसाधनों के दोहन एवं लाभ भागीदारी पर मार्गदर्शन के लिए मुख्य सिद्धांत क्या होना चाहिए।
2. प्रत्येक सहभागी एक कार्ड पर मुख्य सिद्धांत लिखे। प्रत्येक समूह का 5 कार्ड हो सकता है।
3. प्रशिक्षक सभी कार्डो को इकटठा कर बोर्ड पर एक साथ दिखाता है।
4. प्रशिक्षक इन सिद्धांतो को संक्षेप में समझाता है।

मापांक 7 जैव विविधता सम्मेलन एवं आदिवासी महिलाएँ

उददेश्य

1. महिलाओं एवं लिंग समानता से जुड़े जैव विविधता सम्मेलन प्रावधानों एवं कार्यक्रमों को जानना।
2. पारम्परिक ज्ञान एवं जैव विविधता की सुरक्षा में आदिवासी महिलाओं की खास भूमिका की सराहना करना।
3. जैव विविधता सम्मेलन के कियान्वयन एवं उपयोगिता में समान लिंग सम्बन्धों के सुनिश्चय हेतु प्रमुख कियाक्लापों की पहचान करना।

संसाधन

- देशी लोग और जैव विविधता पर सम्मेलन सीरिज सं0–6 : एशियाई आदिवासी महिलाएँ एवं जैव विविधता सम्मेलन।
- IIFB का शुरूआती कथन : CoP7 – कुआलालमपुर, मलेशिया 9 फरवरी 2004।
- विविधता ही विभिन्न बनाती है : जैव विविधता सम्मेलन की उपयोगिता में लिंग समानता सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रणाली।

समय

3 घंटे

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार–विमर्श (20 मिनट)

1. जैव विविधता पर सम्मेलन के अंतर्गत लिंग आधारित कार्य योजना

जैव विविधता सम्मेलन अपनी प्रस्तावना में कहता है :

जैव विविधता के सतत उपयोग एवं संरक्षण में महिलाओं की मुख्य भूमिका को स्वीकार करता है और जैव विविधता संरक्षण के लिए नीति निर्माण एवं कियान्वयन के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण भागीदारी की जरूरत को मानता है .....

इस स्वीकारोक्ति के साथ जैव विविघता सम्मेलन ने सम्मेलन के अंतर्गत लिंग आधारित कार्य योजना को विकसित और बड़ा किया। कार्य योजना बताता है कि सम्मेलन सचिवालय लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए उत्साहवर्द्धक एवं सुविधावर्द्धक प्रयास की भूमिका निभाएगा जिससे सम्बन्धित बाधाओं को दूर कर अवसरों का पूरा लाभ लिया जा सकें। यह बढ़ती हुई जागरूकता का भी प्रमाण है कि लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण पर्यावरण और सतत विकास के लिए प्रमुख पूर्व जरूरत हैं।

यह योजना चार नीतिगत उद्देश्यों को प्रस्तुत करता है :

- सचिवालय से संबंधित कार्यो एवं सम्मेलन के क्रियान्वयन में लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाना।
- जैव विविधता लक्ष्य 2010 तथा सम्मेलन के तीन उददेश्यों की पूर्ति में लिंग समानता को बढ़ावा देना।
- आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभ में भागीदारी, सतत उपयोग एवं जैव विविधता संरक्षण में लिंगीय मुख्यधारा से होने वाले फायदों को प्रदर्शित करना
- जैव विविघता सम्मेलन के सचिवालय के कार्यो की क्षमता में वृद्धि लाना।

इन उददेश्यों की प्राप्ति के लिए जैव विविघता सम्मेलन के लिंग कार्यक्रम की मुख्य कार्यनीतियां निम्नलिखित है :–

A. नीतिगत क्षेत्र

1. सम्मेलन की नीतिगत प्राथमिकता के रूप में लिंग एवं जैव विविधता को रखना।
2. लिंग एवं जैव विविधता को समर्थन देने में वित्तीय स्रोतधारकों की वचनबद्धता सुनिश्चित करना।
3. सचिवालय के भीतर लिंग एवं जैव विविधता के प्रति उच्च स्तरीय वचनबद्धता सुनिश्चित करना।

B. संगठनात्मक क्षेत्र :

1. लिंग को मुख्यधारा बनाने में सहयोग के लिए जैव विविघता सम्मेलन सचिवालय (SCBD) के अंतर्गत एक इकाई की स्थापना।
2. सचिवालय के सभी कार्मिकों की लिंग–विशिष्ट क्षमता का मजबूतीकरण।
3. मानव संसाधन प्रबन्धन में लिंग समानता के प्रतिबिम्बन का सुनिश्चिय।
4. सभी कार्मिकों में लिंग को मुख्य धारा में लाने सम्बन्धी उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता में वृद्धि।
5. सचिवालय के अंतर्गत लिंग – मुख्यधारा के मापन हेतु सूचकों का विकास।

C. वितरण क्षेत्र

1. लिंग–जैव विविधता से जुड़ी सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं वितरण।
2. लिंग, जैवविविधता एवं गरीबी उन्मूलन में अन्तःसम्बन्ध।

3. लिंग–जैव विविधता के क्रियान्वयन से जुड़े उपकरणों एवं पद्धतियों की पहचान, विकास/उन्नति एवं प्रोत्साहन।
4. जैव विविघता सम्मेलन से जुड़े पक्षकारों के लिए एक आधार तैयार करना जिससे वे राष्ट्रीय जैव विविधता नियोजन प्रणाली में लिंग परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाय।

D. निर्वाचन क्षेत्र :

1. जैव विविघता सम्मेलन के भीतर लिंग मुख्य धारा के प्रोत्साहन के लिए साझेदारी का निर्माण एवं नेटवर्क की स्थापना।
2. संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था प्रणाली के साथ जैवविविघता सम्मेलन के लिंग कार्य योजना को जोड़ना।
3. लिंग–जैव विविधता से जुड़े मुददों पर महिलाओं के संगठनों के बीच जागरूकता निर्माण।
4. जैव विविघता सम्मेलन कार्य प्रणाली एवं निर्णय निर्माण में महिलाओं खासकर आदिवासी महिलाओं की क्षमता का निर्माण।

जैव विविघता सम्मेलन स्वीकार करता है कि जैव विविघता सम्मेलन से जुड़े निर्णय निर्माण के सभी स्तरों पर महिलाओं खासकर आदिवासी महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित कर तथा महिलाओं में क्षमता निर्माण से सम्मेलन कार्यप्रणाली को फायदा हो सकता है।

ऐसे क्षमता निर्माण एवं निर्णय–निर्माण प्रणाली में समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लिंग विशेषज्ञ एवं महिलाओं खासकर आदिवासी महिलाओं की साझेदारी पर आंकलन के संचालन की जरूरत है जिससे इन समूहों की क्षमता निर्माण जरूरतों का विश्लेषण हो सकें और योजना बन सकें।

इन जरूरतों पर आधारित महिलाओं विशेषकर आदिवासी महिला नेत्री के लिए आरम्भिक बैठकों एवं प्रशिक्षणों का प्रोत्साहन पक्षकारों के प्रत्येक सम्मेलन से पहले होना चाहिए। जैव विविधता पर क्षमता–निर्माण के लिए और आदिवासी महिला गठबंधनों व अन्य सम्बन्धित लिंग संगठनों के द्वारा लिंग क्रियान्वयन के लिए भी सहयोग बढाया जाना चाहिए।

अभ्यास – 1

कथा वाचन (40 मिनट)

समुदाय में जैव विविधता के संरक्षण में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी का आहवान् :

1. आदिवासी महिला सहभागियों को उनकी भूमिका की कहानी एवं संसाधन प्रबन्धन, जैव विविधता संरक्षण, सतत कृषि, पारम्परिक दवाएँ और समुदाय में खाद्य सुरक्षा के सुनिश्चय सम्बन्धी जानकारी बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रशिक्षक मुख्य बिन्दुओं को नोट करता है।
2. जब महिलाएं सब कुछ बता देती है तो प्रशिक्षक संक्षेप में मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए जैव विविधता संरक्षण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका के साथ यह बताता है कि समुदाय के अस्तित्व के लिए वे कितनी महत्वपूर्ण हैं।

2. जैव संसाधन के संरक्षण और सतत उपयोग में आदिवासी महिलाओं की भूमिका

आदिवासी महिलाएँ ज्ञान और अनुभव की सम्पदा से लैस होती है जो जैव विविधता संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। कई पीढ़ियों से प्रकृति के काफी निकट रहकर आदिवासी महिलाओं ने संसाधन प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण पर पारम्परिक जानकारियाँ विकसित की हैं। आदिवासी महिलाओं को ज्ञात जानकारी व मान्यताओं में बीज चयन, भंडारण और परिरक्षण, पारम्परिक हर्बल दवाएँ, सतत कृषि, पौधा रोपण, फसलों का पोषण व कीटों से सुरक्षा, खाने योग्य पौधें, व कीड़े तथा कृषि जैव विविधता का दूसरों के बीच प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। वास्तव में फसल उत्पादन तथा परिवार एवं समुदाय के लिए खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चय करने में आदिवासी महिलाओं की भूमिका अविश्वसनीय है।

हमारी आदिवासी महिला सहभागियों की कहानी हमें जैव विविधता संरक्षण में महिलाओं की महती भूमिका पर अन्तःदृष्टि प्रदान करती है और विभिन्न पर्यावरणों की जैव विविधता के संरक्षण, उपयोग एवं प्रबन्धन में महिलाओं की केन्द्रीय भूमिका को अति प्रशंसनीय बनाती है।

आदिवासी महिलाओं की पारम्परिक जानकारी के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जिन्हें जाना जा सकता है :–

बीज के अभिभावक एवं जैव विविधता के संरक्षक के रूप में महिलाएँ

खाद्य सुरक्षा के लिए जैव विविधता एवं पादप आनुवांशिक संसाधन के संरक्षण को आज व्यापक स्तर पर स्वीकृति मिली हैं। चावल के मामलों में महिलाये बीज के अभिभावक एवं जैव विविधता के संरक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभ.ाती हैं।

कार्डिलेरा, फिलीपीन्स में महिलाएँ बीज के चुनाव में एक पारम्परिक तरीका अपनाती है। किस किस्म के चांवल की बोआई कब करनी है – का निर्धारण आम तौर पर घर में पत्नी, माँ या बेटी ही करती है। इनमें से कोई यदि नहीं है तो बीज चयनकर्ता प्रायः प्रौढ़ महिला–सभी महिला कृषकों में से चुनी जाती है। खेती के दौरान वह बीज चयनकर्ता सभी कृषक पक्षों से मिलकर यादृच्छिक रूप से एक गुट तैयार करती है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ हों – लम्बा और हटटा–कटटा गुट, पूरी तरह परिपक्व एवं रोग मुक्त। इच्छित गुट के चुनाव के समय बीज चयनकर्ता कृष्य चाकू (गैमलंग) का उपयोग करती है। जरूरत के हिसाब से जब गुट का समूह तैयार हो जाता है तो वह सभी गुटो को एक–एक प्रतीक चिन्ह देते हुए एक दूसरे से जोड़ देती है। प्रायः बीज–भंडार के आकार साधारण अनाज भंडार से 50 प्रतिशत–70 प्रतिशत तक बड़े होते हैं।

जैव विविधता पर लोटुहो की आदिवासी महिलाओं की पारम्परिक जानकारी

सुडान में रहने वाले कई आदिवासी लोगों में से एक समूह लोटुहो का है जिनकी जनसंख्या लगभग 500,000 है। वे लैटोंग पहाड़ी के ढलान क्षेत्र, सूडान–युगान्डा सीमावर्ती क्षेत्र से सटा, में रहते है और पशुचारक एवं कृषक के रूप में जीवन यापन करते है।

लोटुहो महिलाएँ सामुदायिक जीवन तरीकों के अनुसार पर्यावरण और विविध पौधो, वृक्षों प्रजातियों के विविध उपयोगों के बारे में गहन पारम्परिक जानकारी जैसे सम्पदाओं से लैस होती है। यह उनका दायित्व है कि विविध बीजों का चुनाव कर भविष्य में रोपण के लिए उनका भंडारण करें। यदि कभी कोई बीमार होता है तो वह जानती है कि किस औषधिय पौधे के द्वारा उसे रोगमुकत किया जा सकता है। ऐसा करने में वह भविष्य की पीढ़ीयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों को निरन्तरता व अस्तित्व को बचाए रखती है। ये सभी जानकारियाँ या ज्ञान उसे उसकी दादी माँ या बुजुर्ग महिला सदस्य द्वारा बचपन से ही दी जाती रही हैं।

आदिवासी महिलाएँ समुदाय के लिए पारम्परिक ज्ञान के महत्व को बखूबी समझती हैं। इसके माध्यम से वे सभी समस्याओं का हल ढुंढने का प्रयास करती हैं। उदाहरण के लिए, वे यह भी बता सकती हैं कि पक्षी किसी खास आवाज के द्वारा दुश्मन के आने का संकेत देती हैं। कुछ महिलाएँ प्रसव से जुड़ी पारम्परिक सेविकाएँ होती हैं। वे यह जानती है कि बच्चे के जन्म के समय नाल काटने के बाद घाव पर काजल लगाया जाता है ताकि संक्रमण न हो सकें।

स्रोत : सुसान आदुहो, अफ्रीका इन्डिजीनियस ..... वीमेन्स राइट्स इन अफ्रीका

3. महिलाओं द्वारा जैव विविधता का दोहन एवं नियंत्रण

जैव विविधता मानवीय जरूरतों खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों–को पूरा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। जैव–विविधता से ही भोजन एवं ईधन जैसे उत्पाद मिलते है। लोगों के सतत विकास को हासिल करने का एक प्रमुख साधन उनके जैव संसाधनों की सुरक्षा एवं पर्यावरण का संरक्षण हो। (JUMA, 2003)

विश्व बैंक के अनुसार, विश्व में लगभग 75 प्रतिशत गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। विश्व में गरीब लोगों में 70 प्रतिशत महिलाएँ हैं (UNDP, 2002)। इसके विपरीत अफ्रीका में 80 प्रतिशत एशिया में 60 प्रतिशत तथा लैटिन अमेरिका में 40 प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन महिलाएँ ही करती हैं।

पूरे विश्वमंडल में लाखों महिलाओं की निर्धनता का सम्बन्ध जैव विविधता के अवयवों एवं भूमि सहित विभिन्न संसाधनों के दोहन में आने वाली बाधाओं से है। जैव विविधता के सतत तरीका को अपनाने के बावजूद महिलाएँ प्रायः ऐसे संसाधनों के दोहन एवं नियंत्रण में समान भागीदारी से वंचित रह जाती हैं।

उदाहरण के रूप में, वृक्षों की कटाई एवं वन अवक्रमण के परिणाम स्वरूप महिलाएँ अपने समुदाय व परिवार के भोजन और सुरक्षा से जुड़े औषधिय पौधों जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को खोती जा रही हैं। इस नई स्थिति ने उन्हें इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पुरूषों पर निर्भर बना दिया है जिससे उनकी पारम्परिक सामाजिक प्रस्थिति घट रही है और घर के साथ साथ सामुदायिक स्तर पर निर्णय लेने के उनके अवसर भी कम हो रहे हैं। दूसरी ओर इन सबके कारण उनका कार्यभार और कार्य सारणी बढ़ गया हैं। साथ ही इन घटनाओं से वन्य संसाधनों से जुड़े उनके पारम्परिक ज्ञान भी नष्ट होते जा रहे हैं। जैसे ही पारम्परिक उत्पादन व्यवस्था बदलती है तो इससे उनकी शक्ति में कमी और पोषण महत्व से जुड़े भोजन के दोहन में भी कमी आती है। कई महिलाओं को नए उत्पाद एवं एक छोटी विविधता के साथ अपने आप को स्थापित करना है। एकल फसल ने उपलब्ध भोजन की विविधता को सीमित कर दिया है, जिसके फलस्वरूप उच्च पोषण युक्त विविध भोजन बनाने की क्षमता भी खत्म हो गई हैं।

जो भी हो, इस सच्चाई की लगातार उपेक्षा हो रही है और जैव विविधता कार्यक्रमों से जुड़े निर्णय निर्माणों में उनके अनुभवों एवं उनकी आवाज को दर किनार किया जा रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि आदिवासी महिलाओं के ज्ञान के महत्व और सम्मेलन के उददेश्यों की प्राप्ति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया जाय। जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग से संबंधित सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्णय निर्माण एवं क्रियान्वयन में शामिल करने के सभी अवसरों का अनिवार्यतः उपयोग किया जाय तथा जैव विविधता के उपयोग से होने वाले दोहन, वितरण एवं लाभों में समान भागीदारी सुनिश्चित कि जाय।

4. जैव विविघता सम्मेलन में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी

ब्रातीस्लाबा, स्लोवाकिया में वर्ष 1998 में CoP_4 के अंतर्गत आदिवासी महिला जैवविविधता नेटववर्क (IWBN) की स्थापना हुई। इस नेटवर्क का प्रमुख उददेश्य अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े सभी स्तरों पर आदिवासी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित एवं प्रोत्साहित करना तथा पर्यावरण की रक्षा में उनके द्वारा निभाई जाने वाली अतिमहत्वपूर्ण भूमिका को और आगे बढ़ाना हैं।

जैव विविघता सम्मेलन के अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के अधिकार एवं हितों से जुड़े खालीपन को जानने के बाद उन्होंने प्रमुख जैव विविघता सम्मेलन बैठको से पहले नियमित रूप से बैठक कर IIFB के एक अंश के रूप में इन बैठकों में आदिवासी महिलाओं की पूर्ण एवं सक्रिय भागीदारी को शामिल करने का निर्णय किया। यह पर्यावरण मुद्धों पर कार्यशील आदिवासी महिलाओं का नेटवर्क है, जिसकी स्थापना पूर्व में आयोजित ''आदिवासी महिलाएँ एवं जैवविविधता के तीन कार्य शालाओं के बाद हुई।

इस नेटवर्क का सहआयोजन अफ्रीकन आदिवासी महिला संगठन (AIWO), पैन–अफ्रीकन आदिवासी महिला संगठन, कार्यालय नैरोबी, केन्या तथा नीदरलैंडस सेन्टर फार इन्डिजीनियस पीपुल्स (NCIP) के द्वारा किया जाता है।

सभी अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण मंचों खासकर जहाँ आदिवासी महिलाओं का प्रतिनिधित्व उपेक्षित है, पर आदिवासी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का सुनिश्चय एवं प्रोत्साहन आदिवासी महिला जैव विविधता नेटवर्क का शुरू से लक्ष्य रहा है। विशेष रूप से इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा में आदिवासी महिलाओं की सम्पूर्ण एवं महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन दिया जाना है। जैसा कि आदिवासी महिलाएँ विशिष्ट पारम्परिक ज्ञान, नवाचार एवं मान्यताओं की धारक है, इसलिए पर्यावरण के सतत् उपयोग में उनकी भूमि एवं संसाधनों के दोहन करने व नियंत्रित करने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है कि आदिवासी महिलाएँ आर्थिक रूप से कम अर्जन करती है किन्तु, बच्चों के पालन–पोषण और सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ी है, अतः प्राकृतिक संसाधनों एवं जैव विविधता पर उनकी निर्भरता कहीं ज्यादा है।

आदिवासी महिलाओं का यह नेटवर्क, IIFB जो वस्तुतः आदिवासी लोगों का औपचारिक गुट है और अन्तर्राष्ट्रीय गुट है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण बैठकों में भाग लेता है, का एक अंग है। इस नेटवर्क (IWBN) की बैठक अलग से होती है किन्तु इसके सदस्य IIFB में पूर्ण एवं सक्रिय रूप से भाग लेते है और नियमित रूप से इसकी गतिविधियों पर प्रतिवेदन नेटवर्क को देते हैं।

IWBN की भांति इन विश्व बैंठको के अलावे भी आदिवासी महिलाओं के क्षेत्रीय नेटवर्क को उनके सभी कामों के साथ पर्यावरण से जुड़े मुददों एवं कियाकलापों की मुख्य धारा में सक्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक गतिविधि लैटिन अमेरिका द्वारा पनामा में शुरू की गई हैं जिसमें क्षेत्रीय आदिवासी महिला और जैव विविधता नेटवर्क को अपनी दृष्टि के साथ क्षेत्र भर में सक्रिय बनाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार AIWO और AIWN के द्वारा भी 2007 में अपने अपने क्षेत्रीय स्तर पर जैव विविघता सम्मेलन एवं आदिवासी महिला पर आधारित कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

जैव विविघता सम्मेलन के मामलों में आदिवासी महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिका को IIFB से उद्धृत निम्नलिखित अंश के द्वारा समझा जा सकता है। जिसमें IIFB और जैव विविघता सम्मेलन गतिविधियों में अपनी भागीदारी पर आदिवासी महिलाओं की सोच अभिव्यक्त होती है :–

इन्टरनेशनल इन्डिजीनियस फोरम ऑन बायोडाइवरसिटी (IIFB), CoP$_7$, कुआलालमपुर, मलेशिया से उदृघृत अंश फरवरी 2004

आदिवासी महिलाएँ ही हमारी संस्कृति, इतिहास जन्म व पीढ़ीगत दृष्टिकोण, जीवन नजरिया एवं विश्व के साथ–साथ स्वयं के होने के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रदान करती रही हैं। ये सभी जीवन–तरीके विश्व जैव विविधता की सुरक्षा के साथ–साथ हमारी संस्कृति के स्थायित्व, संवर्द्धन एवं विकास के लिए भी आवश्यक हैं। CoP निर्णय VI/10 जो जैव विविधता के सतत् उपयोग एवं संरक्षण में महिलाओं की महती भागीदारी की जरूरत पर बल देता है, को स्मरण कर हम सभी पक्षकारों से आहवान करते है कि वे कार्य की सभी गतिविधियों में आदिवासी महिलाओं की पूर्ण एवं प्रभावकारी भागीदारी पर ध्यान दें। इस बात की यहाँ आवश्यकता है कि इसे किस प्रकार हासिल किया जाय–पर क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सतर पर आदिवासी महिलाओं के साथ सलाह मशविरा किया जाय।

हमारी बैठकों से निकले हुये कुछ महत्वपूर्ण मुददों पर हम कुछ प्रकाश डालना चाहेंग जिसे हम अगले दो बैंठकों में विचार–विमर्श के लिए रखेंगें।

पहला, कि हम पक्षकारों को स्मरण कराएंगे कि जैव विविधता के सतत उपयोग और संरक्षण में आदिवासी महिलाओं की अतिप्रमुख भूमिका हैं। इसलिए यह विचारणीय है कि जैव विविघता सम्मेलन के निर्णयों एवं कार्य योजनाओं के विकास और क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर आदिवासी महिलायें सक्रिय सहभागी एवं निर्णय–निर्माणक है, जैसा कि CoP निर्णय VI/10 में वर्णित हैं। इन्हीं के कारण स्थानीय पारिस्थितिकीय तंत्र से जुड़ा हमारा ज्ञान सुरक्षित हैं।

दूसरा कि आदिवासी महिलाओं का स्वास्थ्य एवं कुशल होना पारम्परिक दवाओं, मान्यताओं एवं पारिस्थितिकीय तंत्र के स्वास्थ्य के साथ गहरे जुड़ा हैं। हम पक्षकारों से निवेदन करते है कि वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन संदूषक मसलन स्थायी कार्बनिक प्रदुषक, जैव चोरी जैसे गंभीर विषयों जिसने हमारे स्वास्थ्य हमारे जीवन और हमारे बच्चों तक के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न किया है – पर ध्यान दें।

तीसरा कि संरक्षित क्षेत्रों की पहचान एवं उसके प्रबन्धन में आदिवासी महिलाएँ पूर्ण रूप सक्रिय नहीं हुई है, जिसके कारण हमारे अधिकार प्रायः टुटे है, जीने के लिए आजीविका एवं सांस्कृतिक संसाधनों के दोहन प्रतिबंधित हुए है और हमारे लोग तक असहाय हो गए हैं। हम निवेदन करते है कि संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े निर्णयों एवं कार्य योजनाओं में पक्षकार समानता व अधिकार के इस गंभीर मुद्धो को जगह दें।

धारा -8(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों (UNEP/CBD/CoP/7/7) पर गठित कार्यशील समूह की सिफारिश का स्मरण करें जिसके अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के लिए खास क्षमता निर्माण गतिविधियाँ शुरू करने की बात कहीं गई हैं।

आदिवासी महिला जैव विविधता नेटवर्क (IWBN) के सदस्य अब सक्रिय भागीदारी के लिए और आगे बढ़े तथा CoP के प्रति अपने अविस्मरणीय योगदान देते रहें।

जैव विविघता सम्मेलन उप राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर नीतियों एवं कार्य योजनाओं के विस्तार में महिलाओं के अनुभवों को शामिल करने का अनुरोध करता है। यह हम सबों के लिए काफी फायदेमंद होगा कि हम जैव विविघता सम्मेलन के कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन के विविध स्तरों पर लिंग आधारित समानता सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत कार्य तरीकों की पहचान करें।

अभ्यास – 2

कार्यशाला / सामूहिक विचार विमर्श (1 घंटा)

जैव विविघता सम्मेलन के कार्यप्रणाली एवं कियान्वयन के विविध स्तरों पर लिंग आधारित समानता सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत कार्य तरीकों की पहचान

1. सहभागियों को तीन छोटे समूहों मे बाँटा जाता है। प्रत्येक समूह प्रश्न का उत्तर देता है :

   जैव विविघता सम्मेलन के कार्यप्रणाली एवं कियान्वयन में भागीदारी के लिए आदिवासी महिलाओं को समान अवसर देने के लिए क्या किया जा सकता है ? जैव विविघता सम्मेलन मे स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी के लिए सुझाव दें।

2. नीचे लिखे तालिका के अनुसार समूह अपना सुझाव लिखता है।

कियान्वयन स्तर	जैव विविघता सम्मेलन में आदिवासी महिलाओं की समान भ. ागीदारी पर सुझाव
स्थानीय	
राष्ट्रीय	
अन्तर्राष्ट्रीय	

3. प्रत्येक समूह दिए गए 10 मिनट में अपने विचार विमर्श के परिणाम का प्रतिवेदन देता है।
4. प्रशिक्षक आए हुए प्रमुख सुझावों को संक्षेप में बताता है और विचार विमर्श समाप्त करता है।

मापांक 8 आदिवासी लोग और जैव तकनीक

उद्देश्य

1. आनुवांशिक अनियंत्रण, आनुवांशिक रूप से परिष्कृत जैव (GMO) तथा आदिवासी लोगों पर इसके प्रभाव को समझना
2. जैव पूर्वेक्षण (भविष्य) तथा जैव चोरी क्या है और आदिवासी लोगों पर इसके प्रभाव को समझना
3. कार्टेगना प्रोटोकॉल और आदिवासी लोगों के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में जानना
4. GMOs तथा जैव तकनीकी के संदर्भ में आदिवासी लोगों के प्रयास एवं कियाक्लापों को सामने लाना

संसाधन / पाठय सामग्री

- "प्रोटेक्ट हवाईइज बायोडाइवरसिटी" मुख्य बातें।
- "इन्डिजिनीयस पीपुल, जीन एण्ड जेनेटिक्सः हवाट इन्डिजिनीयस पीपुल शुड ने एबाउट बायोकोलोनियलिज्म : ए प्रीमियर एण्ड रिसोर्स गाइड"
- "बायोसेफ्टी एसेसमेन्ट टूल"
- GMO सत्र और कार्टेगना प्रोटोकाल का कियान्वयन
- जैव सुरक्षा पर कार्टेगना प्रोटोकाल के कियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विकासशील देशों में क्षमता निर्माण

समय

2 घंटे

कियाक्लाप :

अभ्यास –1

विडियो प्रर्दशन और गूंज सत्र (30 मिनट)

1. हवाई के इन्डिजिनयस पोर्टल पर उपलब्ध GMO लघुफिल्म का प्रदर्शन। (www.indegenousportal.com)
2. इस प्रदर्शन से जुड़ी प्रतिकिया पर आधारित एक छोटा गूंज सत्र।

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श : (1 घंटा)

1. विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषा

आनुवांशिक रूप से परिष्कृत जैवों से जुड़े विषयों को समझने के लिए प्रयुक्त किए गए शब्दों की परिभाषा जानना आवश्यक है :

- **जैव विविधता :** भूमि एवं समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्रों, दूसरे जलीय परिस्थितिकीय तंत्रों और इससे जुड़े पारिस्थितिकीय संकल स्रोतों में पाए जाने वाले विविध जैवों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है।
- **जैव संसाधन :** मानव जाति के लिए उपयोगी या महत्वपूर्ण जैविक अवयव से जुड़े जैव संसाधन, जैव या इनके कोई अंग, जनसंख्या जैसे अवयव।
- **जैव क्षेत्र :** पृथ्वी का धरातलीय भाग, जलीय भाग और धरातर से 15 कि0मी0 की ऊँचाई तक के वायुमंडलीय भागों से बना क्षेत्र जिसमें जीवित प्राणियों एवं उनके पर्यावरण की पूरी श्रृंखला है।
- **जैव तकनीकी :** जैविक संसाधनों, जीवित प्राणियों या उनके सह उत्पादों की सहायता से तकनीकी द्वारा किसी खास उददेश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया या परिष्कृत किया गया उत्पाद या उत्पादन प्रक्रिया का अनुप्रयोग।
- **जैव आनुवांशिक संसाधन :** जैव और आनुवांशिक संसाधन जिसके अंतर्गत पादप, जन्तु, सूक्ष्म जीव, कोशिका और जीन्स शामिल हैं।
- **जैव चोरी :** यह जैव आनुवांशिक संसाधनों की चोरी है। इसके अन्तर्गत जैविक जानकारी एवं कृषिगत जैव संसाधन की चोरी वैयक्तिक या संस्थागत स्तर पर अपना एकाधिकार (पेटेन्ट या बौद्धिक सम्पदा) इनके उपयोग के लिए स्थापित करना शामिल हैं।
- **जैव भविष्य :** उपयोगी एवं वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण जीन्स एवं प्रजातियों की खोज है।
- **आनुवांशिक विविधता :** जीन्स की विविधता या उप खास आनुवांशिक विविधता।
- **आनुवांशिक संसाधन :** वैसे जीन साधन जिनका वास्तविक या सक्षम महत्व हो।
- **आनुवांशिक अभियंत्रण :** प्रयोगशाला में आनुवांशिक तत्वों के साथ किया गया फेरबदल है। इसके अन्तर्गत बगैर प्रजनन प्रक्रिया के विविध प्रजातियों के जीनों या डी0एन0ए0 (DNA) को अलग करना, अनुकरण करना, बढ़ाना और पुर्नसंयोजन करना शामिल हैं।
- **आनुवांशिक रूप से परिष्कृत जैव** (GMO) – ये वैसे परिष्कृत पौधे हैं जिनमें दूसरे जैव के जीनों को जोड़ा गया है जिससे पौधे में वांछित परिवर्तन लाया जा सकें। GMO सोयाबिन शाकनाशी के साथ छिड़का जा सकता है जो एक पराम्परागत सोयाबीन को खत्म कर देता हैं। यह देखने में, बढ़ने में और स्वाद में पारम्परिक सोयाबीन की तरह होता है किन्तु आणविक स्तर पर यह भिन्न होता हैं।

- आनुवांशिक उपयोग निषेध तकनीक (GURTS) : टर्मिनेटर तकनीक के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत और वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयुक्त अधिकृत नाम है। यह तकनीक का एक सामान्य वर्गीकरण हैं जो, उनकी नजर में, जो एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसमें बाह्य अभिकारको–रसायन या भौतिकीय अभिप्रेरक (ताप, झटका)–का प्रयोग कर पहले के दिए गए जीन को क्रियाशील अथवा अक्रियाशील बना दिया जाता है।) GURTS के दो मुख्य वर्गीकरण हैं – गुण आधारित (T-GURTS) और किस्म आधारित (V-GURTS) T- GURTS का उददेश्य गुणों जैसे – कीट प्रतिरोध, दाब सहनशीलता या पोषण का उत्पादन–को नियंत्रित करना है जबकि V-GURTS का उददेश्य पुनर्जनन प्रक्रिया को नियंत्रित करना है जिसका परिणाम बीज–बन्ध्यता होगा, इस प्रकार पूरी प्रजाति का अस्तित्व ही प्रभावित होगा। GURTS प्रणाली को अपनाने या छोड़ने की क्षमता बाह्य रूप से उत्पादक को या तो गुण या तो उपलब्धता को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है।

2. जैव भविष्य और आनुवांशिक अभियंत्रणा : आदिवासी लोगों के लिये खतरे

कृषि में आनुवांशिकी से जुड़ी कुछ समस्याएँ जीवों का उपनिवेशीकरण

गहन कृषि, खनिजों के दोहन और औद्योगिक उत्पादन ने आनुवांशिक क्षरण एवं कृषिगत जैव विविधता में कमी को व्यापक एवं व्रीव बना दिया है। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने अनुमान लगाया है कि औद्योगिक फार्मिंग प्रणाली के कारण पिछले सौ वर्षो में 75 प्रतिशत तक कृषिगत प्रजातियाँ नष्ट हुई हैं। आनुवांशिक अभियंत्रण का विकास हो रहा है और पराआदिवासीय कृषि व्यवसाय द्वारा इसका व्यापक बाजारीकरण किया जा रहा हैं। यहाँ इरादा एक उत्पाद के लिए बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करने का है, बड़े स्तर पर एकल फसलीय संस्कृति वाला ग्रामीण परिदृश्य युक्त आनुवांशिकीय एकरूपता आने की संभावना है।

इन प्रवृत्तियों ने आदिवासी लोगों एवं छोटे मझोले किसानों को भयभीत कर दिया है कि आनुवांशिक अभियंत्रण से जुड़ी फर्मे बहुत तेजी से बहुफसलीय कृषि को अपने परिष्कृत बीजों के माध्यम से बदल कर छोटे किसानों एवं ग्रामीण कृषक परिवार को बाजार से बाहर करना चाह रही है। अब बीज कम्पनियां विविधता एवं उदभव केन्द्रों की ओर रूख कर रही है, मॉन सेनेटो आलू अब एन्डेस जहां आलू का उद्भव हुआ – तक पहुँचाएं जा रहे हैं। परिष्कृत मक्का अब मेक्सिको भी जा रहा है, जहाँ हजारों वर्ष पहले माया लोगों ने मक्का को घरेलू व विविधतापूर्ण ढंग से उगाया था।

बहुत सारे आदिवासी लोग आनुवांशिक अभियंत्रण कम्पनियों द्वारा पौधों व जन्तु प्रजाति की चोरी को लेकर भयभीत हैं। चूंकि जैव विविधता का 90 प्रतिशत भाग विकासशील देशों के अंतर्गत आदिवासी एवं ग्रामीण कृषक परिवार के संरक्षण में है, पौधे आधारित आनुवांशिक कम्पनियाँ इन क्षेत्रों में अपना भविष्य तलाश रही हैं ये खाद्य एवं औषधिय उददेश्यों के कारण पौधे, जन्तु प्रजाति तथा इनसे जुड़े आदिवासी ज्ञान को हासिल करने के फेर में हैं।

कई मामलों में, कम्पनियाँ स्थानीय आदिवासी लोगों की जानकारी या सहमति के बगैर प्रजातियाँ ले रही है और बाद में अनुचित तरीके से वैधानिक स्वामित्व का दावा इन पौधों एवं जन्तुओं के लिए करती हैं। वे पौधों एवं जन्तुओं पर अपना पेटेन्ट का आवेदन कर रही है और इसे पा भी रही हैं। पेटेन्ट के अन्तर्गत कम्पनी को अविष्कारक मानते हुए उस जैव का खास एकल स्वामी बताया जाता है। इस पेटेन्ट के पारिणामस्वरूप बेचे जा रहे और बोआई किये जा रहे सभी परिष्कृत बीज तथा दुकानों, रेस्तराओं एवं सुपर मार्केट में उपलब्ध सभी – आनुवांशिक अभियंत्रित आहार इन कम्पनियों के पेटेन्ट नियंत्रण के अधीन आते हैं।

पौधों के इस पेटेन्ट का कई लोग विरोध कर रहे है क्योंकि पेटेन्ट के कारण पौधों पर बीज कम्पनियों का एकाधिकार हो जाता है। हाल के कुछ वर्षो के भीतर बीज एवं कृषि रसायन उद्योगों के द्रीव जमाव को देखते हुए कृषक संगठन खासकर इस क्षेत्र में हो रहे वृद्धि पर सचेत हो रहे हैं।

'टर्मिनेटर' और 'ट्रेटर' बीज

पूरे विश्व में 1.4 बिलियन ऐसे लघु किसान है जो बीज बचत एवं अनौपचारिक रूप से बीजों की अदला–बदली पर निर्भरशील हैं। कई कम्पनियाँ उनके व्यवसाय में दिलचस्पी दिखाती है पर उनकी बीज–बचत की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उन कम्पनियों ने बीज बन्ध्यकरण तकनीक को विकसित किया है जिसके अंतर्गत बीजों को रासायनिक या जैव रूप से बंद कर दिया जाता है। इन तकनीकों के कारण पौधों के द्वारा अपना बीज स्वयं तैयार करने की क्षमता नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार बीज कम्पनियाँ चाहती है कि किसान को प्रत्येक बार फसल के लिए बीज बाजार आना पड़े। खतरा इस बात का भी है कि इस बाह्य संकरण के कारण संकर–परागण के जरिए परिष्कृत बीजों की बन्ध्यता दूसरे प्रजातियों में फैल सकती है। जैसा कि नाम 'टर्मिनेटर' दिया गया है, इनका व्यापक स्तर पर विरोध तथा भारत सहित मेरीलैंड जैसे देश में प्रतिबंध पर विचार हो रहा है। इतना खेद व क्षोभ के बावजूद अमेरिकी कृषि विभाग और डेल्टा एण्ड पाइन लैंड को0 उन्हें विकसित कर रहे हैं।

इससे जुड़ा किन्तु बाद का एक पौधा तकनीक है – 'ट्रेटर' तकनीक। इस तकनीक के अन्तर्गत एक बाह्य रसायन के प्रयोग से पौधों के आनुवांशिक विशेषताओं को खत्म या शुरू किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, कीटनाशक कम्पनियाँ इस तकनीक के आधार पर पौधों के प्रतिरोधी क्षमता को बंद करना चाहेगें जिससे उनका कीटनाशक बाजार बढ़ सकें क्योंकि अब पौधे के सफल उगने के लिए कीटनाशक अनिवार्य होगा। इस तकनीक का सबसे स्पष्ट आशय कृषि क्षेत्र में रसायनों पर निर्भरता को बढ़ाना है। एक दूसरा खतरनाक आशय इसका जैव युद्ध की संभावना बढ़ाने को लेकर भी है। टर्मिनेटर एवं कुछ ट्रेटर गुण पौधों के पराग में भी आते हैं जिससे अवांछित प्रजातियों का इनसे संक्रमित हो जाना भी एक वास्तविक खतरा है।

जैव भविष्य और आनुवांशिक अभियंत्रण कौन करता है ?

- दवा एवं कृषिगत कम्पनियाँ
- बायोटेक फर्म
- विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता
- सरकारी अभिकरण

GMO के संदर्भ में खुला क्षेत्र अनुमति युक्त निगम एवं संस्थाएँ हवाई में प्रयोग

हवाई एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर, साउदर्न लिनोइस यूनिवर्सिटी, लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आफ एरीजोना, स्टेन फोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आफ हवाई, स्टीन बायोटेक्नोलोजी, एम्लाइड पाइटोलोजिक्स, वाइफेल्स हाइबि. डस, डीएनए प्लान्ट टेक, यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी आफ विनकोनसिन, एवेन्टीस, प्रोडाइजेन, गार्स्ट, ड्यूपोन्ट, पायोनियर, सिनजेन्टा, मॉनसेन्टो, डेकब, हाल्डेन्स, डाउ, एनसी+ हाइब्रीड्स, सीबा गाइगी।

जैव भविष्य और जैव अभियंत्रण कहाँ उभरता है ?

- जैव विविधता वाले क्षेत्रों में जहाँ की प्रजातियों एवं जनसंख्या में भारी विविधता होती है।
- **आदिवासी परिक्षेत्र एवं लोग क्यो ?**
- आदिवासी लोगों ने पीढ़ीयों से जैव विविधता का संरक्षण एवं विकास किया है।
- पौधों, जन्तुओं एवं आनुवांशिक संसाधनों के पारम्परिक उपयोग में उनकी गहन जानकारी के लिए आदिवासी ज्ञान आवश्यक है।

आदिवासी लोगों पर जैव भविष्य के क्या प्रभाव है ?

- मुक्त, पूर्व और सूचित सहमति की अवहेलना हो रही है। जैसे कि नमूना एवं जानकारियाँ बगैर उनकी अनुमति व सूचना के ली जा रही हैं।
- आदिवासी लोगों के योगदान का कोई अनुग्रह नहीं। जैसे कि स्रोत पर कोई आरोप नहीं और न ही वाणिज्यिक लाभ में हिस्सेदारी।

3. आनवांशिक अभियंत्रण (GE) और आनुवांशिकीय रूप से परिष्कृत जैव (GMOs)

आनंवांशिक अभियंत्रण के क्या प्रभाव है ?

इसके अन्तर्गत शामिल है : किसानों के लिए स्वास्थ्य के प्रति खतरा, जैव प्रदुषण, फसल संक्रमण और वैधानिक मुद्धे जैसे – दायित्व, बीमा, समझौता विवाद।

स्वास्थ्य के प्रति खतरा

- हमारे खाद्य सामाग्रियों में नए एलर्जी कारकों का निर्माण
- उत्परिवर्तन जो खाद्य में विष वृद्धि करता हैं।
- परिष्कृत जीन में मानव स्वास्थ्य को हानि पहँचाने की सम्भावना
- मानव एवं पशुओं में एन्टीबायोटिक प्रतिरोध में वृद्धि

जैव प्रदुषण, फसल संक्रमण

हवाई में प्रयोग हेतु अनुमति प्राप्त आनुवांशिक अभियंत्रित फसलो का उदाहरण : चावल, मक्का, गेहूँ, तम्बाकू, पपीता, सूर्यमुखी, टमाटर, कॉफी, अनानास सलाद, सूत, जौ, गन्ना, मटर, मूंगफली, आलू, सेव

हवाई में आनुवांशिक अभियंत्रण क्षेत्र में प्रयोग के उदाहरण :

- मक्का मानवीय जीन के साथ – डाउ द्वारा
- गन्ना मानवीय जीन के साथ – हवाई कृषि अनुसंधान स्टेशन द्वारा
- मक्का जेलीफीश के साथ – स्टॉनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा
- तम्बाकू सलाद जीन के साथ – हवाई विश्वविद्यालय द्वारा
- चावल मानवीय जीन के साथ – एप्पलाइड फाइटोलोजिक्स द्वारा
- मक्का हेपेटाइटिस वायरस जीन के साथ – प्रोडीजीन द्वारा
- लाल कवक मानवीय एण्टीबॉडीज के साथ – मेरा फार्माच्यूटिकल्स द्वारा

यदि सहभागी कोई अन्य उदाहरण जानते हो तो बात–चीत करें

4. कार्टेगना प्रोटोकॉल क्या है ?

जैवसुरक्षा पर कार्टेगना प्रोटोकाल एक मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक बाध्यकारी संधि है जो आधुनिक जैव तकनीकी द्वारा उत्पन्न उन परिष्कृत जैवों के प्रयोग, सुरक्षित हस्तांतरण एवं परिचालन को नियंत्रित करता है जो अन्यथा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तथा जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर नकरात्मक प्रभाव डालते है।

यह GMO_S के आयात से जुड़े निर्णय लेने से पूर्व की सावधानियों के संदर्भ में नियमन करते हुए जैव विविधता एवं मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा में योगदान देने का प्रयास करता है। 29 जनवरी 2000 को यह सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया था। नवीनतम रूप में, 157 देश/पक्षकार हस्ताक्षर कर कार्टेगना प्रोटोकॉल को स्वीकार कर चुके हैं।

यह प्रोटोकाल GMOs के पराआदिवासीय आवागमन पर केन्द्रित है। इसके प्रावधान न्यूनतम जरूरतों के साथ राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय जैव सुरक्षा एवं कानूनों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि प्रोटोकाल की धारा–2(4) में वर्णित है–पक्षकारों को यह अधिकार है कि वे उच्च मानकों के साथ ज्यादा व्यापक राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करें।

5. जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का औचित्य एवं महत्व

जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल उचित है क्योंकि यह इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि GMOs वंशानुगत रूप से भिन्न है और खास खतरा व नुकसान वाहक हें इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नियमन आवश्यक है।

राष्ट्रीय सरकारों का यह सम्प्रभु अधिकार है कि वे अपनी परिसीमा क्षेत्र के भीतर GMOs और उनके उत्पाद को नियंत्रित करें। यद्यापि जैव सुरक्षा विनियमन के कई पक्षों को बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रीय जैव सुरक्षा कानूनों के अन्तर्गत परिभाषित किया गया हैं किन्तु इसके कई पक्ष चूंकि पराआदिवासीय लेन–देन से जुड़े है जिन्हें घरेलू कानूनों के जरिए नियंत्रित करना कठिन है अतएव यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून जरूरी दिखता है।

जैव सुरक्षा पर कार्टेगना प्रोटोकॉल ने जैव सुरक्षा विधानों के न्यूनतम मानकों की एक रूपरेखा, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी, तैयार किया है तथा GMOs के पराआदिवासीय आवागमन पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून की आधार शिला रख दी है।

यह खासकर विकासशील देशों के मामलों में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विकासशील देश GMOs के प्रमुख आयातक हैं और आयातक रहेंगे तथा इसी प्रकार GMOs से बने उत्पाद की मुख्य रूप से उत्तर से ही निर्यात होते हैं।

GMOs और उनसे बने उत्पादों को उत्तर में लोगों द्वारा नकारा जाना बताता है कि विकासशील देशों में GMOs और इनके उत्पादों के बाजार बढ़ाने का प्रयास हो रहा हैं। अधिकतर विकासशील देशों में अब तक जैव सुरक्षा से जुड़े नियमन या कानून नहीं हैं। विकासशील देशों को उत्तरी देशों की तुलना में एक बड़ा पर्यावरणात्मक खतरा भी झेलना पड़ता है क्योंकि अधिकांश फसल उद्‌भव एवं विविधता के वैश्विक केन्द्र दक्षिण में ही स्थित हैं।

GMOs प्राकृतिक किस्म के लिए बाहरी आक्रामक प्रजाति की भांति हैं। GMOs मौलिक जैवों को संक्रमित करेंगें। एक बार जब ये उनके उद्‌भव केन्द्र पर पहुँचेंगे तो ये इतने प्रभावशाली हो जाएँगे कि इन्हें हटाना कठिन होगा। उदाहरण के लिए मैक्सिको को मक्का का उद्‌भव केन्द्र माना जाता हैं। जब परिष्कृत (GE) मक्का को जानवरों के भोजन के रूप में मेक्सिकों में लाया गया तो GE किस्म ने आदिवासी मक्का के साथ अन्तः परागन शुरू कर दिया, फलस्वरूप आदिवासी मक्का के ये किस्म अधिक समय तक नहीं मिल सकते।

प्रोटोकॉल के अंतर्गत निर्णय निर्माण की कार्यप्रणाली में एहतियाती सिद्धांतों को पुनः स्वीकार करते हुए परिचालित किया गया है। इसका मतलब कि वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव में पक्षकार सावधानी के प्रति सचेष्ट होकर GMOs के विपरीत प्रभावों को देखते हुए अपने यहाँ इसके आयात को प्रतिबंधित कर सकते हैं। प्रोटोकॉल में एहतियाती सिद्धांतो की पुनः स्वीकृति इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सिद्धांत भी बनाता है।

6. जैव सुरक्षा प्रोटोकाल की कुछ खास कमियाँ

यद्यापि प्रोटोकॉल को काफी लम्बी बहस और बातचीत के बाद उचित माना गया था किन्तु इसमें भी कई खामियाँ हैं। प्रोटोकाल के सामान्य कार्य क्षेत्र एवं पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से GMOs के बहुत सारें किस्मों को बाहर रखा गया हैं। किन्तु खतरा तो सभी GMOs से उतना ही है चाहें उनका प्रयोग कृषि, दवा या शोध में हो तथा इसका भी कोई मायने नहीं है कि उन्हें सामग्री या दवा के वर्गीकरण में शामिल किया गया हो।

GMOs से उत्पादों (जैसे–परिष्कृत सोयाबीन से बना सोया प्रोटीन) को प्रोटोकाल के सम्पूर्ण विषय क्षेत्र से बाहर रखा गया हैं। जिसके कारण ऐसे उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बगैर नियमन के बने हुए हैं। लेकिन खुला DNA जो आनुवांशिक अवयव है और ग्राहक जैव में डाला जाता है, GMOs से बने उत्पादों में बना रहता है और आंतो के द्वारा रक्त प्रवाह में शामिल हो सकता है।

प्रोटोकाल आनुवांशिकीय अभियंत्रित मानवीय दवाओं के पराआदिवासीय आवागमन पर लागू नहीं होता है जिनके बारे में दूसरे संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों या संगठनों के द्वारा आवाज उठायी गई हैं।

ढेर सारे GMOs पूर्व सूचित समझौतों (AIA) से बाहर रखे गए हैं। इन समझौतों की प्रक्रिया के अंतर्गत सभी GMOs आयातक को चिहांकित करने और सभी आवश्यक सूचनाओं के साथ रखने की बात कही गई है। एहतियाति सिद्धांतों एवं खतरों के आंकलन को ध्यान में रखते हुए निर्णय निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव इसके कारण आया है। प्रोटोकाल के सामान्य विषय क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य, पशु चारा या प्रसंस्करण को जहाँ साफ तौर पर शामिल किया गया है वहीं AIA क्रिया प्रणाली में इन्हें बाहर रखा गया हैं। इन सबके कारण GMO के प्रमुख निर्यातकों के निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत भाग के रूप में व्यापारिक GMOs का बड़ा हिस्सा बना हुआ हैं। इसी प्रकार GMOs जिन्हें डब्बा बंद प्रयोग के लिए नियत किया गया हैं (प्रोटोकॉल के अन्तर्गत इसके डब्बा बंद उपयोग को एक खास तरीका के रूप में स्वीकार किया गया है जिससे बाहरी पर्यावरण एवं इसके आवागमन से जुड़े तीसरे देशों को GMOs के प्रभावों से बचाया जा सकें) भी AIA प्रक्रियाओं से बाहर रखे गए है।

7. कार्टेगना जैव सुरक्षा प्रोटोकाल और WTO संधि

इस प्रोटोकाल एवं WTO संधि के बीच के सम्बन्धों को हल किया जाना अभी बाकी है। बड़े निर्यातक देशों से होने वाले खतरों और इनके द्वारा WTO के नियमों के उल्लंघन होने की संभावना के बीच जैव सुरक्षा पर कार्टेगना प्रोटोकाल पारित किया गया। प्रोटोकाल एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के बीच के सम्बंधों को स्पष्ट रूप से प्रोटोकाल में व्याख्यायित नहीं किया गया है, इसके स्थैतिक प्रावधान WTO समझौतों से मेल खाते है।

अब अधिकांश विकासशील देश अपने राष्ट्रीय जैव सुरक्षा की रूपरेखा को विकसित करने की प्रक्रिया में लगे हुए है। ऐसा वे करते है तो आनुवांशिक अभियंत्रण से जुड़ी राजनीति एवं विवाद शुरू हो सकते हैं।

अधिकांश विकासशील देशों पर राष्ट्रीय जैव सुरक्षा की कार्ययोजना बनाने का भारी दबाव है जिसके कारण आवश्यक जैव सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखे बगैर जैव तकनीकी के विकास एवं स्वीकार्यता का मार्ग प्रशस्त हो सकें। विकासशील देश इस मामले को लेकर भी निश्चिंत है कि उनका जैव सुरक्षा प्रावधान व्यापार के अनुकूल हैं इसलिए वे WTO शिकायत की धमकी का सामना नहीं करेंगे जैसा कि यूरोपियन के साथ हुआ था।

8. आनुवांशिक संसाधनों एवं आदिवासी ज्ञान के संदर्भ में आदिवासी लोगों की स्थिति क्या है ?

आदिवासी लोगों एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले आनुवांशिक अभियंत्रण के गम्भीर एवं दीर्घकालिक प्रभाव को देखते हुए आदिवासी लोगों के संगठनों के साथ–साथ गैर सरकारी संगठन भी इस मुद्धे पर पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जैसा कि आगे पृष्ठ में वर्णित घोषणाओं के अंतर्गत देखा जा सकता है।

आदिवासी ज्ञान एवं आनुवांशिक संसाधनों के संदर्भ में आदिवासी लोगों के अधिकार पर आदिवासी मुद्धो पर संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मंच के छठे सत्र में की गई घोषणा : 14–25 मई 2007, न्यूयार्क

हम, अद्योहस्ताक्षरित आदिवासी लोग एवं संगठन, आदिवासी मुददों पर आधारित संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के छठे सत्र मई 24–25, 2007 के दौरान ओनानडगा राष्ट्र की पारम्परिक सीमा पर आयोजित बैठक में आदिवासी ज्ञान एवं आनुवांशिक संसाधनों के प्रति हमारे अधिकार पर निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करते है :

हमारे पारम्परिक परिक्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जैंव के साथ अपनी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों को पुनः दुहराते है।

अपने परिक्षेत्र, भूमि एवं संसाधनों के संरक्षक होने के रूप में अपने मौलिक कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पुनः स्वीकार करते हैं।

हमारे पूर्वजों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित पारम्परिक ज्ञान के संरक्षक के रूप में हम अपने को स्वीकार करते है और यह दुहराते है कि इस ज्ञान की रक्षा करने और निरन्तरता बनाए रखने का दायित्व हमारा है ताकि हमारे लोगों एवं आगे की पीढ़ी को भी इन सब का लाभ मिल सकें।

पूरी मजबूती के साथ हम अपने दृढ़ निश्चय के अधिकार को दुहराते है जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों एवं हमारी प्रथ. ाओं से जुड़े उत्तरदायित्वों को आगे बढ़ाने की क्षमता का मौलिक रूप है।

पूरी मजबूती के साथ हम आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, जिसे मानवाधिकार काउन्सिल द्वारा स्वीकार किया गया था, पर अपनी वचनबद्धता को दुहराते है। धारा–31 स्थापित करता है कि :

1.आदिवासी लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, पारम्परिक ज्ञान एवं पारम्परिक सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ–साथ उनके विज्ञान, तकनीकी एवं संस्कृति सहित मानव एवं आनुवांशिक संसाधन, बीज, दवा, फाउनाव फ्लोरा के गुणों की जानकारी, साहित्य, खेलकूद और कलात्मक प्रदर्शन को बनाए रखने, नियंत्रित करने, रक्षा करने एवं विकसित करने का अधिकार है।

2.आदिवासी लोगों के साथ जुड़कर राज्य इन अधिकारों के प्रयोग की रक्षा एवं मान्यता देने के लिए प्रभावकारी उपायों को लागू करेगा।

पश्चिमी अर्द्ध क्षेत्र के आदिवासी संगठनों की घोषणा, फरवरी 1995, फोनिक्स, एरिजोना को याद किया जाय जिसमें कहा गया ''आदिवासी लोगों के रूप में हमारा दायित्व है कि सभी जीवों को प्राकृतिक क्रम की निरन्तरता को बनाए रखें जो पीढ़ीयों से होता चला आ रहा है ..... हमारे पास सभी जैवों के लिए बोलने का दायित्व है, प्राकृतिक क्रम विन्यास की एकता को बचाए रखना है ..... हम सभी प्राकृतिक आनुवांशिक अवयवों के पेटेन्टीकरण का विरोध करते है ..... हम मानते है कि जीवन अपने छोटे से छोटे रूप में भी खरीदा, अपनाया, बेचा, खोजा या पेटेन्टीकृत नहीं किया जा सकता। ''

संयुक्त राष्ट्र चौका विश्व कान्फ्रेंस, बिजींग के अन्तर्गत आदिवासी महिलाओं पर बीजिंग घोषणा को याद किया जाय जिसमें कहा गया ''हम मांग करते हैं कि हमारे बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारे अहस्तांतरणीय अधिकार को स्वीकार किया जाय और सम्मान की नजरों से देखा जाय।''

୧୯୯୭ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୧୨ - ୧୩ ତାରିଖପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପାନାମାର କୁନାୟାଲା ଉକୁପ୍‌ସେନୀ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଅନୁସାରେ - ଆମେ ବୌଦ୍ଧିକ ସଂପତ୍ତି ଉପରେ ବିଧେୟକ ପ୍ରଣୟନର ସାଂପ୍ରତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ବୌଦ୍ଧିକ ସଂପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆମଗୋଷ୍ଠୀରୁ ବା ଯେକୌଣସି ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପାରଂପରିକ ଜ୍ଞାନଗୁଡିକର ନୀୟମାନୁଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ।

୨୦୦୩ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ମେକ୍ସିକୋର କ୍ୱିଣ୍ଟାନା ରୁ, କାନ୍‌କୁନ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ୫ମ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ସଂପର୍କିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାନକୁନ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଅନୁସାରେ – ଜୀବସତ୍ତା ଏବଂ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ସଂପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଓ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବନ୍ଦକର। ଆମେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଆମର ବିହନ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ଫେରି ପାଇବାକୁ ସହୟତା କର।

ଜୈବବିବିଧତା ସମ୍ମିଳନୀ ଆଧାରରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଲାଭାଂଶ ବଣ୍ଟନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୀୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ନିଜର ଅଂଚଳରେ ଥିବା ଜମିଜମା, ଜଳରୁ ସୃଷ୍ଟ ଆନୁବଂଶିକ ସମ୍ବଳ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଗତ ଅଧିକାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁ ଦୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ତେଣୁ ଆମେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ସମସ୍ୟା ସଂପର୍କିତ ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ଫୋରମ୍ କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି

୧. ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜନସାଧାରଣ ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂପର୍କ, ପରିସର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ଜୈବବିବିଧତା ସମ୍ମିଳନୀର ଦେଶଗୁଡିକୁ ସଂମ୍ମିଳନୀ ସଂପର୍କିତ ସାବ୍ରଭୌମତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାରେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଲାଭାଂଶ ବଣ୍ଟନ ସଂପର୍କିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୀୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଭୂମିକାକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଇନଗତ ତର୍ଜମାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା।

୨. ଜୈବବିବିଧତା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଉ ଯେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର ନୀୟମ ଆଧାରରେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଅଂଚଳର ଜମି ଓ ଜଳରୁ ସୃଷ୍ଟ ଆନୁବଂଶିକ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ପାରଂପରିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱିକୃତି ଦେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱିକୃତି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଲାଭାଂଶ ବଣ୍ଟନ ସଂପର୍କିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୀୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ମୂଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

୩. ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆନୁବଂଶିକ ସମ୍ବଳ ଓ ପାରଂପରିକ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ସଂପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ।

୪. ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ର ଏବଂ ଉପରଲିଖିତ ସ୍ୱିକୃତ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡିକୁ ସମସ୍ତ ଜାତିସଂଘ ସଂଗଠନକୁ ବିତରଣ କରାଯାଉ।

ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଆନୁବଂଶିକ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅଧିକାର ସଂପର୍କିତ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସମୂହ

- ଆଣ୍ଡେସ୍ ଚିନ୍‌ଚାସୁୟୋ, ଇକୁଆଡୋର୍
- ଗ୍ରାଡିସ୍‌ନାଲ୍ ସର୍କଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଲ୍‌ଡର୍‌ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍
- ଟୋନାଟିଏରା
- ରାପା ନୁଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୪୪ ଅଦର ଆଇ.ପି.ଓସ୍

9. GMOs के संदर्भ में आदिवासी लोगों ने क्या कार्यवाही की ?

टारो की रक्षा (हवाई)

आदिवासी लोगों की वाचन यात्रा 2005 : माओरी, पैयूटे और हवाई के कार्यकर्ताओं ने 4 द्वीपों पर स्थानीय हवाई वासियों को उनके समुदायों पर GMOs के पड़ने वालों प्रभावों के बारे में बताया :

हलोआ उत्सव, मई 2005, वाल्टर रीट मोलोकाइ द्वीपवासी स्थानीय हवाइयन कार्यकर्ता और उनके मित्र हलोआ (टारो की रक्षा) उत्सव मना रहे हैं, जिसमें हवाई विश्वविद्यालय के डीन एन्ड्रीयो हासीमोटो पर दबाव बनाते हुए उन्हें इवाइयन टारो के आनु0अभि0शोध को बंद करने हेतु हस्ताक्षर करने की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने बीच बचाव के प्रयास के अन्तर्गत एक ''जैव नीति पैनल या स्थानीय हवाइयन सलाहकारी बोर्ड का गठन किया किन्तु दुर्भाग्यवश इस बोर्ड के सदस्य दुर्भावना से ग्रस्त होकर हवाई लोगो के लिए GE टारो को प्रोत्साहित की बात कही।

350 प्रदर्शनकारी वि0वि0 प्रेसीडेन्ट कार्यालय पर इकटठा हुए : वाल्टर रीट ने 350 प्रदर्शनकारियों के साथ यह मांग रखी कि वि0वि0 GE टारों पर तुरंत रोक लगाए और पौधें पर से अपना पेटेन्ट हटाए। पूरे देश के लोगों ने गीतों की शक्तियों हुला नृत्य और हालोआ के सम्मान में गाए जाने वाले गीतों के द्वारा अपनी आवाज उठाई तथा सभी प्रमुख आदिवासी टी0वी0 चैनलों एवं समाचार पत्रों ने इस प्रदर्शन को कवर किया। इन सबने वि0वि0 पर अग्रिम दबाव का काम किया।

टारों पर पेटेन्ट रोकने सम्बन्धी आवेदन पत्र, फरवरी 23, 2006 : वाल्टर रीट और टारो किसान क्रीस कोबायाशी ने खाद्य सुरक्षा केन्द्र की मदद से वि0वि0 को टारो पर पेटेन्ट रोकने सम्बन्धी एक आवेदन पत्र सौंपा।

GMO टारो पर रोक हवाई विधान मंडल द्वारा पारित 2007 : 2007 के विधान मंडल सत्र के दौरान GE टारों शोध पर रोक सम्बन्धी बिल सीनेट के द्वारा पारित हुआ, बातचीत का लम्बा दौर चला, मिडिया कवरेज मिला और स्थानीय इवाइयन, टारो किसान एवं निर्वाचित अधिकारी के बीच नए सम्बन्ध बने। किसान स्थानीय हवाइयन और जुड़े हुए नागरिकों ने सभी द्वीपों पर इस सामूहिक प्रदर्शन को घंटो तक प्रस्तुत किया जिससे निर्वाचित अधिकारियों पर सीधा प्रभाव पड़ा। SB958 सीनेट द्वारा पारित होकर हाउस पहुँचा जहाँ क्लीफ्ट सूजी, अध्यक्ष, कृषि कमिटी ने इस सत्र में बिल पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। स्थानीय इवाइयन और टारो किसान प्रदर्शन के लिए विधान मंडल गए।

अभ्यास – 2

खुला मंच और सम्पूर्ण विचार विमर्श (30 मिनट)

आनवांशिक अभियंत्रण एवं जैव विषय पर प्रश्न, टिप्पणी एवं विचार

1. सहभागी स्रोत व्यक्ति से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न कर सकते है या विषय पर अपनी प्रतिक्रिया या टिप्पणी कर सकते हैं।
2. स्रोत व्यक्ति प्रश्नों व टिप्पणियों पर अपनी अभिव्यक्ति देता है।
3. सहभागी – आदिवासी लोगों को अपने क्षेत्रों में जैव भविष्य एवं आनुवांशिक अभियंत्रण की समस्या को उभारने के लिए क्या करने की जरूरत है ? पर अपने–अपने विचार प्रकट करते हैं।
4. प्रशिक्षक प्रमुख बिन्दुओं को संक्षेप में बताता है और विचार विमर्श समाप्त करता हैं।

संदर्भ :

- हैरी डेब्रा, स्टीफन हावर्ड, ब्रेटली शेल्डान 2000 इन्डिजिनियस पीपुल, जीन्स एण्ड जेनेटिक्स हवाट इन्डिजिनियस पीपुल शुड नो अबाउट बायोकोलोनियलिज्म ए प्रीमियर एण्ड रिर्सोस गाइड, निक्सान, NV:IPCB
- लीम ली लीन 2000, कैपेसिटी बिल्डिंग इन डेवलपिंग कन्ट्रीज टू फैसलीटेट द इम्प्लीमेनटेसन आफ द कार्टेगना प्रोटोकाल आन बायो सेफ्टी, मलेशिया, TWN
- रोड्रीगुज विलालोबोस, गुसेल मान्टसेराट ब्लान्को लैबो, फ्रांसिस्को एजोफीफा कैसेन्टे 2004, डाइवरसिटी मेक्स द डिफरेंस : एक्शन टू गारन्टी जेन्डर इक्विटी इन द एप्लीकेशन आफ द कन्वेन्सन आन बायोलॉजीकल डाइवरसिटी, IUCN

मापांक 9 आदिवासी लोग, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन

उददेश्य

1. जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और आदिवासी लोगों के पारम्परिक ज्ञान के अन्तः सम्बन्धों को समझना।
2. जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वर्तमान नीतियाँ एवं कार्यक्रमों के प्रति आदिवासी लोगों की समझ को बढ़ाना।
3. REDD+ वन एवं जैव विविधता को समझना
4. जैव विविधता और आदिवासी लोगों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से संबंद्ध नीतियों एवं कियाक्लापों को आकार देने में आदिवासी लोगों की प्रभावशाली भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

संसाधन/पाठ्य सामग्री

- जलवायु परिवर्तन एवं आदिवासी लोगों पर मार्गदर्शन
- जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और आदिवासी लोग – मुख्य बाते।
- फिल्म – फीवर/फीव्र
- रिड्यूसिंग इमीसन्स फ्राम डीफोरेस्टेशन एण्ड फॉरेस्ट डीग्रेडेशन इन डेवलपिंग कन्ट्रीज (REDD) : ए गाइड फार इन्डिजिनियस पीपुल्स
- IIPICCC पालिसी पेपर आन क्लाइमेट चेन्ज
- द एंकोरेज डीक्लेरेशन
- रिपोर्ट आन इन्डिजिनियस एण्ड लोकल काम्यूनिटिज हाइली बलनरेबल टू क्लाइमेट चेन्ज इन्टर एलिया आफ आर्कटिक, स्माल आइलैन्ड स्टेट्स एण्ड हाई अल्टीच्यूइस विद द फोकस आन कॉजेज एण्ड सॉल्यूशन्स

समय

3 घंटे

अभ्यास – 1

फिल्म प्रदर्शन – (30 मिनट)

जलवायु परिवर्तन और आदिवासी लोगों के संबंध को समझने के लिए सहभागी को जागृत करना।

1.आदिवासी लोग एवं जलवायु परिवर्तन पर ''फीवर/फीव्र'' नामक फिल्म का प्रदर्शन।

2.फिल्म के प्रति सहभागियों का नजरिया तथा आदिवासी लोगों पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वालों प्रभावों, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन पर उनके विचारों की अभिव्यक्ति।

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श (1 घंटा)

1. प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन में आदिवासी लोगों का योगदान कम रहा है, फिर भी इसके दुष्परिणामों को भुगतने वालों में ये भी शामिल हैं। उन्होंने अपने जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय तंत्रों का प्रबंधन सतत तरीके से हजारों वर्षो से किया है और वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन के कारक कार्बन उत्सर्जन में न्यूनतम भूमिका निभाई है।

असतत् विकास के कारण बढ़ती हुई जलवायु बर्बादी का आदिवासी लोगों के सभी पक्षों पर व्यापक रूप से दुष्प्रभाव पड़ रहा है – मसलन उनकी संस्कृति, मानव एवं पर्यावरण का स्वास्थ्य, मानवाधिकार, पारम्परिक जीवन तरीका, खाद्य प्रणाली एवं खाद्य सम्प्रभुता, स्थानीय अधोसंरचना, आर्थिक निर्भरता सहित आदिवासी लोगों के रूप में उनका अस्तित्व–सब कुछ प्रभावित हो रहा है।

वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा अपनाई जा रही असतत विकास की होड़ ने जलवायु परिवर्तन को जन्म दिया है। बहु राष्ट्रीय निगमों एवं कुछ उच्च औद्योगिक देशों की शक्ति, सम्पत्ति के केन्द्रीकरण के द्वारा बड़े पैमाने पर विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग ने इस प्रवृत्ति को तेज कर दिया है।

हमें यह महसूस करने की भी जरूरत है कि हमारी पृथ्वी माता जलवायु परिवर्तन के दौर से सिर्फ गुजर नहीं रही है बल्कि जलवायु संकट से जूझ भी रही है। आदिवासी लोगों की पिछली और वर्तमान पीढ़ी ने हजारों वर्षो से जलवायु परिवर्तन का सामना करते हुए उनके साथ तालमेल बनाए रखा है। खैर वर्तमान समय के जलवायु परिवर्तन की मात्रा व प्रकृति ने उनके उस तालमेल की क्षमता एवं लचीलेपन रूख के प्रति गम्भीर चुनौति उत्पन्न कर दिया है। इसलिए यह आवश्यक है कि जलवायु संकट पर निश्चितपूर्वक विचार करते हुए जीवन तत्वों के विनाश एवं गंदगी को खत्म किया जाय।

2. जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और आदिवासी लोगों के पारम्परिक ज्ञान के बीच अन्तः सम्बन्ध

पारम्परिक ज्ञान का अभिप्राय आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों से जुड़ी जानकारियाँ, नवाचारों एवं मान्यताओं से है जिसे समय बीतने के साथ उत्पन्न अनुभवों के द्वारा विकसित व वितरित किया गया है और जो स्थानीय सामाजिक संरचना, संस्कृति व पर्यावरण के द्वारा अपना भी लिया गया है। ऐसी ज्ञान की प्रकृति सामूहिक हुआ करती हैं। ऐसे ज्ञानों की प्रकृति प्रायः व्यवहारिक होती है और यह पारम्परिक जीवन शैली, स्वास्थ्य, दवा, पौधे, जन्तु मौसम स्थिति, पर्यावरण, जलवायु स्थिति तथा पर्यावरणात्मक प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को अपने में समेटता है।

जलवायु परिवर्तन का आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के सम्बन्धित ज्ञान, नवाचारों एवं मान्यताओं तथा जैव विविधता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पारम्परिक ज्ञान आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की संस्कृति, सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था, आजीविका, विश्वास, मान्यता, परम्परा, लोकाचार, प्रथा, स्वास्थ्य एवं स्थानीय पर्यावरण से जुड़ाव आदि का अभिन्न अंग है। ऐसे सभी खास तत्वों की यह सम्पूर्णता है जो उनके ज्ञान, नवाचार एवं मान्यताओं को जैव विविधता एवं सतत् विकास से जोड़ने के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है।

जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता से सम्बन्धित निम्नलिखित सिद्धांतो को जैव विविघता सम्मेलन स्वीकार करता है :

- जैव विविधता क्षय का दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन है।
- जैव विविधता प्रबन्धन के द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है और सूखापन से लड़ा भी जा सकता है।

पृथ्वी की जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने एवं समाप्त करने के लिए जैव विविघता सम्मेलन पक्षकारों ने आवश्यक उपायों को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इन सब आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के पारम्परिक ज्ञान, नवाचार व मान्यताओं के सम्मान, संरक्षण एवं स्थायित्व को भी स्वीकार किया है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जैव विविधता का संरक्षण एवं सतत उपयोग भी इनके औचित्य से जुड़ा है। यह भी स्वीकार किया गया कि जलवायु परिवर्तन को खत्म करने की दिशा में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के पारम्परिक ज्ञान, नवाचार एवं मान्यताएँ प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

3. जैव विविधता और आदिवासी लोगों पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है ?

जलवायु परिवर्तन पर गठित अन्तः सरकारी पैनल (IPCC) कार्यशील समूह ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में निम्नलिखित घटनाओं के साथ भावी दिशा–निर्देश जारी किया है :

- अधिकांश मैदानी भागों में दिन–रात का गर्म एवं हल्का ठंडा होना।
- अधिकांश मैदानी भागों में दिन रात का गर्म, और ज्यादा गर्म होना।
- अधिकांश मैदानी भागों में गर्मी का दौर/गर्म हवाओं – तथा बढ़ती हुई प्रवृत्ति
- भारी वर्षा घटनाएँ/अधिकांश क्षेत्रों में कुल वर्षा के अनुपात में भारी वर्षा की मात्रा में वृद्धि।
- सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि
- गहन उष्ण चक्रवातीय घटनाओं में वृद्धि
- समुद्र के स्तरों में अति उच्च वृद्धि की घटनाएँ (सुनामी छोड़कर)

ये परिवर्तन जैव विविधता पर गम्भीर प्रभाव के परिणाम के रूप में आते हैं। (IPCC) के अनुसार, अब तक किए गए आंकलनों के अनुसार, 20–30 प्रतिशत पादप एवं पशु प्रजाति खत्म होने के कगार पर या इससे भी आगे है। सहस्राब्दी पारिस्थितिकीय आकलन के अनुसार, यदि वैश्विक औसत तापमान 1.5–2.5^{0}C भी बढ़ा तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण एक मिलियन से भी ज्यादा प्रजातियाँ को विलुप्त होने का खतरा झेलना पड़ सकता है।

यद्यपि सभी पारिस्थितिकीय तंत्र (प्रवाल भित्ती, मैन ग्रोव, उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकीय तंत्र, बचे हुए आदिवासी घास मैदान) जलवायु परिवर्तन के कारण टूटते हैं किन्तु उनका प्रत्युत्तर भिन्न–भिन्न होता है। कुछ धीरे प्रदर्शन दिखाते हैं (दीर्घजीवी वृक्ष) तो कुछ तुरन्त (प्रवाल भित्ती) दिखाते हैं। जलवायु परिवर्तन ने तो पारिस्थितिकीय तंत्र की कार्यप्रणाली, स्वरूप, आन्तरिक अवयव एवं संरचना को प्रभावित करना भी शुरू कर दिया है (जैसे – आर्कटिक में समुद्री बर्फ की मोटाई घटना, व्यापक स्तर पर प्रवालों का रंग उड़ना, आर्द्र भूमि का लवणीकरण और खारे जल का विस्तारीकरण)

प्राकृतिक घटनाओं के समय चक्र में परिवर्तन होने से विभिन्न जैवों के बीच की अन्तः क्रियाएँ बदलती है, सन्तुलन और पारिस्थितिकीय तंत्र में उलट फेर होता है। जलवायु चक्र जैवों को या तो स्वीकार कर लेने या फिर प्रवास कर जाने को प्रेरित करते हैं। इसी के परिणामस्वरूप नई प्रजाति का उद्‌भव होता है या प्राकृतिक वास के टूटने अथवा बेहतर तरीके से आत्मसात करने की अक्षमता के कारण पुराने का विलोपन होता हैं। विभिन्न समुदायों के पारिस्थितिकीय तंत्र की कार्यप्रणाली को भी यह प्रभावित करता है।

आदिवासी लोगों के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में शामिल है :

- भारी बाढ़ जबरदस्त चक्रवातीय हवाएँ–हैरिकेन, टायफून–एवं तुफान, आदि के कारण होने वाली भयंकर बर्बादी जैसे मकानों, पुलों, सड़कों, बिजली–संचार, डैमों, जंगल, कृषि फसल, भंडार सहित समुद्री एवं तटीय संसाधनों का नष्ट होना।
- भारी भू–स्खलन, बाधित जलापूर्ति, रोग पैदा करने वाले या इनके वाहक जैसे सूक्ष्म जीवों में वृद्धि आदि।
- मानव पर प्रभाव जैसे बाढ़–भूस्खलन के कारण विस्थापन जिससे फसल एवं पशुधन की बर्बादी सहित समुद्री एवं तटीय संसाधनों को भी नुकसान होता है। इन सब के कारण भोजन पेयजल एवं ऊर्जा की अनिश्चितता के साथ–साथ भयंकर महामारी–हैजा आदि फैलने की संभावना बढ़ जाती है।
- लगातार लम्बा बाढ़ एवं सूखा की बारम्बारता से कुछ खास पौधों व पशुओं की प्रजातियाँ भी खत्म हो जाती है जो आदिवासी लोगों के लिए खाद्य संसाधन निर्भरता के रूप में तथा धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में जुड़ी हुई थी।
- ज्यादा एवं अनायास शीत चक्र एवं ज्यादा दीर्घकालिक आर्द्रतायुक्त पर्यावरण के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ–खासकर बच्चों व बुर्जुगों में हाइपोथर्मिया, दमा, खांसी, न्यूमोनिया–होती है।
- जलस्तर में वृद्धि, सूखा, मरूस्थलीकरण एवं खारा पानी का फैलाव–ये सब भूखमरी एवं दरिद्रता को बढ़ाते है। भोजन एवं पेयजल की अनिश्चितता बढ़ती है।
- पारम्परिक आजीविका – चक्रीय कृषि से लेकर शिकार, पर्वतीय पशुधन, कृषि उत्पादन, समुद्री एवं तटीय मत्स्य उत्पादन, वन्य कृषि आजीविका तक – सब कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण घट रहे हैं।

- पारम्परिक आजीविका के नुकसान से इस आजीविका से जुड़ी पारस्परिक जानकारियाँ, नवाचार एवं मान्यताएँ और इनसे सम्बद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र भी घट रहे है।
- राजस्व, आर्थिक अवसरों और पारम्परिक सांस्कृतिक मान्यताओं के नुकसान से आदिवासी लोगों पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक दबाव बढ़ता है। नए आर्थिक अवसरों की तलाश में आदिवासी युवकों के पलायन–जलवायु परिवर्तन ने उनके अपने समुदाय में अवसरों को सीमित कर दिया है – से आदिवासी अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के खत्म होने का खतरा बढ़ गया है।
- ऐसे आदिवासी लोगों की संख्या में वृद्धि जो या तो पर्यावरणात्मक शरणार्थी या बाढ़–भूस्खलन से भूमि की बर्बादी के कारण पलायन करने वालों के रूप में देखे जा सकते हैं।
- आदिवासी महिलायें जो कभी बीज धारक के साथ–साथ संस्कृति एवं भाषा को दूसरों तक प्रसारित करने की भूमिका निभाती थी, की क्षमताओं में कमी आ रही है।
- सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के विनाश से पारम्परिक पारिस्थितिकीय ज्ञान व मान्यताओं के समाप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा जो बुजुर्गो द्वारा अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित हुआ करती है।

4. जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुददों में आदिवासी लोगों के पारम्परिक ज्ञान को केन्द्रीय बिन्दु के रूप में क्यों विचार किया जाना चाहिए ?

*पारम्परिक ज्ञान, आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की संस्कृति, सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था आजीविका, विश्वास, प्रथाएँ, मान्यताएँ, स्वास्थ्य एवं स्थानीय पर्यावरण से लगाव आदि के अखण्डित रूप हैं। यह वैसे सभी तत्वों की सम्पूर्णता है जो उनके ज्ञान, नवाचार एवं मान्यताओं को जैवीकीय विविधता एवं सतत् विकास के लिए अपरिहार्य बनाते है। (**UNPFII, 20085**)*

आदिवासी लोगो ने सतत् पर्यावरणात्मक मान्यताओं की महत्ता को साबित किया है। आदिवासी लोग जैव विविधता को बनाए रखना, रक्षा करना अपना दायित्व मानते हैं। उनके पारम्परिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत पौधे एवं जन्तु सहित अन्य सभी प्राकृतिक अवयव उनके नाते–रिश्तेदार या धार्मिक अस्तित्व जैसे है अर्थात ''एक पारस्परिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों के लिए अपने आप को समार्पित करना और बदले में उचित देखभाल एवं सम्मान पाना''।

टोलेडो (2000) ने बताया है कि संरक्षण, जीव विज्ञान, भाषा, समकालीन संस्कृति के मानव विज्ञान, मानव जीव विज्ञान और मानव पारिस्थितिकीय तंत्र के वैज्ञानिकों ने एक साझा सिद्धांत विकसित किया है : सांस्कृतिक विविधता का बचाकर ही वैश्विक जैव विविधता को प्रभावकारी रूप से बचाया जा सकेगा और यही बात विपरीत रूप से भी लागू होगी''। यह सामान्य कथन चार प्रमुख प्रमाणों के आधार पर तैयार किया गया है :

- विश्व में जहाँ अधिकाधिक जैव विविधता है वही अधिकाधिक भाषाई विविधता भी है
- विश्व में जैव रूप से अत्यधिक महत्व वाले अधिकांश क्षेत्र आदिवासी परिक्षेत्र हैं।
- सुन्दर सुरक्षित निवास स्थल के प्रधान प्रबन्धक एवं निवासी के रूप में आदिवासी लोगों के महत्व की स्वीकृति है।
- आदिवासी लोगों के बीच मूल्यों एवं व्यवहारों के संरक्षण का प्रमाण पूर्व आधुनिक युग के विश्वासों मान्यताओं व ज्ञान में निहित है।

जैव विविधता के प्रबन्धक के रूप में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों ने नुकसान कम करने की दिशा में खास योगदान दिया हैं। कम करने के कुछ उपायों जैसे जैव ईंधन का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुचित प्रभाव – एकल संस्कृति का फैलाव, उनकी खाद्य सुरक्षा एवं जैव विविधता में इससे जुड़ी गिरावट हैं। राज्य द्वारा विकसित न्यूनीकरण उपायों के प्रसार में उनकी पूर्ण एवं प्रभावकारी भूमिका महत्वपूर्ण है कि ऐसी योजनाएँ नकरात्मक रूप से अति संवेदनशील समुदायों को प्रभावित नहीं करती हैं।

5. जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में आदिवासी लोग किस प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं ?

पृथ्वी के इतिहास के समय से जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल बनाती रही है। आज परिस्थिति भिन्न कैसे है कि पारिस्थितिकीय तंत्र को वर्तमान जलवायु परिवर्तन के साथ तारतम्य बिठाने में कठिनाई हो रही है। इसके दो प्रमुख कारण है :

- जलवायु जरूरत से ज्यादा द्रीव गति से बदल रहा है।
- व्यापक स्तर पर निवास–स्थलों के परिवर्तन ने प्राकृतिक सामंजस्य के उपलब्ध विकल्पों को द्रीव गति से कम कर दिया है। उदाहरण के लिए यदि कोई जंगल खुले घास मैदान से घिरा है या अव्यवस्थित नगर से घिरा है, जिससे कई पौधें एवं जन्तु अपने अनुकूल स्थान की ओर प्रसारित होने में अक्षम होगे तो क्या उनके वर्तमान परिक्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिकूल क्षेत्र हो जाना चाहिए ?

अभ्यास – 2

अनुभवों का आदान–प्रदान (30 मिनट)

आदिवासी लोग अपने समुदायों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रत्युत्तर देने में कैसे सक्षम हैं ?

1. चयनित सहभागी से कहा जाता है कि उन्होंने किस प्रकार अपने समुदायों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का प्रत्युत्तर दिया, से जुड़े अनुभवों का आदान–प्रदान करें।
2. प्रशिक्षक मुख्य बातों का संक्षेपण करता है और अगले अध्याय से इन्हें जोड़ता हैं।

पारम्परिक ज्ञान एवं मान्यताएँ पर्यावरण को बचाने एवं व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण हैं। आदिवासी लोग दो मुद्धों–जैव विविधता क्षय और जलवायु परिवर्तन से सामंजस्य–से लड़ने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत प्रवास, सिंचाई, जल संरक्षण तकनीक, भूमि उद्धार, आजीविका तारतम्य आदि शामिल हैं।

खैर आदिवासी लोगों को यह स्वीकार करने की जरूरत है कि सामंजस्य क्षमता को बढ़ाने के लिए स्थानीय विकल्पों के साथ दूसरी कार्यनीतियों मसलन आपदा तैयारी भूमि उपयोग योजना, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् विकास के लिए राष्ट्रीय योजना–से जोड़कर अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के साथ दीर्घकालिक तारतम्य के लिए तैयारी–पूंजी श्रम एवं समय का निवेश–की जरूरत होती है। विश्व के कई आदिवासी क्षेत्रों में पहले से ही संसाधनों पर दबाव है और सामंजस्य के लिए तकनीक के प्रयोग की कमी हैं।

जलवायु परिवर्तन के सबसे सुरक्षित रूप में आदिवासी लोगों के औचित्यपूर्ण एवं प्रभावकारी सहभागिता का सुनिश्चय उन्हें प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नीतियों व कार्यक्रमों के सभी स्तरों पर किया जाना चाहिए। आदिवासी लोगो से जुड़ी सभी नीतियों व कार्यक्रमों की आधारगत रूपरेखा तथा न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रीय मानक के रूप में आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (UNDRIP) को रखा जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन को कम करने का सर्वोत्तम तरीका उत्पादन एवं उपभोग के असतत् पैटर्न को बदलना है जो कि अभी तक इस विश्व में विद्यमान व्यवस्था है। कम करने के सबसे बढ़िया साधन के अंतर्गत विकास पथ की संरचनात्मक बदलाव को लिया जा सकता है जिसके अंतर्गत सतत और न्यून कार्बन उत्सर्जन के साथ–साथ व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन शैली में परिवर्तन शामिल हैं।

6. जलवायु परिवर्तन के उपाय के रूप में जैव विविधता का उपयोग किस प्रकार हो सकता है ?

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण : हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन : एक प्रक्रिया जिसके द्वारा पारिस्थितिकीय, सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था वास्तविक या आशानुरूप जलवायुगत उत्प्रेरक एवं उनके प्रभावों के साथ संतुलन बनाती है।

जैव विविधता न्यूनीकरण एवं अनुकूलन दोनों भूमिका निभाती है। जैव विविधता का बचाव जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। वृक्ष कटाई एवं भूमि निम्नीकरण को कम करके GHG उत्सर्जन को घटाया जा सकता है। इसके द्वारा अनुकूलन के लिए आनुवांशिक संसाधनों का एक ''सुरक्षा जाल'' उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही यह जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरूद्ध सुरक्षा (जैवशील्ड) प्रदान करता है।

- उत्सर्जन घटाना–पार्थिव पादपों एवं भूमि में कार्बन के विश्व भंडार का आधा से अधिक भाग वनों में है।
- जैव विविधता सुरक्षा जाल : कई फसलों की भूमि प्रजाति सूखा–रोधी फसल–किस्म के विकास हेतु आनुवांशिक अवयव उपलब्ध कराती हैं।
- बायोशील्ड : तटीय सुरक्षा के रूप में मैनग्रोव के मूल्य का आंकलन US $ 25-50 प्रति हेक्टेयर किया गया है।

7. कार्बन व्यापार और बाजार आधारित तंत्र क्या है ?

UNFCCC के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकाल को CoP_3 के दौरान स्वीकार किया गया जिसमें यह निर्धारित हुआ कि औद्योगिक देश निर्धारित समय सीमा में प्रदुषण कम करेंगें और इस लक्ष्य को वे कैसे हासिल करें इस पर उन्हें छूट भी दी गई।

इस प्रोटोकॉल में पक्षकारों को वैधानिक रूप से बाध्यकारी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज्यादा छूट देने सम्बन्धी नवीन तंत्र को विकसित किया गया। यह कथित ''बाजार आधारित तंत्र'' विकसित देशों को अधिकार देता है कि दूसरे विकसित देशों या विकासशील देशों में कार्यरत् परियोजनाओं के द्वारा वे उत्सर्जन साख का अर्जन एवं व्यापार कर सकते है और इसका उपयोग वे अपने वादे को पूरा करने के लिए कर सकते है। ये निम्नलिखित है :–

- उत्सर्जन व्यापार
- संयुक्त क्रियान्वयन (JI)
- स्वच्छ विकास तंत्र (CDM)

उत्सर्जन व्यापार : इसमें कार्बन उत्सर्जन व्यापार शामिल है और किसी बाजार में वस्तुओं के व्यापार जैसा हैं। इसके अंतर्गत देशों को उत्सर्जन भत्ता के आदान–प्रदान की भी अनुमति होती है।

संयुक्त क्रियान्वयन : यह एक तंत्र है जहाँ एक विकसित देश ''उत्सर्जन घटाने की इकाई'' ग्रहण करता है जब वह उस परियोजना के लिए धन मुहैया कराता है जिससे दूसरे विकसित देश में उत्सर्जन में निवल कमी आती है। (वैसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण से गुजर रही है खासकर पूर्ववर्तीय पूर्वी यूरोपियन खण्ड)

स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) : यह एक विकसित देश को हरितगृह गैसों (GHG) के उत्सर्जन को कम करने या जरूरत के आधार पर एक विकासशील देश में कार्बन पृथक्करण द्वारा इन गैसों को घटाने के लिए परियोजना क्रियान्वित करने की अनुमति देता है। परिणामस्वरूप हुये प्रमाणित उत्सर्जन कमी को CERs (1 मैट्रिक टन Co के समकक्ष के बराबर) नाम से जाना जाता है, के द्वारा विकसित देश अपने उत्सर्जन कमी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं।

आदिवासी लोगों के लिए इन बाजार आधारित तंत्र को पूरी गम्भीरता से समझना आवश्यक है, पूरी जानकारी से अवगत होकर ही वे जोखिम एवं अवसरों का मूल्यांकन कर अपना निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें उत्सर्जन व्यापार में शामिल होना चाहिए अथवा नहीं।

8. जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण के दौरान जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है ?

जलवायु परिवर्तन को न्यून एवं अनुकूल करने की दिशा में जैव विविधता के संरक्षण, खासकर वन्य परिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, का एक उदाहरण $REDD_+$ - वन्य कटाई एवं वन्य अवक्रमण से उत्सर्जन कम करना–है। इसका संबंध उन कार्य प्रणालियों से है जो वन्य कटाई एवं अवक्रमण (20% GHG उत्सर्जन) से होने वाले वन क्षय को कम करते है और जिससे विकासशील देश GHG उत्सर्जन घटाने में सक्षम हो पाएगा। 'धनात्मक' (+) चिन्ह वनों के कार्बन भंडार, संरक्षण एवं सतत प्रबन्धन को अभिव्यक्त करता है।

दिसम्बर 2010 मं कान्कून में UNFCCC CoP_{16} के न्यूनीकरण साधन के रूप में $REDD_+$ को स्वीकार किया गया। वैसे इसको स्वीकार करने से पूर्व उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय देशों में $REDD_+$ पर आधारित पायलट योजनाएँ चलायी जा रही थी। बहुस्तरीय अंगो – अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, निजी कम्पनियों, सरकारों, संरक्षण समूहों – के द्वारा वित्तीय स्रोत तंत्र भी गठित किया गया है।

वर्तमान में पायलट $REDD_+$ परियोजनाओं के लिए उपलब्ध प्रमुख वित्तीय स्रोत में शामिल है :–

a. वैश्विक एवं क्षेत्रीय फंड जैसे विश्व बैंक का वन कार्बन साझेदारी सुविधा (FCPF)

b. संलग्न – 1 देश जो बहुस्तरीय चैनलों के द्वारा सीधे देश को फंड उपलब्ध कराएँगे।

c. निजी सेक्टर

d. स्वैच्छिक कार्बन बाजार

आदिवासी लोगों, जो जंगलों में रहते है और उसी पर निर्भर है, ने जंगलों के साथ सतत आत्मीय सम्बन्ध बनाया है और विकसित किया हैं। इसलिए वे जंगलों को सम्पूर्णता की दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए वनों के संदर्भ में कार्बन पर आधारित हमारी बातचीत कोई मायने नहीं रखती।

बचा हुआ उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय वनों का एक खास हिस्सा आदिवासी लोगों के परिक्षेत्रों में पाया जाता है। आदिवासी, जो वनों में रहते एवं उस पर निर्भर हैं, के लिए $REDD_+$ को जिस अवधारणा एवं विचार पर बनाया एवं क्रियान्वित किया गया है, उनके लिए कुछ समस्याएँ खड़ी कर रहा है जिसका गम्भीरतापूर्वक निवारण जरूरी हैं।

आदिवासी लोग इस बात से भयभीत हैं कि जिस प्रकार पहले संरक्षित वन्य क्षेत्र की स्थापना के साथ उन्हें उनके वनों से बाहर कर दिया गया उसी प्रकार पुनः एक बार फिर उन्हें बाहर किया जाएगा। यदि उनके वनों को कार्बन वन का दर्जा दे दिया गया और उत्सर्जन व्यापार में उपयोग होने लगा तो इसकी बड़ी सम्भावना है कि वे अपने पारम्परिक वन प्रबन्धन मान्यताओं के उपयोग से वंचित हो जाएँगे, वनों का धार्मिक उत्सवों स्थानान्तरित कृषि, लकड़ी एवं गैर लकड़ी वनोत्पाद, दवाएँ एवं वन्य कृषि गतिविधियों के उपयोग से भी मरहूम हो जाएँगे। $REDD_+$ के अंतर्गत वनों में कमी को कार्बन वन मानना आदिवासी लोगों के सतत् वन्य प्रबन्धन

व्यवस्था को अनुचित रूप से आंकलन करता है और आदिवासी लोगों के उनके वनों के दोहन एवं नियंत्रण के अधिकार के प्रति खतरा उत्पन्न करता है।

9. जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आदिवासी लोगों के हित–जुड़ाव क्या है ?

आदिवासी लोगों ने बार–बार अपने से जुड़े मुददों को UNFCCC की अधिकारिक बैठक के साथ–साथ अनेक मंचों व बैठकों में उठाया है। आदिवासी लोगों से जुड़े इन सारे हितगत मुददों का संक्षिप्त रूप से नीचे लिखित नीति पेपर में वर्णित है जिसे जलवायु परिवर्तन पर आदिवासी लोगों के अन्तर्राष्ट्रीय फोरम की बैठक, सितम्बर 26–27, 2009, बैकांक, थाईलैण्ड के दौरान विचार–विमर्श के बाद स्वीकार किया गया।

जलवायु परिवर्तन पर नीति प्रस्ताव

मातुभूमि जलवायु परिवर्तन के लम्बे समय से नहीं है किन्तु जलवायु संकट में हैं ..... आदिवासी लोगों ने मातृभूमि की रक्षा करने व मरहम लगाने का काम किया है। हम मानते है कि आदिवासी लोगों के वंशानुगत अधिकारों को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सभी निर्णय निर्माण प्रकियाओं एवं कार्यप्रणालियों के अंतर्गत पर्याप्त सम्मान जरूर दिया जाना चाहिए।

प्रस्तोता घोषणा 2009

जलवायु परिवर्तन पर आदिवासी लोगों की विश्व बैठक

ऐतिहासिक बदलाव के लिए जलवायु परिवर्तन की आवश्यकता

1. *वर्तमान वैश्विक वित्तीय, आर्थिक, पर्यावरणात्मक एवं खाद्य संकटों के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन ने एक अभूतपूर्व चुनौति एवं मानवता के लिए अवसर प्रस्तुत किया है जिसमें मातृभूमि के साथ सन्तुलन बनाते हुए रहने के लिए वैश्विक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों में बदलाव लाया जाय। विकसित देशों द्वारा एक हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत राष्ट्र के भीतर या राष्ट्रों के बीच सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना, पारिस्थितिकीय एकता बनाए रखना, जलवायु एवं पारिस्थितिकीय कर्ज को समझना और जीवाश्म ईधन से निर्भरता हटाना शामिल है तथा इन सब को स्वीकार करके ही जलवायु सन्तुलन व लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। गरीबी उन्मूलन, सतत् विकास, जैव विविधता और मानवाधिकार का सम्मान करना इसके लिए जरूरी है। जलवायु सम्बन्धी सभी बातचीत के महत्वपूर्ण नतीजे के रूप में आदिवासी लोगों, स्थानीय समुदायों एवं सम्बन्धित समूहों की पूर्ण एवं प्रभावकारी योगदान को महत्वपूर्ण कुँजी माना जा सकता है।*

2. *जलवायु विज्ञान, आदिवासी एवं पारम्परिक ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, समानता एवं मानवाधिकार, विस्तृत सामाजिक गतिशीलता और मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व–ये सब कोपेनहेगन और उसके आगे के वांछित परिणामों के निर्माणक ब्लाक हैं।*

3. *आदिवासी लोगों के अधिकारों – सभी समझौतों में आदिवासी लोगों की पारम्परिक संस्थाओं एवं संगठनों की पूरी व प्रभावी भागीदारी – को राष्ट्रीय सरकारों की बातचीत में जलवायु परिवर्तन शासन के अंतर्गत सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत बच्चों, युवा, महिलाओं आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों की विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदानों को स्वीकार करते हुए अन्तः सांस्कृतिक समझौतों एवं विविध व्यापक योगदानों को आत्मसात् किया जाना चाहिए। जलवायु शासन एवं निर्णय निर्माण में सभी आवाजों को जगह देने की जरूरत है : मानव कृत जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करने में हम सीखने वाले एवं शिक्षक दोनों साथ–साथ हैं।*

आदिवासी लोग अधिकार धारक हैं

4. *हमारी भूमिओं, परिक्षेत्रों एवं संसाधनों पर हमारा अहस्तांतरणीय सामूहिक अधिकार है। शुरू की जा रही नीतियों एवं कार्य प्रणालियों ने अब सीधे हमारी पारम्परिक भूमि, परिक्षेत्रों, सागरों, जलों, बर्फो, फ्लोरा, फाउना को प्रभावित करते हुए विश्व के सभी क्षेत्रों के लगभग 370 मिलियन आदिवासी लोगों के अस्तित्व एवं आजीविका को भी प्रभावित कर रहा है। जलवायु आधारित बातचीत प्रक्रियाओं में हमारे मुद्धों व विचारों को गंभीरता से नहीं लिया गया है।*

   हम पुनः दुहराते है कि क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रति वचनबद्धता एवं मानकों–खासकर आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (UNDRIP)–पर सभी राष्ट्र एवं सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था गम्भीरता से ध्यान दें। UNDRIP के प्रावधानों में स्पष्टतः वर्णित अधिकारों को सभी जलवायु निर्णय निर्माण एवं कार्यप्रणालियों में जरूर शामिल एवं सुरक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम लोग विविध सामूहिक अधिकारों–भूमि पर सम्प्रभु एवं वंशानुगत अधिकार, बातचीत व समझौते का अधिकार–के धारक हैं। इन अधिकारों की रक्षा से आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों को जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रत्युत्तरों के लिए आधिक क्षमतावान एवं सहनशील बनाया जा सकता हैं।

5. *आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों के मानवाधिकारों की रक्षा, हमारे पारम्परिक ज्ञान एवं विचार का महत्व तथा हमारे स्थानीय न्यूनीकरण एवं अनुकूलन का समर्थन–ये सब जलवायु परिवर्तन को हल करने की दिशा में सर्वागीण भूमिका निभा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी स्थानीय कार्यनीतियों एवं प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय न्यूनीकरण कार्यप्रणाली (NAMAs) और राष्ट्रीय अनुकूलन कार्यप्रणाली (NAPAs) के साथ उन सभी विकास एवं कियान्वयनों जिसमें हम पूर्ण प्रभावकारी भागीदारी कर सकते है, में पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। आदिवासी महिलाओं एवं युवाओं की खास भूमिका एवं दायित्व पर भी विचार करने की जरूरत होगी, निर्णय निर्माण एवं योजनागत प्रक्रियाओं में इनके समायोजन के महत्व को भी स्वीकार करना होगा।*

6. *परियोजना जीवनचक्र के विभिन्न स्तरों–नीति निर्माण, योजना एवं प्रारूप, कियान्वयन, पुर्नस्थापना, पुनर्वास, लाभ भागीदारी, विवाद सुलह–के द्वारा हमारा स्व. निर्धारण का अधिकार और मुक्त एवं पूर्व सूचित सहमति का अधिकार हमारे अधिकारों व हितों के न्यूनतम मानक के साथ सुरक्षा कवच हैं।*

7. *हमारे शासन के अंगों को अधिकार है कि अपने न्यायिक प्राधिकार के भीतर ऐसे कानूनों व प्रावधानों को लागू करें जो न्यूनीकरण एवं अनुकूलन योजनाओं के लिए उचित एवं स्वीकार योग्य हो और जैसा वे जलवायु परिवर्तन से जुड़े विषयों में अपने समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक कल्याण की रक्षा एवं आगे बढ़ाने के लिए जरूरी समझें। प्रत्येक आदिवासी लोगों के शासनिक अंगो को उपलब्ध सर्वोत्तम विज्ञान–आदिवासी एवं पौराणिक विज्ञान–को उनकी सांस्कृतिक जरूरतों जो उनकी भूमि या परिक्षेत्र या अन्य संसाधनों के विकास या उपयोग से जुड़ी प्राथमिकताओं एवं कार्य नीतियों के निर्धारण एवं विकास के अधिकार से मेल खाता हो, को निर्धारित करने एवं लागू करने का विशेषाधिकार है।*

परिस्थितिकीय तंत्र आधारित न्यूनीकरण एवं अनुकूलन में आदिवासी लोगों का योगदान –

8. *जलवायु संकट को समझने एवं मानव व प्रकृति के बीच सम्बन्धों के नवीनीकरण की दिशा में हमारा मूलभूत योगदान हैं। पीढ़ीयों से हम लोगों ने पारिस्थितिकीय तंत्र की एकता एवं समग्रता को सतत एवं सांस्कृतिक रूप से विविध तरीकों द्वारा संवारा है। हमारी प्रथागत संसाधन प्रबन्धन व्यवस्था पारिस्थितिकीय रूप से सतत न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था होने को साबित किया है। इनमें शामिल है, सुखी भूमि एवं श्रेणी भूमि में घूमन्तु पशुचारण, स्वीडेन की चकीय कृषि, उष्णकटिबंधीय वनों में पारिस्थितिकीय कृषि, अन्य पारिस्थितिकीय तंत्रों जैसे मैन ग्रोव, सवाना, आर्कटिक पर्यावरण, लघु द्वीप पारिस्थितिकीय तंत्र। पारम्परिक ज्ञान, नवाचार एवं अनुकूलन मान्यताएँ स्थानीय अनुकूलन प्रबन्धन को बदलते पर्यावरण के साथ तादात्म स्थापित करने योग्य बनाती हैं और वैज्ञानिक शोध, अवलोकन एवं निगरानी का पूरक बनाती हैं।*

9. जलवायु संकट ने हमारे पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है खासकर वनों पर निर्भर बर्फ पर निर्भर लोगों तथा छोटे द्वीपीय देशों और स्थानीय समुदाय के लोगों के अस्तित्व को। इस प्रकार की छेद्यता को व्याख्यित करने में आदिवासी लोगों के पारम्परिक ज्ञान को स्वीकार कर सम्मानित एवं मजबूत करने, पारिस्थितिकीय तंत्र के औचित्य को मजबूत बनाने तथा आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों में जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन क्षमता में वृद्धि लाने की जरूरत है। पारिस्थितिकीय तंत्र आधारित अनुकूलन आदिवासी लोगों की व्यवस्था की सम्पूर्णता पर आधारित है, आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक महत्व तथा इसी प्रकार आदिवासी भूमि एवं परिक्षेत्र के महत्व के द्वारा अधिकारों की रक्षा हो सकती है। इन सभी उपायों की योजना, प्रारूप, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में आदिवासी लोगों की पूर्ण भागीदारी के साथ विचार किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन की अनुकूलन—कार्यनीतियों की सफलता आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों को शक्तिशाली बनाने पर ही निर्भर है।

10. हमारी विश्व दृष्टि, जीने का तरीका और पारम्परिक मान्यताएँ स्मरणातीत काल से अस्तित्व में हैं। सुमक कवसे, पेनकर पुजस्टीन एवं दूसरे आदिवासी मूल्य दृष्टि ने एक जीने के तरीका का प्रस्ताव दिया है जो प्रकृति के साथ सम्मानित,उत्तरदायित्व,संतुलित एवं मिलनसार सम्बन्ध की बात करता है तथा एकता एवं संगठन को विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत मानता है। आदिवासी विश्व दृष्टि में एक संगठित, सतत एवं गतिशील अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणात्मक अधिकारों को लागू करने की बात करता है। यह प्रजातंत्र का एक सामाजिक आयाम के औचित्य को प्रस्तुत करता है जो औपचारिक प्रजातंत्र से आगे जाता हैं जहाँ अर्थव्यवस्था, मानवता के लिए लोगों के विकास, एकता—संगठन एवं मातृभूमि के लिए सम्मान की तुलना में दोयम कार्यप्रणाली बन जाती हैं।

आदिवासी लोगों के परिक्षेत्रों का सुनिश्चय

11. वैश्विक अर्थव्यवस्था को सतत् न्यून कार्बन विकास की ओर ले जाने के लिए विविध स्थानीय अर्थव्यवस्था, जिसमें स्वनिर्धारित विकास के लिए आदिवासी लोगों को प्रोत्साहित करना भी शामिल है, को फिर से मजबूत बनाने की जरूरत होगी। जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन प्रबन्धन को आर्थिक नियोजन के साथ जोड़ने के लिए एक पारिस्थितिकीय तंत्र आधारित दृष्टिकोण तथा आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों के अधिकारों व हितों को पूरे सम्मान के साथ लागू करने की जरूरत होगी। हमारी पीढ़ीगत भूमि वन एवं संसाधन के प्रति हमारे अधिकार का सुनिश्चय ही सतत् स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक विकास तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण होने वाले हमारे नुकसान के प्रति कुछ बीमा के लिए आधार प्रस्तुत करता है। यह पारिस्थितिकीय तंत्र के शासन, पारिस्थितिकीय तंत्र के लचीलापन तथा पारिस्थितिकीय तंत्र की सेवाओं की प्रस्तुति के लिए भी लाभकारी है।

12. बहुत सारे जंगल आदिवासी लोगों की पारम्परिक भूमि एवं परिक्षेत्र के भीतर है और पूरे विश्व के आदिवासी लोग इसी में रहते है, अपने अस्तित्व के लिए वनों पर आश्रित है और वनों एवं भूधारण के अपने मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं। वे सब हमारे लिए सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक महत्व के है और मानवता के लिए लाभकारी भी हैं। इसी प्रकार REDD गतिविधियों में योजनाओं को स्वीकार करने के पूर्व ही सभी स्तरों (स्थानीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय) पर हमारे भूमि एवं संसाधन अधिकारों के साथ आदिवासी लोगों के अधिकारों को अवश्य ही मान्य व सम्मानित किया जाना चाहिए।

हमारे अधिकारों की मान्यता अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानको व कानूनों UNDRIP, ILO सम्मेलन 169 तथा अन्य मानवाधिकार निर्धारकों के अनुसार होनी चाहिए। यदि संसाधनों, भूमियों एवं परिक्षेत्रों से जुड़े आदिवासी लोगों के अधिकारों की पूर्ण मान्यता व पूर्ण सुरक्षा नहीं है, यदि प्रभावित आदिवासी लोगों के मुक्त व पूर्व सूचित सहमति के अधिकारों की मान्यता व इज्जत नहीं है तो हम REDD REDD+, कार्बन व्यर्थीकरण योजनाओं सहित CDM योजनाओं का विरोध करेंगे। REDD, REDD+ की सभी निर्णय निर्माण गतिविधियों, स्वच्छ विकास तंत्र, भूमि उपयोग एवं भूमि उपयोग में बदलाव और वन (LULUCF) कृषि, वन्य एवं अन्य भूमि उपयोग (AFOLU) के साथ—साथ पारिस्थितिकीय तंत्र पर आधारित न्यूनीकरण एवं अनुकूलन उपायों और योजनाओं में आदिवासी लोगों की मुक्त, पूर्व सूचित सहमति को शर्त के रूप में जरूर जोड़ा जाना चाहिए।

13. आदिवासी शासन अंगों के न्यायाधीन परिक्षेत्रों के भीतर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने या अनुकूलन बनाने के उपायों से जुड़े खतरों, महत्वों व लाभों के अनुसार हमारे कानूनों, प्रावधानों एवं योजनाओं को अधिकृतीय एवं निर्धारकीय रूप में स्वीकृत की जाय।

IIPFC जलवायु परिवर्तन के संकट को दूर करने में हमारी एकता व संगठन को, हमारे सामूहिक अधिकारों को, हमारी दृष्टि को, पारम्परिक ज्ञान को और हमारे योगदान को स्वीकार करता है।

अभ्यास – 3

खुला मंच (30 मिनट)

जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए आदिवासी लोगों की जरूरते क्या है और वे क्या कर सकते है पर आधारित प्रश्न, टिप्पणी और विचार

1. सहभागी स्पष्टीकरण हेतु प्रशिक्षक से प्रश्न करते है या विषय से जुड़ी टिप्पणी या प्रतिक्रिया देते हैं। प्रशिक्षक उनके प्रश्नों व टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर देता है।

2. जैव विविधता एवं आदिवासी लोगों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के संदर्भ में आवश्यक कियाक्लाप तथा सन्दर्भित नीति–निर्माण में अपनी प्रभावकारी भागीदारों के लिए आदिवासी लोगों की जरूरते क्या है ? और वे क्या कर सकते है –पर भी सहभागी अपने विचार या अनुभवों का आदान–प्रदान करते हैं।

3. प्रशिक्षक मुख्य बिन्दुओं को संक्षेपित कर विचार विमर्श समाप्त करता है।

मापांक 10 संरक्षित क्षेत्र एवं आदिवासी लोग

उददेश्य

1. संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षित क्षेत्र के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऐतिहासिक उद्‌भव को समझना।
2. संरक्षित क्षेत्र के विविध वर्गीकरण एवं शासन व्यवस्था को समझना।
3. संरक्षित क्षेत्रों ने आदिवासी लोगों के अधिकारों व जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है–को उजागर करना।
4. जैव विविधता के सतत् उपयोग एवं संरक्षण से जुड़ी आदिवासी लोगों की अवधारणा पर प्रकाश डालना।
5. संरक्षित क्षेत्रों के साथ जैव विविघता सम्मेलन किस प्रकार कार्य करता है और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण व विस्तार से जुड़ी जैव विविघता सम्मेलन कार्य योजनाओं की व्याख्या करना।
6. संरक्षण एवं मानवाधिकारों से जुड़ी समकालीन गतिविधियों से सहभागियों को परिचित कराना।

संसाधन/अध्ययन सामग्री

- सूरी नाम में संरक्षण में आदिवासी लोगों के अधिकारों का सुनिश्चय – एक पुनरावलोकन।
- संरक्षण में आदिवासी लोगों के अधिकारों का सुनिश्चय कामरून में प्रगति का पुनरावलोकन एवं सुनिश्चय।
- संरक्षण में आदिवासी लोगों के अधिकारों का सुनिश्चय जंगा–संघा संरक्षित क्षेत्र संकुल में नीतियों एवं किया न्वयनों का पुनरावलोकन।
- संरक्षण एवं आदिवासी लोग : डर्बन के समय से हो रहे प्रगति का आंकलन।
- आदिवासी लोगों से जुड़े IUCN के प्रस्ताव एवं अनुशंसाएँ एक तुलनात्मक तालिका।
- प्रकृति का बचाव – आदिवासी लोग, संरक्षित क्षेत्र एवं जैव विविधता संरक्षण
- संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन वर्गीकरण से जुड़े दिशा–निर्देश

समय
3½
घंटे

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श (2 घंटे)

1. प्रस्तावना

संरक्षित क्षेत्र पर IUCN की एक परिभाषा :

एक संरक्षित क्षेत्र सुपरिभाषित भौगोलिक स्थान है जो वैधानिक या दूसरे प्रभावकारी साधनों के द्वारा स्वीकृत, समार्पित और व्यवस्थित होता है और जिसके द्वारा प्रकृति के पारिस्थितिकीय सेवाओं व सांस्कृतिक मूल्यों के साथ हासिल किया जाता हैं।

संरक्षित क्षेत्र ऐसे स्थान है जो अपने पर्यावरणात्मक, सांस्कृतिक या ऐसी ही महत्वपूर्ण मूल्यों के कारण संरक्षण पाते है। कई वर्षो के विकास के बाद देशों को संरक्षित क्षेत्रों की मजबूत व्यवस्था मिली है। यें व्यवस्थाएँ एक देश से दूसरे देश में भिन्न–भिन्न रहीं हैं क्योंकि उनकी राष्ट्रीय जरूरतें व प्राथमिकताएँ, वैधानिक, संस्थागत एवं वित्तीय समर्थन आदि भी भिन्न–भिन्न होते हैं। संरक्षित क्षेत्र विभिन्न पर्यावरणों–सर्वोच्च पर्वत से सबसे गहरे समुद्र तक, सम्पूर्ण जंगल, मरूभूमि, झील और यहाँ तक कि देश की सीमाओं–तक विस्तृत हो सकता है।

IUCN द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्धन/वर्गीकरण और संचालन प्रकार क्या–क्या है ?

पूरे विश्व में 100,000 से ज्यादा संरक्षित क्षेत्र (PA_s) हैं। उनकी विविध प्रस्थितियॉ हैं और विभिन्न उददेश्यों के साथ संचालित की जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके संगठनों को सहायता देने के लिए और एक सामान्य मानक का पालन करने के लिए IUCN ने एक वैश्विक वर्गीकरण व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया है। इस प्रारूप व्यवस्था को IUCN के सदस्यों द्वारा 1994 में स्वीकार किया गया और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्धन उददेश्यों के अनुसार छः वर्गीकरणों को मान्यता दी गई। ये है :

i. कठोर प्राकृतिक आरक्षित/बीहड़ संरक्षित क्षेत्र : मुख्य रूप से विज्ञान या बीहड़ संरक्षण के लिए व्यस्थित।

ii. राष्ट्रीय उद्यान : मुख्यतः पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा एवं पुननिर्माण।

iii. प्राकृतिक स्मारक : मुख्यतः विशिष्ट प्राकृतिक विशेषता की सुरक्षा।

iv. वासी/प्रजाति प्रबन्धन क्षेत्र : मुख्यतः प्रबन्धन हस्तक्षेप द्वारा संरक्षण।

v. संरक्षित भू–दृश्य/समुद्री दृश्य : मुख्यतः भू–दृश्य/समुद्री दृश्य संरक्षण या पुननिर्माण।

vi. व्यवस्थित संसाधन संरक्षित क्षेत्र : मुख्यतः प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र के सतत् उपयोग के लिए।

IUCN संरक्षित क्षेत्र के संचालन के चार व्यापक प्रकार को स्वीकार करता है, जिसमें से कोई किसी प्रबन्धन उददेश्यों से जोड़ा जा सकता है :

a. सरकार द्वारा संचालन : एक सरकारी अंग (जैस – मंत्रालय या पार्क अभिकरण जो सीधे सरकार को प्रतिवेदन देता है) संरक्षित क्षेत्र के संचालन के लिए प्राधिकृत, उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होता है, संरक्षण उददेश्यों का निर्धारण करता है, प्रबन्धन योजना को विकसित और परिवर्तित करता है और प्रायः संरक्षित क्षेत्र की भूमि, जल एवं संलग्न संसाधनों का स्वामी होता है।

b. सहभागी संचालन : सक्षम सरकारी या गैर सरकारी कर्ताओं (औपचारिक या अनौपचारिक रूप से) को लेकर समग्र संस्थागत तंत्र व प्रक्रिया द्वारा सहभागी प्रबन्धन प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व निर्धारित होता है।

c. निजी संचालन : इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र का नियंत्रण या स्वामित्व व्यक्तिक, सहकारी, स्वैच्छिक संस्थाओं या कार्पोरेट के अधीन होता है और इसका संचालन बगैर लाभ के या लाभ के साथ किया जाता हैं।

d. आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों द्वारा संचालन : इसके अंतर्गत दो उप प्रकार आते है – (1) आदिवासी लोगों के क्षेत्र एवं परिसीमा जो आदिवासी लोगों द्वारा स्थापित व चलाए जाते है और (2) समुदाय संरक्षित क्षेत्र जो स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित व चलाए जाते हैं।

2. आदिवासी लोगों के परिक्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र

विशेषकर कुछ क्षेत्रों जैसे लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ओसिएनिया, अफ्रीका, एशिया और आर्कटिक–में कई औपचारिक रूप से गठित संरक्षित क्षेत्र है, पर साथ–साथ आदिवासी लोगों की पीढ़ीगत भूमि, जल, संस्कृति व समुदाय भी हैं।

IUCN के पास स्वीकृत एवं प्रोत्साहित संरक्षित क्षेत्र नीतियाँ रही हैं जो आदिवासी लोगों के अधिकारों एवं हितों का सम्मान करती हैं और IUCN ने ऐसे औजारों एवं दृष्टिकोणों को विकसित किया है जिससे उनकी मान्यता एवं क्रियान्वयन में सुविधा हो। अपनी नीतियों के अनुरूप IUCN अच्छे संचालन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जिससे संरक्षित क्षेत्रों का घालमेल आदिवासी लोगों की पारम्परिक भूमि, जल एवं संसाधनों के साथ देखा जा सकता है :–

- आदिवासी भूमि, परिक्षेत्र एवं संसाधनों पर स्थापित संरक्षित क्षेत्रों द्वारा इन भूमिओं, परिक्षेत्रों व संसाधनों के पारम्परिक स्वामियों, संरक्षकों या उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
- संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धन द्वारा आदिवासी लोगों की संस्थाओं व प्रथाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए।

- इसलिए संरक्षित क्षेत्रों द्वारा आदिवासी मालिकों या संरक्षकों को उनके क्षेत्रों में संविधिक अधिकारधारक के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इसीलिए आदिवासी लोगों के इन क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्राधिकार का सम्मान करते हुए और मजबूत करना चाहिए।

हाल के वर्षो में संरक्षित क्षेत्रों और आदिवासी लोगों की भूमि, जल एवं संसाधनों के साथ घालमेल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला, IUCN ने अपने विश्व संरक्षण सम्मेलनों में संरक्षित क्षेत्रों एवं आदिवासी लोगों के अधिकारों पर खास नीतियों को स्वीकार किया है। दूसरे, राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों ने आदिवासी लोगों के अधिकारों से जुड़ी कई नीतियों व उपायों को स्वीकार कर लागू भी किया है, साथ ही संरक्षित क्षेत्रों के लिए भी कई महत्वपूर्ण उपाय किये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उपायों जैसे संरक्षित क्षेत्रों पर जैव विविघता सम्मेलन की कार्य योजना, इसी तरह आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को स्वीकार किया गया है और आदिवासी लोगों एवं संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े राजनैतिक परिदृश्यों मे आवश्यक बदलाव भी लाया है।

3. संरक्षित क्षेत्र का इतिहास एवं उद्‌भव :

मानव समाज के पास प्राकृतिक पर्यावरण के विशेष क्षेत्रों से अलग भी बड़ा क्षेत्र है जिससे वह अपनी पारिस्थितिकीय एवं सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। ऐसे क्षेत्र सामुदायिक संसाधन क्षेत्र से लेकर पारम्परिक समाज के पवित्र वृक्ष एवं बाग एवं और भी औपचारिक आरक्षित क्षेत्र है जहाँ समाज के भद्रजन या अभिजात वर्ग शिकार या अन्य पसंदीदा गतिविधियॉ कर सकते हैं। खैर, सुरक्षित क्षेत्र प्रबन्धन के आधुनिक युग की शुरूआत विश्व के प्रथम – राष्ट्रीय उद्यान – येल्लोस्टोन – की स्थापना के साथ मानी जा सकती हैं। इसकी स्थापना 1872 में संयुक्त राज्य के क्रो, ब्लैकफीट और शोशोन–बैर्नोक परिक्षेत्र में की गई थी। आज संरक्षित क्षेत्र का बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 10% से भी ज्यादा है।

सभी महादेशों में जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रबन्धक के रूप में बेहतरीन भूमिकाओं के बावजूद आदिवासी लोगों को जैव विविधता के संरक्षण से जुड़े पूर्व के प्रयासों में दरकिनार कर दिया गया था। संरक्षण वादियों एवं आदिवासी लोगों के बीच संघर्ष लम्बे समय से चला आ रहा है। 19वीं सदी से खेल क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान एवं दूसरे संरक्षित क्षेत्र आदिवासी लोगों के परिक्षेत्र काटकर बनाए गए। यह निष्कासन आज भी जारी है, खासकर अफ्रीका में एवं एशिया के कुछ हिस्सों में जहाँ आदिवासी लोगों के वैधानिक अधिकार बहुत ही तुच्छ हैं।

इस मुददे को हम एक परिचित उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं येल्लोस्टोन की स्थापना एक बीहड़ क्षेत्र–मानव रहित क्षेत्र–के रूप में की गई थी और 1871 में शोशोन–बौर्नोक के निवासियों को बिन्ड नदी क्षेत्र की ओर विस्थापित किया गया था। वहाँ जाने की उनकी इच्छा के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण मिला–जुला रूप में है लेकिन यह जाना गया कि 1877 में आदिवासी समूह एवं नागरिक प्रबन्धकों के बीच जमकर लड़ाई हुई। इसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए और उद्यान का पूरा प्रशासन 1886 में यू. एस. सेना को सौंप दिया गया।

संरक्षित क्षेत्र के येल्लोस्टोन मॉडल की स्वीकार्यता ने ऐतिहासिक परिणाम के रूप में आदिवासी लोगों को बलपूर्वक कई दूसरे क्षेत्रों में विस्थापित करने का काम किया। यूगान्डा में किडेपो राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए आदिवासी लोगों को हटाया गया और सुलावेसी में डोमोनगा–बोन राष्ट्रीय उद्यान के लिए मानगोन्डवों लोगों को भी हटाया गया। बगैर लोगों के संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण की कोशिश से जुड़ी नीतियों से प्रायः आवंछित परिणाम प्रभावित लोगों एवं क्षेत्रों – जिसे सरकार एवं संरक्षण अभिकरण सुरक्षित करने का प्रयास कर रही थीं–दोनों के लिए हुए हैं। इनमें से कई क्षेत्रों में अब प्रभावित या ज्यादा प्रभावित लोगों एवं सरकार व संरक्षण अभिकरणों के बीच अविश्वास की खाई बन चुकी है।

यह अनुमान किया गया है कि विश्व के संरक्षित क्षेत्र के 85% क्षेत्रों में आदिवासी लोग निवास कर रहे हैं। दिए गए ऑकड़े के आधार पर इस मुद्धे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इन जटिलताओं को 2003 के IUCN विश्व उद्यान कांग्रेस (सम्मेलन) द्वारा स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की 24वीं अनुशंसा बताती है कि कई संरक्षित क्षेत्र आदिवासी लोगों की भूमि, परिसीमा एवं संसाधनों पर आच्छादित हैं। अनुशंसा में आगे कहा गया है कि कई मामलों में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना ने आदिवासी लोगों के अधिकारों, लगावों एवं आजिविकाओं को प्रभावित किया है और इसका सीधा परिणाम विद्यमान संघर्ष है।

इसके अलावे अनुशंसा में यह भी कहा गया है कि प्रभावकारी एवं सतत् संरक्षण के लक्ष्य को और भी बेहतर ढंग से पाया जा सकता है यदि संरक्षित क्षेत्र के उददेश्यों द्वारा आदिवासी लोगों के अधिकारों, जिससे वे जुड़े हुये है, और जिसमें वे रहते है, का उल्लंघन न किया जाय। आगे लिखा है कि यह पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि संरक्षण कार्यक्रमों के सफल व कालबद्ध कियान्वयन की गारन्टी तभी संभव है जब दूसरों के साथ साथ आदिवासी लोगों की भी सहमति व अनुमति इसमें ली जाय क्योंकि एक समग्र संरक्षित क्षेत्र का निर्माण उनकी संस्कृति, ज्ञान व परिक्षेत्रों के योगदान से होता हैं। 24 वीं अनुशंसा में भी वर्णित है कि संरक्षित क्षेत्रों के उद्‌देश्यों और बाहरी खतरों से अपनी भूमि, परिसीमा एवं संसाधनों को बचाने की आदिवासी लोगों की जरूरत के बीच उभयनिष्ठता होनी चाहिए।

विश्व उद्यान सम्मेलन प्रस्ताव 1.53, जो एक पूर्ववर्ती प्रस्ताव के आधार पर बना था, IUCN के सदस्यों द्वारा प्रथम विश्व सम्मेलन, मॉंट्रियल, 1996 में स्वीकार किया गया। प्रस्तावित नीतियाँ इन सिद्धांतो पर आधारित थी :

1 संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली उनकी भूमियों, परिक्षेत्रों व संसाधनों पर आदिवासी लोगों के अधिकार का सम्मान के साथ मान्यता।

2. आदिवासी लोगों की भूमियों या परिक्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के पूर्व उनके साथ प्रसार संधि को जरूरत की मान्यता।

3. उनकी भूमि या परिक्षेत्रों में स्थापित संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्धन में सक्रिय भागीदारी से जुड़े मुद्धो पर आदिवासी लोगों के अधिकारों की मान्यता।

अभ्यास – 1

तुलना एवं विषमता

वन संरक्षण के विविध दृष्टिकोणों को समझना

1. सहभागियों से कहा जाय कि अपने वनों की रक्षा एवं संरक्षण से जुड़ी अपनी कुछ पारम्परिक मान्यताओं की चर्चा करें।
2. इसके विपरीत, कुछ दूसरे सहभागी सरकार या निजी कम्पनियों द्वारा विभिन्न देशों या समुदायों में स्थापित संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े अपने अनुभवों की चर्चा करें।
3. तब प्रशिक्षक यह प्रश्न पूछे : आदिवासी लोगों और सरकार द्वारा स्थापित संरक्षित क्षेत्रों के बीच वन संरक्षण से जुड़े दृष्टिकोणों में क्या अन्तर है ? इसका उत्तर सहभागी सामूहिक रूप से देते हैं।
4. प्रशिक्षक आदिवासी लोगों द्वारा पारम्परिक वन संरक्षण और सरकार द्वारा स्थापित क्षेत्र में अंतर के मुख्य बिन्दुओं का संक्षेपण निम्नलिखित विश्लेषण के साथ करता है।

जिन तरीकों के साथ आदिवासी लोग अपने पर्यावरण एवं भूमि के साथ जुड़ते है, उससे यह साफ हैं कि संरक्षण उनकी विश्व दृष्टि एवं दैनिक जीवन का एक खास आन्तरिक पक्ष हैं। ऐसा इसलिए कि उनकी विश्व दृष्टि का भूमि के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है और संरक्षण बहुत कुछ उनके मूल्यों का एक अंग है। आदिवासी लोगों की नजर में, जिन तरीकों का आप उपयोग करते है, ध्यान रहें कि उससे पूरी पृथ्वी की रक्षा हो।

संरक्षित क्षेत्रों के पश्चिमी दृष्टिकोण में प्रकृति के उपयोग और उसके निचोड़ को वाणिज्यिक उददेश्यों से जोड़ा जाता है। इस वजह से वनों का भारी दोहन एवं उनके स्तरों में गिरावट आई है। इसी कारण पर्यावरणवादी मानते है कि वनों का संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण जरूरत है। खैर, संरक्षण के उनके विचारों में संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा के साथ जंगलों के मानवीय उपयोग को बाहर करना है।

4. संरक्षित क्षेत्रों पर जैव विविघता सम्मेलन की कार्यनीति :

CBD बेवसाइट के अनुसार :

जैवविविधता संरक्षण की आधारशिला संरक्षित क्षेत्र है। इसके द्वारा प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों का एक प्रमुख भंडार का निर्माण होता है, समाज को लाभान्वित करने वाले आर्थिक महत्व के वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है, आजीविका को सुरक्षा मिलती है, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलती है। इन सबसे बढ़कर संरक्षित क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले अनजान प्रभावों से लड़ने की दिशा मिलती हैं। संरक्षित क्षेत्रों पर जैव विविघता सम्मेलन की कार्यनीति पूरे विश्व के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संरक्षित क्षेत्रों के लिए समग्र एवं प्रभावकारी संचालन व सतत् वित्तीय सहायता के निर्माण की वैश्विक स्वीकृतियुक्त रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

5. जैव विविघता सम्मेलन के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र प्रावधान

संरक्षित क्षेत्रों की व्याख्या के लिए जैव विविधता पर सम्मेलन (जैव विविघता सम्मेलन) सबसे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक तरीका है। ''संरक्षित क्षेत्र की परिभाषा' सम्मेलन की दूसरी धारा में ''एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित है जिसका निर्माण या नियमन एवं संचालन विशिष्ट संरक्षण उदेश्यों को हासिल करने के लिए किया जाता है।''

धारा – 8 में पक्षकारों को प्रोत्साहित करते हुए संरक्षित क्षेत्रों के लिए खास संदर्भो का वर्णन है :–

- संरक्षित क्षेत्रों के व्यवस्था की स्थापना या वैसे क्षेत्र जहाँ जैव विविधता के संरक्षण के लिए खास उपायों की जरूरत है।
- जरूरत के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों के चयन, स्थापना और संचालन के लिए दिशा–निर्देशों को विकसित करना या वैसे क्षेत्र जहाँ जैव विविधता के संरक्षण के लिए खास उपायों की जरूरत है।
- जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जैव संसाधनों को नियंत्रित या संचालित करना चाहे वह संरक्षित क्षेत्र के भीतर हो या बाहर। उनके संरक्षण एवं सतत् उपयोग को सुनिश्चित करना।
- संरक्षित क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्रों में स्वस्थ पर्यावरण एवं सतत विकास को इन क्षेत्रों को और अधिक संरक्षण देने के उददेश्य से प्रोत्साहित करना।
- स्थानिक संरक्षण, खासकर विकासशील देशों में, को वित्तीय एवं अन्य सहयोग उपलब्ध कराने के लिए एकजुट होना।

जैव विविघता सम्मेलन द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक कार्यनीति का विकास किया गया है, जिसका एक भाग आदिवासी लोगों द्वारा इसके संचालन से जुड़ा है। जैव विविघता सम्मेलन यह स्वीकार करता है कि संरक्षित क्षेत्रों के संचालन में आदिवासी लोग भी एक अंग है और इसलिए यदि कहीं नए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना होती है तो प्रभावित आदिवासी लोगों से मुक्त–पूर्वसूचित–सहमति (FPIC) ली जानी चाहिए।

जैव विविघता सम्मेलन के COP_7 के VII. 28 (संरक्षित क्षेत्रों हेतु) निर्णय में :

23 धारा 18(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के प्रति पक्षकारों के नैतिक कर्तव्य/बाध्यता का स्मरण करता है और बताता है कि संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, संचालन एवं नियोजन राष्ट्रीय कानूनों व अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप करते हुए आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के अधिकारों के पूर्ण सम्मान के साथ उनकी पूर्ण व प्रभावकारी सहभागिता द्वारा की जाय।

संरक्षित क्षेत्रों पर जैव विविघता सम्मेलन की कार्यनीति चार तत्वों से बनी है :–

1. संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था एवं स्थल की योजना, चयन, स्थापना, सशक्तिकरण एवं संचालन के लिए प्रत्यक्ष कार्यनीति।

2. संचालन, सहभागिता, समानता एवं लाभ भागीदारी–

   संचालन के प्रकारों की एक श्रृंखला स्वीकार करता है जैसे – संरक्षित क्षेत्रों, विश्व विरासत स्थलों का छः वर्गीकरण।

3. संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक सक्षम व स्वस्थ नीति, संस्थागत और सामाजिक आर्थिक पर्यावरण उपलब्ध कराना।

4. मानकों, आंकलन और निगरानी

तत्व – 2 के अंतर्गत लक्ष्य 2.2 और इससे जुड़े उददेश्य आदिवासी लोगों पर प्रकाश डालते है :

लक्ष्य 2.2 : आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों और स्टेक होल्डरों की सहभागिता को बढ़ाना और सुनिश्चित करना।

उदेश्य :

आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की पूर्ण व प्रभावकारी सहभागिता 2008 तक पूरी कर ली जाय, उनके अधिकारों का पूर्ण सम्मान हो, उनके उत्तरदायित्वों को स्वीकार किया जाय, राष्ट्रीय कानून आवश्यक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप हों और सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डरों को कार्यरत् या नए स्थापित संरक्षित क्षेत्रों के संचालन में शामिल किया जाय।

6. संरक्षित क्षेत्र और जैव विविघता सम्मेलन की दूसरी कार्यनीतियाँ :

संरक्षित क्षेत्र, सम्मेलन के CoP द्वारा सम्बोधित विषयवार क्षेत्रों व गम्भीर मुददों से जुड़े कार्यो का एक मुख्य तत्व का निर्माण करता है। नीचे वर्णित प्रत्येक कार्यनीति में संरक्षित क्षेत्रों के प्रावधान शामिल है :

1. **समुद्री व तटीय जैव विविधता पर कार्यनीति :** 2004 में CoP (निर्णय VII/5) में यह सहमति बनी कि समुद्री एवं तटीय संरक्षित क्षेत्र, इन क्षेत्रों की जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग के लिए एक आवश्यक औजार की तरह है। CoP में यह भी सहमति बनी कि समुद्री एवं तटीय संरक्षित क्षेत्रों की एक राष्ट्रीय रूपरेखा के अन्तर्गत संरक्षण के स्तरों की एक श्रृंखला, दोनों प्रकार के क्षेत्रों – वैसा क्षेत्र जिसमें सतत् उपयोग की अनुमति हो और दूसरा वह जिसमें दोहन निषेध (अग्राहय क्षेत्र) हो–को शामिल करते हुये बनायी जानी चाहिए।

2. **अन्तःजलीय पारिस्थितिकीय तंत्र पर कार्य नीति :** 2004 में CoP (निर्णय VII/4) में यह सहमति हुई कि एकीकृत बहाव/जलग्रहण/नदी बेसिन प्रबन्धन की रूपरेखा के अन्तर्गत संरक्षित अन्तःजलीय पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थापना और समग्र, सटीक व प्रतिनिधित्व व्यवस्था के संचालन पर ध्यान दिया जाय।

3. **शुष्क एवं उपार्द्र भूमि पर कार्यनीति** : निर्णय V/23 में अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्र की स्थापना एवं उपयोग तथा कार्यरत् संरक्षित क्षेत्रों के साधनों के मजबूतीकरण आदि की व्याख्या कुछ आवश्यक कार्य लक्ष्यों के रूप में की गई है।

4. **वन जैव विविधता पर कार्यनीति :** इसे निर्णय VI/22 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया। इसमें संरक्षित क्षेत्रों से सम्बन्धित अनेक क्रियाक्लापों का वर्णन हैं। मसलन, वन संरक्षित क्षेत्र की आवश्यकता को मजबूत बनाना और वनों की कटाई पर नियंत्रण के लिए नए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के साथ हरित गृह गैंसो (GHG) के उत्सर्जन को रोकना।

5. **पर्वतीय जैव विविधता पर कार्यनीति :** इस कार्यनीति से जुड़े प्रावधानों के अन्तर्गत पर्वतीय पारिस्थितिकीय तंत्र में संरक्षित क्षेत्रों के लिए किस प्रकार योजना बनायी जाय, किस प्रकार उनकी स्थापना व संचालन किया जाय – को शामिल किया गया है। इसमें शामिल है : संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर बफर जोन (निर्णय VII/27) पर्वतीय संरक्षित क्षेत्र के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावी नेटवर्क की स्थापना, एकीकृत पराआदिवासीय सहयोग को बढ़ावा।

6. **पारम्परिक ज्ञान पर कार्यनीति :** इस कार्यनीति की धारा – 8(j) के अंतर्गत आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के संचालन से जुड़े तत्व को शामिल किया गया है (निर्णय VI/10)। खासकर नए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना में उनके अधिकारों को पर्याप्त त्वज्जों देने पर विशेष बल (निर्णय VII/16) दिया गया हैं।

7. **पर्यटन एवं जैव विविधता पर कार्यनीति –** CoP के निर्णय VII/14 में संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और चारों तरफ सतत उपयोग एवं समानता नीति योजना को किस प्रकार लागू किया जाय पर दिशा निर्देश दिया गया है।

8. **वैश्विक वर्गीकरण अभिक्रम :** निर्णय VI/8 के अन्तर्गत इस कार्यनीति में संरक्षित क्षेत्र स्थल चयन में सहायक वर्गीकरण आकड़ो के महत्व को स्वीकार किया गया है।

9. **पादप संरक्षण पर वैश्विक नीति योजना :** इसके अन्तर्गत CoP द्वारा उददेश्य 4 एवं 5 को स्वीकार किया गया जिसमें कहा गया कि 2010 तक (a) संरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न पारिस्थितिकीय क्षेत्र स्थलों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाते हुए विश्व के प्रत्येक पारिस्थितिकीय क्षेत्र स्थलों के कम से कम 10% हिस्से को संरक्षित किया जाय और (b) बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों के 50% भाग को पादप विविधता के लिए सुरक्षा देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7. संरक्षित क्षेत्रों (PAs) पर जैव विविधता सम्मेलन कार्यनीति (Pow) के क्रियान्वयन की रूपरेखा

स्थान एवं दिनांक	क्रियाक्लाप	परिणाम
मान्टेकटीनी, जून 2005	संरक्षित क्षेत्रों पर कार्यशील समूह (WGPA) की प्रथम बैठक	– क्रियान्वयन के लिए उपकरण किट – गतिविधि का पुनरावलोकन : 2007 के दौरान क्षेत्रीय बैठकों और CoP_9 में पुनरावलोकन : संरक्षित क्षेत्रों पर कार्यनीति के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन
रोम, फरवरी 2008	WGPA की दूसरी बैठक	कार्यनीति के क्रियान्वयन का पुनरावलोकन कार्यनीति के लिए वित्तीय संसाधनों का संघटन
बॉन, 2008	CoP_9	निर्णय IX/18 : संरक्षित क्षेत्रों पर कार्यनीति का पुनरावलोकन कार्यनीति (POW) के लिए वित्तीय संसाधनों का संघटन
बॉन 2009–2010	SBSTTA 14 में संरक्षित क्षेत्रों को शामिल करने पर जैव विविघता सम्मेलन की क्षेत्रीय बैठकें	
नगोया, अक्टू. 2010	CoP_{10} में संरक्षित क्षेत्रों पर कार्यनीति का गहराईपूर्वक पुनरावलोकन	

CoP_9 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय (निर्णय IX/18) संरक्षित क्षेत्रों पर कार्यनीति के क्रियान्वयन का पुनरावलोकन था :

CoP कार्ययोजना के क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की पूर्ण व प्रभावकारी सहभागिता की जरूरत को प्रोत्साहित करने की बात करता है और आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के आधार पर पक्षकारों को आमांत्रित करता है कि :

- संरक्षित क्षेत्रों पर कार्यनीति के कार्यक्रम तत्व 2 के कियान्वयन हेतु विशेष ध्यान (4c) दिया जाय।
- कार्ययोजना के कियान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए ..... संबद्ध सरकारी अभिकरणों एवं विभागों के प्रतिनिधियों, आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों को मिलाकर बहु–स्टेकहॉल्डर समन्वय समिति (5b) गठित किया जाय।
- राष्ट्रीय विधानों या अन्य प्रभावकारी प्रावधानों के अनुरूप, जहाँ उचित हो, सह–संचालित संरक्षित क्षेत्र, निजी संरक्षित क्षेत्र और आदिवासी एवं स्थानीय सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (6b) राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र प्रणाली के अंतर्गत करने को मान्यता दी जाय।
- राष्ट्रीय प्रावधानों एवं लागू अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुरूप संरक्षित क्षेत्रों के संचालन में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के अधिकारों को पूर्ण सम्मान एवं उनके उत्तरदायित्वों को मान्यता देते हुए उनकी पूर्ण व प्रभावकारी सहभागिता के लिए प्रभावकारी कार्यप्रणालियों की स्थापना (6d) की जाय।
- संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना एवं संचालन के लागत एवं लाभ दोनों में बराबर सहभागिता के लिए साधनों/उपायों को आगे भी विकसित एवं कियान्वित (6e) किया जाय तथा संरक्षित क्षेत्रों को राष्ट्रीय विधानों एवं लागू अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुरूप स्थानीय एवं वैश्विक सतत् विकास के एक प्रमुख तत्व के रूप में रखा जाय।
- (19) पक्षकार सुनिश्चित करें कि संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े हुए संरक्षण एवं विकास के कियाक्लाप गरीबी उन्मूलन एवं सतत् विकास में योगदान दें और यह भी सुनिश्चित करें कि संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना व संचालन से होने वाले लाभों का स्वच्छ एवं समान वितरण राष्ट्रीय विधानों एवं पारिस्थितियों के अनुरूप हो और ऐसा ही आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की पूर्ण व प्रभावकारी योगदान के लिए भी किया जाय तथा, जहाँ लागू हो, आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की स्व–संचालन प्रणाली एवं प्रथागत मान्यताओं को ध्यान में रखा जाय।

CoP_9 द्वारा कार्य योजना के लिए वित्तीय संसाधनों के संघटन की भी मांग की गई जो निम्नलिखित है :–

- (2) स्वीकार किया जाता है कि नवाचार तंत्र, बाजार आधारित दृष्टिकोण सहित, पूरक हो सकते है किन्तु जन निधिकरण एवं विकास सहायता को बदल नहीं सकते।
- संरक्षित क्षेत्रों से मिलने वाले पारिस्थितिकीय वस्तुओं व सेवाओं, खासकर आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय एवं अन्य सम्बन्धित स्टेक हॉल्डरों के सामाजिक आर्थिक लागतों व लाभों के मूल्यांकन (3d) को प्रोत्साहित करना जिससे संरक्षण एवं विकास की प्रक्रियायें को और भी बेहतर ढंग से एकीकृत हों तथा संरक्षित क्षेत्रों के योगदान से गरीबी उन्मूमलन करने, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल करने और संरक्षित क्षेत्रों के लिए बढ़े हुए निधिकरण को गतिशील बनाने में सहायता मिल सकें।
- संरक्षित क्षेत्रों के लिए निधिकरण के अवसरों (3h), जलवायु परिवर्तन के स्पष्टीकरण से जुड़े प्रयासों के संदर्भ में CoP निर्णय VIII/30 के अनुसार वनों की कटाई को कम करने के प्रभावी प्रयासों से जैव

विविधता के संरक्षण के लिए एक बेहतर मौका मिल सकता है, को ध्यान में रखते हुए प्रभावकारी प्रबन्धन की स्थापना का विस्तार करना।

- (6h) संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्धन में जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग के लिए पारम्परिक ज्ञान को बचाने व बनाए रखने को प्रोत्साहन देना।

संरक्षित क्षेत्रों का कियान्वयन किस प्रकार हो रहा है और आदिवासी लोगों पर उसके क्या प्रभाव हैं ?

FPP ने, कई देशों में किस प्रकार संरक्षित क्षेत्रों (PAs) को कियान्वित किया जा रहा है, पर अध्ययन किया। इन घटना–अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि मानव समुदाय की जरूरतें व अधिकारों के साथ उनके प्राकृतिक पर्यावरणों की सम्भावनाएँ एवं सीमाओं का समन्वय मानव जाति के लिए सामान्य में और खासकर संरक्षण के संदर्भ में एक चुनौती

अभ्यास – 2

घटना अध्ययन का पुनरावलोकन (30 मिनट)

1. सहभागियों को छोटे–छोटे समूहों में बांटकर नीचे वर्णित कुछ घटना अध्ययनों को पढ़ना और विचार विमर्श करना।
2. प्रत्येक समूह संरक्षित क्षेत्रों की कमियों तथा प्रत्येक घटना अध्ययन का आदिवासी लोगों पर प्रभाव की पहचान करता है, अपने विचार विमर्श के परिणामों का प्रतिवेदन पूरे समूह को देता है।
3. प्रशिक्षक मुख्य बिन्दुओं का संक्षेपण करता है।

घटना अध्ययन : युगान्डा

यह अध्ययन दक्षिण पश्चिमी युगान्डा के 'बतवा' लोगों की स्थिति पर प्रकाश डालता है जो बविन्डी एवं मगाहिंगा संरक्षित क्षेत्र तथा इकूया वन रिजर्व की स्थापना के कारण अपने पैतृक भूमियों से बेदखल कर दिए गए थे। 1990 के आरम्भिक समय से इन लोगों की स्थिति को लेकर यह मुद्धा उठाया गया है। यद्यपि प्रभावित बतवा लोगों के एक छोटे समूह को ही भूमि के छोटे टुकड़े देकर इन शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया गया किन्तु ये मुआवजा कार्यक्रम जल्द ही उजड़ गए।

इसी प्रकार बतवा लोगों को प्रबन्धन में शामिल करने का काम अभी तक नहीं हो पाया है। स्थानीय समुदायों को प्रदत्त लाभ में भागीदारी कार्यक्रम भी बतवा लोगों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच रहा है और

बहु उपयोग जोन के वन संसाधनों को समुदाय द्वारा बहुत कम सीमित उपयोग अनुमति प्रणाली भी उनके शक्तिशाली पड़ोसियों की तुलना में बतवा लोगों को कम लाभकारी रहा है। इस प्रकार बतवा सीमान्त एवं उपेक्षित समूह तक सिमट गए है, द0प0 युगान्डा के 45 प्रतिशत से ज्यादा बतवा लोग अभी भी पूरी तरह से भूमिहीन हैं और गिने चुने लोग ही कृषि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर अपनी जीवन यापन कर रहे हैं।

यह घटना अध्ययन, युगान्डा में बतवा विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा वन्य लोग कार्यक्रम की सहायता से किया गया, पुछता है : संगठनों एवं सरकारों द्वारा सामुदायिक अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्धता दिखाई जाती है किन्तु यदि वे उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो संरक्षण का मानक बिन्दु क्या है ? अध्ययन निष्कर्ष देता है कि यद्यपि इस संदर्भ में कुछ रूपरेखा बनाई गई है और संरक्षित क्षेत्रों के मामलों में सामुदायिक अधिकारों के प्रति रूझान भी बढ़ा है किन्तु समानता के सिद्धांत पर आधारित बतवा लोगों की वास्तविक भागीदारी आज भी युगान्डा में भ्रम पैदा करने वाला है। सरकारी प्राधिकरण समुदायों के प्रति ढ़र्रे पर आधारित तरीकों से काम कर रहे है और बतवा समुदायों को निर्णय निर्माण व क्रियान्वयन में सक्रिय साझेदार बनाने की कोशिश की बजाय समुदायों को हल्के–फुल्के उत्तरदायित्व दिए जा रहे है।

सरंक्षित क्षेत्र प्रबन्धन मे आज भी बतवा लोग उपेक्षा के विविध रूपों में उलझे हुए हैं। वे न केवल कानूनी रूप से अपने गृह भूमियों से बेदखल कर दिए गए है बल्कि तब से भारी अन्याय से जूझ रहे हैं और संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धन को सामाजिक रूप से और जिम्मेदार बनाने की दिशा में नाम मात्र का ध्यान दिया जा रहा है। इस अवलोकन से यह जाहिर है कि एक नए संरक्षण प्रतिमान के आहवान के बावजूद और एक नए मानक निर्धारण जिसमें यही आहवान है, द0प0 युगान्डा के संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापक अब भी आदिवासी लोगों को संरक्षण के संदर्भ में बाहरी मानते है, परिणामस्वरूप डर्बन कार्य योजना और जैव विविघता सम्मेलन के संरक्षित क्षेत्रों पर कार्य योजना को जमीनी हकीकत संतोषजनक से कहीं दूर है।

युगान्डा सरकार युगान्डा वन्य प्राणी प्राधिकरण और सिविल सोसाइटी की तरफ से तत्काल व पूरी मुस्तैदी से ध्यान दिए जाने की जरूरत है जिससे इन अन्यायों को दूर करने और डर्बन कार्य योजना एवं संरक्षित क्षेत्रों पर जैव विविघता सम्मेलन कार्य योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकें।

घटना अध्ययन – कामरून

यह पुनरावलोकन उन आदिवासी लोगों के लिए किए जा रहे प्रयासों का आकलन है जो कामरून के दक्षिणतम जंगलो, खासकर बका, बकोला एवं बागेली में और लोबेके, बुम्बा बेक, नकी, कम्पो मान राष्ट्रीय उद्यान एवं डजा वन्य जीव रिजर्व (विश्व विरासत स्थल घोषित) के आसपास रहते हैं।

यह घटना अध्ययन, पिग्मी आर्गेनाइजेशन, ओकानी द्वारा वन्य लोग कार्यक्रम की सहायता से तैयार किया गया है जो FPP और स्थानीय साझेदारों द्वारा वर्ष 2000 से मध्य अफ्रीका में नए संरक्षण प्रतिमान के मुताबिक सामुदायिक अधिकारों को जमीनी सच्चाई के साथ लागू किए जाने और स्थानीय एवं आदिवासी समुदायों को प्रभावित करने वाले क्रियान्वयन कार्यक्रम में उन प्रतिमानों को प्रोत्साहित किए जाने के दस्तावेजी आंकड़ो पर आधारित हैं। कामरून घटना अध्ययन उपर वर्णित संरक्षित क्षेत्रों के दायरे में या आसपास के सामुदायिक अधिकारों से संबंधित विविध प्रक्रियाओं से प्राप्त जानकारियों पर आधारित है।

दान कर्ताओं, व्यवस्थापकों, स्वयंसेवी संगठनों एवं समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित क्षेत्रीय बैंठकों के अंतर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता और वास्तविक प्रगति के बीच की खाई को कैसे पाटा जाय, पर चर्चा की गई तथा IUCN के कर्मचारियों, कामरून के सरकारी मंत्रियों, संरक्षित क्षेत्रों के निदेशकों एवं पूरे कामरून में वन्य समुदायों पर काम करने वाले स्वयं सेवी संगठनों से भी इस सन्दर्भ में नए–नए साक्षात्कार लिए गए।

यह पुनरावलोकन 2004 से शुरू किए गए कुछ सकरात्मक प्रयासों – नए मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन, मानवाधिकारों का संरक्षण और ऊपर वर्णित काम्पोमान घटना के सन्दर्भ में किए गए उपायों – पर प्रकाश डालता है। वैसे ये सभी कार्य अधिकांशतः संरक्षण से जुड़े स्वयंसेवी संगठनों या कामरून सरकार की बजाय सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा किए गए।

प्रतिवेदन का निष्कर्ष है कि कामरून में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वन्य सामुदायिक अधिकारों के लिए नाम मात्र की प्रगति हुई हैं। संरक्षण से जुड़े संगठनों, दानकर्ताओं एवं सरकार ने अपने संरक्षण योजनाओं में सामुदायिक अधिकारों से जुड़ी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को निभाने में नाम मात्र का काम किया है। उन अधिकांश नए मानकों जिन्हें निभाने की सहमति इन सब ने दिखाई थी, अब भी स्थानीय स्तरों पर अंजान है। यहां तो स्थानीय स्तर पर सरकार के कार्मिकों को नए मानकों के संदर्भ में बताए जाने की और उन्हें क्रियान्वित करने की जरूरत सबसे ज्यादा है। वैसे यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि समुचित जानकारी के अभाव और पर्याप्त प्रोत्साहन के अभाव मे वे आज भी पुराने कानूनों के अनुसार काम कर रहे है जिसके कारण नए मानकों के अनुरूप उनकी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता पूरी नहीं हो पा रही है।

प्रतिवेदन में यह भी साफ हुआ है कि सरकार, संरक्षण अभिकरणों एवं दानकर्ताओं द्वारा बिना किसी पूर्व तैयारी के कार्यशालाओं तथा बगैर क्षेत्रीय क्रियाक्लापों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संरक्षण से जुड़े संगठनों द्वारा समुदायों के लिए जो प्रयास किए गए है, उनका प्रभाव काफी कम है तथा समुदायों जो कि लक्षित हितग्राही माने गए हैं, के लिए ये प्रयास आज भी अनजान हैं।

घटना अध्ययन – मलेशिया

मलेशिया का अध्ययन आदिवासी लोगों के संगठनों तथा मलेशियाई राज्य सभा के POACOS न्यास (ट्रस्ट) द्वारा उत्तरी बर्नियों में किया गया।

इस अध्ययन में संरक्षित क्षेत्रों एवं आदिवासी लोगों से जुड़े राष्ट्रीय नीतियों व कानूनों की समीक्षा की गई है और राष्ट्रीय स्थितियों एवं खासकर क्रॉकर रेंज राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सभा की स्थितियों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया गया हैं।

प्राय द्वीपीय मलेशिया के आदिवासी लोग, जिन्हें ओरंग असली कहा गया है, एक छोटे अल्पसंख्यक समूह है और वैधानिक कानून के अंतर्गत नाम मात्र के अधिकार उन्हें दिए गए है। सर्वाक एवं सबह में दायक, कडजनड्यूसन्स और मूरट गिने चुने, यहाँ तक कि नाम मात्र के शक्तिशाली, है और उनके अधिकार ब्रिटिशों द्वारा 1960 में परिवर्द्धित उपनिवेश भूमि संहिता (कोड) के अन्तर्गत आंशिक रूप से स्वीकृत है जिन्हें 'स्थानीय प्रथा अधिकार' के रूप में जाना जाता है। संरक्षित क्षेत्रों का राजपत्रीकरण प्रशासन द्वारा इन अधिकारों को अलग करने के रूप में किया गया है।

व्यवहार में, प्रायद्वीप एवं दो बार्नियों राज्यों – सरवाक एवं सबह दोनों में आदिवासी लोग अपने पारम्परिक जगहों का उपयोग एवं कब्जा तो रखे ही हैं, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जिन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। बॉर्नियों में समुदायों को पुर्नस्थापित करने के प्रयास पूरी तरह से अप्रभावित एवं अकियाशील हो गए हैं। सबह में, प्रशासन ने स्थानीय लोगों को समायोजित करने के लिए औपचारिक या अर्द्ध प्राधिकृत जैसे अनेक पद्धतियों का सहारा लिया है मसलन वन्य रिजर्व में पेशा अनुज्ञप्ति के लिए समुदायों के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निवेदन, समुदायों को इस बात का आश्वासन कि जब भी संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा, स्थानीय लोगों को ''अवैतनिक उद्यान रेंजर'' के पद पर नियुक्त किया जायेगा और ''सामुदायिक उपयोग जोन'' की स्थापना होगी। उदाहरण के लिए, जैसा कि क्रॉकर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। यद्यपि इन पद्धतियों को आदिवासी लोगों के उचित सम्मान के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं माना जा सकता तथापि ये पद्धतियाँ सही दिशा की ओर बढ़ता हुआ एक कदम मानी जा सकता है और यह प्रमाण है कि प्रशासन स्थानीय समुदायों के सम्मान के प्रति कठोर नहीं हैं।

बॉर्नियाई राज्य में बहु–वैधानिक व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत उसी प्रथा को कानून व अधिकार का स्रोत माना जाता है जो स्थानीय कोर्ट द्वारा प्रशासित होता है। संरक्षित क्षेत्रों से बाहर, सबह में, कुछ हद तक इसने भूमि उपयोग एवं संरक्षण, खासकर नदी व मत्स्य प्रबन्धन से जुड़ी तगाल प्रणाली की प्रथागत मान्यताओं को स्वीकार करने की अनुमति भी दी है। सामुदायिक मत्स्य को नियंत्रित करने एवं प्राकृतिक मत्स्य विष के उपयोग को सीमित करने वाली तगाल प्रणाली को अन्तःजलीय मत्स्य एवं जलीय जीव अधिनियम 2003 के अंतर्गत अधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। सबह में एक दूसरा उत्साहवर्धक संकेत है कि आदिवासी लोगों को उनके पारम्परिक ज्ञान के अधिकार और इसके उपयोग से होने वाले लाभों में भागीदारी को स्वीकार करने वाले कानूनो के प्रारूप को तैयार करने में शामिल किया जा रहा है।

घटना अध्ययन : फिलीपीन्स

फिलीपीन्स की स्थिति पुनरावलोकित देशों से भिन्न इस रूप में है कि यहाँ का संविधान आदिवासी लोगों के अधिकारों की स्पष्ट रक्षा करता है। ऐसे कानून लागू है जिसमें स्पष्टतः वर्णित है कि भूमि अधिकारों को कैसे मान्यता दी जाय और मुक्त, पूर्वसूचित सहमति का सिद्धांत भी राष्ट्रीय कानूनों में वर्णित है। यह अध्ययन तेबतेबा, नीतिगत शोध एवं शिक्षा के लिए आदिवासी लोगों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, द्वारा किया गया है। यह अध्ययन आदिवासी लोगों के अधिकारों से जुड़े हुए राष्ट्रीय रूपरेखा व क्रियान्वयन उपायों/साधनों की समीक्षा करते हुए बतान राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित अएटा लोगों की दशा को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करता है।

कानून के अन्तर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति एवं क्रियागत योजना जैव संसाधनों से जुड़े आदिवासी लोगों के पारम्परिक ज्ञान के महत्व को स्वीकार करता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकीकृत संरक्षित क्षेत्र अधिनियम संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना में भागीदारी को शामिल करता है, आदिवासी सांस्कृतिक समुदायों को आदरपूर्वक मान्यता देता है, उनकी काश्तकारी की रक्षा करता है तथा संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धन बोर्ड में आदिवासी समुदायों को प्रतिनिधित्व देता है। आदिवासी लोगों का अधिकार अधिनियम (IPRA) के अंतर्गत पैतृक भूमि एवं अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित आदिवासी लोगों के अधिकारों को मान्यता देने तथा उन पर होने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट तंत्र की व्यवस्था की गई है। एक संयुक्त परिपत्र के द्वारा आदिवासी भूमि अधिकारों को संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धन के साथ सुव्यवस्थित रूप देने तथा ऐसे क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को भू–स्वामी का दर्जा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ एक कार्यतंत्र बनाया गयाहै।

इन उपायों का क्रियान्वयन अलग अलग है। दावा किए गए आदिवासी भूमियों के आधे से भी कम का निपटारा हो पाया है। इसके अलावे जहाँ आदिवासी लोगों की भूमियों एवं संरक्षित क्षेत्र के बीच घालमेल हो गया है वहाँ भी प्रबन्धन का हस्तांतरण प्रायः नहीं हो पाया है। इस तरह के घालमेल वाले 96 संरक्षित क्षेत्रों में से सिर्फ 18 को ही पैतृक अधिकार क्षेत्र सतत् विकास एवं संरक्षण योजना मिल पाई है। केवल 6 क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धन बोर्ड में आदिवासी लोगों का प्रतिनिधित्व हुआ है और साथ ही इन आदिवासी प्रतिनिधियों को बोर्ड की बैठक के दौरान कई कठिनाईयों का भी सामना करने की सूचना आई है। GEF के लिए किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि आदिवासी लोगों के क्षमता निर्माण अपर्याप्त हैं।

अएटा, पश्चिमी लूजोन के एक नीग्रो लोग, बतान क्षेत्र में अपनी पेशा को 16 वीं सदी में स्पेन द्वारा फिलीपीन्स को उपनिवेश बनाए जाने से काफी पहले से जोड़ते हैं। वे अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र के साथ घनिष्ठ रूप से अब भी जुड़े है। 1934 में इस क्षेत्र को पहले संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, 1987 तक यह वैसे ही रहा जब तक कि संरक्षित क्षेत्र का 41 हेक्टे0 का एक छोटा भाग आरक्षण के रूप में विस्तृत रूप से फैले अएटा को नहीं दिया गया। 2004 में अएटा लोगों ने IPRA के अंतर्गत अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र के रूप में लगभग 10,000 हेक्टे0 जो बतान राष्ट्रीय उद्यान का करीब आधा हिस्सा था, क्षेत्र को मान्यता देने के लिए दावा आपत्ति प्रस्तुत किया। अभी तक इस मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। वैसे संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धन बोर्ड ने अएटा लोगों को बोर्ड के अंतर्गत दो स्थान आबंटित किया है किन्तु संरक्षित क्षेत्र प्राधिकरण के साथ सक्रियता से शामिल होने के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण या मार्गदर्शन की व्यवस्था नहीं हो पाई है।

9. संरक्षण नीति एवं कानून के संदर्भ में आदिवासी लोगों की मांगे और संरक्षित क्षेत्र का क्रियान्वयन

आदिवासी लोग बहुत लम्बे समय से यह मांग करते रहे है कि संरक्षण, प्रजाति एवं पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से जुड़े उपाय और सतत् विकास का प्रोत्साहन – ये सभी इस तरीके से हासिल किए जाए कि आदिवासी लोगों के मानवाधिकारों के साथ इनकी पूरी संगत बनी रहे। इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रकृति के मानवीय उपयोग को सीमित करने वाले कानून एवं प्रावधान बलपूर्वक उन लोगों के अधिकारों का हनन न करें जिनकी आवाज ऐतिहासिक रूप से दबायी और उपेक्षित रही हो।

मानव अधिकार परस्पर निर्भरशील हैं, किसी एक का भी उल्लंघन कई दूसरों का उल्लंघन का कारण बन जाता है। इस प्रकार यदि कोई संरक्षण परियोजना इस रूप में क्रियान्वित की जाती है जिससे आदिवासी लोगों के अपनी भूमि व संसाधनों पर अधिकार उपेक्षित होता है तो यह दूसरे अधिकारों के उल्लंघन जैसा है।

संरक्षण के संदर्भ में आदिवासी लोगों के प्रमुख अधिकार एवं माँगे है : –

- स्व–निर्धारण का अधिकार।
- भूमि, परिसीमा, संसाधन का अधिकार।
- भागीदारी, मशविरा और मुक्त–पूर्व–सूचित सहमति का अधिकार।
- संस्कृति एवं पारम्परिक मान्यताओं का अधिकार।
- अस्वैच्छिक पुनर्वास से मुक्त होने का अधिकार।
- पारम्परिक ज्ञान का अधिकार।
- स्वास्थ्य का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार।
- पुनर्वापसी एवं क्षतिपूर्ति का अधिकार।

10. संरक्षण एवं मानवाधिकार के सम्बन्ध में अद्यतन पहल

1. आदिवासी एवं समुदाय के लिए सुरक्षित क्षेत्र :

आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों, दोनों अभ्रमणशील एवं गतिशील है, ने हजारों वर्षो से प्राकृतिक पर्यावरणों एवं प्रजातियों को विविधताओं को संरक्षित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह काम उन्होंने विभिन्न उददेश्यों – आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सुन्दरता के लिए किया है। पूरे विश्व में आज कई हजार आदिवासी एवं समुदाय के लिए आरक्षित क्षेत्र (ICCAs) हैं जिनमें वन, आर्द भूमि, प्राकृतिक दृश्य, ग्रामीण झील, जल–ग्रहण क्षेत्र, नदियाँ, तटीय विस्तार व समुद्री क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से कई क्षेत्रों में संरक्षण एवं सतत उपयोग का इतिहास सरकार द्वारा संचालित संरक्षित क्षेत्रों से कहीं ज्यादा प्राचीन है। अब तक इन्हें सरकारी संरक्षण प्रणाली में प्रायः उपेक्षा मिली हैं या मान्य नहीं हुए है। इनमें से कई खतरनाक संकटों से जूझ रहे हैं।

सौभाग्य से, ICCAs की मान्यता भी बढ़ रही है और जैव विविधता के संरक्षण में उनकी भूमिकाओं को स्वीकार भी किया जा रहा है। 5वें विश्व उद्यान सम्मेलन तथा जैविस के संरक्षित क्षेत्रों पर कार्य योजना के अन्तर्गत इन्हें उचित संरक्षण स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है और जैसा उपयुक्त हो, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली में शामिल किया जा रहा है। कुछ सरकारों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है तो कुछ दूसरों ने तो इन्हें अपने अधिकारिक संरक्षित क्षेत्र प्रणाली में शामिल भी कर लिया है।

2. मानवाधिकार से जुड़े संरक्षण पहल (CIHR)

मानवाधिकार से जुड़ा संरक्षण पहल (CIHR) NGOs से जुड़े अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण का एक संघ/महासमूह है जो संरक्षण की मान्यता को बढ़ाने के लिए संरक्षण नीति एवं मान्यता के अंतर्गत मानवाधिकार को प्रोत्साहित करना चाहता है।

CIHR के सदस्य मिलजुलकर कार्य करते हैं क्योंकि संरक्षण और लोगों की आजीविका सुरक्षित करने के अधिकार, स्वस्थ एवं रचनात्मक पर्यावरण में निवास तथा सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के बीच सकरात्मक सम्बन्ध को और मजबूत करने का यह स्वाभाविक कार्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण संगठनों को CIHR को सदस्य बनाया गया है जो संरक्षण के CEO फोरम में भाग लेते है। इन संगठनों में बर्डलाइफ इन्टरनेशनल, कन्जर्वेशन इन्टरनेशनल, फौना व फ्लोरा इन्टरनेशनल, IUCN, द नेचर कन्जरवेंसी, वेटलैन्ड्स इन्टरनेशनल, वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन और WWF शामिल हैं।

CIHR का लक्ष्य संरक्षण की मान्यता को बढ़ाना है और इसे शामिल संगठन द्वारा अपने कार्यो में मानवाधिकार को जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। इस पहल के अन्तर्गत प्रत्येक भागीदार संगठन एक मानवाधिकार सिद्धांत को स्वीकार करता है, इसके क्रियान्वयन के लिए अपनी क्षमता बढ़ाता है और उचित स्थान पर जिम्मेदारी साधनों को तय करता है। प्रत्येक संगठन सीखने से जुड़े क्रियाक्लापों में भाग लेगा और इसे प्रोत्साहित करेगा तथा अपने क्रियान्वयन–कार्य के संदर्भ में प्रतिवेदन देगा।

अध्याय – 3

आदान–प्रादान और विमर्श (30 मिनट)

संरक्षित क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा में दूसरा कदम

1. अपने समुदायों में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना से सहभागी अपने अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर सकते है और जब वे घर वापस जाते है तो संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहते हैं – इनसे जुड़े अपने विचार का आदान प्रदान सहभागी करते हैं।
2. प्रशिक्षक विचार विमर्श के मुख्य बिन्दुओं का संक्षेपण कर इसे समाप्त करता है।

संदर्भ – डडले, निजेल, ed. 2008 गाइडलाइन्स फॉर अप्लाइंग प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटोगरिज, ग्लॉड, IUCN। सोब्रेविला क्लोडिया, 2008, द रोल ऑफ इन्डिजिनियस पीपुल्स इन बायोडाइवरासिटी कन्जरवेशन। द नेचेरल बट ऑफेन फार्रेगाटेन पार्टनर्स, वर्ल्ड बैंक।

मापांक 11 जैव विविधता सम्मेलन का राष्ट्रीय क्रियान्वयन

उद्देश्य :

1. वितरण गृह तंत्र के माध्यम से जैव विविधता सम्मेलन क्रियान्वयन के संदर्भ में सूचना संग्रहण कैसे करें : इसे सीखना।
2. जैव विविधता सम्मेलन को लेकर सरकारों की अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक बाध्यताओं के प्रति जागरूक होना जैसा कि राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति व कार्य योजना (NBSAP) तथा देश के प्रतिवेदन में वर्णित है।
3. सरकार द्वारा जैव विविधता सम्मेलन बाध्यताओं के क्रियान्वयन और वास्तविक प्रगति के बीच तुलनात्मक आकलन करना।
4. वैसे व्यावहारिक प्रयासों व परियोजनाओं पर मंथन को उत्प्रेरित करना जिसे सहभागी राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर जैव विविधता सम्मेलन के क्रियान्वयन के लिए ले जा सकें।

संसाधन / सामग्री

- जैव विविधता सम्मेलन के क्रियान्वयन का पुनरावलोकन–मुख्य बातें।
- NBSAPs
- फिलीपीन कार्यनीति और कार्य योजना
- फिलीपीनस गणराज्य : जैव विविधता लक्ष्य 2010 की ओर हो रही प्रगति का आकलन : जैव विविधता सम्मेलन 2009 से जुड़ा चौथा राष्ट्रीय प्रतिवेदन।
- कामरून में पारम्परिक सतत् उपयोग की रक्षा एवं प्रोत्साहन : कामरून के पश्चिमी डज रिजर्व में आदिवासी एवं स्थानीय लोगों द्वारा जैव संसाधनों का प्रथागत उपयोग।
- आदिवासी लोगों एवं स्थानीय समुदायों द्वारा जैव विविधता के प्रथागत सतत् उपयोग : उदाहरण, चुनौतियाँ और जैव विविधता सम्मेलन की धारा – 10(c) से जुड़ी अनुशंसाएँ।

समय

3

घंटे

अभ्यास – 1

जैव विविधता सम्मेलन के राष्ट्रीय क्रियान्वयन से जुड़ी सूचनाओं का आंकलन। (30 मिनट)

1. किसी स्थान पर सहभागी कम्प्यूटर व इन्टरनेट के द्वारा जैव विविधता सम्मेलन के बेबसाइट < http://www.cbd.int/> से जुड़ते हैं।

2. NBSAPs, नेशनल रिर्पोटस, नेशनल फोकल प्वाइन्ट्स और नेशनल क्लीयरिंग हाउस मेकेनिज्य से जुड़ी सूचनाओं को खोजते हैं।

3. इन विषयों के लिए जरूरी सूचनाओं का संग्रहण

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श : (1 घंटा)

1. प्रस्तावना :

UNEP द्वारा जैव विविधता पर सम्मेलन (जैव विविघता सम्मेलन) के क्रियान्वयन पर की गई समीक्षा से इसकी पुष्टि हुई कि 1993 से इसके प्रभावी होने के समय से सम्मेलन के संदर्भ में बड़ी प्रगति/सफलता मिली है। उनमें निम्नलिखित प्रमुख है :

2. प्रगति/सफलता

- सम्मेलन के प्रावधानों का विषयगत एवं संलग्न मुद्धों पर कार्ययोजना के रूप में स्पष्ट चिहिंत लक्ष्यों के साथ सफल बदलाव
- जैव सुरक्षा प्रोटोकाल स्वीकार्य
- दोहन एवं लाभ भागीदारी पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पहल
- SBSTTA का स्वीकार्य अन्तः सरकारी सुवैज्ञानिक अंग के रूप में उद्भव
- वैश्विक जैव विविधता परिदृश्य (GBO) के 3 संस्करणों का प्रकाशन, सम्मेलन की हस्त पुस्तक, तकनीकी श्रृंखला, जैव विविघता सम्मेलन समाचार का प्रकाशन
- जुड़े हुए संगठनों के साथ क्रमशः मजबूत होती साझेदारी
- आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के लिए सम्मेलन को एक मंच के रूप में तैयार करना
- सतत विकास पर विश्व बैठक में सम्मेलन एवं जैव विविधता की प्रधानता और महासभा के सत्रों एवं सतत् विकास आयोग में सक्रिय उपस्थिति।
- उन प्रयासों के कारण सचिवालय के निधिकरण में भारी वृद्धि, पहले के वर्षो के कुछ कार्यालयों व कुछ लोगों के स्थान पर पूरी तरह सशक्त व समार्पित कार्मिकों की एक टीम जो पक्षकारों की जरूरत के अनुरूप सक्रियतापूर्वक जिम्मेदारी का निर्वहन करती है।

3. चुनौतियाँ

दूसरी ओर, कुछ चुनौतियों की भी पहचान की गई :

- लक्ष्य 2010 को राष्ट्रीय उद्धेश्य एवं लक्ष्य के रूप में बदलना
- सभी आर्थिक पहलूओं में जैव विविधता को मुख्यधारा बनाना
- स्टेक हाल्डर्स के साथ बड़े स्तर पर सिविल सोसाइटी, आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों एवं निजी क्षेत्रों को शामिल करना
- राष्ट्रीय प्रतिवेदन की प्रभावकारिता में वृद्धि लाना
- कार्यनीति योजना एवं इससे जुड़े विषयों में पहचानी गई क्रियान्वयन बाधाओं को दूर करना
- पक्षकारों की क्षमता–निर्माण जरूरतों को पूरा करना
- प्रभावी क्रियाक्लापों के लिए आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों और राजनैतिक इच्छा शक्ति का निर्माण करना

यहाँ जैव विविधता सम्मेलन के राष्ट्रीय क्रियान्वयन की जांच आवश्यक है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सफलता जैव विविधता सम्मेलन लक्ष्यों को राष्ट्रीय स्तर पर हासिल करने में वास्तविक प्रगति के रूप में किस प्रकार बदली है, को देखा जा सकें।

4. राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति व कार्य योजनाएँ क्या है ? (NBSAP$_s$)

किसी देश की अपनी जैव विविधता योजना का आधार शिला राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति व कार्य योजना (NBSAP) हैं। इसके अन्तर्गत एक कार्यनीति बनाई जाती है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण से जुड़े मुद्धे प्राथमिकताएँ एवं लक्ष्य का ध्यान रखा जाता है। इस कार्यनीति के अलावे एक कार्ययोजना भी होनी चाहिए जिसके माध्यम से कार्यनीति में वर्णित उद्धेश्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाता है और जो परिभाषा के स्तर पर सम्मेलन के तीनों उद्धेश्यों को भी समेटे रहता है। NBSAP की समयबद्ध समीक्षा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि जरूरत के अनुरूप कार्य हुए है अथवा नहीं और कार्य योजना की समीक्षा जरूरत के अनुसार होती है। वास्तव में NBSAP की तैयारी सम्मेलन के अंतर्गत केवल वैधानिक बाध्यता हैं।

सम्मेलन की धारा – 6 राष्ट्रीय जैव विविधता योजना के लिए एक नैतिक बाध्यता का निर्माण करता है। एक राष्ट्रीय कार्ययोजना के अन्तर्गत इस तथ्य को प्रस्तुत किया जाता है कि विशिष्ट राष्ट्रीय परिदृश्यों के आधार पर सम्मेलन के उद्धेश्यों को देश किस प्रकार पूरा करता है तथा सम्बन्धित कार्य योजना के अंतर्गत उन उद्धेश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों का अनुक्रम किस रूप में प्रस्तुत करेगा।

संरक्षण एवं सतत् उपयोग के लिए सामान्य उपायों पर सम्मेलन की धारा–6 कहती है कि समझौता स्वीकार करने वाला प्रत्येक पक्ष/देश अपनी खास परिस्थितियों एवं क्षमता के अनुसार :–

- जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति, योजना या कार्यक्रम का विकास करेगा या इस उद्धेश्य के लिए कार्यरत, कार्य नीतियो, योजनाओं या कार्यक्रम को अनुकूल बनाएगा जिससे इस सम्मेलन से निर्देशित उपायों जो उस देश के लिए जरूरी होगा, से मिलता–जुलता हो।
- जहाँ तक उचित और संभव हो जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग को प्रासंगिक खण्डों या अन्तःसम्बन्धित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के साथ सूत्रबद्ध करेगा।

एक सौ छियाछठ पक्षकारों/देशों ने $NBSAP_s$ विकसित किया है। CoP_9 ने शेष 25 देशों से उनके $NBSAP_s$ को 2010 तक विकसित करने का आहवान किया है।

5. राष्ट्रीय प्रतिवेदन

सम्मेलन से जुड़े देशों की यह नैतिक बाध्यता है है कि वे विस्तृत जानकारियों के साथ अपना राष्ट्रीय प्रतिवेदन जैव विविघता सम्मेलन को सौंपे ताकि CoP द्वारा नीतियों के निर्माण से जुड़े निर्णयों में इसकी उपयोगिता पूरी हो सकें। राष्ट्रीय प्रतिवेदनों में शामिल सूचनाओं से वैश्विक जैव विविधता के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण में सहूलियत होती हैं। साथ ही इन्हें वैश्विक जैव विविधता परिदृश्य एवं अन्य प्रकाशनों के लिए सूचना स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए ये नीतियों के निर्धारण और सम्मेलन के क्रियान्वयन की सफलता के मापन के लिए एक प्रमुख उपकरण हैं। वास्तव में, सम्मेलन का वित्तीय तंत्र – वैश्विक पर्यावरण प्रसुविधा (GEF) – ने विकासशील देश जैसे पक्षकारों को अपने क्रियान्वयन अभिकरणों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया है जिससे सम्बन्धित देश में जैव विविधता की स्थिति से जुड़ी स्पष्ट व सही सूचना तैयार करना सुनिश्चित हो सकें।

सम्मेलन की धारा – 26 में वर्णित है कि राष्ट्रीय प्रतिवेदन का उददेश्य सम्मेलन के क्रियान्वयन हेतु किए गए उपायों तथा इन उपायों तथा इन उपायो की उपयोगिता के संदर्भ में जानकारी हासिल की जा सकें।

राष्ट्रीय प्रतिवेदन को खुले रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिससे जैव विविघता सम्मेलन के क्रियान्वयन के लिए निर्दिष्ट कार्यनीति व कार्यक्रमों के निर्माण में अन्तः सरकारी अभिकरणों, गैर सरकारी संगठनों एवं वैज्ञानिक प्रभागों को सहायता मिल सकें। देशों या देशों के समूह को जिन मुद्धो या विषयों पर कार्य किया जाना है उसकी पहचान करने में भी वे सहायता देते है और इस प्रकार क्रियान्वयन के लिए लागत प्रभावी एवं पारस्परिक सहयोगात्मक क्षेत्रीय पहल का विकास हो सकें।

CoP की पांचवी बैठक में सहमति हुई कि प्रत्येक चार वर्षो के अन्तराल पर राष्ट्रीय प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और CoP की हर दूसरी बैठक में उस पर विचार किया जाएगा। 2006 तक CoP के अंतर्गत 4 राष्ट्रीय प्रतिवेदनों पर विचार भी किया गया। चौथे राष्ट्रीय प्रतिवेदन 30 मार्च 2009 तक प्रस्तुत किए जाने थे (निर्णय VIII/14) इन सबके द्वारा जैव विविधता लक्ष्य 2010 की दिशा में हो रहे प्रगतियों के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध हो सकेगी। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, जैव विविधता की वर्तमान दशा व दिशा और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन के कियान्वयन के लिए किए गए कार्यो के विश्लेषण के साथ साथ आगे के लिए जरूरी प्रयासों पर भी विचार किया जाएगा।

6. राष्ट्रीय केन्द्र–बिन्दु (NFP) क्या है और वे क्या करते है ?

राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु एक सरकार द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति या संस्था है जो CoP और सचिवालय के बीच सम्मेलन से जुड़े विषयों को लेकर होने वाली नियमित बैठकों में देश/पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है। इन बैठकों में शामिल किए जाने वाले विषयों में संवाद/संचार, सूचना प्रसार, बैठक में प्रतिनिधित्व, विभिन्न अभ्यावेदनों का निराकरण तथा सम्मेलन के राष्ट्रीय कियान्वयन में सहायता या प्रोत्साहन आदि हैं।

प्रत्येक देश जो CoP के प्रति एक पक्षकार है, सम्मेलन के संदर्भ में एक राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु (INFP) की स्थापना करता है। सामान्यतः राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु का मनोनयन सरकार के अन्तर्गत किसी उच्च प्राधिकार, जैसे – पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है जो सम्मेलन के साथ सम्पर्क–सम्बन्ध कायम करता हैं। मुख्य NFP की सहायता के लिए अतिरिक्त NFPs, का मनोनयन कुछ खास प्रकार्यो के लिए किया जा सकता है इन अतिरिक्त NFPs जो विविध कार्यो में संलग्न होते है, की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु ही सम्मेलन से जुड़ी सभी भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को निभाता है।

राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु (NFP) जिम्मेदार होते है :

a. सम्मेलन से जुड़ी सूचनाएँ हासिल करने एवं प्रसारित करने के लिए

b. सम्मेलन की बैठक में पक्षकारों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए

c. सम्मेलन के अंतर्गत अंशकालिक तकनीकी विशेषज्ञ समूह, आकलन प्रक्रियाओं एवं अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों की पहचान हेतु

d. पक्षकारों द्वारा CoP तथा सचिवालय से निवेदित जानकारियों के संदर्भ में प्रत्युत्तर देने के लिए

e. सम्मेलन के कियान्वयन को सम्पादित करने के लिए दूसरे देशों के राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दुओं के साथ समझौता करने के लिए

f. सम्मेलन के राष्ट्रीय कियान्वयन की निगरानी, प्रोत्साहन और/या सुसाध्य बनाने के लिए

7. राष्ट्रीय वितरण गृह तंत्र (NCHM)

राष्ट्रीय CHM क्या है ?

सामान्य रूप में राष्ट्रीय वितरण तंत्र (या राष्ट्रीय CHM) एक वेबसाइट है जो किसी खास देश में सम्मेलन से जुड़ी प्रासंगिक जानकारियाँ उपलब्ध कराता है।

यद्यापि बड़ी संख्या में पक्षकारों द्वारा राष्ट्रीय CHMs की स्थापना की गई है और एक समान रूप से खास संख्या में ही ई – मेल के दोहन की सुविधा है, बहुत कम ने राष्ट्रीय CHM वेबसाइट बनाया है।

एक राष्ट्रीय CHM द्वारा क्या जानकारी दी जानी चाहिए ?

सामान्यतः एक राष्ट्रीय CHM वेबसाइट पर राष्ट्रीय जैव विविधता से जुड़ी वैसी सभी जानकारियाँ होनी चाहिए जिनसे नीति निर्माताओं और इच्छुक स्टेक हाल्डर्स को सम्मेलन से सम्बन्धित नैतिक बाध्यताओं को समझने एवं जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग में मदद में सहायक हो। ऐसे अनगिनत तरीके है जिनके द्वारा इन जानकारियों को संग्रहित किया जा सकता है और इन्हें सुगम बनाया जा सकता है। सामान्यतः सूचना संग्रहण के वर्गीकरण के अंतर्गत सम्मेलन, राष्ट्रीय CHM सेवायें, राष्ट्रीय योगदान, लिंग एवं समाचार शामिल किए जा सकते हैं।

अभ्यास – 2

दस्तावेज पुनरावलोकन (30 मिनट)

जैव विविधता सम्मेलन के प्रति अपनी सरकार भी वचनबद्धता एवं प्रतिवेदनों को जानना :

1. जैव विविधता सम्मेलन के लिए सरकार के NBSAPs तथा राष्ट्रीय प्रतिवेदन की प्रति निकालकर सहभागियों में वितरित किया जाता हैं।
2. सहभागियों को दस्तावेजों को देखने समझने के लिए 15 मिनट दिया जाता है और वे अपनी सरकार की वचनबद्धता से परिचित होते हैं।
3. राष्ट्रीय प्रतिवेदन में वर्णित सरकार की सबसे खास वचनबद्धता और पूर्ण किए गए कार्य की पहचान सहभागी करता है।
4. अपने ज्ञान व अनुभव के आधार पर सहभागी अपने देश के आदिवासी लोगों के अधिकार एवं अन्य मौलिक मुद्धो पर NBSAPs के कियान्वयन एवं राष्ट्रीय प्रतिवेदन की सबसे खास कमजोरियों की पहचान करता है।

8. जैव विविघता सम्मेलन को राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए आदिवासी लोगों की पहल

नीचे वर्णित विभिन्न घटना–अध्ययन दिखाते है कि किस प्रकार आदिवासी लोगों ने अपने अपने देश में जैव विविघता सम्मेलन को लागू करने के लिए पहल की हैं।

तगाल प्रणाली : सबह मलेशिया में मत्स्य संसाधन प्रबन्धन का एक अच्छा तरीका।

सबह के अधिकांश आदिवासी समुदायों में जल संसाधन एवं उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा एवं उन्हें बचाए रखने की उनको अपनी प्राचीन प्रथा या आदत और प्रोटोकॉल विद्यमान है। इन्हीं में से एक ''तगाल प्रणाली है, जिसे कुछ जगहों पर बॅमबॉन के नाम से जाना जाता है, जो कई पीढ़ीयों से आदिवासी कडाजन दसन एवं मेरट लोगों के द्वारा प्रयुक्त होता रहा है।

कडाजनदसन भाषा में तगाल का अभिप्राय निषेध है। इस प्रणाली के पीछे की अवधारणा सामूहिक स्वामित्व व उत्तरदायित्व, संसाधनों का सतत् उपयोग और जैव सन्तुलन को बनाए रखना है। इसका उपयोग समुदाय के प्रमुख संसाधनों मसलन जल क्षेत्र, फल वृक्ष, वन्य जीव, नदियों–को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए होता है किन्तु सबसे ज्यादा सफल महत्व मत्स्य संसाधन प्रबन्धन खासकर नदियों के जलीय जीवों के अत्यधिक दोहन से उन्हें बचाने एवं नदी प्रदुषण को रोकने, से जुड़ा है।

1970 के बाद मत्स्य संसाधनों में भारी कमी शुरू हुई और कुछ प्रजातियाँ तो लुप्त होने के कगार तक पहुँच गई। यह सब कुछ नदियों पर शुरू हुई अनेक गतिविधियों के कारण हुआ जिसने मत्स्य प्रजनन प्रणाली को ही ध्वस्त कर दिया। इन विनाशकारी मत्स्य गतिविधियों ने मछलियों को ही खत्म करना शुरू कर दिया। इन तथ्यों को महसूस करने के साथ ही कुछ समुदायों द्वारा तगाल प्रणाली की स्थापना की गई जो संरक्षण की पारम्परिक प्रणाली के साथ आधुनिक प्रविधियों का संयुक्त रूप है। तगाल प्रणाली का उद्धेश्य नदियों को प्रदुषण से बचाना, मछलियों को लुप्त होने से बचाते हुए संरक्षित करना, प्रोटीन के एक प्रमुख स्रोत के रूप में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, बाँस, विधुत एवं विष के प्रयोग पर आधारित विनाशकारी मत्स्य पद्धतियों को रोकना तथा लोगों की आय बढ़ाने के लिए अन्य गतिविधियों का निर्माण करना है।

ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रमुख द्वारा मनोनीत व्यक्ति इस तगाल प्रणाली का संचालन करता है। प्रत्येक गाँव में एक तगाल कमिटि गठित की जाती है जो तगाल प्रणाली के प्रावधानों का प्रारूप तैयार करती है जिस पर पूरे ग्रामीण समुदाय की सहमती ली जाती है। यह कमिटि तगाल के नियंत्रणाधीन आने वाली नदी – सीमाओं की पहचान कर उन्हें लाल, नारंगी व हरा रंग के जोन में चिन्हित करता है। लाल जोन में मछली पकड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित हेाता है क्योंकि ये मत्स्य प्रजनन के लिए प्रायः उपयुक्त स्थान हैं। नारंगी जोन में वर्ष में केवल एक बार मछली पकड़ने की अनुमति होती है और इस पर समुदाय भी सहमत होता हैं। हरा क्षेत्र में तगाल कमिटि की सहमति से गाँव के लोगों को मछली पकड़ने की अनुमति होती है। केवल खास आकार व प्रजाति की मछलियों को पकड़ने की अनुमति होती है। यदि

किसी खास मौके जैसे – जन्मोत्सव पर मछली पकड़ने की जरूरत होती है तो तगाल कमिटि से अनुमति लेकर ही ऐसा किया जाता है। तगाल कमिटि को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि समुदाय खुश है और इस प्रणाली से लाभान्वित हो रहा है। उन्हें इस मामले में भी निष्पक्ष होना चाहिए कि फसल कटाई के दौरान सभी सदस्यों को मछली पकड़ने का समान अधिकार मिलें।

तगाल प्रणाली ने मत्स्य संसाधन के प्रबन्धन और समुदायों द्वारा नदियों के सतत् उपयोग के द्वारा नदी संरक्षण का एक सबसे सफल प्रणाली साबित किया है। जब सबह सरकार के मत्स्य विभाग ने स्थानीय स्तर पर इस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन को देखा, समझा तो उन्होने इस प्रणाली को अपनी प्रबन्धन योजना में शामिल किया और बाद में सबह अन्तःजलीय मत्स्य एवं जलीय जीव क्रियान्वयन 2003 में भी इसे जोड़ा। इसके द्वारा तगाल प्रणाली को सरकारी मान्यता के साथ एक अतिरिक्त शक्ति भी मिली जिसके अंतर्गत बचाव पक्ष को सिविल कोर्ट में जाने के अधिकार के साथ प्रणाली का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का अधिकार भी मिला।

यह मॉडल सरकार व समुदाय की साझेदार पर आधारित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक बेहतर तरीका है और जैव विविधता के संरक्षण के एक अद्वितीय दृष्टिकोण का उदाहरण भी है। यह दिखाता है कि आदिवासी लोगों की पारम्परिक प्रबन्धन प्रणाली को मान्यता देने से बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसकी सफलता को देखते हुए सबह के अलावे दूसरे राज्यों के अभिकरण भी इस मॉडल का अनुकरण कर रहे है। आज भी तगाल की संख्या लगातार बढ़ रही हैं।

फिलीपाइन पारम्परिक ज्ञान नेटवर्क

फिलीपीन्स में आदिवासी समुदायों ने स्व–निर्धारण के अपने सामूहिक अधिकार के अंतर्गत अपने पारम्परिक ज्ञान, मात्रा, भाषा, पारम्परिक पेशा व भूमि उपयोग पर दस्तावेज तैयार करने, इन्हें मजबूत बनाने, संरक्षित करने, प्रोत्साहित व विकसित करने का जिम्मा उठाया है। फिलीपाइन पारम्परिक ज्ञान नेटवर्क उत्तर से दक्षिण तक के पारम्परिक ज्ञानधारको एवं उनके समुदायों के लिए एक मूक व पूर्णतः खुला नेटवर्क है। यह नेटवर्क दूसरों के अनुभवों का लाभ आदिवासी समुदायों को प्रस्तुत कर उन्हें कुछ नया सीखने का अवसर देते हुए स्थानीय पहल को ऊर्जा प्रदान करता है। इस नेटवर्क की बैठक सलाना होती है और इसने राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर आदिवासी अधिकारों एवं पारम्परिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कार्यनीति एवं कार्ययोजनाओं का विस्तार किया है।

सदस्यों के द्वारा एक महत्वपूर्ण गतिविधि निकाली गई है जिसके अंतर्गत समुदायों का पारस्परिक भ्रमण अर्थात नेटवर्क के सदस्य एक दूसरे के यहाँ भ्रमण कर सीधे सामुदायिक अनुभवों से सीखते हैं। एक नेटवर्क–सदस्य–समुदाय दूसरे सदस्यों के भ्रमण का मेजबानी करता है जहाँ पारम्परिक जानकारी, संरक्षण, प्रथागत संसाधन प्रबन्धन, सतत उपयोग एवं सामुदायिक विकास का एक नया अनूठा तरीका

सामने आता है। अभी तक चार समुदायों ने नेटवर्क के इस पारस्परिक भ्रमण की मेजबानी की है : (1) बुकिनान में तलानडिग समुदाय (2) लोकान, बगोय सिटी में इबालोय समुदाय (3) मोरंग, बतान में मगबूकून समुदाय और (4) जम्बोंगा, सिबूगेय में सुबानेन समुदाय। उत्तर से दक्षिण तक के इन आदिवासी अग्रणियों के एक साथ जुड़ने से विचार विमर्श एवं अनुभव भागीदारी का एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ।

नेटवर्क ने विविध विषयों जैसे – पारम्परिक ज्ञान एवं आनुवंशिकीय संसाधन, प्रथागत विधान एवं संचालन, जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य सुरक्षा, संरक्षित क्षेत्र, पारम्परिक ज्ञान पर आधारित उत्पादों के मूल्य/मानक तथा शहरी अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए पारम्परिक ज्ञान पर आधारित जमीनी पहल–पर कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का भी आयोजन किया है। राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन भी सरकारी अभिकरणों की सहभागिता में आयोजित की गई है।

नेटवर्क की अन्य गतिविधियों में शामिल है : पारम्परिक ज्ञान पर संगीत एलबम का निर्माण (चुवास्सी), शहरी निर्धन समुदायों के लिए आदिवासी प्री–स्कूल, शहरी अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यक्रम (बायोगैस, कृमि पालन, शहरी समुदायों में अलग–अलग शिक्षा–कान्वेन्ट), जैव विविधता 2008 के अन्तर्राष्ट्रीय दिवस एवं इबालोई भाषा पाठ व संवाद को आयोजित करने के लिए युवाओं/बच्चों का जैवविविधता समर–कैम्प।

टीनॉक, इफूगाओ में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण का उपयोग

टीनॉक, इफूगााओं के 5 बैरेनगेज के कलनगूया आदिवासी लोग पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के उपयोग पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए सहमत हुए। यह क्षेत्र कार्डोलेरा, फिलीपीन्स के मौसी वन के अन्तिम छोर पर मिलता है। जल ग्रहण द्वारा सामुदायिक चावल खेतों की सिंचाई, घरेलू उपयोग, शीतोष्ण जलवायु के सब्जी बागानों के लिए जलापूर्ति की जाती है। मगत मलीग–सिफू नदी का मुख्य जल क्षेत्र तथा मगत डैम क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कलनगूया लोगों के लिए शिकार एवं खाद्य संग्रह का स्थान रहा है और उनकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ मुख्यतः सिंचित चावल खेती तथा स्थानांतरित कृषि रही हैं। अन्य पारम्परिक पेशाओं में शामिल है : बागवानी, पिछवाड़े एवं बंजर क्षेत्रों में पशुपालन, काष्ट नक्काशी, बाँस नक्काशी उत्पाद, गन्ना उत्पादन, शिकार करना, मछली पकड़ना, नमक उत्पादन आदि। 1990 में केमोट फार्मो को उच्च निवेशित वाणिज्यिक सब्जी उत्पादन में बदल दिया गया था जिससे वन्य क्षेत्रों मे अतिक्रमण बढ़ता गया और परिणामतः इन क्षेत्रों की जैव विविधता में कमी आती गई। कलनगूया लोगों के पास कृषि–वन–नदी, संसाधन प्रबन्धन, हर्बल औषधी, संसाधनों के संरक्षण से जुड़े समृद्ध पारम्परिक ज्ञान हैं। वैसे इनमें से कई जानकारियाँ बहुत समय से प्रचलन में नहीं है।

पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के उपयोग की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों की व्याख्या करती है :– स्थल चयन, स्थानीय बैरेनगेज एवं नगरीय कार्यालयों को परियोजना का प्रस्तावना प्रस्तुत करना, मुक्त–पूर्व सूचित सहमति हासिल करना, सहभागिता आधारित क्रियाक्लाप शोध एवं मापन करना, पारम्परिक ज्ञान से जुड़ी शिक्षा व चेतना को बढ़ाना तथा सामुदायिक विकास योजनाओं का निर्माण करना।

इस प्रोजेक्ट की अब तक की उपलब्धियाँ है :– भूमि उपयोग एवं जैव विविधता के साथ–साथ पारम्परिक पेशाओं की दशा और दिशा का आरम्भिक विश्लेषण, सहभागी मापन और 2 क्षेत्रों में भूमि उपयोग की स्थिति को दर्शाने वाला 3D मैप मॉडल का निर्माण, पारम्परिक ज्ञान एवं प्रथागत मान्यताओं का शुरूआती दस्तावेजीकरण, पारम्परिक ज्ञान के तरीकों एवं आदिवासी राजनीतिक व्यवस्था के प्रोत्साहन, सशक्तिकरण एवं विकास के लिए अग्रणी लोगों की पहचान करना।

इन सारी गतिविधियों के परिणामस्वरूप सामुदायिक लोगों ने पारम्परिक ज्ञान का जबरदस्त विकास किया है। उन्होने पारम्परिक ज्ञान व मान्यताओं को मजबूत बनाने के लिए पारम्परिक बीजों के उपयोग, बीजों के आदान–प्रदान तथा फसलीकरण कैलेन्डर को समकालिक बनाने के लिए एक मुहिम शुरू किया है। सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद देने का आश्वासन दिया है।

भविष्य के कार्यो के लिए समुदाय सांस्कृतिक नवीकरण तथा पारम्परिक ज्ञान की पुनर्वापसी के लिए मुहिम की योजना बनाता है और प्रमुख अग्रणियों पारम्परिक जानकारी रखने वालों एवं प्रथागत कानून के प्राधिकरणों की क्षमता को बढ़ाता है जिससे कि वे विकास के लिए पारिस्थितिकीय दुष्टिकोण में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम हो। पारम्परिक पेशाओं को उच्च स्तरीय बनाने के लिए प्रयासों का भी समर्थन किया जाएगा। कलनगूया परिक्षेत्र के भीतर इस प्रोजेक्ट के विस्तारीकरण की योजना भी बनाई गई है जिससे पारम्परिक ज्ञान, मान्यताओं एवं जैव विविधता के क्षय को रोका जा सकें।

धारा – 10 (C) पर वन्य लोग कार्यक्रम में (FPP) पर घटना अध्ययन

जैव विविघता सम्मेलन ने आदिवासी लोगों द्वारा जैव विविधताओं के सतत उपयोग से जुड़े घटना अध्ययनों के लिए आहवान किया है जिससे सम्मेलन की धारा – 10 (C) के क्रियान्वयन में मदद और मार्गदर्शन मिल सकें। इस आहवान के साथ वन्य लोग कार्यक्रम (FPP) ने वेनेजुएला, गूयाना, यूरीनाम, कामरून और थाइलैंड में आदिवासी लोगों के संगठनों के 5 घटना अध्ययनों का आयोजन किया जिससे उनकी प्रथागत उपयोग प्रणाली को प्रलेखित करने, उनकी पारम्परिक सांस्कृतिक मान्यताओं को विश्लेषित करने, जैव विविधता के सतत उपयोग व संरक्षण में उनके योगदान का आंकलन करने तथा राष्ट्रीय कानून एवं सरकारी नीतियाँ एवं तरीके इन गतिविधियों की रक्षा एवं प्रोत्साहन किस हद तक करते है, का आंकलन करने में मदद मिल सकें।

सभी पाँचों अध्ययन प्रथागत संसाधन उपयोग के स्मरणीय विशिष्टता एवं विविधता को प्रलेखित करने में सक्षम थे, इनमें से अधिकांश स्थानीय प्रशासन, वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय और संरक्षण अभिकरणों की

नजरों से दूर थे। लोग जिन्हें, राष्ट्रीय औपचारिकता के अनुसार, पिछडा, पृथक, घटिया समझा जाता है, वास्तव में लम्बे समय से चले आ रहे पर्यावरण उपयोग के विलक्षण तरीकों से परिचित हैं जो इनकी संस्कृति से गहरे जुड़ी है और खास पारिस्थितिकीय तंत्रों एवं घटना स्थलों के साथ लम्बे समय से सम्बन्धित है।

यह शोध ''पारम्परिक सांस्कृतिक मान्यताओं'' धारा–10(C) में वर्णित, को सामुदायिक प्रथागत विधानों के रूप में देखता है जो लम्बे समय से लगातार प्रयुक्त होता रहा है और जो सामाजिक मापदंडो एवं मान्यताओं द्वारा अनुसमर्थित है। अध्ययन में शामिल मात्र कुछ समुदायों ने प्रथागत विधानों की औपचारिक संहिता विकसित किया है या उन्हें लिखित रूप दिया है। जो भी हो, सभी अनौपचारिक है और सामान्यतः प्रथाओं एवं सामाजिक मापदंडों के साथ सहसम्बन्धों को बढ़ाने वाली जानी पहचानी पद्धतियाँ हैं।

घटना अध्ययन की प्रक्रिया दस्तावेजीकरण से भी कहीं आगे की प्रक्रिया है। आदिवासी लोगों के संगठनों, अग्रणी नेताओं व समुदाय के सदस्यों के शामिल होने के कारण निकले इन अभ्यासों से संभव हो सका–सामुदायिक संगठनों का मजबूतीकरण, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत आदिवासी लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि, प्रथाओं के प्रति वृद्धिमान आदर, समुदाय के बड़ों की महानता के साथ छोटो का जुड़ाव, अपने दैनिक जीवन में प्रथागत विधानों के उपयोग को मजबूत बनाने के इरादों में वृद्धि, समुदाय आधारित प्रबन्धन एवं विकास योजनाओं के महत्व का प्रोत्साहन तथा प्राधिकारों के साथ औपचारिक बातचीत।

सभी सामुदायिक घटना अध्ययनों ने राष्ट्र, जो सम्मेलन के पक्षकार है, को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करने की जरूरत है, पर स्पष्ट अनुशंसाओं को शामिल किया हैं।

स्रोत : वन्य लोग कार्यक्रम, 2006, IASCP, बाली, 19-23 June

अभ्यास – 3

दिमागी दबाव (30 मिनट)

1. एक बड़े समूह के रूप में सहभागी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपस में दिमागी दबाव बनाते है : जैव विविघता सम्मेलन के राष्ट्रीय एवं स्थानीय क्रियान्वयन को और आगे बढ़ाने के लिए क्या–क्या प्रयास या योजनाएँ लागू की जा सकती है ?
2. प्रशिक्षक सभी सुझाई गई गतिविधियों की सूची तैयार करता है।
3. इस सूची से चयन कर प्रत्येक सहभागी निम्नलिखित कथन को एक मेटाकार्ड पर लिखकर पूरा करता है। ''जब मैं घर जाऊँगा, जैव विविघता सम्मेलन को लागू करने के लिए जो मैं करना चाहता हूँ वह ..... हैं।
4. सभी सहभागी अपने कार्ड दिए गए बोर्ड या दिवाल पर चस्पा करते हैं।

मापांक 12 जैव विविधता सम्मेलन का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण

उद्देश्य

1. आदिवासी लोगों के प्रथागत संसाधन प्रबन्धक और सतत् उपयोग पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को लागू करने में कैसे सुसंगत हैं – को प्रोत्साहित करना।
2. जैव विविधता सम्मेलन का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण क्या है, इसके सिद्धांत और परिचालन सम्बन्धी दिशा निर्देशों को समझना।
3. पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत समुदाय, सरकार एवं अन्य कर्ता जैव विविधता सम्मेलन के पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को लागू करने में किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं को समझना।

संसाधन

- जैव विविधता सम्मेलन का पारिस्थि तिकीय दृष्टिकोण मुख्य बातें।
- "बिगिनर्स गाइड टू यूजिंग द इकोसिस्टम एप्रोच"
- धारा 8(J) एवं सम्बन्धित प्रावधानों पर गठित अंशकालिक ओपेन एन्डेड कार्यशील समूह की छठी बैठक का प्रतिवेदन

समय

3 घंटे

अभ्यास – 1

अपने पारिस्थितिकीय तंत्र को जाने

1. प्रशिक्षक विविध प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्रों जैसे – अन्तःजल समुद्री एवं तटीय वन, घास मैदान, कृषि, मरूभूमि, शुष्क व उपार्द्र भूमि, पर्वत, द्वीप का परिचय कराने के लिए चित्र–प्रदर्शन द्वारा गतिविधियों की शुरूआत करता है।
2. सहभागियों को अपने–अपने पारिस्थितिकीय तंत्रों की पहचान करने को कहा जाता है।
3. यहाँ से, प्रशिक्षक पारिस्थितिकीय तंत्र और इसके तत्व क्या है, की व्याख्या करता हैं।

परिभाषा :– पारिस्थितिकीय तंत्र क्या है ?

किसी खास पर्यावरण में रहने वाले जैवों से एक पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण होता है। जैसे वन या प्रवाल भित्ति तथा उन्हें प्रभावित करने वाले पर्यावरण के भौतिक भागों से बनता है।

पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा जैवों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के बीच के सम्बन्धों के अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रकृति के एक कमागत दृष्टिकोण के अन्तर्गत आती है और यह पारिस्थितिकीय विज्ञान के नाम से जाना जाता है। संस्तरण के सर्वोच्च स्तर पर ग्रह का संपूर्ण जीवित पर्यावरण आता है और इसे जैव मंडल कहते हैं। इस जैव मंडल के अन्तर्गत जैव समुदायों के कुछ बड़े वर्गीकरण हैं जिन्हें बायोम कहते हैं, जो अपने शीर्ष वनस्पतियों के आधार पर विशेषीकृत होते है। मसलन घास भूमि, विषुवतीय/उष्णकटिबंधीय वन या मरूभूमि। दूसरे रूप में, पारिस्थितिकीय तंत्र से ही बायोम बनते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के जैवों जैसे पादप, जन्तु, मिटटी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव आदि को जैव समुदाय कहते हैं। मिटटी में पाए जाने वाले खनिजों से बने भौ. तिक संरचना को पर्यावरण या निवास स्थल कहते हैं।

पारिस्थितिकीय तत्व एक दूसरे से इस प्रकार अन्तः सम्बन्धित होते हैं कि किसी एक तत्व में होने वाला परिवर्तन पूरे तंत्र में होने वाले परिवर्तन का कारण बन जाता है।

पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबन्धन में आदिवासी दृष्टिकोण

अभ्यास – 2

कथा वाचन या घटना अध्ययन प्रस्तुतीकरण (30 मिनट)

अनुभवों के वितरण के आधार पर पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबन्धन की आदिवासी प्रणाली का सम्मान

1. स्रोत व्यक्ति या दो सहभागियों से प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन से जुड़े उनके आदिवासी तरीकों का वर्णन करने को कहा जाता है या वे अपने समुदायों में पारिस्थितिकीय तंत्र को किस प्रकार व्यवस्थित रखते हैं।
2. कथा वाचन या घटना अध्ययन प्रस्तुतीकरण के बाद सहभागी मिलकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते है, जबकि प्रशिक्षक मेटाकार्ड पर उत्तरों को लिखता जाता है और बोर्ड पर उचित खाने में चस्पा करता है :

   पारिस्थितिकीय प्रबन्धन के आदिवासी दृष्टिकोण की कौन–कौन सी विशेषताएँ हैं ? (उदा0–समग्र, सहभागी, सतत, सामूहिक, संरक्षण, उत्कृष्ट, नवाचार आदि)
3. प्रशिक्षक उत्तरों का संक्षेपण करता है, प्रमुख बिन्दुओं को संश्लेषित कर पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के अगले अध्याय से जोड़ता है।

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श (30 मिनट)

1. जैव विविघता सम्मेलन का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण क्या है ?

जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण कियाक्लापों की एक प्रारम्भिक रूपरेखा है। यह भूमि, जल एवं जीवित संसाधनों को व्यवस्थित करने की एक कार्यनीति है जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ प्राकृतिक व्यवस्था के सम्बन्धों को स्वीकार करते हुए संरक्षण एवं सतत् उपयोग के एक समान तरीका को प्रोत्साहित करता है।

पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के अन्तर्गत जैव विविघता सम्मेलन का कियान्वयन पांच चरणों में किया जा सकता है।ये चरण है :–

चरण 1 : – प्रमुख स्टेक हॉल्डर्स का निर्धारण, पारिस्थितिकीय क्षेत्र की परिभाषा तथा दोनों के बीच सम्बन्धों का विकास।

चरण 2 : – पारिस्थितिकीय तंत्र की संरचना एवं प्रकार्यो का निर्धारण तथा इसके संचालन एवं निगरानी के लिए कार्य तंत्र की स्थापना (प्रबन्धन के लिए एकीकृत एवं सहयोगात्क क्षमता निर्माण शामिल है।)

चरण 3 : – पारिस्थितिकी तंत्रों एवं निवासियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्धो की पहचान

चरण 4 : – संलग्न पारिस्थितिकीय तंत्रों पर पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रभावों का निर्धारण

चरण 5 : – दीर्घकालिक उद्धेश्यों का निर्धारण करते हुए उन्हें पाने एवं निगरानी करने के सुगम तरीकों का निर्धारण

2. पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को लागू करते समय ध्यान रखने योग्य बातें।

पारिस्थितिकीय दृष्टिकोणों को लागू करते समय कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, दृष्टिकोण के सिद्धांतो को लागू करने का कोई एक तरीका नहीं है। दूसरे, स्थानीय स्टेक हॉल्डर्स विकास एवं कियान्वयन में शामिल किए जाने चाहिए। तीसरे, हो सकता है कि आप इस दृष्टिकोण को पहले से ही प्रयोग में ला रहे हों। चौथे, आजीविका से जुड़े सिद्धांत आर्थिक लाभों की ओर केन्द्रित हों। और अन्त में, आजीविका को सुनिश्चित करने वाले मुददो, जिस पर मौलिक वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकीय औचित्य को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ करना है, पर प्रायः विचार नहीं किया जाता है।

जैव विविघता सम्मेलन के पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के उपयोग के लिए परिचालनात्मक दिशा–निर्देश

पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की शुरूआत करने वालों के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश हैं जिन्हें जैव विविघता सम्मेलन वेबसाइट से लिया गया है :

1. प्रस्तावना :

पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण एक औजार/तरीका है। यह एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसे जैव विविघता सम्मेलन के उद्धेश्यों को लागू करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। भूमि, जल एवं जैव संसाधनों के प्रबन्धन में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को लागू करने का कोई एक सही तरीका नहीं हैं। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से लैस सिद्धांत को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण परिप्रेक्ष्य में प्रबन्धन के मुद्धो को परिभाषित करने के लिए सहजता से प्रयोग किया जा सकता है। वाकई, ऐसे कई क्षेत्र और सरकार है जिन्होंने ऐसे दिशा–निर्देशों को विकसित किया है जो पारिस्थि. तिकीय दृष्टिकोण के अंशतः संगत, या पूरक या बराबर हैं। (उदा0–मत्स्य उत्तरदायी संहिता, सतत् वन्य प्रबंधन दृष्टिकोण, स्वीकार्य वन्य प्रबन्धन)

पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को कियान्वित करने के लिए बहुत सारे विकल्प है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नीतियों योजनागत प्रकियाओं एवं क्षेत्रीय योजनाओं में सिद्धांत को शामिल किया जा सकता है। स्थानीय स्तरों पर भी छोटी–छोटी योजनाओं में सिद्धांत को लागू किया जा सकता हैं।

2. परिस्थितिकीय दृष्टिकोण के प्रयोग के चरण :

समस्या की परिभाषा

पहला कार्य समस्या या समस्याओं, जिन्हें लागू करना जरूरी है, को परिभाषित करना है। उदाहरण के लिए द्वीप पर विनाशकारी गैर–स्थानिक प्रजातियों का नियंत्रण। यदि समस्या काफी बड़ी एवं जटिल है तो उसे छोटे–छोटे टुकड़ो में विभाजित कर आसानीपूर्वक इन छोटी समस्याओं को हल किया जा सकता हैं। उदाहरण के लिए, किसी आर्द्र भूमि पारिस्थितिकीय तंत्र को सतत् उपयोग के साथ संरक्षित करना है तो इसे हल करने के लिए जरूरी होगा – (प) आर्द्रभूमि संसाधन के असतत् उपयोग से होने वाले पारिस्थितिकीय गिरावट पर रोक और (पप) सामुदायिक भलाई जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा खाद्य सुरक्षा एवं सांस्कृतिक मूल्य।

मुद्धो की पहचान करने के बाद इस का सुनिश्चय जरूरी है कि किस कार्य के द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकता है। नीचे दिए गए कार्यो को कार्य–योजना की पहचान के आरम्भिक चरण के रूप में लेते हुए समस्या का आंकलन किया जा सकता है। इस प्रकिया की सहायता से चयनित किए जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता भी तय की जा सकती है।

3. पहचानी गई समस्याओं को हल करने वाले कार्यो की पहचान करना

नीचे दिए गए कार्यो (टास्क) को पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के सिद्धांत से ही लिया गया हैं। प्रत्येक मामले में पारिस्थितिकीय–दृष्टिकोण सिद्धांत को एक प्रश्न के रूप में रखा गया है जिन्हें हल किए जाने वाले समस्या/समस्याओं के साथ पूछा जा सकता हैं। सूची में शामिल कार्य महत्व–क्रम पर आधारित नहीं है, इनका उपयोग समस्या में सर्वोत्तम अनुकूलन के आधार पर किया जाना चाहिए।

कार्यो से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और प्रत्येक कार्य के पीछे के औचित्य पर ज्यादा जानकारी के लिए कृपया परिष्कृत यूजर गाइड का अनुपालन किया जाय।

कार्य – 1 : भूमि, जल एवं जैव संसाधनों के प्रबन्धन से जुड़े निर्णयों में समाज के सभी सदस्यों को आप किस प्रकार शामिल करते है ?

कार्य – 2 : आप किस प्रकार सुनिश्चित करते है कि प्रबन्धन का विकेन्द्रीकरण उचित निम्नतम स्तर तक हुआ है ?

कार्य – 3 : प्रबन्धात्मक क्रियाकलापों (क्षमतागत या वास्तविक) का साथ वाले या दूसरे पारिस्थितिकीय तंत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का ध्यान रखा गया है – इसे आप किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं ?

कार्य – 4 : आर्थिक विषय वस्तु को किस प्रकार, इस रूप में कि बाजार में गिरावट से जैव विविधता का नुकसान कम हो गया है, जैव विविधता एवं सतत् उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरणाएँ विकसित हुई है और पारिस्थितिकीय लागत एवं लाभों के मायने खत्म हो गए हैं, –समझा जा सकता है ?)

कार्य – 5 : पारिस्थितिकीय संरचना एवं प्रकार्यो को संरक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे पारिस्थितिकीय सेवाएँ यथावत बनी रहें ?

कार्य – 6 : पारिस्थितिकीय तंत्र को उनकी प्रकार्यात्मक सीमा के भीतर व्यवस्थित बनाए रखने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है ?

कार्य– 7 : किन कार्यो के द्वारा समस्या या समस्याओं को उचित समय व उचित स्थान पर हल किया जा सकता है ?

कार्य – 8 : पारिस्थितिकीय तंत्रों के सतत् उपयोग पर विचार करते समय बदलते हुए समयमान एवं पीछे रह जाने के प्रभावों को किस प्रकार ध्यान में रखा जा सकता है ?

कार्य – 9 : पहचानी गई समस्याओं को हल करने के लिए स्वीकार्य प्रबन्धन का उपयोग किस प्रकार हो सकता है ?

कार्य – 10 : जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग के बीच और इन्हें एकीकृत करने में किस प्रकार उचित संतुलन कायम किया जा सकता है ?

कार्य – 11 : आप प्रासंगिक ज्ञानों के सभी पक्षों मसलन वैज्ञानिक, आदिवासी एवं स्थानीय जानकारी, नवाचार व मान्यताओं–को शामिल कर लिया गया है, का सुनिश्चय किस प्रकार करते हैं ?

कार्य – 12 : समाज के सभी क्षेत्रों एवं वैज्ञानिक इकाइयों सहित सभी स्टेक–हॉल्डर्स को शामिल करने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है ?

यहाँ याद रखना जरूरी है कि पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को लागू करने का कोई एक पूर्णतः सही तरीका नहीं है, फिर भी इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि सभी आवश्यक सिद्धांतो पर समग्रतापूर्वक विचार किया जाय तथा वैयक्तिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रत्येक को समान महत्व दिया जाय।

अन्तः सम्बन्धित मुद्धे

ऊपर वर्णित वैयक्तिक कार्यो के अलावे बहुत सारें अन्तःसम्बन्धित मुद्धे है जिन पर पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को लागू करते समय ध्यान देने की जरूरत होती हैं।

क्षमता निर्माण एवं भागीदारी

सामुदायिक साझेदारी, स्टेक हॉल्डर्स भागीदारी, सहभागिता एवं शक्तिकरण के प्रति राजनैतिक एवं संस्थागत इच्छाशक्ति, दूसरे दानदाताओं व प्रायोजकों की वचनबद्धता आदि सफल परिणाम के लिए आवश्यक हैं।

सफलता के लिए, वित्तीय एवं अद्योसंरचनात्मक सहयोग के द्वारा क्षमता निर्माण, एक आवश्यक जरूरत हैं।

सूचना, शोध एवं विकास :

पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण पर आधारित किसी योजना के सफल कियान्वयन के लिए संसाधनगत, जैव भौतिकीय, सामाजिक एवं आर्थिक जानकारी आवश्यक है। जानकारी में किसी कमी को दूर करने के लिए शोध एवं विकास की जरूरत हो सकती है। सभी स्टेक हॉल्डर्स के लिए जानकारी सुगम होनी चाहिए जिससे निर्णय निर्माण एवं सशक्तिकरण अधिक पारदर्शी हो सकें।

निगरानी एवं समीक्षा

पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की रूपरेखा के प्रयोग पर आधारित किसी भी कार्यक्रम का प्रमुख तत्व निगरानी एवं समीक्षा है। इनके द्वारा प्रभावशील एवं स्वीकार्य प्रबन्धन क्षमता को विकसित करने की सुविधा के साथ प्रदर्शन एवं परिणाम पर प्रतिवेदन मिलता है।

संचालन/अभिशासन

किसी समस्या के संदर्भ में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अभिशासन आवश्यक है। अभिशासन के अन्तर्गत स्वस्थ पर्यावरण, संसाधन, आर्थिक नीतियाँ एवं प्रशासनिक संस्थाएँ आती है जो लोगों की जरूरतों का ध्यान रखती हैं सामने आए मुद्धे को हल करने के लिए किस कार्य को किया जाना चाहिए – का निर्धारण करने के बाद दूसरा चरण प्रबन्धन योजना का निर्माण करना है।

4.प्रबन्धन योजना का निर्माण

किसी योजना का निर्माण करने के लिए कोई पूर्ण तरीका नहीं है, प्रत्येक स्थिति भिन्न–भिन्न होती है इसलिए योजना में सुधार लाना जरूरी होता है ताकि योजना उन परिस्थितियों के अनुकूल हो जिनकें अन्तर्गत योजना चलायी जानी हैं।

प्रबन्धन योजना के विकास के लिए निम्नलिखित चरण महत्वपूर्ण कूँजी है :

मुद्धों की पहचान

मुद्धो की पहचान और कार्य योजना का विकास – दोनों को अलग करना कठिन हैं। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण का उपयोग किसी मुद्धे के साथ शुरू किया जाना चाहिए। मुद्धो की पहचान या निर्धारण के बाद ऊपर वर्णित खण्ड–3 में दिए गए टास्क के साथ इसका आकलन किया जा सकता है।

प्रबन्धन योजना के प्रारूप का निर्माण

प्रबन्धन योजना प्रारूप के द्वारा कार्यो का निर्धारण होता है, किसे शामिल किया जाना चाहिए–का निर्धारण तथा कार्य के लिए समय तालिका प्रारूप का निर्माण किया जाता है।

समय निर्धारण

किसी योजना की तैयारी में सही समय का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिन परिस्थितियों या अवसरों के कारण योजना की सफलता या असफलता प्रभावित होती है, उनमें प्रमुख है :–

- *राजनीतिक स्थिरता*
- *सरकार की नई नीतियाँ एवं कार्य नीतियाँ*
- *सरकारी विभागों एवं संस्थाओं का पुर्नसंगठन*
- *पारिस्थितिकीय तंत्र को बनाए रखने या पुनः बहाल करने के लिए समय के निर्धारण को कम नहीं आँकना चाहिए।*
- *स्टेक हाल्डर्स को पर्याप्त समय दिया जाय जिससे वे योजना को कार्यान्वित करने एवं बेहतर परिणाम हासिल करने में भ्रमित या निराश न हों।*

मुख्य कर्ता

किस संगठन को योजना के विकास एवं कार्यन्वयन का अगुआ बनाया जाय – को निर्धारित करना एक प्राथमिक टास्क है। किसी एक संगठन पर सम्पूर्ण कार्य बोझ नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि इससे सफलता संदिग्ध हो सकती है। सफल योजनाएँ प्रायः किसी एक पूर्णतः समार्पित संगठन पर निर्भर करती है जो दूसरे सहयोगी संगठनों की मदद से कार्य करता है।

स्टेक हाल्डर्स की सहभागिता

शुरूआती दौर में जितना जल्दी संभव हो सकें, स्टेक हार्ल्स को भी जोड़ा जाना चाहिए। आरम्भिक सलाह मशविरा में लोगों को शामिल करना, उन्हें इस बात का अहसास कराता है कि वे भी प्रबन्धन योजना में अपना योगदान दे सकते है, वह भी खासकर जब इन योजनाओं से वे भी प्रभावित होने वाले हों। स्टेक हाल्डर्स योजनांतर्गत विकास में अपने विचार व प्रतिक्रिया के माध्यम से मदद दे सकते हैं।

उद्धेश्य–निर्धारण

सभी योजनाओं के लिए पूर्णतः परिभाषित व सहज स्वीकार्य उद्धेश्यों की जरूरत होती है। स्टेक हाल्डर्स के साथ विचार विमर्श कर इनका एवं अन्य कार्यो पर सहमति तय की जानी चाहिए जिससे सम्बन्धित विषयों एवं जरूरी कार्यो के प्रति एक समझ को सहजतापूर्वक तैयार किया जा सकें।

योजना–प्रारूप

कार्य योजना के विकास में ध्यान रखा जाना चाहिए –

- *स्वीकार्य प्रबन्धन का*
- *दीर्घकालिक उपयोगिता*

किसी भी योजना का आखिरी उद्धेश्य योजना के जीवन चक्र से भी आगे के उद्धेश्यों की निरन्तरता होनी चाहिए। दीर्घकालिक उपयोगिता के लिए वित्तीय स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण घटक हैं।

प्रोजेक्ट की कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण

कार्य के मुख्य टीम का पहला टास्क कार्य योजना को प्रस्तुत करना है जिसका निर्माण सबके साथ सबकी भागीदारी के आधार पर तार्किक रूपरेखागत तकनीक का प्रयोग करते हुए किया जाना चाहिए जिससे समस्या विश्लेषण एवं योजनागत कार्यो में सहूलियत हो सकें।

योजनागत परिणाम के प्रति खतरों को कम करना

जोखिम विश्लेषण प्रोजेक्ट से जुड़े गम्भीर मुद्धो या परेशानी की पहचान करने के लिए की जानी चाहिए।

निगरानी एवं मूल्यांकन

निगरानी के द्वारा प्रगति का आकलन कर भावी प्रबन्धन के विकास को निर्धारित कर प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता हैं क्रियाक्लापों, लक्ष्यों एवं उद्धेश्यों की निगरानी को यद्यापि बांधा नहीं जा सकता किन्तु बदलती हुई परिस्थितियों जैसे जानकारी, समझ या किसी मुद्धे के उभरने एवं उन्हें हल करने के लिए हमेशा स्वीकार्य रूप में रखा जाना चाहिए।

प्रोजेक्ट क्रियान्वयन

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख ध्यातथ्यों में शामिल है :

- *आवश्यक समय की अवधि, द्रष्टव्य परिणाम सामने आने के पहले निवासियों की पुर्नस्थापना में कार्य का 10–15 वर्ष का समय लग सकता है।*
- *प्रोजेक्ट की सफलता के लिए सक्षम व प्रतिबद्ध कार्मिक अतिआवश्यक है।*
- *साझेदार अभिकरणो एवं हित समूहों के एक नेटवर्क जो प्रोजेक्ट के क्रियाक्लापों के कार्यान्वयन में प्रगतिशील भूमिका निभाएगा का गठन भी जरूरी है।*

प्रोजेक्ट के लक्ष्यों एवं उद्धेश्यों को पूरा करने के लिए राजनैतिक, संस्थागत एवं सामुदायिक सहयोग का सुनिश्चय अवश्य किया जाना चाहिए।

प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन प्रायः स्तरों की एक श्रृंखला पर निर्भर करती है, जिनमें से कुछ एक दूसरे से मिले होते है और कुछ चरणों को भी शामिल कर सकते है। उदाहरण के लिए :

स्तर – 1

a. प्रोजेक्ट टीम का निर्माण

b. कार्य योजना की प्रस्तुति और स्थनीय समुदायों से संपर्क का विकास

बण सलाहकारी कमेटी की स्थापना

स्तर – 2

a. प्रोजक्ट के क्रियाक्लापों का निर्धारण

b. डेस्क आधारित कार्य।

c. क्षमता–निर्माण

d. प्रोजेक्ट की समीक्षा (जरूरत के अनुसार निगरानी एवं शोध को स्वीकार करना)

स्तर – 3

a. तैयार की गई योजना की शुरूआत

स्तर – 4

a. योजना को निरन्तर आगे बढ़ाते रहना।

b. भविष्य के क्रियाक्लापों के लिए कार्यनीति योजना

अभ्यास – 3

तुलना एवं विरोधाभास (30 मिनट)

आदिवासी प्रथागत प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के साथ तुलना

1. सहभागियों को छोटे समूहों में बाँटकर जैव विविधता सम्मेलन के पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की तुलना अपनी आदिवासी प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन मान्यताओं के साथ करते हुए मेटा कार्ड पर एक रंग में समानता तथा दूसरे मेटाकार्ड पर दूसरे रंग में विभिन्नताओं को अंकित करने को कहा जाता है।

2. प्रत्येक छोटा समूह अपने उत्तरों को पूरे समूह के साथ बाँटता है।

3. प्रशिक्षक सभी मेटा कार्डो को इकटठा कर एक कालम में समानता एवं दूसरे में अंतर को रखता है।

4. अब प्रशिक्षक इन दोनों समानताओं व अन्तरों को दिखाते हुए मुख्य बातों को प्रस्तुत करता है।

4 आदिवासी प्रणाली एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के बीच के अन्तरों को दूर करना :

आदिवासी प्रणाली एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के बीच को अन्तरों को दूर करने का एक तरीका जैव विविघता सम्मेलन की धारा – 10 (C) एवं 8(j) को क्रियान्वित करना है जिसमें कहा गया है :

धारा – 8(j) पारम्परिक ज्ञान (स्थानिक संरक्षण)

समझौता स्वीकार करने वाला पक्ष, जहाँ तक संभव व उचित हो :

अपने राष्ट्रीय विधानों के अनुरूप, जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग के लिए प्रासंगिक पारम्परिक जीवन शैली को अपनाते हुए आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के ज्ञान, नवाचार एवं मान्यताओं का सम्मान करते हुए इन्हें बचाए व बनाए रखेंगा तथा ऐसे ज्ञान, नवाचार व मान्यताओं के धारकों की सहमति व सहभागिता द्वारा इनकी व्यापक उपयोगिता को बढ़ाएगा और ऐसे ज्ञान, नवाचार व मान्यताओं के उपयोग से होने वाले फायदों में समान हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करेगा।

धारा – 10 : सतत् उपयोग

समझौता स्वीकार करने वाला प्रत्येक पक्ष, जहाँ तक संभव व उचित हो :

संरक्षण या सतत् उपयोग की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम पारम्परिक सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार जैव संसाधनों के प्रथागत उपयोग की रक्षा व बढ़ावा देगा।

अभ्यास – 4

छोटे समूहों में विचार विमर्श – आगे बढ़ता हुआ (1 घंटा)

1. *प्रशिक्षक जैव विविघता सम्मेलन की धारा 8(j)] 10(C) और इन दोनों पर आधारित कार्यशील समूह 6 के निर्णयों एवं अनुशंसाओं को लिखता है तथा सहभागी इसे पढ़ते हैं।*
2. *छोटे समूहों में कार्यरत विचार विमर्श निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ाये जाते है :*
   - *पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को लागू करने की शुरूआत आप किस प्रकार करते है ?*
   - *8(j) पर गठित कार्यशील समूह के निर्णयों के कियान्वयन को शुरू करने हेतु आदिवासी लोगों के संगठन एवं समुदाय क्या कर सकते है ?*
3. *समूह अपने विचार विमर्श के परिणामों पर प्रतिवेदन देता है।*
4. *प्रशिक्षक मुख्य बातों का संक्षेपण कर विचार विमर्श समाप्त करता है।*

संदर्भ :– क्लेमेंट, जोयल पी0 2006 ''इकोसिस्टम'' माइक्रोसाफ्ट इनकार्टा

मापांक 13 जैव विविधता और सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा

उद्धेश्य

1. पारम्परिक ज्ञान (TK) के संरक्षण/बचाव के लिए आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं – पर आधारित घटना अध्ययनों का आदान प्रदान।
2. TK, UNESCO, UNDRIP, WIPO की मान्यता एवं सुरक्षा के लिए विविध वैश्विक वैधानिक रूपरेखा को समझना।
3. पारम्परिक ज्ञान (TK) की रक्षा से जुड़े प्रथागत कानूनों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानूनों के सम्बन्ध को समझना।
4. TK के लिए नुकसानदेह विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आदिवासी लोगों के संदर्भ में TK को बचाए रखने के व्यवहारिक तरीके को समझना।

संसाधन/सामग्री

- UNPFII के छठे सत्र में आदिवासी पारम्परिक ज्ञान पर सचिवालय का प्रतिवेदन।
- आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के प्रथागत कानूनों का न्यायिक क्षेत्राधीन राष्ट्रीय कानूनों एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ मेल–मिलाप पर अध्ययन।
- पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा एवं उसके वाणिज्यीकरण के लिए प्रणाली पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार का प्रतिवेदन
- ड्यूनाँग एट बतास
- आवर हार्वेस्ट इन पेरिल
- खाद्य सुरक्षा के लिए आदिवासी ज्ञान को बढ़ावा
- जैव विविघता सम्मेलन पर आदिवासी लोगों के सम्बन्धित मुद्धे –
  - मुख्य बातें

समय

3 घंटे

क्रियाक्लाप

अभ्यास – 1

पैनल/नामिका विचार विमर्श (30 मिनट)

पारम्परिक आदिवासी ज्ञान के प्रति क्या–क्या खतरे हैं और आदिवासी लोग पारम्परिक ज्ञान को बचाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं ?

1. स्रोत व्यक्ति या सहभागियों को एक पैनल गठित कर, पारम्परिक ज्ञान के खतरे क्या है और इसकी रक्षा के लिए वे क्या कर रहे है, पर विचार विमर्श करने को कहा जाता है।
2. दिए गए कुछ घटना अध्ययनों को प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. प्रशिक्षक मुख्य खतरों तथा बचाव के तरीकों का संक्षेपण कर अगले अध्याय पर विचार विमर्श के लिए आगे बढ़ता है।

घटना अध्ययन : पारम्परिक ज्ञान की रक्षा के कुछ स्थानीय पहल

सामुदायिक प्रोटोकॉल

फिलीपीन्स में तलानडीग, सूंगको, लंटापन, बूकिड्नान के आदिवासी लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक सामुदायिक प्रोटोकॉल स्थापित किया है कि आगन्तुक एवं बाहरी लोग स्थानीय संस्कृति के लिए संवेदनशील है और वे प्रथागत कानूनों से मेल–मिलाप रखें। यह तरीका सामुदायिक स्वीकृति एवं आगन्तुकों का सम्मान दर्शाता है। यह बुजुर्गो एवं महिलाओं द्वारा निभाया जाता है, इसमें प्रत्येक सहभागी 1 पैसों, 4 मुर्गियों की कटाई, प्रार्थना एवं लोकगीतों द्वारा शामिल होता है। आदिवासी परिक्षेत्र में होने के बाद भी आगन्तुक इस प्रोटोकॉल के कारण, अपनी सुरक्षा व स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंत रहते हैं।

सबह, मलेशिया के आदिवासी लोगों ने भी ऐसा ही तंत्र, आदत, जैव एवं आनुवांशिकीय संसाधनों के दोहन एवं उपयोग से संबंधित कडजनदसन के प्रथागत नियमों एवं मान्यताओं, का प्रयोगकर, बनाया है।

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार–विमर्श (2 घंटे)

सामान्य रूप में ''आदिवासी पारम्परिक ज्ञान'' का प्रयोग पारम्परिक मान्यताओं, संस्कृतियों एवं पौधें–जन्तुओं की जानकारी के साथ इसकी प्रसार–पद्धतियों के लिए किया जाता हैं। इसमें सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों, उत्सवों एवं सामुदायिक विधानों की अभिव्यक्ति के साथ–साथ भूमि एवं पारिस्थितिकीय प्रबन्धन से जुड़ी जानकारी शामिल है। अधिकांशतः यह अलिखित है और मौखिक रूप से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित और

सुरक्षित होता है। कुछ जानकारियाँ काफी पवित्र एवं गुप्त प्रकृति की होती है इसलिए अत्यधिक संवेदनशील होती है और उस समूह के सदस्यों के लिए सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।

1. सन्दर्भित लोग बनाम अमूर्त्र पारम्परिक ज्ञान

जब ''पारम्परिक ज्ञान'' शब्द को खास लोगों, स्थानों एवं इतिहास के व्यापक आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं संस्थागत संदर्भ से अमूर्त किया जाता हैं तो यह उन महत्वपूर्ण सम्बन्धों की गहरी समझ से दूर हो जाता है जो पारम्परिक ज्ञान के वर्गीकरण, उपयोगिता एवं स्वामित्वहरण की अनुमति देता हैं।

आदिवासी लोग लगातार यह कहते रहे है कि विकास की प्रक्रिया में उनके अधिकारों की मान्यता एवं सशक्तिकरण ही पारम्परिक ज्ञान को आगे बढ़ाने का तरीका है। साथ ही सभी विकासों, संरक्षणों एवं उन्हें प्रभावित करने वाली गतिविधियों में मुक्त एवं पूर्व सूचित सहमति के उनके अधिकारों को बनाए रखा जाना चाहिए।

2. ज्ञान की राजनीति

शोधकर्ताओं ने गंदी राजनैतिक दृष्टिकोण के खतरों के प्रति चेताया है जो लोगों या उनके सामाजिक एवं राजनैतिक सन्दर्भो से ज्यादा ज्ञान को महत्व देते हैं। अरूण अग्रवाल ने अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान जर्नल में अपने लेख वर्गीकरण की राजनीति में आदिवासी ज्ञान की डाटा बेस स्थापना की प्रक्रिया का परीक्षण किया है, इसमें विशिष्टता से शुरू होते ही वैधीकरण, अलगावकरण, सामान्यीकरण एवं पृथक्करण के डाटा बेस बनाए गए हैं।

उन्होंने निष्कर्ष दिया कि इस के वर्गीकरण एवं दस्तावेजीकरण से ज्ञान के संदर्भ में विस्तृत तथ्यगत उपयोगी जानकारी से हम वंचित हो सकते हैं। ये जानकारियाँ पारम्परिक ज्ञान को वैज्ञानिक प्रगति व विकास का उपकरण बनाती हैं।

पारम्परिक ज्ञान को दस्तावेजी करने एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास दो प्रकार से दूर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। पहला कि मजबूत सम्बन्धों के रूपान्तरण से जुड़े महत्वपूर्ण राजनैतिक टास्क से संसाधन को दूर ले जाते हैं। दूसरा कि ये उपयोगी आदिवासी ज्ञान को अपनाने में ज्यादा शक्तिशाली सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए साधन उपलब्ध करा सकते हैं। शक्ति–सम्बन्धों, जो विभिन्न सामाजिक समूहों, कमजोर समूहों जिनके पास महत्वपूर्ण जानकरियाँ होती हैं, के बीच अन्तःसम्बन्धों की व्याख्या करता है, को बदलने के लिए सही प्रयास के अभाव में उन जानकारियों को आसानी से जाना जा सकता है और एक बार यदि ये जानकारियाँ जनसामान्य के बीच गई तो यह पेटेन्ट एक बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के द्वारा परिवर्तित व निजी हो जाएँगी। शक्ति के विषम सम्बन्धों एवं निर्धनता में होने के कारण निर्धन एवं कमजोर समूह ऐसे स्वामित्वहरण के विरोध के प्रति कमजोर हो जाएँगे।

नीचे लिखे पारम्परिक ज्ञान के कारण व खतरें ऐतिहासिक होने के साथ–साथ समसामायिक भी है जिसमें आदिवासी लोगों एवं उनके पारम्परिक ज्ञान का उपनिवेशीकरण एवं शोषण हो रहा है। इनमें शामिल है :–

- मानवाधिकार पर आधारित नैतिक बाध्यता का अक्रियान्वयन
- भूमि एवं पर्यावरण का विनाश
- उपनेवेशी शिक्षा
- वाणिज्यीकरण एवं पर्यटकों द्वारा दुरूपयोग
- शोधकर्ताओं द्वारा स्वामित्वहरण

पारम्परिक ज्ञान का खत्म होने, अनुचित उपयोग होने और इनके प्रति सम्मान में कमी आने की समस्या बहुत ही गम्भीर है और इसे सभी स्तरों – सामुदायिक, राष्ट्रीय सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों के द्वारा हल करने की जरूरत है और इसे निम्न तरीकों से किया जा सकता है :–

- सांस्कृतिक नवीकरण एवं पुर्नशक्तिकरण के द्वारा
- राष्ट्रीय वैधानिक मान्यता एवं सुरक्षा के द्वारा
- उचित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के द्वारा

इसके अतिरिक्त आधुनिक सूचना–संचार तंत्रों एवं जैव तकनीकी के कारण पारम्परिक ज्ञान के लिए उत्पन्न नए खतरों को भी समझना आवश्यक हैं। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अंगो एवं प्रक्रियाओं–मानवाधिकार, व्यापार (WTO एवं WIPO), पर्यावरण (CBD), संस्कृति (UNESCO), खाद्य एवं कृषि (FAO) आदि के अंतर्गत आने वाले विभिन्न नीतियों के बीच के सम्पर्क सम्बन्धों को भी समझना आवश्यक है। इन सभी के संचालन से जुड़ी नीतिगत रूपरेखा को एक आकार देना जरूरी है जिससे आदिवासी पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा एवं बढ़ावा सुनिश्चित हो।

3. वैश्विक रूप रेखा

अपने पारम्परिक ज्ञान की रक्षा एवं उपभोग के आदिवासी लोगों के अधिकारों को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय तरीकों/उपकरणों द्वारा मान्यता दी गई है, जिनमें प्रमुख है :–

- मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की धारा – 27।
- आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की धारा–15, पैरा 1(C)।
- नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की धारा–27
- जैव विविघता सम्मेलन की धारा – 8(j)।
- खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिकीय संसाधन पर अन्तर्राष्ट्रीय संधि।
- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की धारा – 13, 15 एवं 23 तथा स्वतंत्र देशों के आदिवासी एवं आदिवासी लोगों से जुड़ा सम्मेलन सैठ – 169

- साहित्यिक एवं कलाकृति संरक्षण पर बर्ने सम्मेलन, जैसा कि 1979 में संशोधित।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार सम्बन्धी पक्षों पर समझौता।
- खासकर अफ्रीका सहित गम्भीर सूखा/या मरूस्थलीकरण का सामना करने वाले देशों में मरूभूमिकरण के खिलाफ संघर्ष पर आधारित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की धारा–3
- गैर वैधानिक बाध्यता एकाधिकारवादी कथन का पैरा–12(d)
- सभी प्रकार के वनों के संचालन, संरक्षण एवं सतत विकास पर एक विश्व सहमति का सिद्धांत
- एजेन्डा–21 का पैरा 26.1
- WHO की पारम्परिक औषधि कार्यनीति, 2002–2005
- आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र की धारा 11 एवं 31

ऊपर वर्णित प्रावधानों एवं अन्तर्राष्ट्रीय उपकरणों के अतिरिक्त संरक्षण हेतु अनगिनत क्षेत्रीय प्रणालियाँ हैं। इनमें शामिल है :–

- अमेरिकी राज्य के संगठन के आदिवासी लोगों के अधिकारों पर अमेरिकी घोषणा प्रारूप
- अफ्रीकी बौद्धिक सम्पदा संगठन का बांगुई समझौता
- विकासशील देशों के लिए कॉपीराइट पर ट्यूनिस मॉडल कानून
- अविधिसंगत शोषण एवं अन्य पूर्वाग्रहों के विरूद्ध लोकगीतों की अभिव्यक्ति की सुरक्षा पर राष्ट्रीय कानूनों के लिए मॉडल प्रावधान।
- माटाटुआ घोषणा–पत्र
- कारी–ओका घोषणा–पत्र

राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी पारम्परिक ज्ञान से जुड़े मुद्धो को हल करने के उददेश्य से बहुत सारे वैधानिक एवं नीतिगत प्रयास हुए हैं। पारम्परिक सांस्कृतिक प्रदर्शन के संरक्षण पर निर्देशित वैधानिक तथ्यों की एक समग्र सूची विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) के वेबसाइट पर देखी जा सकती है। बहुत सारे मामलों में घरेलू कानूनों के अन्तर्गत भूमि एवं विरासत सम्बन्धी आदिवासी लोगों के प्रासंगिक अधिकारों की स्थापना में प्रथागत कानूनों को मान्यता दी गई है।

4. पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण

मानवाधिकार का सामान्य संरक्षण बनाम विशिष्ट आदिवासी लोगों के अधिकार

अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में वर्णित प्रावधानों द्वारा संरक्षण के विविध स्तरों को लिया गया है जो सैद्धांतिक रूप से या तो मानवाधिकार कानून के एक पहलू के संरक्षण के रूप में हैं या खास रूप से आदिवासी पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण के रूप में।

आदिवासी पारम्परिक ज्ञान से सम्बन्धित मानवाधिकार आधारित संरक्षण के उदाहरणों का विवरण मानवाधिकार पर आधारित सार्वभौम घोषणा–पत्र की धारा–27, पैरा–2 में है जो कहता कि सभी को किसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति जिसका वह स्वयं लेखक है – से जुड़े नैतिक एवं भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार हैं। पर ऐसे किसी प्रावधान द्वारा संरक्षण की उपलब्धता सीमित हैं। इसे भ्रामक शब्द '' लेखक'' के आधार पर समझा जा सकता है – इसका अभिप्राय एक व्यक्ति के रूप में हैं और इसके अन्तर्गत सामुदायिक निर्माण एवं स्वामित्व को सहजता से स्वीकार नहीं किया गया हैं।

दूसरा उदाहरण आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की धारा–15, पैरा–1(C) में देखा जा सकता है जिसमें स्वीकार किया गया है कि सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार सभी को है।

आदिवासी पारम्परिक ज्ञान से जुड़ा एक बहुत खास प्रावधान का उदाहरण जैव विविधता सम्मेलन की धारा–8(j) है। धारा–8(j) पक्षकारों से, जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग के लिए प्रासंगिक आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के ज्ञान, नवाचार एवं मान्यताओं–जो पारम्परिक जीवन शैली के रूप में होता है – को सम्मानित करने, बचाने व बनाए रखने का, आहवान करता है। यद्यपि धारा–8(j) आदिवासी पारम्परिक ज्ञान को प्रत्यक्षतः स्वीकार करता है किन्तु यह उन्हीं स्थितियों तक सीमित है जहाँ पारम्परिक ज्ञान जैव विविधता के लिए प्रासंगिक है और सामान्यतः यह आदिवासी पारम्परिक ज्ञान के सार्वभौम संरक्षण को स्वीकार नहीं करता है।

आदिवासी पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण पर सुस्पष्ट प्रावधान आदिवासी लोगों के अधिकारों पर आधारित संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र (UNDRIP) में वर्णित है। अंड्रीप (UNDRIP) आदिवासी पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कड़ा प्रावधान प्रस्तुत करता हैं। घोषणा–पत्र की धारा–31, पैरा–1 में कहा गया है कि –

आदिवासी लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, पारम्परिक एवं पारम्परिक सांस्कृतिक प्रदर्शन अपने विज्ञान, तकनीकी एवं संस्कृति के प्रकटीकरण सहित मानव एवं आनुवांशिक संसाधन, बीजों, औषधियों, फ्लोरा व फाउना की विशेषताओं की जानकारी, मौखिक परम्परा, साहित्य, डिजाइन, पारम्परिक खेलकूद और कलात्मक प्रदर्शन को बनाए रखने नियंत्रित करने, रक्षा करने एवं आगे बढ़ाने का अधिकार है। उन्हें ऐसी सांस्कृतिक विरासत, पारम्परिक ज्ञान एवं पारम्परिक सांस्कृतिक प्रदर्शन पर आधारित बौद्विक सम्पदा को बनाए रखने, नियंत्रित करने, रक्षा करने एवं विकसित करने का भी अधिकार है।

धारा–31, पैरा–2 मुख्य रूप से वर्णन करता है कि राज्य ''इन अधिकारों के अनुपालन को स्वीकार करने एवं संरक्षण देने के लिए प्रभावकारी उपाय करेगा।'' घोषणा पत्र की धारा –11 में सांस्कृतिक परम्पराओं एवं रिवाजों को मान्यता देने एवं मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा गया है कि राज्य (राष्ट्र) उनके कानूनों, परम्पराओं, प्रथाओं के उल्लंघन या मुक्त पूर्वसूचित सहमति के बगैर होने वाले आदिवासी, सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक एवं

आध्यात्मिक सम्पदाओं के उपयोग पर प्रभावकारी तंत्र के माध्यम से उचित उपचार उपलब्ध कराएगा। घोषणा पत्र की प्रस्तावना में भी सतत एवं बराबर विकास तथा पर्यावरण के उचित प्रबन्धन में योगदान देने वाले आदिवासी ज्ञान, संस्कृति एवं पारम्परिक मान्यताओं के लिए उसी सम्मान को स्वीकार करते हुए आदिवासी पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण का समर्थन किया गया है।

समग्र बनाम सीमित संरक्षण :– आदिवासी लोगों के अधिकार बनाम बौद्धिक सम्पदा अधिकार

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय प्रावधान आदिवासी पारम्परिक ज्ञान को कुछ हद तक संरक्षण प्रदान करते हैं किन्तु समग्र संरक्षण देने वे असफल रहे हैं।

बहुत सारे संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों एवं अन्तःसरकारी संगठनों द्वारा वर्तमान में इस अपर्याप्त संरक्षण को हल करने पर ध्यान केन्द्रित कर अनेक कार्य किए जा रहें हैं। ऐसे संगठनों में WIPO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD), खाद्य व कृषि संगठन (FAO) जैव विविघता सम्मेलन के लिए पक्षकारों का सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) शामिल हैं।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन ने आदिवासी पारम्परिक ज्ञान की मान्यता को बढ़ावा देने और इसके दुरूपयोग व अनुचित क्रियाक्लापों से बचाने में एक अग्रणी भूमिका निभाया है। खैर, WIPO की उत्कृष्ट भूमिका के कारण ही बौद्धिक सम्पदा कानून के दायरे में ही प्राथमिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय बहस शुरू हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा कानून साहित्य, संगीत, नृत्य या कला के क्षेत्र में खास कार्यो के निर्माताओं को संरक्षण उपलब्ध कराता है। यद्यापि यह अधिकांश क्षेत्रों में पर्याप्त कार्य करता है किन्तु आदिवासी अधिकारों एवं हितों की रक्षा में असफल है क्योंकि बौद्धिक सम्पदा का पश्चिमी दृष्टिकोण सामुदायिक व अन्तःपीढीगत ज्ञान की बजाय व्यक्तिगत ज्ञान एवं रचनात्मकता को ज्यादा महत्व देता है। बौद्धिक सम्पदा कानून को इस हद तक संशोधित करने का प्रयास हो जिससे पारम्परिक ज्ञान को इसमें जगह मिल जाए। यह ज्ञान जो भाव में पूर्णतः भिन्न है, जिसे कुछ अलग अंदाज में ही महसूस किया जा सकता है, इस लोकोक्ति का स्मरण कराता है :– जिस प्रकार आप वर्गाकार छेद में गोल खूंटी नहीं ठोक सकते, उसी प्रकार आदिवासी ज्ञान के संदर्भ में भी इसके लिए उपयुक्त व उचित प्रयास से ही लक्ष्य को साधा जा सकता है। यह कोई मायने नहीं रखता कि प्रयास किस प्रकार किया गया, फिट नहीं तो कुछ नहीं। इसी कारण इस मामले में एक पूर्णतः नया और विशिष्ट केन्द्रित दृष्टिकोण की जरूरत है।

समसामयिक बहसों में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (IPR) के अंतर्गत ध्यान खींचने के बावजूद पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण में इसकी संभव भूमिका काफी छोटी व सीमित है। IPR का उददेश्य जैव विविधता का संरक्षण करने या ज्ञान को बचाने का नहीं है बल्कि जानकारी के कुछ खास टुकड़ों के इर्द गिर्द बाजार बनाने, पहचान की जरूरत बनाने और संरक्षित सूचना को अलग करने की है।

पारम्परिक ज्ञान के प्रभावकारी संरक्षण के लिए ज्ञान की सम्पूर्ण प्रणाली को संरक्षित करने की जरूरत है क्योंकि इसकी प्रकृति समग्र हे और एक खास पर्यावरण के साथ अन्तः किया पर आधारित है। देशों के लिए यह कहीं ज्यादा जरूरी है कि वे आदिवासी अधिकारों को स्वीकार कर लागू करें बजाय पारम्परिक ज्ञान रक्षा के लिए, बौद्धिक सम्पदा व्यवस्था विकसित करें। पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा एक समग्र व व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए न कि सीमित संरक्षण द्वारा। इसका अभिप्राय है :

- नवीकरण के साथ बचाए रखना और दुरूपयोग एवं अनुचितता से संरक्षण देना
- बाहरी खतरों से भूमि एवं संसाधन को बचाना
- आजीविका सुरक्षा को बनाए रखना
- आदिवासी भाषा का उपयोग
- सांस्कृतिक तादात्मीकरण एवं अन्तःसांस्कृतिक समझौते द्वारा मजबूत बनाना
- आदिवासी लोगों के अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानकों की स्वीकार्यता के लिए नीतिगत पहल करना

संरक्षण एवं बढ़ावा का अर्थ

यूनेस्को शब्दावली में संरक्षण का अभिप्राय उन साधनों की स्वीकार्यता से है जो बचाए रखने, सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए केन्द्रित हैं। इसी भाव के साथ इस शब्द को विभिन्न उपकरणों के अन्तर्गत प्रयुक्त किया जाता है। जैसे विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत पर आधारित सम्मेलन (1972) और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने हेतु सम्मेलन (2003)। इस संदर्भ में ''संरक्षण'' शब्द का अभिप्राय कहीं से भी वाणिज्यिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, उदाहरण के लिए, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अनुचितकरण से बचाना।

जब ''बढ़ावा'' शब्दावली के साथ प्रयोग किया जाता है तो इसका अभिप्राय त्रीव गति से हो रहे वैश्विकरण के खतरों से बचाते हुए सांस्कृतिक प्रदर्शन को बनाए रखने की जरूरत से होता है। ''बढ़ावा'' सांस्कृतिक प्रदर्शन के चिरकालिक पुर्नजीवन के सुनिश्चय की बात करता है जिससे यह म्यूजियम की शोभा न बन कर रह जाय। इससे भी आगे, संरक्षण एवं बढ़ावा एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते, इनका उपयोग एक विस्तृत फलक पर होना चाहिए।

5. पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण के स्तर एवं सम्बन्ध

मूल्यों का संस्तरण और संरक्षण के उपाय

सम्पदा व्यवस्था, ऊँचे पायदान पर स्थित मानवाधिकार एवं आदिवासी अधिकार के सिद्धांतों के लिहाज से बहुत छोटी चीज है। इन अधिकारों के विकास के लिए प्रयास करते हुए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बौद्धिक सम्पदा सिद्धांत एवं कानून इन अधिकारों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाते हैं।

वर्तमान अस्तित्व वाले बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था (IPR) में छोटे–मोटे सुधार लाकर पारम्परिक ज्ञान एवं संसाधन के लिए आवश्यक संरक्षण के लक्ष्य को नहीं पाया जा सकेगा और इसीलिए एक नई अतिविशिष्ट व्यवस्था की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण से जुड़े दो दृष्टिकोण है :–

पहला, अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, सांस्कृतिक अधिकार एवं आदिवासी अधिकार व्यवस्था और दूसरा, सतत् विकास के लिए पारम्परिक ज्ञान एवं पारम्परिक संसाधन के व्यापक प्रसार व उपयोग से जुड़ी व्यवस्था, (उदा. –CBD, WTO, WIPO) इन दोनों व्यवस्थाओं को जोड़ने के उपाय की जरूरत हैं।

आदिवासी लोगों के अधिकारों का संरक्षण

नियामक रूप रेखा के प्रभाव

- औपचारिक व्यवस्था के लिए औपचारिक प्रावधान पर्याप्त नहीं है लेकिन उदासीन हैं।
- अनौपचारिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं किन्तु पूर्वग्रह से ग्रस्त
- अनौपचारिक व्यवस्था को वे सीमित कर सकते है।
- वे इनका शोषण कर सकते हैं।
- उन्हें अवैधानिक घोषित किया गया है।
- वे इन्हें समर्थन दे सकते है।

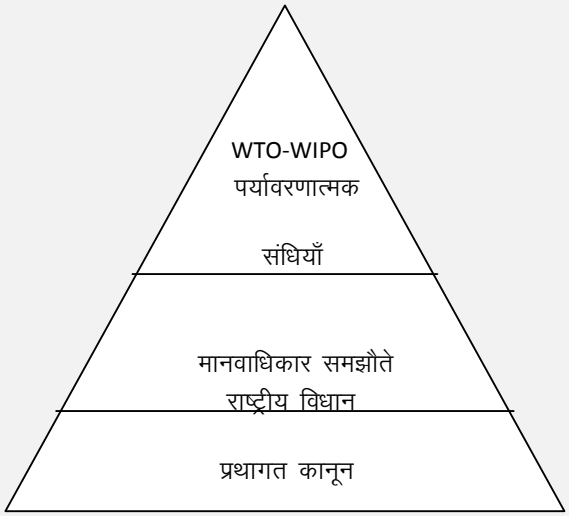

6. प्रथागत कानून तथा राष्ट्रीय विधान एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के बीच अन्तःसम्पर्क

घटना अध्ययन : पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण एवं प्रोत्साहन : स्थानीय समुदाय से अन्तर्राष्ट्रीय रंग मंच तक की यात्रा

फिलीपीन्स का कार्डिलेरा क्षेत्र 1 मिलियन वासियों के साथ एक सघन जनसंख्या वाला पर्वतीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दस विशिष्ट आदिवासी भाषाई समूह या आदिवासी लोग निवास करते हैं। अधिकांश लोग चांवल की सीढ़ीदार खेती, परिवार के साथ काष्ठ कार्यो सहित सामुदायिक वनों, स्वीडेन कृषि, क्राफ्ट, शिकार आदि से जुड़े कार्यो में संलग्न हैं।

कॉर्डीलेरों की यह चावल टिरेस अद्‌भुत है क्योंकि इसकी ऊँचाई (1500 मी0 तक) और ढ्रीव ढ़ाल (अधिकतम 70^0 तक) आश्चर्यजनक है। डैमों, जल द्वारों, नहरों व बाँस पाइपों पर आधारित एक जटिल प्रणाली के द्वारा उस टिरेस क्षेत्र के सभी भागों को पर्याप्त जलापूर्ति की जाती है। विश्व प्रसिद्ध फूगाओं चावल टिरेस लगभग 2000 साल पुराना है जो अभी भी प्रयोग में है और फूगाओं किसानों द्वारा इसे लगातार संचालित किया जा रहा है।

1973 में तत्कालीन राष्ट्रपति मार्कोस ने राष्ट्रपति आदेश द्वारा बनायू टिरेस को राष्ट्रीय युगान्तकारी प्रतीक चिहन के रूप में मान्यता दी। 1995 में फूगाओं के 5 टिरेस समूह को ''जीवित सांस्कृतिक परिदृश्य'' का दर्जा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल कर दिया गया। 1996 में अमेरिकन सोसाइटी आफ सिविल इन्जीनियर्स द्वारा इन टिरेसों को भूमि एवं जल संरक्षण तकनीक पर आधारित विश्व के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में स्वीकार किया गया।

मैदानी भागों में, फूगार्ओ के आदिवासी लोगों के पास वन्य प्रबन्धन का एक आदिवासी तरीका है जिसे ''मूयंग'' कहा जाता है और इसका सम्बन्ध पारिवारिक स्वामित्व वाले काष्ठ संग्रह से है। प्रत्येक काष्ठ संग्रह को मूयंग कहते हैं जो निजी स्वामित्व में होता हैं और एक विशिष्ट नातेदारी समूह द्वारा इसकी देखभाल की जाती है क्योंकि मूयंग जल क्षेत्र व ईधन–लकड़ी का स्रोत है। इसे बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण की जरूरत होती है। कुछ प्राथमिक जंगलों की तुलना में एक पूर्ण व्यवस्थित मूयंग ज्यादा विविधापूर्ण है। यह तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्र में विस्तृत है पर एक मूयंग में लगभग 200 किस्में पाई जाती हैं।

इस घटना में हम, चांवल टिरेस और बनायू, फूगाओं के काष्ठ संग्रह से जुड़े प्रथागत कानूनों, राष्ट्रीय विधानों एवं अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता के बीच एक अन्तः सम्बन्ध देखते हैं।

टिरेस को ''सांस्कृतिक विरासत'' का दर्जा देने के साथ समुदाय के अनेक लोगों के द्वारा इसे यथावत् बनाए रखने और सुधार करने की जरूरत पर बल दिया गया जिससे ''विरासत मूल्य'' को बचाया जा सकें, उदा0–निर्माण कार्य एवं फसल विकल्पों का सीमांकन। इससे पारम्परिक प्रबन्धन की नियमित सततता प्रभावित हुई हैं।

इसके साथ साथ इस नई पहचान के कारण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन सामने आया है जिसमें उभरता हुआ पर्यटन उद्योग भी शामिल है। पर्यटन में वृद्धि के कारण वनों को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियाँ बहुत तेज हो गई हैं। यह सब काष्ठ हस्तशिल्प के बढ़ते बाजार, नकदी फसल आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा एवं पर्यटकों के लिए भवन निर्माण के कारण हुई हैं।

इन निर्माणों ने पारम्परिक ज्ञान प्रणाली में भूमि की मूल्य परिभाषा और यूनेस्को सूची की ''विरासत स्थल'' के बीच संघर्ष को जन्म दिया है। भवनों का निर्माण टिरेस से ऊपर पहाड़ के मूयंग क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में हुआ है जबकि पूर्व के सतत् भूमि प्रबन्धन में टिरेस के ऊपर के जंगली क्षेत्रों को जल स्रोत एवं

मृदा स्थारक की भूमिका के कारण काफी महत्व एवं संरक्षण दिया गया था। ''विरासत'' दृष्टि के अन्तर्गत टिरेस को शेष प्राकृतिक दृश्य से कही ज्यादा महत्व दिया गया और संरक्षण की जरूरत को भी स्वीकार किया गया।

इसके अतिरिक्त फिलीपीन सरकार ने एक नीति जारी की है जो स्थानीय पारम्परिक वन्य समबद्ध ज्ञान को विशेष रूप से स्वीकार करता है। पर्यावरण एवं प्रकृति संसाधन विभाग (DENR) के ज्ञापन परिपत्र 96–02 (MC 96-02) वर्ष 1996 द्वारा फूगाओं प्रान्त में ''मूयांग संसाधन अनुज्ञप्ति (MRP) के निर्गमन को संचालित करने के लिए अन्तरिम दिशा–निर्देश जारी किया गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि DENR कर्डिलेरा के आदिवासी समुदायों की खास भूमिकाओं–आजीविका के लिए मूयांग को बचाना, जैव विविधता का संरक्षण और ऊपरी भागों में विनाशकारी मानवीय क्रियाओं के खिलाफ बफर जोन के रूप में उभरना–को स्वीकार करता हैं।

DENR ज्ञापन परिपत्र द्वारा मूयांग संसाधन अनुज्ञप्ति (MRP) का निर्गमन होता है जिसके अंतर्गत संसाधन के दोहन और संबद्ध प्रभावित व्यक्ति के विस्थापन की अनुमति दी जाती है। MRP के लिए आवश्यक शर्तो का उल्लेख इसमें है जैसे कि मूयंग की स्थिति और आकार, वृक्षारोपण की संख्या, आजीविका हेतु आवेदक के लिए जरूरी कच्चे माल की मात्रा और आवेदक द्वारा पिछले 20 वर्षो से पारम्परिक मूयंग का परिचालन सम्बन्धी एक प्रमाण पत्र। इस ज्ञापन में वृक्षों की कटाई, प्रसंस्करण, परिवहन, पुर्नस्थापना एवं निगरानी के लिए MRP धारक पर कठोर शर्ते लगाई गई हैं।

मूयंग स्वीकृति/मान्यता के विवादास्पद परिणाम देखे गए हैं। यह DENR नीति मूयंग को एक सतत् वन्य प्रणाली के रूप में स्वीकार करती है। दूसरी ओर यह नीति–काष्ठ संग्रह के मालिक के लिए MRP आवेदन को जरूरी बनाकर, मूयंग की नियमित परिचालन पर प्रतिबन्ध लगाकर और MC 96-02 में वर्णित शर्तो को MRP धारकों के लिए अनिवार्य बनाकर जो देती है, उसे वापस लेने का काम करती है।

इस मामले में कुछ प्रश्नों का उत्तर जरूरी है – अनुभव से कौन सा पाठ सीखा जा सकता हैं ? पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण एवं प्रोत्साहन में प्रथागत कानून, राष्ट्रीय विधान एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति की उचित भूमिका एवं इनके बीच के सम्बन्ध क्या है ?

इसके अतिरिक्त पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्धों पर विचार करने की जरूरत है जैसे

- भूमि सुरक्षा की कमी।
- सरकारी विकास–योजनाएँ, मसलन–नहर, खनन, व्यापार, उद्यान, पर्यटन आदि स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं प्राकृतिक दृश्य को बदल रहे है।
- भौतिक निर्धनता, खासकर आधारभूत सेवाओं के उपयोग।

- सामाजिक सेवाओं की कमी जो शहरी प्रवास को बढ़ावा देता है।
- आदिवासी लोगों को मान्यता देते हुए आदिवासी लोगों के अधिकार अधिनियम (IPRA) का क्रियान्वयन।

निष्कर्षतः पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण के लिए कुछ आधारभूत आशाएँ व अनुशंसाएँ निम्नलिखित है :

- पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण का आधारभूत तत्व प्रथागत कानून है।
- आदिवासी लोगों का अपने ज्ञान व संसाधनों पर उनका ही अधिकार है, वह ज्ञान का राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय घरिया का हिस्सा नहीं है, यह प्रथागत कानूनों एवं सह अस्तित्व द्वारा संगठित है।
- भागीदारी आदिवासी लोगों की परम्परा रही है और कई ऐसे लोग सतत् विकास में प्रत्यक्ष योगदान देने के इच्छुक हैं किन्तु उसे पाने के लिए द्विपक्षीय सम्मान, नैतिकता, पारस्परिकता व विश्वास की जरूरत होगी।
- आदिवासी ज्ञान को लागू करते समय जनता के अधिकार क्षेत्र या सांस्कृतिक समानता की सीमाओं को निर्धारित करना और एक अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक व्यवस्था के विकास के लिए वर्तमान IPR कानूनों एवं आदिवासी प्रथागत कानूनों के बीच बड़े अन्तर को दूर करना जरूरी है।

अभ्यास – 2

समूह भागीदारी पर आधारित विचार विमर्श (30 मिनट)

1. सहभागियों को छोटे समूहों में बाँटकर आदिवासी पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण एवं प्रोत्साहन से जुड़े व्यावहारिक तरीकों जिन्हें वे जानते हो या अपने समुदायों में पहले प्रयुक्त किए हुये हों–पर विचार विमर्श करना।
2. इसके बाद प्रत्येक समूह अपने विचार विमर्श के परिणामों को पूरे समूह के साथ बाँटता है।
3. प्रशिक्षक इन व्यावहारिक तरीकों का संक्षेपण कर पिछले अध्ययन से इसके सम्बन्ध को जोड़ता है और विमर्श बन्द करता है।

मापांक 14 संचार, शिक्षा एवं जन चेतना

उद्धेश्य

1. जैव विविघता सम्मेलन के अन्तर्गत संचार, शिक्षा एवं जन चेतना (CEPA) की व्यापक रूपरेखा को समझना।
2. जैव विविधता पर गठित अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम (IIFB) द्वारा CEPA पर किए जा रहे कार्यो को सीखना।
3. जैव विविधता पर अन्तर्राष्ट्रीय दशक को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष पर प्रकाश डालना।
4. कुछ व्यावहारिक शैक्षणिक पद्धतियों, गुरो एवं क्रियाक्लापों के बारे में विचारों का आदान–प्रदान करना।

संसाधन

- जैव विविघता सम्मेलन की आठवी बैठक में पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा स्वीकार किए गए निर्णय।
- जैव विविघता सम्मेलन कार्यक्रम पर आधारित CEPA से जुड़े IIFB कार्यक्रम मुख्य बातें।
- धारा–13 (जन शिक्षा एवं चेतना) से जुड़े जैव विविघता सम्मेलन CoP के निर्णयों और CEPA योजना पर गठित IIFB कार्यशील समूह के बीच सह सम्बन्ध।
- जैव विविधता के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष की कार्यनीति का क्रियान्वयन।
- अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष का स्वागत।

समय

3 घंटे

तथ्य प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श (3 घंटे)

1. अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष (IYB)

संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 61/203 के अंतर्गत घोषित अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 में अस्तित्व में आया। यह वर्ष जोहान्सबर्ग मे ंसतत् विकास पर आयोजित जैव विविघता सम्मेलन के पक्षकारों एवं राष्ट्राध्यक्षों की विश्व बैठक 2002 में स्वीकृत जैव विविधता लक्ष्य 2010 के साथ जुड़ गया।

पूरे समारोह का उद्धेश्य मानव कल्याण के लिए जैव विविधता के महत्व के प्रति जनचेतना एवं राजनीतिक चेतना जागृत करना था। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए IYB द्वारा सम्मेलन के उद्धेश्यों एवं प्रासंगिक मिलेनियम विकास उद्धेश्यों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक विश्व स्तरीय विचार विमर्श को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। इसी में लक्ष्य 2010 की उपलब्धियों पर समारोह को भी शामिल किया गया। इसका उद्धेश्य इन विचार–विमर्शो को उस वचनबद्धता में बदलना है, जिसे विश्व समुदाय इन उद्धेश्यों को 2010 के आगे भी क्रियान्वित करते रहें।

जैव विविधता लक्ष्य 2010

धरती के सभी प्राणियों के हित के लिए और निर्धनता उन्मूलन योगदान देने के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता क्षय के वर्तमान दर में 2010 तक खास कमी लाना।

सम्मेलन के संचार, शिक्षा एवं जनचेतना (CEPA) पर आधारित कार्य योजना तथा इसकी धारा–13 में वर्णित बाध्यता के क्रियान्वयन में अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष (IYB) एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। IYB, पक्षकारों के लिए, जैव विविघता सम्मेलन के राष्ट्रीय क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने, शिक्षा को मुख्यधारा मे जैव विविधता को शामिल करने के लिए उचित कदम उठाने एवं आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए एक सुनहरा अवसर है।

पृथ्वी पर जीवन्तता को बनाए रखने में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति रूझान को बढ़ाने में भी अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष (IYB) एक अद्भुत अवसर है।

मुख्य उद्धेश्य :

- जैव विविधता संरक्षण के महत्व और जैव विविधता से जुड़े खतरों के प्रति जनचेतना में वृद्धि लाना।
- समुदायों एवं सरकारों द्वारा स्वीकृत जैव विविधता संरक्षण के लिए खास क्षमताओं के प्रति जागृति बढ़ाना।
- जैव विविधता के खतरों को कम करने वाले नए उपायों को प्रोत्साहित करना।
- जैव विविधता क्षय को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने में व्यक्तियों, संगठनों एवं सरकारों को प्रोत्साहित करना।
- 2010 के बाद के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए स्टेक हाल्डर्सो के बीच वार्ताओं को प्रोत्साहित करना।

2. CEPA के लिए जैव विविघता सम्मेलन की कार्य नीति :–

जैव विविधता क्या है ? और हम लोग इसके प्रति चिन्तित क्यों है ? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम किस प्रकार करें कि यह अगली पीढ़ीयों तक भी उपलब्ध रहें ? जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए जैव विविघता सम्मेलन क्या करता है ? जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग के उद्धेश्यों एवं आनुवांशिकीय संसाधनों के उपयोग से होने वाली लाभों में समान भागीदारी के संदर्भ में सम्मेलन की कार्ययोजनाएं किस प्रकार योगदान देती हैं ?

इन सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप में संचार, शिक्षा एवं जनचेतना या CEPA पर आधारित जैव विविघता सम्मेलन की कार्य योजनाएँ क्या है ? जिनका उद्धेश्य जैव विविघता सम्मेलन के क्रियान्वयन में पक्षकारों, प्रशिक्षकों एवं नागरिक समुदायों की सहायता के लिए एक विविधतापूर्ण विमर्श उपलब्ध कराना है।

सम्मेलन की धारा –13 के अन्तर्गत CEPA पर आधारित जैव विविघता सम्मेलन कार्य योजनाओं में लक्षित है

- सम्मेलन के वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यो को सहज सरल भाषा में विभिन्न समूहों के बीच संचारित करना
- सम्मेलन में शामिल सभी देशों में शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जैव विविधता को शामिल करना
- हमारे जीवन के लिए जैव विविधता एवं इसके मूलभूत मूल्यों के प्रति जनचेतना को बढ़ाना

जन शिक्षा एवं जन चेतना पर आधारित जैव विविघता सम्मेलन की धारा–13

समझौता स्वीकार करने वाले देश :

a. जैव विविधता के संरक्षण के महत्व और आवश्यक उपायों को समझने के साथ साथ मिडिया द्वारा इसे और प्रसारित करने एवं इन मुद्धों को शैक्षणिक क्रियाक्लापों में शामिल करने के प्रति समझ को प्रोत्साहित करेंगें
b. जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग से जुड़े शैक्षणिक एवं जन चेतना कार्यक्रमों को विकसित करने में दूसरे देशों एवं संगठनों को जहाँ तक उचित हो सहयोग करेंगें।

3. CoP द्वारा धारा–13 की स्वीकृति/मान्यता

पृष्ठभूमि एवं प्रस्थिति

CoP ने अपनी चौथी बैठक में धारा–13 पर पहली बार विचार विमर्श किया। CoP_4 में निर्णय लिया गया कि सम्मेलन की कार्य योजना के अंतर्गत सभी क्षेत्रों एवं विषयक इकाइयों में जन शिक्षा एवं जन चेतना को शामिल करते हुए इसे एक आन्तरिक तत्व के रूप में विकसित किया जाएगा।

CoP4 ने जैव विविधता से जुड़ी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जन चेतना पर एक वैश्विक पहल शुरू करने के लिए यूनेस्को को आमंत्रित किया और कार्यपालन सचिव से ऐसी किसी पहल की व्यावहारिकता की छानबीन करते हुए प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन CoP5 के अंतर्गत प्रस्तुत करने का निवेदन किया। अपनी पाँचवी बैठक में CoP ने उनसे, यूनेस्को की मदद से, विशेषज्ञों की एक सलाहकारी कार्यशील समूह की बैठक आयोजित करने का निवेदन किया जो जैव विविधता से जुड़ी जनशिक्षा एवं जन चेतना पर प्रस्तावित वैश्विक पहल के लिए प्राथमिक क्रियाक्लापों की पहचान करें।

CoP6 के अंतर्गत संचार, शिक्षा एवं जन चेतना पर निर्णय VI/19 स्वीकृत हुआ जिसमें CEPA पर वैश्विक पहल से जुड़ी सभी सूचनाएँ हैं। निर्णय के परिशिष्ट में भी वैश्विक पहल से जुड़े कार्यक्रम तत्व शामिल हैं।

CEPA की कार्य योजना :

कार्यक्रम तत्व – 1 – ''वैश्विक संचार, शिक्षा एवं जन चेतना की ओर नेटवर्क'' : नई सूचना तकनीक एवं पारम्परिक संचार तंत्र के सम्मिलित नेटवर्क का संवर्द्धन एवं समन्वय।

कार्यक्रम तत्व 2 – ''ज्ञान एवं अनुभवों का विनिमय'' : CEPA के विकास एवं इससे जुड़ी नई अवधारणाओं के संवर्द्धन के लिए विभिन्न पेशावरों के बीच जानकारियों एवं अनुभवों का विनिमय।

कार्यक्रम तत्व 3 – ''संचार, शिक्षा एवं जनचेतना के प्रति क्षमता निर्माण '' : दूसरे क्षेत्रों में जैव विविधता का विस्तार करते हुए इसे मुख्य धारा बनाने के लिए देशों की क्षमताओं का विकास

CoP8 ने CEPA की कार्ययोजना के क्रियान्वयन की द्विवार्षिक दिशा–निर्देश पर आधारित प्राथमिक क्रियाक्लापों की एक छोटी सूची को स्वीकार किया। इसमें 10 प्राथमिक क्रिया–क्लाप है :

- CEPA से जुड़े क्रियाक्लापों के लिए क्रियान्वयात्मक संरचना या प्रक्रिया की स्थापना।
- जैव विविधता पर जानकारी एवं चेतना की स्थिति का आकलन और संचार के लिए क्षमता का निर्धारण।
- मुख्य संवादों का विकास।
- मिडिया सम्पर्क कार्यनीति का क्रियान्वयन।
- CEPA कार्य नीतियों के विकास एवं क्रियान्वयन के लिए उपकरण किट्स/साधन–समूह का विस्तार।
- CEPA कार्य नीतियों की सुस्पष्टता के लिए कार्य शालाओं का आयोजन।
- एक वैश्विक नेटवर्क के लिए आधारभूत संरचना एवं सहयोग का विकास।

- जैव विविधता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दिवस।
- COP और SBSTTA (वैज्ञानिक, तकनीक एवं तकनीकी सलाह पर सहायक अंग) की बैठकों के विषय वस्तु/रूपरेखा का विस्तार।
- जैव विविधता पर औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा को मजबूत बनाना।

पक्षकारों/देशों के लिए COP दिशा निर्देश

COP ने देशों से आग्रह किया है कि वे अपनी राष्ट्रीय कार्यनीतियों एवं कार्य योजनाओं के विकास में धारा–13 पर खास जोर दें। इसने यह भी आग्रह किया कि :

- NGOs सहित प्रासंगिक संस्थाओं द्वारा जैव विविधता पर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये।
- शिक्षा एवं संचार के साधनों के उपयोग हेतु संसाधन की व्यवस्था की जाय।
- नीति निर्माण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन – इन सभी स्तरों पर शिक्षा एवं संचार के साधनों की नीतिगत उपयोगिता के लिए उचित संसाधन की व्यवस्था की जाय।
- जैव विविधता से जुड़े मुद्धो को शैक्षणिक कार्यनीतियों में शामिल किया जाय।
- बड़े समूहों की प्रासंगिक पहलो, जो जैव विविधता संरक्षण एवं सतत उपयोग में स्टेक हाल्डर्स की भागीदारी सुनिश्चित करें, को प्रोत्साहन दिया जाय (निर्णय IV/10, B, पैरा–1)

COP ने जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग के महत्व एवं उचित तरीकों के प्रति जन शिक्षा एवं जन चेतना बढ़ाने में मिडिया का उपयोग करने के लिए देशों को प्रोत्साहित किया है। जहाँ आवश्यक हो सम्मेलन के प्रावधानों को स्थानीय भाषाओं में उद्धृत एवं अनुवादित किया जाना चाहिए। (निर्णय V/16, पैरा 12(e))।

COP ने देशों व सरकारों से यह भी निवेदन किया कि वे शिक्षा एवं जन चेतना बढ़ाने पर ध्यान देते हुए संवाद कार्य नीतियों का विकास इस रूप में करें जिससे आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों सहित लोगों के एक बड़े भाग में धारा 8(j), VI/10, पैरा–16 से जुड़ी अनुशंसाओं के प्रति जागरूकता पैदा हो सकें।

4. जैव विविघता सम्मेलन कार्यक्रम पर आधारित CEPA पर IIFB कार्यक्रम

CEPA 2010 पर कार्य योजना के लिए प्राथमिक क्रियाक्लापों की लघु सूची

प्राथमिक क्रियाक्लाप 1 : CEPA गतिविधियों के लिए क्रियान्वयन संरचना या प्रक्रिया की स्थापना।

IIFB द्वारा प्रस्तावित कार्य

- CEPA पर IIFB कार्यशील समूह को मजबूत बनाना

प्रथमिक क्रियाक्लाप 2 : जैव विविधता पर जानकारी एवं जागरूकता की स्थिति का आकलन और संवाद के लिए क्षमता का निर्धारण

- CEPA पर IIFB कार्यशील समूह द्वारा आदिवासी लोगों में चेतना एवं समझ की स्थिति पर सर्वे करना (स्थानीय एवं राष्ट्रीय)
- स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना के लिए उचित लक्ष्य की पहचान करना।
- जरूरतों का आकलन करने के लिए प्रश्नावली का विकास करना और सामूहिक विचार विमर्श के मुख्य तथ्यों को सामने लाना।

प्राथमिक क्रियाक्लाप 3 : प्रमुख संवादों को विकसित करना

IIFB द्वारा प्रस्तावित मुख्य संवाद

- जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग तथा सतत् विकास में आदिवासी लोगों की केन्द्रीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका।
- यदि सरकारें निर्धनता उन्मूलन के प्रति गंभीर है तो उन्हें आदिवासी लोगों की भूमि, परिक्षेत्र एवं संसाधन, स्वनिर्धारण और संसाधन एवं जैव विविधता के प्रथागत प्रबन्धन के अधिकारों को मान्यता व सम्मान देने की जरूरत है।
- CEPA के कार्यो में संलग्न सभी प्रक्षेत्रों एवं समूहों के बीच मुख्य संवादों को प्रचारित एवं प्रसारित करना।
- जलवायु परिवर्तन से जुड़े संवादों को शामिल करना।
- CEPA की गतिविधियों से जुड़े सभी क्षेत्रीय समूहों के बीच मुख्य संवादों को प्रचारित–प्रसारित करना।

प्राथमिक कियाकलाप 4 : मिडिया सम्पर्क कार्यनीति कियान्वित करना

- स्थानीय परिस्थितियों के लिए विभिन्न मिडिया की उपयोगिता के प्रति एक अच्छी जागरूकता का होना।
- सम्पादकीय लेखन द्वारा स्थानीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों का उपयोग और उसमें जैव विविधता सम्मेलन पृष्ठ की संभावना को तलाशना।
- सामुदायिक रेडियो का उपयोग/सामुदायिक रेडियों के नेटवर्क का उपयोग।
- नाटकों/विडियो/सिनेमा/टी0वी0 पर जन सेवा उद्घोषणाओं में भूमिका का उपयोग।
- संगीतकारों के साथ कार्य करते हुए संगीत का उपयोग।
- पोस्टर की भांति दृश्य पटलों का उपयोग
- संवाद के आदिवासी स्वरूपों का उपयोग जैसे – कथा वाचन या अन्य मौखिक स्रोत।

प्राथमिक कियाक्लाप 5 : CEPA कार्य नीतियों के विकास एवं कियान्वयन के लिए साधन–तंत्रों का विस्तार

- आदिवासी लोगों एवं जैव विविघता सम्मेलन से जुड़े शैक्षणिक संसाधनों के साधनों का व्यापक प्रसार एवं उपयोग
- उपलब्ध जैव विविघता सम्मेलन सामाग्रियों का उपयोग
- IIFB कथनों/निर्देशों का विभिन्न भाषाओं में संग्रहण

प्राथमिक कियाक्लाप – 6 : CEPA कार्य नीतियों की सुस्पष्टतः के लिए कार्य शालाओं का आयोजन

- प्रशिक्षकों को और भी पारंगत बनाने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्य शालाओं का आयोजन

प्राथमिक कियाक्लाप – 7 : एक वैश्विक नेटवर्क के लिए आधारभूत संरचना एवं सहयोग का विकास

- IIFB वेबसाइट <http://www.iifb.indigenousportal.com> का उपयोग और बढ़ावा
- IIFB वेबसाइट के साथ संगठन वेबसाइट को जोड़ना
- सूची उपलब्धतता के जरिए नेटवर्क का समन्वय

प्राथमिक कियाक्लाप – 8 : अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

- आदिवासी लोगों एवं जैव विविधता पर जोर देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर समर्थन के लिए UNPFII का आहवान
- राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दुओं (NFPs) के साथ कार्य/जैव विविधता पर राष्ट्रीय दिवस की संभावनाओं की तलाश।
- विश्व के आदिवासी लोगों के अन्तर्राष्ट्रीय दिवस (9 अगस्त) को उपयोगी बनाना।

प्राथमिक क्रियाक्लाप – 9 : COP और SBSTTA के बीच बैठकों की रूपरेखा/विषय वस्तु का विस्तार

- इन बैठकों के साथ–साथ आदिवासी लोगों के लिए प्रासंगिक अन्य बैठकों में भी आदिवासी लोगों की भागीदारी को मजबूत बनाना।
- CEPA मेला में भागीदारी
- सह घटनाओं का आयोजन
- IIFB और तेबतेबा द्वारा विकसित आदिवासी लोगों एवं जैव विविधता सम्मेलन पर आधारित शैक्षणिक संसाधन किट्स का उपयोग

प्राथमिक क्रियाक्लाप – 10 : जैव विविधता पर औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा को मजबूत बनाना

- इसे शिक्षा के सभी स्तरों, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर, औपचारिक पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारों को प्रोत्साहित करना।
- शिक्षकों/स्कूलों तक इसी पहुँच को बढ़ाना (जैसे–शिक्षकों का प्रशिक्षण)
- पत्रिकाओं/शैक्षणिक संसाधनों का विकास करना।
- जीवित परम्पराओं/बुजुर्गो की बैठकों को स्कूल में शामिल करना।
- UNDRIP और जैव विविधता सम्मेलन पर लोगों को एकत्रित कर गतिविधियों का संचालन करना।
- स्थानीय क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों या कार्यक्रमों को विकसित करना।

सीखने के उपकरण एवं पद्धतियाँ

संसाधन

- मापांक निर्माण के लिए प्रशिक्षण सामग्री की रूपरेखा–मुख्य बातें।
- फिल्म–फीवर/फिएब्र
- TEMATEA मुद्धो पर आधारित मापांको, वैश्विक जैव विविधता परिदृश्य, पशुचारण/ग्रामीणता, वनों आदि पर CBD एवं IUCN द्वारा उपलब्ध पुस्तकों की श्रृंखला।
- जैव विविधता से जुड़े सम्मेलनों के संयुक्त कियान्वयन के लिए TEMATEA मुद्धों पर आधारित मापांक
- वैश्विक जैव विविधता परिदृश्य 2
- ग्रामीणता/पशुचारण
- शुष्क भूमि एवं पशुचारण
- पशुचारण, प्रकृति संरक्षण एवं विकास : एक अच्छा अभ्यास मार्गदर्शन

प्रस्तावना :

जैव विविधता पर सम्मेलन के प्रति आदिवासी लोगों के क्षमता निर्माण पर अपने दो वर्षीय प्रोजेक्ट के दौरान तेबतेबा ने सीखने के कुछ उपकरणों/साधनों एवं दृष्टिकोणों को अपनाया जो सहभागियों के प्रशिक्षण में बहुत उपयोगी व प्रभावकारी साबित हुए। इन उपकरणों/साधनों में पोस्टर एवं मस्तिष्क मापन भी शामिल है। इन दोनों साधनों में जैव संसाधनों के संरक्षण, सतत् उपयोग एवं समान भागीदारी से जुडे आदिवासी लोगों के मुद्धे एवं समस्याओं को समझाने व व्याख्यायित करने में दृश्यों का उपयोग होता है।

प्रो0 रेमुण्डो रॉविलास द्वारा प्रस्तुत मापांक लेखन पर किस प्रकार मार्गदर्शन किया जाय – यह भी आदिवासी प्रशिक्षकों के एक कार्यशाला के दौरान महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में उपयोग किया गया। इस कार्यशाला को तेबतेबा ने मार्च 2006 में क्यूरीटीबा, ब्राजील में CoP8 के सत्रों के बीच आयोजित किया था।

पोस्टर प्रस्तुतीकरण, मस्तिष्क मापन और मापांक निर्माण के उपयोग सम्बन्धी निम्नलिखित दिशा–निर्देश हैं जो प्रशिक्षकों को अपने अपने क्षेत्र में संचार, शिक्षा और जन चेतना के संचालन में मदद कर सकते हैं।

इन सबके अलावे कुछ और भी उपयोगी उपकरण एवं पद्धतियाँ है, मसलन सामूहिक गतिविधियाँ (गूंज सत्र), घटना अध्ययन, पुनर्स्मरण सत्र, मूल्यांकन सत्र। इनमें से कुछ पद्धतियों का भी उपयोग प्रशिक्षण मापांको में किया गया।

1. पोस्टर प्रस्तुतीकरण : स्थानीय मुद्धो, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और जैव विविघता सम्मेलन के उद्धेश्यों के बीच सम्बन्ध स्थापन

मुख्य अवधारणा : सांस्कृतिक एवं जैव विविधता से जुड़े स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्धों एवं प्राथमिकताओं के अन्तःसम्बन्धों को संचारित करने के लिए पोस्टर किसी कागज या वर्णनात्मक प्रतिवेदन (कार्यशाला या प्रशिक्षण के दौरान प्रयुक्त एक सामान्य प्रविधि) का स्थान लेता है।

कियाकलापों का उद्धेश्य :

सहभागियों को स्व. अनुभव एवं प्राकृतिक संसाधनों (सांस्कृतिक एवं जैव विविधता) से जुड़े पारम्परिक ज्ञान, प्रथागत उपयोग एवं प्रबन्धन से युक्त करना।

जैव विविघता सम्मेलन के उद्धेश्यों के प्रस्तुतीकरण के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की स्थापना

चरण :

1. सहभागी समूह द्वारा आपस में अपने अनुभवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग, दोहन एवं लाभ भागीदारी से जुड़ी सोचों पर विचार विमर्श करना, इन सबकी व्याख्या से जुड़ी उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना, इसी प्रकार सरकारी कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों व प्रोजेक्टों पर भी ध्यान देना, इस आरम्भिक विचार विमर्श के लिए यह जरूरी नहीं है कि तुरन्त ''जैव विविधता'' शब्द या जैव विविघता सम्मेलन के उद्धेश्यों को प्रस्तुत किया जाय। विचार–विमर्श द्वारा जैव विविघता सम्मेलन के उद्धेश्यों के प्रस्तुतीकरण के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को सत्र–समापन के समय प्रस्तुत किया जायेगा।
2. **ग्राफिक उदहारणों द्वारा सहभागी निम्नलिखित मार्गदर्शनों पर आधारित पोस्टर बनाए :**

   आदिवासी लोगों के अधिकार एवं पारम्परिक ज्ञान की रूपरेखा के भीतर अपने समुदाय व लोगों से जुड़े गम्भीर मुद्धो एवं प्राथमिक कियाक्लापों का वर्णन निम्न के सन्दर्भ में करें :

- प्राकृतिक संसाधनों (जैव विविधता)
- प्राकृतिक संसाधनों (जैव संसाधनों) का सतत् उपयोग
- प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एवं लाभ भागीदारी

प्रासंगिक वर्तमान एवं प्रस्तावित सरकारी नीतियो, विधानों, कार्यक्रमों या परियोजनाओं की सूची बनाए

3. प्रत्येक कार्यशाला समूह से एक सम्पर्क कर्ता उनके पोस्टरों को प्रस्तुत करता है और दूसरे सहभागी प्रश्न पूछ सकते हैं। समय बचाने के लिए दूसरे सहभागी अपने प्रश्नों या टिप्पणियों को कागज पर लिख सकते है या ''चस्पा–करें'' लिख सकते है जिसे प्रस्तुतीकरण के बाद पोस्टर पर चस्पा कर सकते हें। इन सब को इकटठा किया जाता है और बाद के सत्र में प्रत्युत्तर दिया जाता है।

4. प्रशिक्षक सहभागियों को उनके पोस्टरों के लिए धन्यवाद देता है जिसे बाद में मुख्य सामग्री एवं कार्यशाला से प्राप्त लाभ के रूप में उपयोग किया जाएगा। प्रशिक्षक सम्मेलन में मुख्य मुद्धो पर किए गऐ विचार विमर्श के प्रति उनकी समझ को दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित करता है और जिससे उनका प्रस्तुतीकरण जैव विविघता सम्मेलन के उद्धेश्यों को उनके एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जोड़ सकें।

2. पारम्परिक ज्ञान पर मस्तिष्क मापन

मूल अवधारणा	मस्तिष्क मापन सहभागियों के लिए एक प्रभावकारी उपकरण है जिसके द्वारा पारम्परिक ज्ञान के प्रति उनकी अवधारणा को एक समूह के रूप में विस्तारित किया जाता है।
उद्धेश्य	सहभागी पारम्परिक ज्ञान से सम्बन्धित जानकारी को दृष्टिगत करने, स्पष्ट करने एवं समझने के लिए ग्राफिक्स (मस्तिष्क चित्र) का उपयोग करेंगें। पारम्परिक ज्ञान की समग्र अवधारणा के साथ सहभागी घनिष्ठ हो जाएँगे – उनके समुदायों/देशों में दूसरे लोग इसे किस प्रकार परिभाषित करते है और पारम्परिक ज्ञान के विभिन्न पहलू क्या–क्या हैं।
पूर्व–योजना	प्रशिक्षक को मस्तिष्क चित्र प्रस्तुत व प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें विभिन्न शैक्षणिक कठिनाईयों (भाषा, समूह में शामिल होकर प्रभावी कार्य करने की क्षमता आदि) की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे सहभागियों को क्रियाक्लाप में भाग लेने से पूर्व ही उन्हें समझाया जा सके और वे बेहतर परिणाम दे सकें।
कार्य प्रणाली	सहभागियों को समूह में विभाजित करें, उन्हें समुदाय या देश के आधार पर (जैसा उचित हो) व्यवस्थित करें। कागज के एक बड़े टुकड़े पर सहभागी पृष्ठ के ठीक बीच से पारम्परिक ज्ञान की अवधारणा को शुरू करेंगें। बड़े विषय या विचार के उभरने पर सहभागी केन्द्र बिन्दु से एक रेखा खींचेगा और उस पर वह विचार लिखेगा। जब सभी विचार उभर जाएँ तो तुरन्त यह जांच की जाय कि वर्तमान विचार से मिलता–जुलता कोई विचार है, यदि हाँ तो उस रेखा को आगे बढ़ाया जाय। यदि विचार में भिन्नता आए तो मुख्य रेखा की शाखा रेखा खींची जाय जो समानान्तर हो। यदि विचार पूर्णतः नया या भिन्न हो तो पुनः केन्द्र से एक नई रेखा खींची जाय। इनके सम्बन्धों को देखा जाय। इन विभिन्न सूचनाओं के बीच किसी सम्बन्ध को रेखा के अन्त में अंकित किया

	जाय। मिलते–जुलते विचारों को अक्षरो, चित्रों या वक्र रेखा खींचकर दिखाया जा सकता है। यदि मस्तिष्क चित्र का उपयोग किसी बातचीत या योजना के लिए किया जा रहा है तो प्रत्येक रेखा को एक संख्या के आधार पर दिखाते हुए उनके अनुक्रम को व्यवस्थित किया जा सकता है।
समापन	प्रत्येक सहभागी समूह अपने कियाक्लापों को बड़े समूह के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसमें पारम्परिक ज्ञान को परिभाषित करने की प्रकिया के विवरण के साथ अपने मस्तिष्क चित्र में दिखाए गए खास क्षेत्रों के बारे में भी वर्णन होता है। सहभागियों की संख्या के आधार थोड़ा समय निर्धारित कर विचार विमर्श भी किया जाना चाहिए। इन सबके साथ सहभागी अपने विश्लेषण जो या तो मस्तिष्क चित्र पर या पारम्परिक रेखीय प्रदर्शन पर आधारित है, के आधार पर पारम्परिक ज्ञान के प्रति खतरों एवं अनुशंसाओं को समझने में सक्षम हो सकेंगें।
संसाधन / सामग्री	आवश्यक सामग्री : रंगीन मार्कर / पेन, सादा व सफेद कागज का बड़ा टुकड़ा अतिरिक्त अनुपूरक सामाग्रियों के लिए कृपया अनुपूरक CD की सहायता लें।

मस्तिष्क मापन / चित्रण क्या है ?

प्राकृतिक ज्ञान का धारण मस्तिष्क के भीतर अन्तःकियात्मक सम्बन्धों का निर्माण एवं परीक्षण करता है जो स्थानिक चित्रण होता है। इसके द्वारा विचारों एवं उनके बीच के सम्बन्धों का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण–मस्तिष्क चित्र–पेश किया जाता है। मस्तिष्क चित्र के निर्माण में मस्तिष्क किसी खास विचार या विषय को केन्द्रित करता है। ये विषय मस्तिष्क चित्रण की रचनात्मक प्रकिया में अर्थपूर्णता प्रदान करते हैं जिसे ''चित्र से सीखना'' कहते हैं। मस्तिष्क चित्र से सीखना एक रचनात्मक प्रकिया है जो सम्बन्धों की समझ के अनुसार खास विषयों को शामिल करता है। पारम्परिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मस्तिष्क मापन तकनीक नए विचारों के निर्माण एवं उनके सम्बन्धों को समझने में मस्तिष्क को उत्प्रेरित करता है।

मस्तिष्क चित्र एक प्रकार का ग्राफिक चित्र है। यह सूचना के एक क्षेत्र या कुछ विशेष को व्यवस्थित करने का तरीका है। मस्तिष्क कोशिका की भांति प्रत्येक मस्तिष्क चित्र का एक केन्द्र बिदु होता है। यह एक शब्द या चित्र हो सकता है। यह मुख्य केन्द्र होता है और पूरे चित्र के मुख्य विषयवस्तु को प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात् केन्द्रीय चित्र / शब्द से जुड़े विषय शाखा के साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु से जुड़ता है। इसी प्रकार आगे छोटी छोटी जुड़ी सूचनाएँ मुख्य सूचना के साथ जुड़ जाती है। सभी शाखाएँ एक अन्तःचक्र संरचना बनाती हैं।

मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से सहयोगी होता है, एक रेखीय नहीं। किसी भी विचार के हजारों लिंक आपके मस्तिष्क में होते हैं। मस्तिष्क चित्रण के द्वारा इन सभी अन्तः सम्बन्धित विचारों का एकत्रीकरण एवं कियान्वयन होता है।

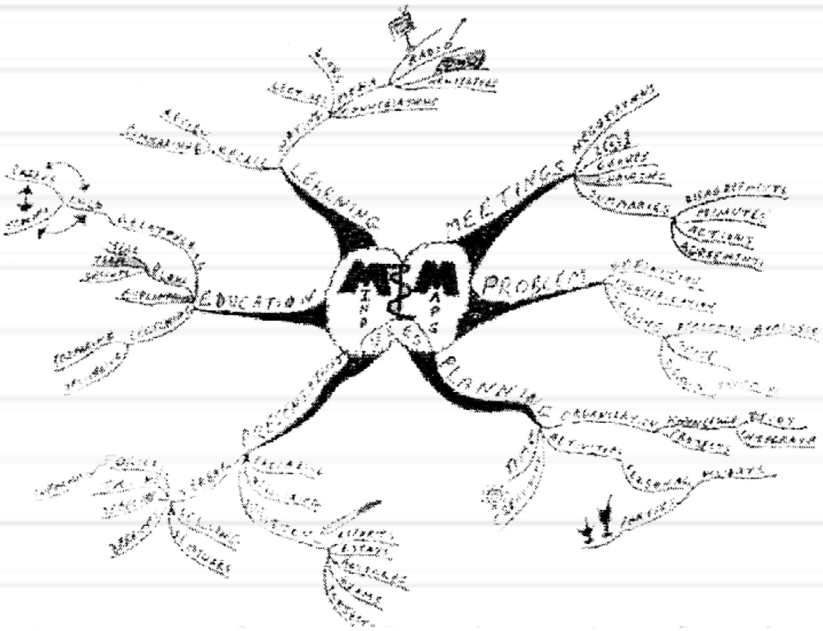

3. मापांक लेखन

मापांक लेखन से जुड़ी प्रशिक्षण सामाग्रियों की एक रूपरेखा निम्नलिखित है :

मापांक के अंग :–

1. प्रस्तावना
2. लक्ष्य एवं उद्धेश्य
3. सामग्री
4. अवधि
5. कियाकलाप / गतिविधि
6. विचार विमर्श
7. मूल्यांकन / आकलन
8. निष्कर्ष
9. शब्दावलियों का संग्रहण
10. सन्दर्भो की सूची

प्रस्तावना :–

प्रस्तावना विषय के प्रति सहभागियों को प्रथमतः जोड़ता है और अध्याय के विषय वस्तु के संदर्भ में कुछ विचार देता है और बताता है कि इसके द्वारा आप क्या हासिल करना चाहते है।

आपको इस खण्ड को संक्षिप्त और परिचित रखने की कोशिश करनी चाहिए।

लक्ष्य :–

लक्ष्य एक व्यापक दृष्टिकोण होता है जो बताता है कि विषय की जरूरत के अनुसार आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामान्य होते हैं और इनके द्वारा आपके छात्रों को विषय के अध्ययन क्षेत्र अन्य विषयों के साथ इनके अन्तः सम्बन्धों या सामान्य पाठ्यक्रम के संदर्भ में एक संकेत मिलता है।

उदाहरण : विषय पूरा होने पर छात्रों को चाहिए कि :

- आर्थिक विश्लेषण एवं आर्थिक तर्किकता का ज्ञान अर्जित करें। (अर्थशास्त्र)
- भूतकाल के संदर्भ में उदेश्यपूर्ण प्रश्नों को पूछने और काल्पनिक रूप से उनका उत्तर देने की क्षमता का विकास करें। (इतिहास)
- वैधानिक संस्थाओं एवं उनके समाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्वरूपों को समझें। (कानून)
- नई उभरती समस्याओं के संदर्भ में रचनात्मक एवं स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता को विकसित करें और उन्हें हल करने में अपनी सक्षमता का वास्तविक आकलन तैयार करें। (अभियंत्रण)
- कानूनों के सुधार के लिए विश्लेषणात्मक लगाव को विकसित करें। (कानून)

उद्धेश्य :

यह बताता है कि ज्यादा विशिष्ट और निचोड़ विवरण के संदर्भ में सीखने के लिए सहभागियों से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। ये विवरण यह भी संकेत देते है कि विभिन्न अध्ययन सामाग्रियों के आधार पर कार्य करने के पश्चात प्रशिक्षु को क्या करने, क्या प्रदर्शन करने या क्या समझने में सक्षम होना चाहिए। सीखने के उद्धेश्य प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। स्पष्ट उद्धेश्य आप, प्रशिक्षक, को पढ़ाने सीखने तथा विषय वस्तु की उपयोगिता आधारित विकल्पों के साथ पाठय्क्रम के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराते है और ये वैध आकलन योजना के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं। हम सहभागियों को क्या सीखाना चाहते हैं और इन खास अवधारणाओं पर केन्द्रित क्या मदद करना चाहते हैं – के संदर्भ में सहभागियों को एक स्पष्ट संकेत भी देते हैं।

उदाहरण : अध्याय समाप्त होने पर छात्र सक्षम होगे : –

फिलीपीनियों के आदिवासी लोगों का अधिकार अधिनियम (IPRA) 1997 के विस्तृत परीक्षण के द्वारा संचालन में आदिवासी लोगों की भूमिका को समझने व व्याख्यायित करने में।

- ग्राफीय एवं बीजगणितीय पद्धतियों के उपयोग, आदिवासी समुदायों में बहुराष्ट्रीय उत्खनन की लागत एवं लाभ की व्याख्या करने में।
- आदिवासी लोगों की खाद्य सुरक्षा के सन्दर्भ में नीतिगत विकल्पों की श्रृंखला से चयन करने में।
- आदिवासी लोगों की उपेक्षा के ऐतिहासिक कारणों की व्याख्या करने में।
- कुछ आदिवासी समुदायों की वर्तमान मान्यताओं के संदर्भ में जैव विविघता सम्मेलन की धारा 8(j) को व्याख्यायित करने में।

लक्ष्य एवं उद्धेश्यों का लेखन

किसी भी उद्धेश्य का मूल शब्द 'करना' है जो साफ–साफ वर्णन करता है कि सीखने के परिणाम के रूप में किस प्रकार से कार्य करना है। जिन स्थितियों के भीतर कियाकलाप किया जाना और क्षमता हासिल करना है, उसकी स्पष्ट रूपरेखा के आधार पर सीखने के उद्धेश्यों का निर्धारण संभव है। इसलिए उद्धेश्य प्रायः तीन तत्वों के आधार पर बने होते है : –

- एक व्यावहारिक शब्द : एक किया शब्द जो संकेत देता है कि प्रशिक्षु को क्या सीखने में सक्षम हेाना चाहिए।
- एक स्थिति : उन परिस्थितियों का संकेत जिनके भीतर किया/कार्य को सम्पादित किया जाना है।
- एक मानक : ज्ञान की क्षमता का विवरण जिनका प्रदर्शन किया जाना है।

उद्धेश्य की शब्दावलियाँ :

- ज्ञानात्मक (ज्ञान, सोच)
- प्रभावकारी (प्रवृत्ति, महसूसपन)
- मनोमिति (व्यावहारिक ज्ञान)
- अपने उद्धेश्यों को तैयार करने में ज्ञानात्मक क्षेत्र के छः स्तरों पर विचार करना मददकारी हो सकता है – ज्ञान, संक्षेपण, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन।

विषय वस्तु :

- अपने मुख्य बिन्दुओं को स्पष्ट करें।
- अपने कथ्य एवं विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए अपने बिन्दुओं को जरूरत एवं प्रभाव के आधार पर अनुक्रमित करें।
- अपने मुख्य बिन्दुओं के लिए उचित व पर्याप्त समर्थन (प्रमाण व तर्क) उपलब्ध करायें।
- प्रमाण के साथ अपनी दृढ़ता का समर्थन करें।

आकलन के साथ सीखने के उद्धेश्यों को मिलाना :–

आकलन पद्धतियों के साथ उद्धेश्यों का मिलाना काफी महत्वपूर्ण है। आशा के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रायः असफल होते हैं तो इसका एक प्रमुख कारण आकलन एवं उद्धेश्यों को सही ढंग से मिलाने का अभाव होता है।

आकलन और विषय एवं पाठ्यक्रम के उद्धेश्यों के सही मिलान न होने के कारण प्रशिक्षु सीखने में अक्सर असफल रहते हैं।

मिलान की योजना बना लेने पर इसकी संभावना बढ़ जाती है कि सीखने की उचित गतिविधियों का चुनाव कर उद्धेश्यों को हासिल किया जा सकता हैं।

निष्कर्ष :

- विषय वस्तु के साथ तार्किक रूप से निष्कर्ष जुड़े होने चाहिए।
- अपने निष्कर्ष पर नियंत्रण रखें।
- आपका निष्कर्ष आपके कथ्य के अनुरूप होने चाहिए।

संदर्भ : –

- अपने लेख में संदर्भो का उदृघृत करें।
- आपके संदर्भ संगत होने चाहिए।

अभ्यास – 1

शिक्षा संचालन में कुशलता (40 मिनट)

1. कुछ सहभागियों से शिक्षा के लिए किसी खास शीर्षक का चयन करने को कहा जाता है जिसके बारे में वे अन्य सहभागियों के साथ कुशलतापूर्वक विचार विमर्श करना चाहते है।
2. सहभागी उस शीर्षक पर विचार विमर्श के लिए या किसी खास शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक शैक्षिक मापांक तैयार करते है।
3. तैयार किए गए मापांक या संदर्भित क्रियाक्लापों का उपयोग करते हुए उस शीर्षक पर विचार विमर्श करने के लिए एक अभ्यास सत्र आयोजित किया जाता है।
4. उस शीर्षक पर अन्य सहभागी एवं सरल कर्ता अपनी टिप्पणी व आलोचना देते है और आगे प्रशिक्षक सबके साथ उस शीर्षक पर विचार विमर्श करते हैं।
5. सरलकर्ता CEPA पर आधारित सम्पूर्ण शीर्षक का संश्लेषण करता है और विचार विमर्श समाप्त करता हैं।

वर्ण विन्यास

ABS	एक्सेस एण्ड बेनेफिट सेयरिंग	GEF	ग्लोबल इन्वायरन्मेंट फेसिलिटी
AFOLU	एग्रीकल्चर, फारेस्ट्री एण्ड अदर लैंड यूज	GHG	ग्रीन हाउस गैस
AIA	एडवान्स इन्फारमेशन एग्रीमेंट	GMO	जेनेटिकली मोडिफाइड आर्गेनिज्म
AIWN	एशियन इन्डिजीनियस वीमेन्स नेटवर्क	GURT	जेनेटिक यूज रिसट्रिक्शन टेक्नोलॉजीज
AIWO	अफ्रीकन इन्डिजीनियस वीमेन्स आर्गेनाइजेशन	IAIPTF	इन्टरनेशनल एलाइन्स ऑफ इन्डिजीनियस एण्ड ट्राइबल पीपुल्स ऑफ ट्रापिकल फारेस्ट्स
AMAN	एलियंसी मस्यरकट आदत नूसन्तर	$ICCA_S$	इन्डिजीनियस एण्ड कम्यूनिटी कन्जवर्ड एरियाज
CBD	(जैव विविघता सम्मेलन) कन्वेन्शन ऑन बायोलाजिकल डाइवरसिटी	IEN	इन्डिजिनियस इन्वायरॉनमेन्टल नेटवर्क
CCA	कल्चरल कन्जरेवशन एक्ट	IIFB	इन्टरनेशनल इन्डिजीनियस फोरम ऑन बायोडाइवरसिटी
CDM	क्लीन डेवलपमेंट मकेनिज्म	IIPFCC	इन्टरनेशनल इन्डिजीनियस पीपुल्स फोरम आन क्लाइमेट चेंज
CEPA	कम्यूनिकेसन, एजुकेशन एण्ड पब्लिक अवेयरनेस	IITC	इन्टरनेशनल इन्डियन ट्रीटी काउन्सिल
CER_S	सर्टिफाइड इमिसन्स रिडकसन्स	IK	इन्डिजिनीयस नॉलेज
CHM	क्लीयरिंग हाउस मकेनिज्म	ILS	इन्डिजिनीयस एण्ड लोकल कम्यूनिटिज
CIHR	कन्जरवेशन इनिसिएटिव ऑन हयूमन राइटस	ILO	इन्टरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन
CITES	कन्वेन्शन ऑन इन्टरनेशनल ट्रेड इन इन्डेन्जर्ड स्पेसीज	INBRAPI	इन्स्टीच्यूटो इन्डिजेना ब्रासीलिएरो पारा प्रॉपीडेड इन्ट्लेक्चूअल
COP	कान्फ्रेंस आफ द पार्टीज	IPCB	इन्डिजीनियस पीपुल्स काउन्सिल ऑन बायोकोलोनिज्म
CSD	कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट	IPCCC	इन्डिजीनियस पीपुल्स कोआर्डिनेटिंग कमिटी ऑन कन्जरवेशन
DENR	डिपार्टमेंट आफ इन्वायरमेट एण्ड नेचेरल रिसॉर्सेज	IPR	इन्ट्लेक्चूअल प्रोपर्टी राइटस

ECOSOC	इकोनामिक एण्ड सोशल काउन्सिल	IPRA	इन्डिजीनियस पीपुल्स राइट्स एक्ट
EPA	इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी	IUCN	इन्टरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर/वर्ल्ड कन्जर्वेशन यूनियन
EU	यूरोपियन यूनियन	IWBN	इन्टरनेशनल वीमेन्स बायोडाइवरसिटी नेटवर्क
FCPF	फॉरेस्ट कार्बन पार्टनर शिप फेसेलिटी	IWGIA	इन्टरनेशनल वर्क ग्रूप फॉर इन्डिजीनियस अफेयर्स
FPIC	फ्री प्रायर एण्ड इन्फामर्न्ड कन्सेंट	IYB	इन्टरनेशनल इयर ऑफ बायोडाइवरसिटी
FPP	फॉरेस्ट पीपुल्स प्रोग्राम	JI	ज्वाइन्ट इम्प्लीमेन्टेसन
GBO	ग्लोबल बायोडाइवरसिटी आउटलुक	KP	क्योटो प्रोटोकॉल
GE	जेनेटिक इन्जिनियरिंग		
LULUCF	लैंड यूज एण्ड लैंड यूज चेंज एण्ड फॉरेस्ट्स	UNCHE	यूनाइटेस नेसन्स कॉन्फ्रेंस ऑन द हयूमन इन्वायरन्मेंट
MEAs	मल्टी लेटरल इन्वायरन्मेंटल एग्रीमेन्ट्स	UNCLOS	यूनाइटेड नेसन्स कन्वेन्सन ऑन द लॉ ऑफ द सी
MRDC	मॉनटेनासो रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर	UNCTAD	यूनाइटेड नेसन्स कॉन्फ्रेंस आन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट
MRP	मूयंग रिसॉर्सेज परमिट	UNDRIP	यूनाइटेड नेशन्स डीकलरेसन ऑन द राइटस ऑफ इन्डिजीनियस पीपुल्स
NAMAs	नेशनल एडपटेसन एण्ड मिटिगेशन एक्सन्स	UNESCO	यूनाइटेड नेसन्स एजेकेसनल, साइन्टिफिक एण्ड कल्चरण आर्गेनाइजेसन
NAPAs	नेशनल एडपटेसन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन	UNEP	यूनाइटेड नेसन्स इन्वायरॉन्मेंट प्रोग्राम
NBSAP	नेशनल बायोडाइवरसिटी स्ट्रेट्जी एण्ड एक्शन प्लान्स	UNFAO	यूनाइटेड नेसन्स फूड एण्ड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन
NCIP	नीदरलैण्ड्स सेन्टर फॉर इन्डिजिनीयस पीपुल्स	UNFCCC	यूनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्वेंसन ऑन कलाइमेट चेन्ज
NFP	नेशनल फोकल प्वाइन्ट	UNFF	यूनाइटेड नेसन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट
NGOs	नन–गवर्नमेंट आर्गेनाइजेसन्स	UNPFII	यू एन पर्मानेन्ट फोरम ऑन इन्डिजीनियस ईसूज
PAs	प्रोटेक्टेड एरियाज	UNRISD	यूनाइटेड नेसन्स रिसर्च इन्स्टीच्यूट ऑन सोसल डेवलपमेंट

PACOs	पार्टनर ऑफ कम्युनिटी आर्गेनाइजेसन्स
PIC	प्रायर इन्फार्म कन्सेन्ट
POPs	परसीस्टेन्ट ओर्गेनिक पोल्यूटेन्ट्स
POW	प्रोग्राम ऑफ वर्क
POWPA	प्रोग्राम ऑफ वर्क ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज
RAIPON	रसियन एसोसिएसन ऑफ इन्डिजीनियस पीपुल्स ऑफ द नार्थ
REDD	रिड्यूसिंग इमिसन्स फ्रॉम डीफॉरेस्टेसन एण्ड फॉरेस्ट डीग्रेडेसन
SBSTTA	सब्सीडियरी बॉडी ऑन साइन्टिफिक, टेक्नीकल एण्ड टेक्टनॉलिजकल एडवाइस
TEK	ट्रेडिसनल इकोलॉजिकल नॉलेज
TK	ट्रेडिसनल नॉलेज
TWN	थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क
UN	यूनाइटेस नेसन्स
UNCCD	यूनाइटेड नेसन्स कन्वेंसन टू कॉर्म्बेट डेजर्टीफीकेसन
UNCED	यूनाइटेड नेसन्स कान्फ्रेंस ऑन इन्वायरॉन्मेंट एण्ड डेवलपमेंट
WGIP	वर्किंग ग्रुप ऑन इन्डिजीनियस पोपुलेसन
WGRI	वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू इम्प्लीमेंटसन
WIPO	वर्ल्ड इन्ट्लेक्चुअल प्रोपर्टी आर्गेनाइजेसन
WSSD	वर्ल्ड सम्मीट ऑन सस्टेनेब्ल डेवलपमेंट
WTO	वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेसन
WWF	वर्ल्ड वाइड फंड
WWW	वर्ल्ड वाइड वेब

अध्ययन सामाग्रियों की सूची

अधिकांश अध्ययन सामाग्रियां अनुपूरक संसाधन सीडी में शामिल की गई है जबकि अन्य सामाग्रियों को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

मापांक – 1 :

- आदिवासी लोग एवं राजनैतिक बहस – मुख्य बाते
- ''सतत विकास'' IWGIA पत्रिका (4) 2001
- तमायो, आन लोरेटो, ed. 2003, आदिवासी लोग और सतत् विकास पर विश्व बैठक, बगूयो सिटी : तेबतेबा फाउन्डेसन
- हम, आदिवासी लोगः आदिवासी लोगों पर आधारित घोषणाओं का सम्मिलन, 2005 बगूयो सिटी, तेबतेबा फाउन्डेसन

मापांक – 2

- ओल्डहम, पॉल–जैवविविधता पर बातचीत जैव विविधता सम्मेलन पर एक क्षेत्रीय मार्गदर्शन – मुख्य बातें।
- ''जैव विविघता सम्मेलन में आदिवासी लोगों की भागीदारी तथा पूर्वसूचित सहमति'' – तीसरे IIFB (ब्रातीस्लावा, स्लोवाकिया, 4–6 मई 1998) तथा जैव विविघता सम्मेलन के अन्तर्गत CoP4 (4–15 मई 1998) पर प्रतिवेदन
- लिम ली लिन, ''जैव सुरक्षा पर कार्टेगना प्रोटोकाल का कियान्वयन विकासशील देशों में आरम्भ करने के लिए क्षमता निर्माण'' http://www.biosafety-info.net/article.php ? aid = 8

मापांक 3 :

- ओल्डहम पॉल – जैव विविधता ..... मार्ग दर्शन – मुख्य बातें।
- उष्णकटिबंधीय वनों के आदिवासी लोगों का अन्तर्राष्ट्रीय गठबंधन।'' जैव विविधता सम्मेलनः आदिवासी लोगों के मुद्धे''।
- आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा

मापांक 4 :

- जैव विविधता पर अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी फोरम–मुख्य बातें
- www.indigenousportal.com से प्राप्त फोटो
- IIFB वचनों का नमूना

मापांक – 5

- जॉन स्काट – ''जैव विविधता सम्मेलन और पारम्परिक ज्ञान – मुख्य बातें।
- आदिवासी ज्ञान का मूल्य 2010, बगूयो सिटी : तेबतेबा फाउन्डेसन
- पंचनामा समाचार पत्र – मई 1 – 2007, मई 2008, मई–सितम्बर 2009, अप्रैल–सितम्बर 2010

मापांक – 6

- ''आनुवांशिकी संसाधनों के दोहन और इनके उपयोग से होने वाले फायदों में स्वच्छ एवं समान भागीदारी''–मुख्य बातें।
- ''जैव विविधता पर सम्मेलन (परिशिष्ट के साथ)'' रियो द जनेरियो में समापन–5जून 1992 http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-en.pdf.
- ''आनुवांशिक संसाधनों के दोहन और उनके उपयोग से होने वाले फायदों में स्वच्छ एवं समान भागीदार पर बॉन दिशा–निर्देश'' 2002, जैव विविधता पर सम्मेलन का सचिवालय।
- CoP निर्णय 926, जैव विविधता सम्मेलन को निर्देशित–ABS निर्णय (VII/19D) जिसे COP द्वारा जैव विविधता पर सम्मेलन की 7वीं बैठक में स्वीकार किया गया। इस पर एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनायी जाय। (UNEP/CBD/COP/DEC/VII/19) 9-20 फरवरी, 2004 कुआलालमपुर, मलेशिया, http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07/cop-07-dec-19-en.doc.
- ''दोहन एवं लाभ भागीदारी पर अंशकालिक कार्यशील समूह की 7वीं बैठक का प्रतिवेदन। (UNEP/CBD/WG-ABS/7/8)," पेरिस, 2–8 अप्रैल 2009, http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-07/official/abswg 07-08-en.doc
- ''दोहन एवं लाभ भागीदारों पर अंशकालिक कार्यशील समूह की 8वीं बैठक का प्रतिवेदन। (UNEP/CBD/WG-ABS/8/8)," मॉंट्रियल, 9–15 नवम्बर 2009, http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-08/official/abswg-08-08-en.doc.
- अवधारणाओं, शब्दावलियों, कार्य परिभाषाओं एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोणों पर गठित वैधानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ समूह की बैठक का प्रतिवेदन।'' UNEP/CBD/WG-ABS/7/2 2–5 दिस. 2008 विन्डहोक, नामीबिया।

http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/absgtle-01/official/absgtle-01-abswg-07-02-en.doc

- ''दोहन एवं लाभ भागीदारी पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में समझौता सम्पन्न कराने के लिए गठित वैधानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ समूह की बैठक का प्रतिवेदन। (UNEP/CBD/WG-ABS/2/3)" टोकियो, 27–30 जनवरी, 2009, http://www.cbd.int/doc/meetings/obs/abswg-07/official/abswg-07-03-en-doc
- ''आनुवांशिक संसाधनों से जुड़े पारम्परिक ज्ञान पर गठित तकनीकी एवं वैधानिक विशेषज्ञ समूह की बैठक का प्रतिवेदन''। (UNEP/CBD/WG-ABS/8/2); 16-19 जून 2009 : हैदराबाद, भारत, http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/obswg-08/official/abswg 08-02-en.doc
- पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व : जैव विविधता पर सम्मेलन प्रकृति और मानव जीवन को किस प्रकार प्रोत्साहित करता है'' http://www.cbd.int/iyb/doc/prints/cbd-sustain-en-pdf
- पृथ्वी समझौता बुलेटिन

मापांक – 7

- आदिवासी लोग एवं जैव विविधता पर सम्मेलन : सीरिज संख्या – 6, एशियाई आदिवासी महिलाएँ एवं जैव विविघता सम्मेलन 2008 बगूयो सिटी, तेबतेबा फाउन्डेसन
- IIFB के आरम्भिक वक्तव्यः CoP 7 कुआलालमपुर, मलेशिया, 9 फरवरी, 2004
- विलालोबोस, गुस्सेल रॉड्रीगज, माँट्सेरॉट ब्लान्को लोबो और फ्रांसीस्को एजोफेफा कैसेन्टेः विविधता ही विभिन्नता लाती है : जैव विविधता सम्मेलन को लागू करने में लिंग समानता को सुनिश्चित करने वाले कार्य। विश्व संरक्षण यूनियन – IUCN

मापांक – 8

- हवाई की जैव विविधता की रक्षा करें – मुख्य बातें
- डेब्रा हैरी, स्टेफेन हावार्ड, ब्रेटली शेल्हटन 2000, आदिवासी लोग, जीन एवं आनुवांशिकी : जैव उपनिवेशवाद के बारे में आदिवासी लोगों को क्या जानना चाहिए : एक प्रीमियर एवं सामग्री –युक्त दिशा–निर्देश, जैव उपनिवेशवाद पर आदिवासी लोगों का काउन्सिल/ http://www.mindfully.org/GE/Indigenous-people-biocolonism.htm.
- GENOK ''जैव सुरक्षा आकलन'' उपकरण, WWW.genok.com
- GENOK, GMOs पर कोर्स और कार्टेगना प्रोटोकाल का कियान्वयन''–WWW.genok.com

- लिम ली लीन '' जैव सुरक्षा पर कार्टेगना प्रोटोकाल के कियान्वयन को लागू करने के लिए विकासशील देशों में क्षमता निर्माण http://www.biosafety-info-net/article.php ? aid=8

मापांक – 9

- टॉली कार्पज, विक्टोरिया, et, al, eds. जलवायु परिवर्तन और आदिवासी लोगों पर मार्गदर्शन, 2008, बगूयो सिटी, तेबतेबा फाउन्डेसन
- जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और आदिवासी लोग – मुख्य बातें।
- लाइफ मोजैक ओर तेबतेबा : 2010: Fever/Fiebre
- बॉर्सले, इनग्रिड 2008, REDD : आदिवासी लोगों के लिए एक मार्गदर्शन, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय।
- जलवायु परिवर्तन पर आदिवासी लोगों का अन्तर्राष्ट्रीय फोरम, IIPFCC ; जलवायु परिवर्तन पर नीतिगत तथ्य : बैकॉक मे हुए IIPFCC बैठक में विचारित एवं पारित : 26–27 सितम्बर 2009 एन्कोरेज घोषणा : 2009, जलवायु परिवर्तन पर आदिवासी लोगों की वैश्विक बैठक में शामिल सहभागियों की सहमति से तैयार, एन्कोरेज अलास्का, 24 अप्रैल 2009
- जॉन हेनरीकसन : आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों पर प्रतिवेदन ..... कारण एवं समाधान सहित ''जैव विविघता सम्मेलन की 5वीं बैठक मॉंट्रियल, 15–19 अक्टु. 2007 से जुड़े प्रावधानों एवं धारा 8(j) पर गठित अंशकालिक अन्तः सत्रीय कार्यशील समूह को प्रस्तुत।

मापांक – 10 :

- VIDS वेरे निजींग वान इनहिमसे डॉर्प्सहॉफडेन इन सूरीनाम (सूरीनाम में आदिवासी ग्रामीण नेताओं का संघ) 2009, सुरीनाम में संरक्षण में आदिवासी लोगों के अधिकारों का सुनिश्चयः एक पुनरावलोकनः वन्य लोग एवं संरक्षित क्षेत्रों पर FPP सीरिज।
- ओकानी एसेसियेसन 2009: संरक्षण में आदिवासी लोगों के अधिकारों का सुनिश्चय : ''कामरून में हो रही प्रगति की समीक्षा एवं प्रोत्साहन '' वन्य लोग एवं संरक्षित क्षेत्रों पर FPP सीरिज।
- वन्य लोग कार्यक्रम 2009, संरक्षण में आदिवासी लोगों के अधिकारों का सुनिश्चय जंगा–संघा संरक्षित क्षेत्र संकुल में नीति एवं कियान्वयन की समीक्षाः वन्य लोग एवं संरक्षित क्षेत्रों पर FPP सीरिज।
- मार्कस कॉलचेस्टर, मौरिजिओ फरहान फेरारी, जॉन नेल्सन, क्रीस किड, पेनीन्नाह जनिन्का, मेसी वेनेन्ट, लेन रेग पाला, ग्रेस टी बलवाग, बोरोमियो मॉटीन, बेनी लेजिमबंग : संरक्षण एवं आदिवासी लोग : डर्बन से अब तक प्रगति का आकलन, वन्य लोग एवं संरक्षित क्षेत्रों पर FPP सीरिज।
- वन्य लोग कार्यक्रम, 2008, आदिवासी लोगों के लिए IUCN प्रस्ताव एवं अनुशंसाएँ, एक तुलनात्मक तालिका
- पर्यावरणात्मक, आर्थिक एवं सामाजिक नीति पर IUCN आयोग, संरक्षण एवं मानवाधिकार नीतिगत मामलों में, अंक, 15 जुलाई 2007

- मार्कस कॉलचेस्टर, 2003 प्रकृति का उद्धार आदिवासी लोग, संरक्षित क्षेत्र, और जैव विविधता संरक्षण, इंग्लैंड : WRM और FPP
- डडले, निगेल, ed. 2008, संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धन वर्गीकरण को लागू करने के सन्दर्भ में मार्गदर्शनः स्वीट्जरलैंड, IUCN

मापांक – 11

- जैव विविधता सम्मेलन के क्रियान्वयन की समीक्षा (UNEP/CBD/COP8/4/Rev1)- मुख्य बातें।
- राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति एवं कार्ययोजना (NBSAPs) ; http://www.cbd.int/nbsap/.
- फिलीपिनी कार्यनीति एवं कार्य योजना ; http://www.psdn.org.ph/nbsap/page9.html. फिलीपीन्स गणराज्य, जैव विविधता लक्ष्य 2010 की ओर हुई प्रगति का आकलन, जैव विविघता सम्मेलन पर चौथा राष्ट्रीय प्रतिवेदन 2009 ; http;//www.cbd.int/doc/world/ph/ph-nr-04- en.pdf.

- वन्य लोग कार्यक्रम 2005, कामरून में परम्परागत सतत् उपयोग की सुरक्षा एवं प्रोत्साहन, कामरून के पश्चिमी दा रिजर्व में जैव संसाधनों का स्थानीय एवं आदिवासी लोगों द्वारा प्रथागत उपयोग ; http://www.forest peoples.org/documents/africa/cameroom_trad_use_aug 05_eng.pdf.
- वन्य लोग कार्यक्रम 2010, आदिवासी लोग एवं स्थानीय समुदायों द्वारा जैव विविधता का प्रथागत एवं सतत् उपयोग, जैव विविघता सम्मेलन की धारा – 10(C) से जुड़े उदाहरण, चुनौतियाँ एवं अनुशंसाएँ, बांग्लादेश, कामरून, गूयाना, सूरीनाम और थाईलैंड के घटना अध्ययनों पर आधारित संश्लेषित कार्य प्रारूप ; http;//www.forestpeoples.org/documents/conservation/1OC_synthesis_draft _apr10_eng.pdf.

मापांक – 12

- जैव विविघता सम्मेलन का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण–मुख्य बातें।
- पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के उपयोग की शुरूआत करने वालों के लिए मार्गदर्शन ; http;//www.cbd.int/doc/programmes/cro-cut/eco/eco-guide-be-en.pdf.
- धारा 8(j) एवं सम्बन्धित प्रावधानों पर गठित अंशकालिक कार्यशील समूह की छठी बैठक का प्रतिवेदन (UNEP/CBD/CoP/10/2) 2-6 नवम्बर 2009, मॉंट्रियल, कनाडा ; http;//www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-10/official/cop-10-02-en.doc.

मापांक–13

- आदिवासी पारम्परिक ज्ञान पर आधारित सचिवालय का प्रतिवेदन (E/c. 19/2007/10) आदिवासी मुद्धों पर स्थायी फोरम के छठे सत्र को प्रस्तुत–न्यूयार्क, 14–25 मई 2007
- आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के प्रथागत कानून, न्यायिक क्षेत्राधीन राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्मिलन पर अध्ययन (UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/5)
- दोहन एवं लाभ भागीदारी पर अंशकालिक कार्यशील समूह की 7वीं बैठक के लिए निर्मित, पेरिस, 2–8 अप्रैल 2009
- पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण एवं वाणिज्यिकरण की प्रणाली पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार का प्रतिवेदन, नई दिल्ली, 3–5 अप्रैल 2002 http;//www.unctad.org/trade_env/tets/1/meetings/delhi/Report.new%20Delhi.final.doc
- ड्यनाँग एट बतास : पारम्परिक ज्ञान एवं प्रथागत कानून पर प्रलेखित, 2010, बगूयोसिटी, तेबतेबा फाउन्डेसन।
- तमायो, ऑन लॉरेटो और मॉरिस मलानिस, ed-2004 आवर हार्वेस्ट इन पेरिल, आदिवासी लोगों की खाद्य सुरक्षा पर एक सामग्री पुस्तक क्यूजॉन सिटी : EED फिलीपिन्स पार्टनर्स टास्क फोर्स फार इन्डिजीनियस पीपुल्स राइट्स
- कैरीनो, जोजी, जैव विविधता से सम्बन्धित आदिवासी लोगो के मुद्धे–मुख्य बातें।

मापांक–14

- जैव विविधता सम्मेलन में शामिल CoP की 8वीं बैठक में स्वीकार किए गए निर्णय - (UNEP/CBD/CoP/DEC/VIII/6); क्यूरीटीबा, ब्राजील, 20–31 मार्च 2006 ; http://www.cbd.int/decisions/ ? id = 11018
- जैव विविघता सम्मेलन कार्यक्रम पर आधारित CEPA पर IIFB कार्यक्रम–मुख्य बातें।
- धारा–13 पर जैव विविघता सम्मेलन CoP के निर्णय और CEPA योजना पर IIFB कार्यशील समूह का सम्मिलन, 2009 बगूयो सिटी, तेबतेबा फाउन्डेसन (अप्रकाशित सामग्री)
- जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय, अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 के लिए क्रियान्वयन कार्यनीति ; http://www.cbd,int/iyb-implementation-plan-en-pdf.
- जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय, अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष का स्वागत http://www.cbd.int/2010/about

अध्याय IV सीखने के उपकरण एवं पद्धतियाँ

- रोविलियोस रेमुण्डो, मापांक निर्माण के लिए प्रशिक्षण सामाग्रियों की रूप रेखा–मुख्य बातें।
- लाइफ मोजैक एवं तेबतेबा – Fever/Fiebre

- निम्न में सम्बन्ध : मुद्धो पर आधारित TEMATEA मापांक, वैश्विक जैव विविधता परिदृश्य, पशुचारण, वन आदि पर CBD और IUCN की पुस्तकों की श्रृंखला
- TEMATEA : जैव विविधता पर आधारित सम्मेलनों के संयुक्त कियान्वयन हेतु मुद्धे आधारित मापांक ; http://www.tematea.org/? q = node/960
- जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय 2006, वैश्विक जैव विविधता परिदृश्य 2, मॉट्रियल ; http://www.cbd.int/doc/gbo/gbo2/cbd-gb02-en.pdf.
- IUCN ; पशुचारण, http://www.iucn. org/wisp/pastoralist_portal/pastoralism/
- IUCN ; शुष्क भूमि एवं पशुचारण, http://www.iucn. org/wisp/pastoralist_portal/drylands_and_ pastoralism/
- जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय 2010, पशुचारण, प्रकृति का संरक्षण एवं विकास : एक अच्छा अभ्यास गाइड, मॉट्रियल, SCBD